VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

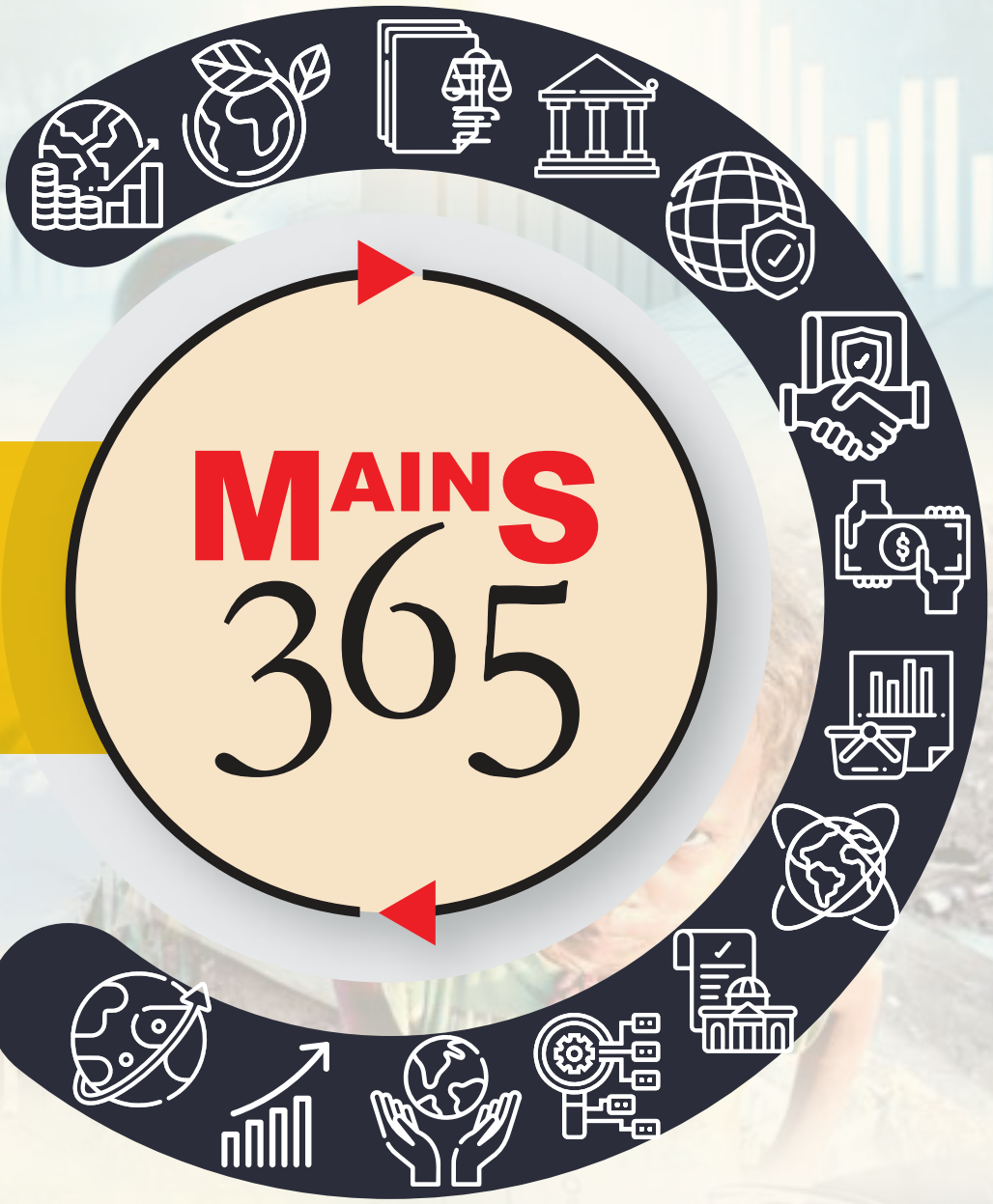

MAINS 365

अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2024

जून 2024 – 15 अगस्त 2024

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

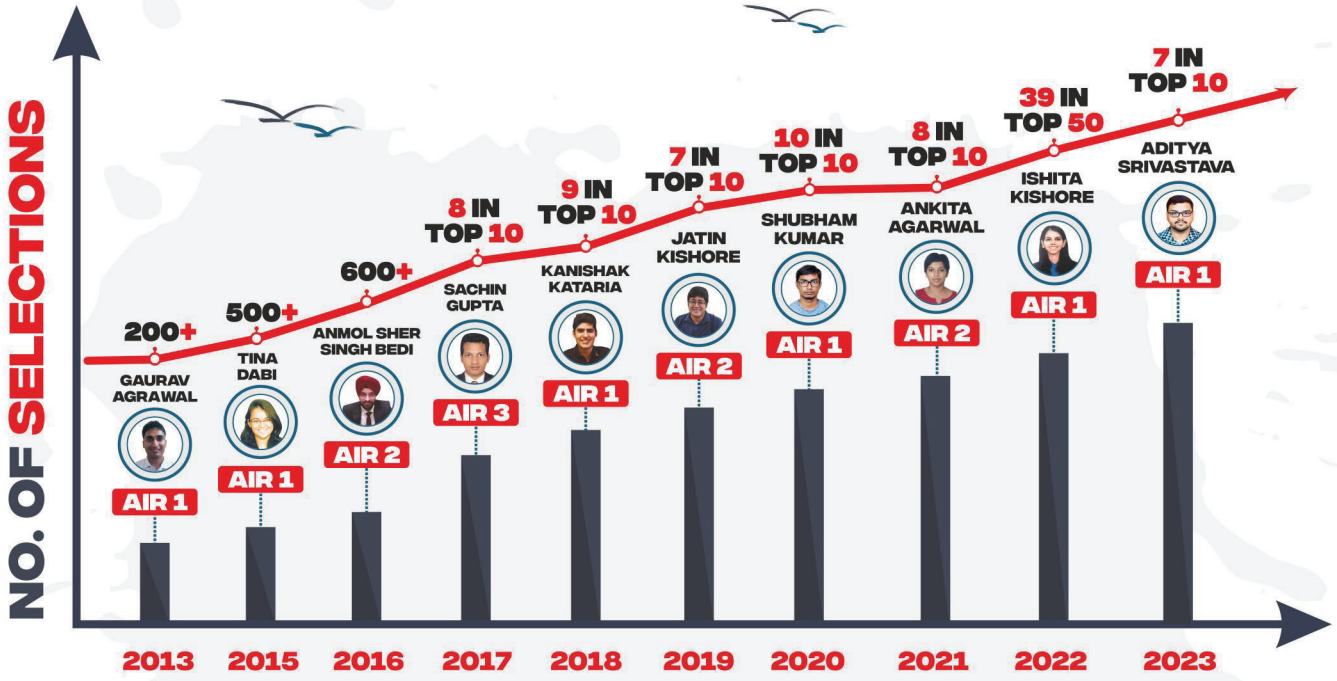

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 17 SEPT, 9 AM | 24 SEPT, 1 PM | 30 SEPT, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 AUG | **BENGALURU:** 21 AUG | **BHOPAL:** 5 SEPT | **CHANDIGARH:** 9 SEPT
HYDERABAD: 11 SEPT | **JAIPUR:** 2 SEPT | **JODHPUR:** 11 JULY | **LUCKNOW:** 5 SEPT | **PUNE:** 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 23 सितंबर, 1 PM | 22 अगस्त, 1 PM | **BHOPAL:** 23 जुलाई | **LUCKNOW:** 18 जुलाई | **JAIPUR:** 5 सितंबर | **JODHPUR:** 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल (Updated Classroom Study Material)

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) ____ 4

1.1. आपातकालीन प्रावधान: एक नज़र में ____ 4

1.1.1. आंतरिक आपातकाल ____ 5

1.2. गठबंधन सरकार ____ 6

1.2.1. NOTA (इनमें से कोई नहीं) ____ 8

1.3. कोटा निर्धारित करने के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों में उप-वर्गीकरण ____ 9

1.4. निजी क्षेत्रक में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण ____ 10

1.5. संवैधानिक विशेषताओं की तुलना ____ 10

1.5.1. भारत और फ्रांस ____ 10

1.5.2. भारत और यूनाइटेड किंगडम ____ 11

1.5.3. भारत और नेपाल ____ 13

1.6. विशेष पैकेज ____ 13

1.7. नए राज्यों की मांग ____ 14

1.8. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ____ 16

1.9. मिशन कर्मयोगी ____ 18

1.9.1. नौकरशाही में लेटरल एंट्री ____ 19

1.10. ग्राम न्यायालय ____ 20

1.11. डाकघर अधिनियम, 2023 ____ 21

1.12. विफल होती लोक परीक्षा प्रणाली ____ 22

1.12.1. शिक्षा को पुनः राज्य सूची में शामिल करना ____ 23

1.13. भारत में खेल इकोसिस्टम ____ 25

1.14. स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा ____ 26

1.15. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा ____ 28

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 31

2.1. भारत: वैश्विक शांति निर्माता के रूप में ____ 31

2.2. संप्रभु ऋण संकट ____ 32

2.3. भारत के पड़ोसी देश में अस्थिरता ____ 33

2.3.1. भारत-बांग्लादेश संबंध: एक नज़र में ____ 36

2.4. एक्ट ईस्ट नीति ____ 37

2.5. मिनीलैटरल का उदय ____ 38

2.6. ग्रुप ऑफ सेवन (G-7): एक नज़र में ____ 40

2.7. भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध: एक नज़र में ____ 42

2.8. पश्चिमी हिंद महासागर ____ 43

2.9. भारत-जापान संबंध: एक नज़र में ____ 45

2.10. भारत-यूरेशिया संबंध: एक नज़र में ____ 46

2.11. अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून: एक नज़र में ____ 47

2.12. ऊर्जा कूटनीति ____ 48

2.13. अंतरिक्ष कूटनीति ____ 50

2.14. अपडेट्स ____ 51

2.14.1. भारत-रूस संबंध ____ 51

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 52

3.1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास ____ 52

3.1.1. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (2023): श्रम बल में महिलाएं ____ 52

3.1.2. विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना ____ 53

3.1.3. गिग इकॉनमी ____ 55

3.2. संवृद्धि एवं विकास ____ 56

3.2.1. भारत का संरचनात्मक परिवर्तन ____ 56

3.2.2. समावेशी विकास ____ 59

3.2.3. गरीबी का मापन ____ 60

3.3. बैंकिंग, भुगतान प्रणालियां और वित्तीय बाज़ार ____ 61

3.3.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन ____ 61

3.3.2. भारत में सूक्ष्म वित्त ____ 62

3.3.3. फिनटेक क्षेत्रक ____ 64

3.3.4. फिनफ्लुएंसर्स ____ 65

3.4. बाह्य क्षेत्रक ____ 67

3.4.1. भारत का व्यापार घाटा ____ 67

3.5. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां ____ 68

3.5.1. बागवानी क्लस्टर्स ____ 68

3.5.2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और घरेलू व्यय ____ 69

3.6. उद्योग एवं औद्योगिक नीति ____ 70

3.6.1. वस्त्र क्षेत्रक ____ 70

3.6.1.1. तकनीकी वस्त्र ____ 71

3.6.2. विशेष आर्थिक क्षेत्र ____ 73

3.6.3. मानकीकरण संबंधी फ्रेमवर्क ____ 75

3.7. डिजिटल इकोनॉमी ____ 76

3.7.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ____ 76

3.7.2. डिजिटल एकाधिकार ____ 79

 © Vision IAS

3.7.2.1. डार्क पैटर्न 80
3.8. लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना 81
3.8.1. रेलवे सुरक्षा 81
3.8.2. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट 83
3.8.3. ई-मोबिलिटी 85
3.9. खनन एवं ऊर्जा 87
3.9.1. भारत में अपतटीय खनिज 87
3.9.2. गैस-आधारित अर्थव्यवस्था 89
3.9.3. सिटी गैस वितरण नेटवर्क 90
3.9.4. भारत में कोयला क्षेत्रक 91
3.10. नवाचार एवं उद्यमिता 93
3.10.1. क्रिएटिव इकोनॉमी 93
3.10.2. एंजेल टैक्स 94
3.10.3. महिला उद्यमिता 95
4. सुरक्षा (Security) 97
4.1. पड़ोसी देशों में अशांति और भारत की आंतरिक सुरक्षा 97
4.2. सीमा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका 98
4.3. कारगिल युद्ध के 25 साल 99
4.4. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद 101
4.5. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 103
4.6. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय 104
4.7. अर्बन नक्सलवाद 106
4.8. साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र संधि 107
4.9. साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त डॉक्ट्रिन 108
4.10. ऑनलाइन गलत सूचना 108
4.11. वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल 110
4.12. भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रोग्राम 112
4.13. विमान वाहक पोत 113
5. पर्यावरण (Environment) 115
5.1. जलवायु परिवर्तन 115
5.1.1. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 115
5.1.1.1. लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) पर प्रभाव: एक नज़र में 115
5.1.1.2. सीमांत किसानों पर प्रभाव: एक नज़र में 116
5.1.1.3. शिक्षा पर प्रभाव: एक नज़र में 117
5.1.1.4. समुद्री जलस्तर में वृद्धि 118
5.1.2. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जलवायु परिवर्तन शमन पर टिप्पणियां 119
5.2. वायु प्रदूषण 119
5.2.1. ग्राउंड लेवल ओज़ोन (क्षोभमंडलीय ओज़ोन) 119
5.3. जल एवं भूमि क्षरण 120
5.3.1. खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि 120
5.3.2. मृदा स्वास्थ्य 123
5.4. संधारणीय विकास 124
5.4.1. ग्रेट निकोबार द्वीप 124
5.4.2. भारतीय हिमालयी क्षेत्र 126
5.4.3. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 129
5.5. नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत 130
5.5.1. भूतापीय ऊर्जा: एक नज़र में 130
5.5.2. अपतटीय पवन ऊर्जा: एक नज़र में 131
5.5.3. ग्रीन अमोनिया: एक नज़र में 132
5.5.4. ग्रीन हाइड्रोजन: एक नज़र में 133
5.5.5. बायो-इकोनॉमी 134
5.5.6. भूमिगत कोयला गैसीकरण: एक नज़र में 136
5.6. संरक्षण संबंधी प्रयास 137
5.6.1. NDCs को प्राप्त करने के लिए वन संरक्षण 137
5.6.2. इको-सेंसिटिव एरिया 138
5.7. आपदा प्रबंधन 140
5.7.1. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 140
5.7.2. आपदा प्रतिरोधी शहर 140
5.7.3. भारत में सूखा प्रबंधन: एक नज़र में 143
5.7.3.1. सूखे की घोषणा 144
5.7.4. बादल फटने की घटना: एक नज़र में 145
5.7.5. शहरी बाढ़: एक नज़र में 146
5.7.5.1. पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ 147
5.7.6. चक्रवात प्रबंधन: एक नज़र में 148
5.8. अपडेट्स 149
5.8.1. भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रगति 149
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 151
6.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और समकालीन समाज 151
6.1.1. प्रौद्योगिकी और शिक्षा: एक नज़र में 153
6.1.2. प्रौद्योगिकी और समाजीकरण: एक नज़र में 154
6.1.3. प्रौद्योगिकी और परिवार: एक नज़र में 155
6.1.4. प्रौद्योगिकी और सेक्सुअलिटी: एक नज़र में 156

6.2. नारी शक्ति: 'महिलाओं के विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' तक ____ 157
6.3. मार्केट सोसायटी ____ 159
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) ____ 161
7.1. आई.टी., कंप्यूटर एवं रोबोटिक्स ____ 161
7.1.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ____ 161
7.1.2. सुपर कम्प्यूटर्स ____ 162
7.1.3. Li-Fi तकनीक ____ 164
7.1.4. डेटा सेंटर्स ____ 165
7.2. अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता ____ 166
7.2.1. नेविगेशन बाय इंडियन कांस्टेलेशन ____ 166
7.2.2. नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार/ NISAR) उपग्रह ____ 166
7.2.3. ग्लोबल प्लैनेटरी डिफेंस ____ 167
7.3. स्वास्थ्य ____ 169
7.3.1. ट्रांस-फैट उन्मूलन ____ 169
7.3.2. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग ____ 171
7.4. विविध ____ 173
7.4.1. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी ____ 173
7.4.1.1. लिडार ____ 174
7.4.2. भारत में अनुसंधान एवं विकास परिवेश ____ 175
7.4.3. फोरेंसिक विज्ञान ____ 177
7.4.4. ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म ____ 178
7.4.5. थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन ____ 179
7.4.6. खाद्य संरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां ____ 179
8. नीतिशास्त्र (Ethics) ____ 181
8.1. सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी ____ 181
8.2. लोक प्राधिकारियों के हितों का टकराव ____ 182
8.3. सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा वितरण 185
8.4. व्हिसलब्लोइंग की नैतिकता ____ 187
8.5. अच्छा जीवन: कार्य और अवकाश के बीच संतुलन बनाने की कला ____ 188
8.6. नैदानिक परीक्षण से जुडी नैतिकता ____ 190
8.7. पश्चिमी नैतिक विचारक और दार्शनिक ____ 191
8.8. केस स्टडीज़ के जरिए अपनी योग्यता का परीक्षण कीजिए ____ 194

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

स्मरणीय तथ्य

Mains 365: स्मरणीय तथ्य (क्विक फैक्ट्स) मुख्य परीक्षा से पहले उन अंतिम क्षणों के लिए एकदम सटीक स्टडी मटीरियल है, जब आपको प्रमुख तथ्यों और उदाहरणों को जल्दी से रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक, फैक्ट्स, डेटा आदि के मामले में स्मरणीय तथ्य डॉक्यूमेंट यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास परीक्षा के दौरान उपयोग करने के लिए तैयार उच्च-प्रभाव वाली जानकारी आपकी उंगलियों पर हो।

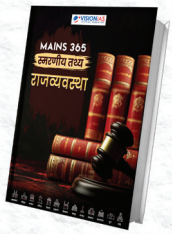

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य राजव्यवस्था

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य सुरक्षा

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध

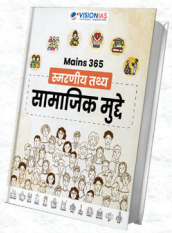

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य सामजिक मुद्दे

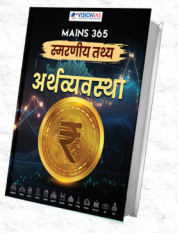

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य अर्थव्यवस्था

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

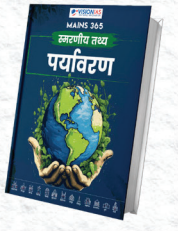

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य पर्यावरण

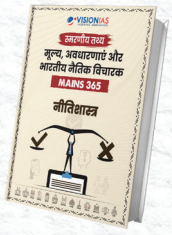

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य नीतिशास्त्र (मूल्य और भारतीय नैतिक विचारक)

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. आपातकालीन प्रावधान: एक नज़र में (Emergency at a Glance)

आपातकालीन प्रावधानः एक नज़र में

आपातकालीन प्रावधान

- आपातकाल एक ऐसी स्थिति है, जिसमें **लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित** कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है।
- आपातकाल के दौरान **मौलिक अधिकारों को निलंबित** करने का प्रावधान **जर्मनी के वाइमर संविधान** से लिया गया है।
- भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के **भाग XVIII के तहत अनुच्छेद 352 से 360** में उल्लिखित हैं।
- इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का औचित्य देश की **संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा** करना है।

आपातकाल के प्रकार

- **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)**
  - **युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह** के कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने के आधार पर राष्ट्रपति **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह** पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। **"युद्ध या बाहरी आक्रमण"** के आधार पर लगे आपातकाल को **"बाह्य आपातकाल"** कहा जाता है।
  - **44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978** के माध्यम से **"आंतरिक अशांति (Internal disturbance)"** शब्दावली को **"सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion)"** से बदल दिया गया था।
- **राष्ट्रपति शासन (राज्य या संवैधानिक आपातकाल) (अनुच्छेद 356)**
  - यह तब लागू होता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है।
- **वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)**
  - यह तब घोषित किया जाता है, जब भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय **(Credit)** के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है।

आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया

- **अनुमोद / मंजूरी:**
  - आपातकाल की उद्घोषणा को **1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित** होना आवश्यक है।
  - राष्ट्रीय आपातकाल, उद्घोषणा जारी होने की तिथि से **6 महीनों** तक लागू रहता है। इसे संसद के **दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ाया** जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को **अनिश्चित समय तक बढ़ाया** जा सकता है। इस प्रावधान को **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

- यदि **छः माह की अवधि के दौरान लोक सभा भंग** हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती है, तो इस उद्घोषणा की वैधता **लोक सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक** बनी रहती है, बशर्ते कि इस बीच **राज्य सभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी** दे दी हो।
  - आपातकाल की उद्घोषणा या उसे जारी रखने से **संबंधित प्रत्येक संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 'विशेष बहुमत' से अनुमोदन** प्राप्त होना आवश्यक है। इस प्रावधान को **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

आपातकाल का निरसन (Revocation)

- **राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से** आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए **संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं** होती है।
- आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को **लोक सभा द्वारा 'साधारण बहुमत' से अनुमोदन** प्राप्त होना आवश्यक है।

1.1.1. आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के **50 वर्ष पूरे** हुए हैं। ज्ञातव्य है कि **25 जून, 1975** को **आंतरिक आपातकाल** की घोषणा की गई थी।

आंतरिक आपातकाल (1975-77) लागू करने के प्रभाव/ आलोचना

- **राजनीतिक प्रभाव:**
  - **नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन:** आपातकाल के दौरान सरकार को सभी या किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति मिल गई।
    - **सेंसरशिप:** समाचार-पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू कर दी गई, **प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया** तथा कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।
  - **सत्ता का केंद्रीकरण:** शक्तियों का संघीय वितरण व्यावहारिक रूप से निलंबित कर दिया गया और सभी शक्तियां संघ सरकार (प्रधान मंत्री कार्यालय) के हाथों में केंद्रित हो गई। इस प्रकार, राज्यों की विधायी शक्ति में परिवर्तन हुआ।

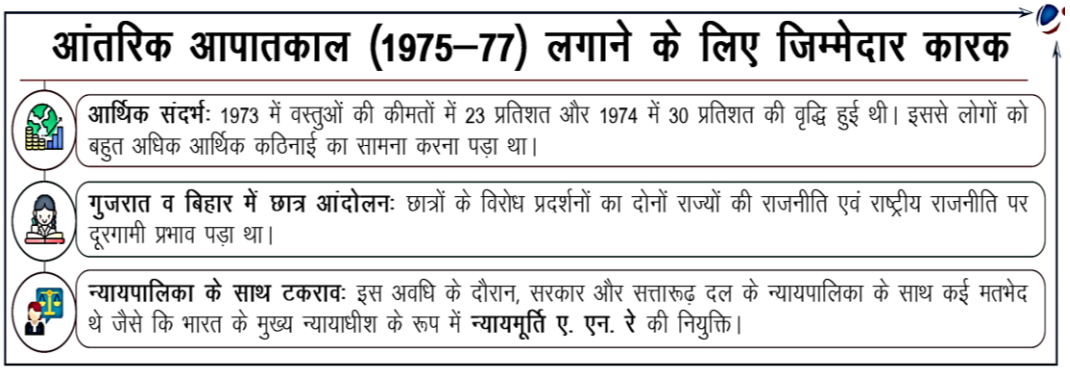

    - **42वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) 1976** द्वारा लोक सभा की अवधि **पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष** कर दी गई।
  - **असहमति पर कार्रवाई:** विपक्षी नेताओं को **आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (MISA/ मीसा)** जैसे कानूनों के तहत बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया।
- **सामाजिक प्रभाव:**
  - **सत्ता का दुरुपयोग:** आपातकाल के दौरान **बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, हिरासत में मौतें हुईं और प्रमुख शहरों में उचित पुनर्वास योजनाओं के बिना झुग्गी-झोपड़ी हटाने के आधिकारिक अभियान** चलाए गए, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए।
  - **संगठनों पर प्रभाव:** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), जमात-ए-इस्लामी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों पर **सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की आशंका के कारण प्रतिबंध** लगा दिया गया था।

- **जबरन नसबंदी:** जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की जा रही थी। इससे लोगों की व्यक्तिगत स्वायत्तता और प्रजनन संबंधी स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी।

- **संस्थागत प्रभाव:**
  - **न्यायिक स्वतंत्रता:** न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया गया, जिन न्यायाधीशों को सरकार का समर्थन न करने वाला माना गया, उन्हें स्थानांतरित या दरकिनार कर दिया गया।
    - सरकार ने न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करने के उद्देश्य से **42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** पारित किया था।
  - **विश्वास का क्षरण:** आपातकाल के दौरान शक्तियों के मनमाने उपयोग ने सरकारी संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को खत्म कर दिया था।

आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन

- **लिखित अनुमोदन:** आपातकाल की घोषणा केवल **मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह** के आधार पर ही की जा सकती है।
- **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 359** का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि **अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20)** तथा **प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21)** आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे।
  - इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि **44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और अनुच्छेद 300A के तहत इसे संवैधानिक अधिकार** बना दिया।
- **लोक सभा का कार्यकाल:** अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके **लोक सभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष** कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 275A को हटाना:** यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता था।
- **न्यायिक समीक्षा:** राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशयों और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।

निष्कर्ष

आपातकाल के दौरान असहमति का दमन और नागरिक स्वतंत्रता में कटौती लोकतंत्र की रक्षा में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित करती है। इसके अलावा, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नियंत्रण एवं संतुलन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.2. गठबंधन सरकार (Coalition Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 2024 के लोक सभा आम चुनाव संपन्न हुए हैं। **चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन सरकार बनी है।**

गठबंधन सरकार के बारे में

- यह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में जब **किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब कई दल सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग** करते हैं।
- भारत में गठबंधन सरकार के लिए योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं- **बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय, सत्तारूढ़ दल विरोधी कारक,** आदि।
- **भारत में गठबंधन सरकार दो तरीकों से बनती है:** चुनाव-पूर्व गठबंधन, और चुनाव-पश्चात गठबंधन।

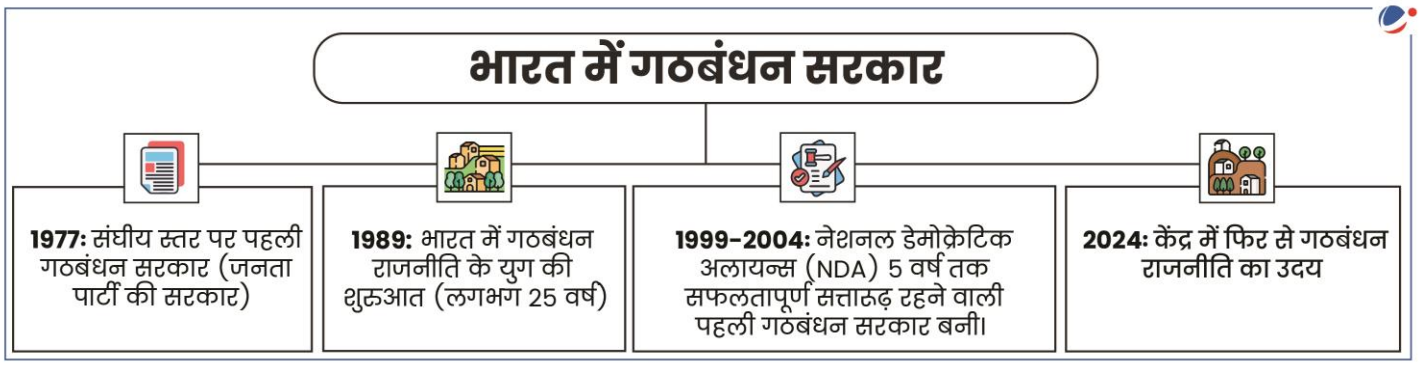

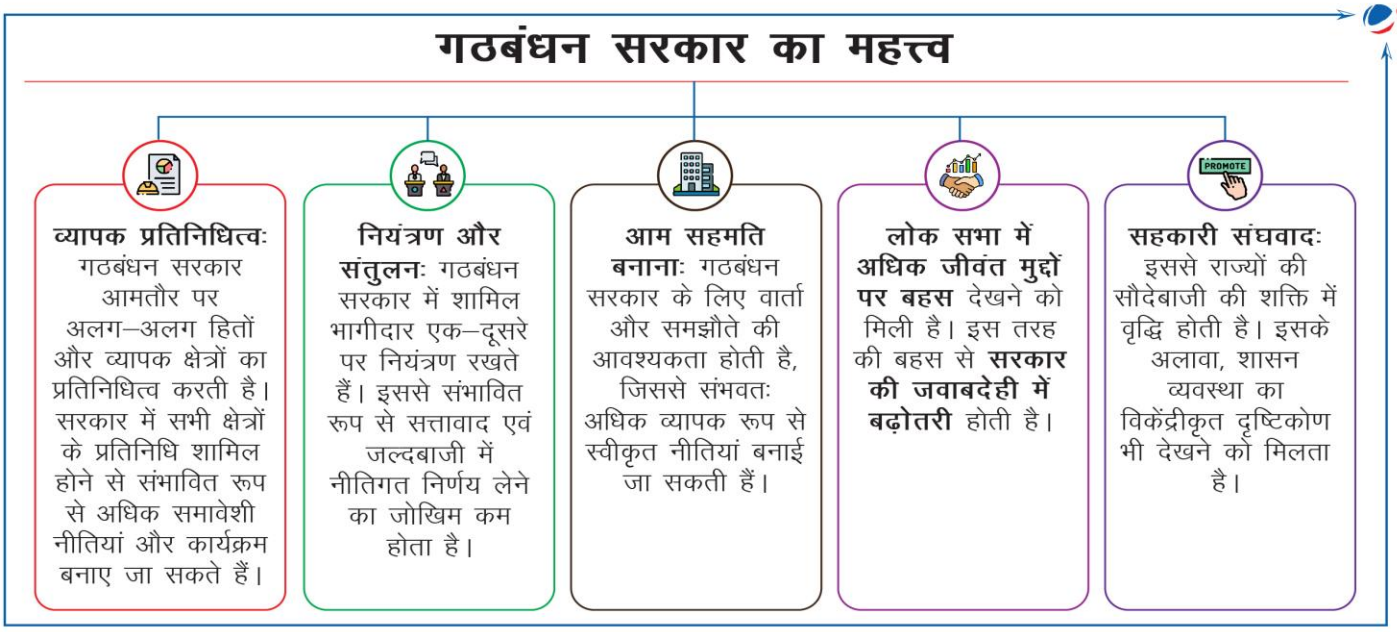

गठबंधन सरकार से संबंधित चुनौतियां

- **राजनीतिक अस्थिरता:** गठबंधन सहयोगियों के अलग-अलग हितों के कारण बार-बार असहमति और सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1998 में केवल 13 माह के बाद ही पहली NDA सरकार गिर गई थी।
- **नीतिगत अस्थिरता:** उदाहरण के लिए, 2008 में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते पर UPA-1 सरकार से वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था।
- **अदूरदर्शी निर्णय-प्रक्रिया:** उदाहरण के लिए, 2004-2014 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बार-बार बदलाव के कारण शिक्षा क्षेत्रक के लिए बेहतर नीतियां नहीं बन पाई थी।
- **विचारधाराओं से समझौता:** गठबंधन बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी मूल विचारधाराओं से समझौता करना पड़ सकता है।
- **क्षेत्रवाद:** गठबंधन में क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य-विशिष्ट लाभों, क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों के आवंटन आदि पर बल देने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं।
- **विदेश नीति:** उदाहरण के लिए, 2011 में तीस्ता जल समझौते पर रुका हुआ निर्णय।

आगे की राह

- **राजनीतिक स्थिरता:** अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक मतदान की प्रणाली अपनाने के लिए विधान-मंडलों के प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए (NCRWC)[1]।
- **प्रधान मंत्री का चयन:** NCRWC के अनुसार, संसद के प्रक्रिया के नियमों के तहत लोक सभा के अध्यक्ष के चुनाव के साथ-साथ लोक सभा के नेता (प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति) के चुनाव के लिए एक तंत्र होना चाहिए।
- **गठबंधन के कामकाज में पारदर्शिता:** न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर अनिवार्य रूप से नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रमुख नीतिगत निर्णयों के लिए 'गठबंधन प्रभाव आकलन' आरंभ किया जा सकता है।
- **दीर्घकालिक नीतिगत रणनीतियां:** राष्ट्रीय नीति निर्माण में **अंतर्राज्यीय परिषद जैसे संवैधानिक निकायों और नीति आयोग जैसे गैर-पक्षपातपूर्ण निकायों का उपयोग** करना चाहिए। ऐसा इस कारण, क्योंकि ये संस्थाएं गठबंधन राजनीति से बाहर होती हैं।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
ENGLISH MEDIUM 2024: 27 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2024: 27 अगस्त
ENGLISH MEDIUM 2025: 25 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2025: 25 अगस्त

[1] संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग/ National Commission to Review the Working of the Constitution

1.2.1. NOTA (इनमें से कोई नहीं) {NOTA (None of the Above)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंदौर में, NOTA (इनमें से कोई नहीं) 2 लाख से ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहा है।

NOTA के बारे में

- 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, NOTA को लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL)** द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया था।
- यह मतदाताओं को **सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का विकल्प** देता है। इस प्रकार, यह चुनाव में उपलब्ध विकल्पों के प्रति **मतदाताओं की नापसंद** को जाहिर करता है।
- यदि **NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए,** तो भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाता है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि NOTA का विकल्प **केवल वयस्क मताधिकार से होने वाले प्रत्यक्ष चुनावों** के लिए है।
- **फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, फिनलैंड और स्वीडन** जैसे देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

NOTA पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, 2013 वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मतदाताओं को NOTA के रूप में विकल्प दिया जाना चाहिए, ताकि वे गोपनीयता बनाए रखने के अपने अधिकार की रक्षा करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
- **शैलेश मनुभाई परमार बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, 2018 वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि NOTA विकल्प केवल प्रत्यक्ष चुनावों के मामले में लागू होता है, **न कि राज्य सभा सदस्य के लिए होने वाले चुनाव जैसे अप्रत्यक्ष चुनावों में।**

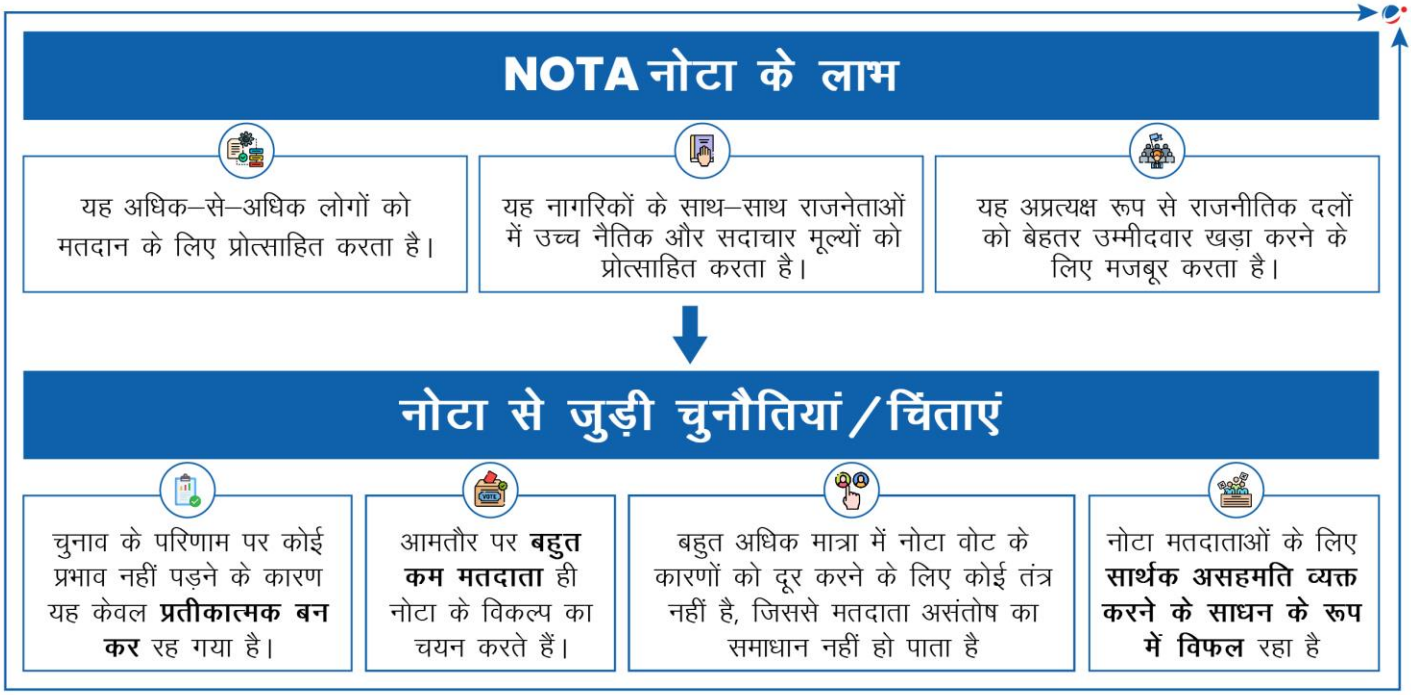

निष्कर्ष

इसमें कोई दो राय नहीं कि NOTA लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ाता है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यवस्था का यह प्रयास होना चाहिए कि वह प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करके NOTA की आवश्यकता को कम करे। साथ ही, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में NOTA को बहुमत प्राप्त होता है, तो चुनाव आयोग को नए चुनाव कराना अनिवार्य करना चाहिए।

1.3. कोटा निर्धारित करने के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों में उप-वर्गीकरण (Sub-classification in SC, ST for Quota)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य, 2024** मामले में अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों के संबंध में एक निर्णय दिया है। कोर्ट के अनुसार राज्य SC व ST वर्गों के भीतर **अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा (आरक्षण)** प्रदान करने हेतु इन वर्गों में उप-वर्गीकरण कर सकती है।

पृष्ठभूमि

- इससे पहले **ईवी चिन्नैया मामले (2005)** में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के **अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित सभी जातियां सजातीय समूह के एक ही वर्ग से संबंधित हैं और उन्हें आगे विभाजित नहीं** किया जा सकता है।
    - **अनुच्छेद 341(1)** के तहत, भारत का **राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समुदायों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित** कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- राज्य उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय **किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं** कर सकते।
- सरकारों को **उप-वर्गीकरण से पहले एक अनुभवजन्य अध्ययन** करना होगा।
- राज्य की **उप-वर्गीकरण करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।
- यह उप-वर्गीकरण संविधान के **अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला नहीं** होना चाहिए। साथ ही, यह **अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के अनुसूचित जातियों के निर्धारण संबंधी विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाला नहीं** होना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने **अनुसूचित जाति (SCs) के 'क्रीमी लेयर'** उप-वर्ग को **SC श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण लाभ से बाहर रखने की आवश्यकता** व्यक्त की है।
    - ज्ञातव्य है कि वर्तमान में, **'क्रीमी लेयर' की अवधारणा केवल 'अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)' के आरक्षण पर ही लागू** होती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण के विपक्ष में तर्क
• राज्य **सबसे अधिक वंचित उप-समूहों को लक्षित लाभ** प्रदान कर सकते हैं। इससे **सकारात्मक उपायों को अधिक न्यायसंगत तरीके से लागू किया जा सकेगा।** • अनुसूचित जाति वर्ग के **सर्वाधिक वंचित समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित हो सकेगा। • **संविधान का अनुच्छेद 16(4)** राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है, जिनका राज्य (सरकारी) **सेवाओं में "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" नहीं** है। ○ इसके अलावा, **अनुच्छेद 342A** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाए रखने का अधिकार देता है।	• इससे अनुसूचित जाति के **अन्य उपवर्गों के लिए आरक्षण कम होगा,** आरक्षण के लाभों का एकीकृत कार्यान्वयन बाधित होगा तथा आरक्षण का मूल उद्देश्य कमजोर होगा। • यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की **अपने वर्ग में समान स्थिति को कमजोर करेगा,** क्योंकि इन्हें संविधान के तहत एकल व समरूप समूह के रूप में मान्यता दी गई है। • इन समुदायों के लिए पहले से ही उपलब्ध **सीमित अवसर और अधिक सीमित** हो जाएंगे। • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच **विभाजन/ असमानता की खाई** पैदा होगी। इससे समूहों के बीच असंतोष और प्रतिस्पर्धा बढ़ेंगे।

आगे की राह

- **प्रमाणित डेटा:** राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित कोई भी कार्रवाई प्रमाणित डेटा पर आधारित होनी चाहिए। यह डेटा स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो कि कोई उप-समूह किसी अन्य उप-समूह से अधिक 'वंचित' स्थिति में है।
- **सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों पर जोर:** आरक्षण के अलावा, अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े व्यक्तियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और सुविधाओं में सुधार जैसी सकारात्मक कार्रवाई पर भी ध्यान देना चाहिए।

1.4. निजी क्षेत्रक में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण (Local Reservation in Private Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने **"हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020"** को रद्द कर दिया।

निजी क्षेत्रक में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क

निजी क्षेत्रक में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण के पक्ष में तर्क	निजी क्षेत्रक में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण के विपक्ष में तर्क
• राज्य के निवासियों की आजीविका और स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित होती है। • **रोजगार के कम होते अवसरों की समस्या से निपटने में मदद** मिलती है। • **स्थानीय कामगारों के साथ भेदभावपूर्ण कॉरपोरेट नीतियों पर अंकुश** लगता है। कॉरपोरेट जगत को लगता है कि स्थानीय श्रमिकों में कार्य अनुशासन की कमी है, वे नए कौशल सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। • **प्रवासी कामगारों पर निर्भरता और बुनियादी ढांचे पर दबाव को कम** करता है। • स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने से राज्य में **अपराध दर में कमी** आती है। • स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाकर **कृषि संकट का समाधान** किया जा सकता है।	• स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह देने से **संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19(1)(G) का उल्लंघन** होता है। • **भूमिपुत्र (सन ऑफ द सॉइल) व्यवस्था** को बढ़ावा मिलता है। • स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण देने से **उद्योगों को पलायन करने के लिए मजबूर** होना पड़ सकता है, क्योंकि उनके कुशल कार्यबल में स्थानीय लोगों की संख्या अधिक नहीं होती है। • निजी क्षेत्रक में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण देने से **लाइसेंस-राज** फिर से शुरू हो सकता है। • यह भौगोलिक क्षेत्रों का असमान विकास तथा शिक्षा और कौशल की निम्न गुणवत्ता जैसी **मुख्य समस्याओं का कोई समाधान नहीं** है। • रोजगार के लिए **कम संख्या में प्रतिभा उपलब्ध** होती हैं, इससे प्रतिस्पर्धा कम होती है और निवेश कम होता है।

आगे की राह

- पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षणिक और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके **क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास** करना चाहिए।
- **श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा** देना चाहिए, ताकि रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकें।
- उद्योगों को अधिक **निवेश के लिए प्रोत्साहन** प्रदान करना चाहिए और स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु अनुकूल स्थितियां बनानी चाहिए।

1.5. संवैधानिक विशेषताओं की तुलना (Comparison of Constitutional Features)

1.5.1. भारत और फ्रांस (India and France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से वहां के प्रधान मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनसे अगली सरकार की नियुक्ति तक कार्यवाहक सरकार चलाने का आग्रह किया।

भारत और फ्रांस के संविधान के बीच समानताएं

- 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने राजशाही को त्याग दिया और एक **गणतंत्र** की स्थापना की।
  - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली।
- **दोनों देशों के पास लिखित संविधान है** जो **फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** पर आधारित है।
- दोनों देशों में जनता सर्वोच्च है और नागरिकों को 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का अधिकार प्राप्त है। भारत और फ्रांस दोनों देशों में **द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था** है।
  - फ्रांस में, **निचले सदन** (नेशनल असेंबली) के **सदस्यों को पांच साल के लिए प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार** द्वारा चुना जाता है। यहां के **उच्च सदन** (सीनेट) **के सदस्यों को अप्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से चुना जाता है** और **प्रत्येक तीन वर्ष में उच्च सदन के आधे सदस्य बदल जाते हैं।**
- दोनों देशों के संविधान में **आपातकाल का प्रावधान** है।

भारत और फ्रांस के संविधान की विरोधाभासी विशेषताएं

विशेषताएं	भारत	फ्रांस
'राष्ट्रपति' राष्ट्र प्रमुख के रुप में	• राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से **पांच वर्ष** के कार्यकाल के लिए होता है।	• राष्ट्रपति का चुनाव **प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार** द्वारा **पाँच वर्ष की अवधि** के लिए किया जाता है। • कोई भी व्यक्ति **लगातार दो कार्यकाल से अधिक** पद पर नहीं रह सकता।
शासन प्रणाली या पद्धति	• **संसदीय प्रणाली।**	• **अर्द्ध-अध्यक्षीय प्रणाली अथवा अर्द्ध-राष्ट्रपति प्रणाली[2]: राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियां** होती हैं।
प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया होता है	• संविधान में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान** किया गया है। • **मंत्रिपरिषद की शक्ति, भूमिका और जिम्मेदारी का संविधान में उल्लेख किया गया है।**	• राष्ट्रपति, **प्रधान मंत्री** और **सरकार के सदस्यों** (प्रधान मंत्री की सिफारिश पर) **की नियुक्ति** करता है। • **प्रत्येक मंत्री का कार्यक्षेत्र, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां आदि निश्चित नहीं** हैं। उन्हें **प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता** है।
न्याय प्रणाली	• **एकीकृत न्यायिक प्रणाली।**	• न्यायिक प्राधिकारियों को **कानूनी न्यायिक संस्थान** (Legal jurisdictions) और **प्रशासनिक न्यायिक संस्थान** (Administrative jurisdictions) के बीच विभाजित करना है।
नागरिक समाज की भागीदारी	• कोई प्रावधान नहीं	• संविधान में **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण परिषद** (CESE)[3] का प्रावधान किया गया है। यह एक परामर्शदात्री सभा है।

1.5.2. भारत और यूनाइटेड किंगडम (India and UK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम में संसदीय चुनावों के बाद किएर स्टार्मर नए प्रधान मंत्री बने।

[2] Semi-Presidential System

[3] Economic, Social and Environmental Council

यूनाइटेड किंगडम और भारत के संविधान के बीच समानताएं

- यूनाइटेड किंगडम में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली प्रचलित है। इसे भारत ने भी अपनाया हुआ है।
- प्रधान मंत्री लोक सभा में बहुमत दल/ गठबंधन का नेता होता है। इसी तरह, यूनाइटेड किंगडम में, प्रधान मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत वाले दल का नेता होता है।
- दोनों देशों में आम चुनावों के लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- दोनों देशों में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम स्तर की न्यायपालिका है।
- दोनों देशों में कानून का शासन है, जो स्वतंत्रता, समानता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम में लोकतंत्र के पहलुओं की तुलना

विशेष विवरण	भारत	यूनाइटेड किंगडम
निम्न सदन में चुनाव के लिए मतदाता पात्रता	• 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक। • **उच्च सदन** के सदस्य भी मतदान करने के लिए पात्र हैं।	• 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के **यूनाइटेड किंगडम के नागरिक, राष्ट्रमंडल के पात्र नागरिक या आयरलैंड गणराज्य के नागरिक।** • यूनाइटेड किंगडम के संसदीय चुनाव में **उच्च सदन के सदस्य मतदान नहीं** कर सकते।
मतदान प्रक्रिया	• मतदान **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** द्वारा किया जाता है।	• मतदान **डाक मतपत्र** द्वारा किया जा सकता है।
प्रधान मंत्री का पद	• प्रधान मंत्री के पद का प्रावधान **संविधान** में किया गया है। • **प्रधान मंत्री संसद के किसी भी सदन यानी लोक सभा (निम्न सदन) या राज्य सभा का सदस्य** हो सकता है। • **एक गैर-निर्वाचित संसद सदस्य (सांसद) 6 माह** के लिए **प्रधान मंत्री के पद पर बना रह** सकता है। • प्रधान मंत्री की **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है।	• **प्रधान मंत्री का पद कन्वेंशन** पर आधारित है। ध्यातव्य है कि **यूनाइटेड किंगडम का कोई लिखित संविधान नहीं** है। • प्रधान मंत्री केवल **निम्न सदन (हाउस ऑफ़ कॉमन्स)** से हो सकता है। • प्रधान मंत्री बनने के लिए सांसद अवश्य होना चाहिए, या फिर सांसद बनने वाला होना चाहिए। • प्रधान मंत्री की नियुक्ति **सम्राट/ साम्राज्ञी द्वारा** की जाती है। • प्रधान मंत्री **'फर्स्ट लॉर्ड ऑफ़ द ट्रेज़री'** भी होता है।
निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ	• दोनों सदनों के सदस्य **संविधान के प्रति निष्ठा** की शपथ लेते हैं। • शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप **संविधान की तीसरी अनुसूची** में दिए गए हैं।	• दोनों सदनों के सदस्य **राजशाही के प्रति निष्ठा** की शपथ लेते हैं। (प्रधान मंत्री व अन्य मंत्री अलग से शपथ नहीं लेते हैं वे संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं) • शपथ **प्रॉमिसरी ओथ्स एक्ट, 1868 और ओथ्स एक्ट, 1978** पर आधारित है।

1.5.3. भारत और नेपाल (India and Nepal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **श्री के.पी. शर्मा ओली** को चौथी बार **नेपाल का प्रधान मंत्री** नियुक्त किया गया। वह नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2008 में राजशाही की समाप्ति के बाद से नेपाल में 14 सरकारें गठित की जा चुकी हैं। यह स्थिति यहां की राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करती है।
- भारत के अर्ध-संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत, नेपाल के 2015 के संविधान ने इसे एक **संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य** के रूप में स्थापित किया है। हालांकि, दोनों देशों के संविधान में कई समान विशेषताएं भी हैं।

भारत और नेपाल के बीच संवैधानिक समानताएं

- **धर्मनिरपेक्ष राज्य:** दोनों धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
- **मौलिक अधिकार:** नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक अधिकारों सहित व्यापक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
- **द्वि-सदनीय संसद:** कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह है।
- **सरकार का प्रमुख: राष्ट्रपति** देश का **औपचारिक प्रमुख** होता है, जबकि **प्रधान मंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख** होता है।
- **सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action):** इसमें सामाजिक व्यवस्था में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए हाशिए पर पड़े समूहों के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधान शामिल हैं।
- **अन्य विशेषताएं:** प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, बहुदलीय-राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याता, आदि।

1.6. विशेष पैकेज (Special Packages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बिहार और आंध्र प्रदेश** के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की।

अन्य संबंधित तथ्य

- उल्लेखनीय है कि **केंद्रीय बजट 2024-25** में बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा की गई थी।
- **केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणाएं:**
  - **सिंचाई और बाढ़ शमन:** इन घोषणाओं में **बिहार** में सिंचाई और बाढ़ शमन परियोजनाओं जैसे **कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक** और अन्य योजनाओं के लिए **11,500 करोड़ रुपये** की वित्तीय सहायता शामिल है।
  - **पूर्वोदय: विकास भी विरासत भी-** केंद्र सरकार ने इस बजट में **बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश** जैसे पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए **'पूर्वोदय'** नाम से एक योजना बनाने की घोषणा की है।
  - **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 पर मुख्य अपडेट:**
    - केंद्र सरकार ने **वित्त वर्ष 2024-2025 में 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता** की व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता जताई है।
    - **पोलावरम सिंचाई परियोजना** पर प्रगति जारी है, जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

राज्यों को दिए जाने वाले विशेष पैकेज के बारे में

- विशेष पैकेज से तात्पर्य **भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता** है। इसके तहत इन राज्यों को **अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ** प्रदान किए जाते हैं।
- संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो **विशेष राज्यों** या संविधान में उल्लिखित कुछ मामलों के संबंध में **विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की समस्याओं का समाधान** करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 371, 371A से 371H और 371J**
- दूसरी ओर, **विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन** होते हैं।
  - यह संविधान के **अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान** के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान **'विविध वित्तीय प्रावधानों'** के अंतर्गत आता है।

राज्यों को विशेष पैकेज देने के निहितार्थ

- **राजकोषीय विवेक:** विशेष पैकेज प्रदान करने से केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य राज्यों पर भी **राजकोषीय बोझ बढ़** सकता है।
- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:** खराब प्रशासन **कुप्रबंधन, धन के अकुशलतापूर्वक उपयोग और रिसाव** का कारण बन सकता है।
- **निर्भरता:** विशेष पैकेजों से प्राप्त **अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक आत्मनिर्भर विकास सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को हतोत्साहित** कर सकते हैं और राज्यों को केंद्रीय सहायता पर निर्भर बना सकते हैं।
- **संघवाद से जुड़े मुद्दे:** विशेष पैकेजों का **असमान या राजनीतिक रूप से प्रेरित वितरण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को खराब** कर सकता है।
- **सामाजिक अशांति:** लाभों के असमान या अनुचित वितरण की धारणा राज्य के विविध समुदायों के बीच सामाजिक अशांति और असंतोष को जन्म दे सकती है।

आगे की राह

- **स्पष्ट फ्रेमवर्क:** मापने योग्य मानदंडों, **जैसे- गरीबी का स्तर, बुनियादी ढांचे का अभाव, आपदाओं का प्रभाव** आदि के आधार पर राज्यों को विशेष पैकेजों का आवंटन करना चाहिए।
- **अनुकूलित विकास योजनाएं:** बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही पहलें या योजनाएं बनानी चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** अतिरिक्त निधि व विशेषज्ञता जुटाने और केंद्र पर राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए निजी क्षेत्रक को भी राज्यों के विकास में शामिल करना चाहिए।
- **निगरानी:** राज्य की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, धन के दुरुपयोग को रोकने तथा राज्य के राजस्व और केंद्रीय अनुदानों का दक्ष उपयोग सुनिश्चित करना।
- **विकेंद्रीकरण:** अधिक राजकोषीय स्वायत्तता और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करके तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर खर्च को प्राथमिकता देकर, विशेष पैकेजों की मांग को कम किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार को उन योजनाओं में सीधे शामिल होना चाहिए जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं या जिनका देश के विभिन्न हिस्सों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

1.7. नए राज्यों की मांग (Demand for New States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भील जनजाति ने अपने समुदाय के लिए एक अलग जनजातीय राज्य **'भील प्रदेश'** की मांग की है। इस प्रस्तावित भील प्रदेश में **राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की भील आबादी वाले हिस्से शामिल** करने की मांग की जा रही है।

नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया

- **संविधान का अनुच्छेद 3:** संविधान के इस अनुच्छेद में **नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत-
  - **शक्ति:** संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है।
  - **राष्ट्रपति की सिफारिश:** नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक **राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में** पेश किया जाएगा।
  - **राज्य विधान-मंडलों के साथ परामर्श:** किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति **विधेयक को उस राज्य विधान-मंडल को निर्धारित समय के भीतर** अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा जिसके **क्षेत्र, सीमा या नाम** प्रभावित हो रहे हों।
- संसद एक **साधारण विधेयक पारित करके** एक नए राज्य का गठन कर सकती है।
  - साधारण विधेयक संसद में **साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से** पारित किया जाता है।

राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित न्यायिक निर्णय

बेरुबारी संघ वाद (1960): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 3, संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंप सकती है।

- किसी भारतीय क्षेत्र को **संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा** जा सकता है।
- इसके परिणामस्वरूप, कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु **9वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1960** पारित किया गया था।

नये राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क	नए राज्यों के गठन के विरोध में तर्क
• **प्रभावी प्रशासनिक दक्षता:** इससे **संसाधनों का उचित उपयोग** होता है। ○ उदाहरण के लिए- तेलंगाना अपने जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, तेलंगाना में **धान का उत्पादन 2015 के 4.57 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर 2023 में 20 MMT से अधिक** हो गया था।	• **आर्थिक तनाव:** एक नए राज्य के अवसंरचना और संस्थानों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ○ उदाहरण के लिए- एक अनुमान के अनुसार, **आंध्र प्रदेश की नई राजधानी (अमरावती) में बुनियादी ढांचे और विभिन्न**

- **नवाचार:** छोटे राज्यों में शासन में **नवाचारों का आसानी से उपयोग** किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **सिक्किम में जैविक खेती की सफलता के बाद, केरल सरकार ने राज्य को जैविक खेती केंद्र में बदलने के लिए 'जैविक कृषि मिशन' (2023)** की शुरुआत की है।
- **व्यापार:** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, **उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे छोटे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तुलना में अधिक व्यापार** करते हैं।
- **बेहतर विकास:** इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं।
    - नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार, **उत्तराखंड में 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित लोगों की संख्या 17.67% से घटकर 9.67%** रह गई है।

सरकारी भवनों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

- **संसाधन आवंटन:** नए राज्य और मूल राज्य के बीच पानी, बिजली जैसे संसाधनों का बंटवारा अंतर्राज्यीय विवादों को जन्म दे सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** के विभाजन के परिणामस्वरूप **कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।**
- **सीमा विवाद:** नवीन राज्य की सीमाएं खींचने से पड़ोसी राज्यों के साथ क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- **कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी विवाद।**
- **पेंडोरा बॉक्स:** नए राज्यों के निर्माण से अन्य नए राज्यों की मांग और निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।

आगे की राह

- **विकास:** मौजूदा राज्यों में उनके **सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।** साथ ही, उन आर्थिक असमानताओं और शिकायतों का समाधान करना भी जरूरी है, जिनके कारण नए राज्यों के गठन की मांग उठती है।
- **विशेषज्ञ समिति:** नए राज्यों के गठन की मांग/ प्रभाव की जांच के लिए **सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति** बनाई जानी चाहिए।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** किसी भी नए राज्य का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके पास **नए राज्य के रूप में स्थापित होने पर अपने खर्च का कम-से-कम 60% संसाधन या राजस्व न हो।**
- **स्पष्ट दिशा-निर्देश:** नए राज्यों के निर्माण के लिए **राजनीतिक विचारों की बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित** करते हुए स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

1.8. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation: CBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार **(पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ वाद, 2024)** की है। इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर **राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से CBI से जांच करवाने का आरोप** लगाया है। ज्ञातव्य है कि **पश्चिम बंगाल** ने 2018 में राज्य में जांच के मामले में **CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस** ले ली थी।

CBI से जुड़ी चिंताएं

- **रिक्त पद:** उदाहरण के लिए- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक CBI में **कुल स्वीकृत पदों की संख्या 7295** थी, जिनमें से **1709 पद रिक्त** हैं।
- **पारदर्शिता का अभाव:** CBI में दर्ज मामलों के विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति और संबंधित अंतिम परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं।
- **राज्यों द्वारा सहमति वापस लेना: 9 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है,** जिससे विविध मामलों की जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है।

CBI के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वाद (2019):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर **CBI डायरेक्टर की नियुक्ति** करेगी:
  - प्रधान मंत्री **(अध्यक्ष)**
  - लोक सभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता या विपक्ष नेता नहीं होने की स्थिति में सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता **(सदस्य)**
  - भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश **(सदस्य)**
- **CPIO CBI बनाम संजीव चतुर्वेदी वाद (2024):** दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि धारा 24 मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देती है। इसके अलावा, इस धारा के तहत अनुसूचित संगठनों को प्रदान की गई छूट CBI को RTI अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से बाहर नहीं करती है।
- **विनीत नारायण बनाम भारत संघ वाद (1997):** इसे आमतौर पर **जैन हवाला केस** कहा जाता है - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक दर्जा देने और निगरानी संस्था को यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपने का निर्देश दिया कि CBI प्रभावी व कुशलतापूर्वक काम करे और उसे एक गैर-पक्षपाती एजेंसी के रूप में देखा जाए।

- **CBI के प्रति विश्वास में कमी:** देश के कई नामी राजनेताओं से जुड़े मामलों के कुप्रबंधन तथा कई संवेदनशील मामलों, जैसे- बोफोर्स घोटाले, हवाला घोटाले आदि को सही से न संभाल पाने के लिए CBI की आलोचना की जाती रही है।
- **प्रशासनिक बाधाएं: संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर** के केंद्र सरकार के अधिकारियों से पूछताछ या उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था के कारण नौकरशाही के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने की इसकी क्षमता में बाधा आती है।
- **वित्त संबंधी मुद्दे:** कार्मिक, प्रशिक्षण, उपकरण या अन्य सहायता संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश और निधियों का कम उपयोग, CBI की प्रभावशीलता को प्रतिकूल रूप से बाधित करता है।
- **स्वायत्तता का अभाव:** CBI **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम** करती है। साथ ही, CBI के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, इस एजेंसी की स्वतंत्रता के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें**
  - CBI के निदेशक को **त्रैमासिक आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी** करनी चाहिए।
  - एक **केस प्रबंधन प्रणाली** विकसित करनी चाहिए। यह एक **केंद्रीकृत डेटाबेस** (आम जनता के लिए सुलभ) होगा, जिसमें CBI के पास दर्ज मामलों का विवरण और उनके निपटान में हुई प्रगति संबंधी सारी जानकारी शामिल होगी।

- **एक नया कानून बनाने एवं CBI के दर्जे, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।** साथ ही, इसके कामकाज में ईमानदारी एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करने की भी जरूरत है।
- पुलिस निरीक्षक स्तर पर **प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों का प्रतिशत 10% तक सीमित किया जाना चाहिए तथा 40% अधिकारियों की भर्ती, सीधी भर्ती/ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा** के माध्यम से की जा सकती है।
- CBI को अपनी वेबसाइट पर **केस संबंधी आंकड़ो और वार्षिक रिपोर्ट** को प्रकाशित करना चाहिए।
- जिन मामलों में **राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न** हो रहा है, ऐसे मामलों में **सामान्य सहमति के प्रावधान को लागू नहीं** करना चाहिए।

1.9. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **क्षमता निर्माण आयोग (CBC)[4] की स्थापना के तीन वर्ष पूरे** हुए। इसका गठन **राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)[5]-मिशन कर्मयोगी** के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी के बारे में

- NPCSCB का उद्देश्य एक ऐसी **पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना** है जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो।
- इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवक (अनुबंधित कर्मचारियों सहित) शामिल हैं।**
  - इच्छुक राज्य सरकारें भी अपनी क्षमता निर्माण योजनाओं को इसी तर्ज पर संरेखित कर सकती हैं।
- **मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत**
  - **नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण** व मांग-संचालित क्षमता निर्माण की ओर बढ़ना।
  - **70-20-10 अधिदेश:** यह मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि 70 प्रतिशत सीखना नौकरी के अनुभवों और चिंतन से आता है; 20 प्रतिशत सीखना दूसरों के साथ काम करने से आता है; और 10 प्रतिशत नियोजित प्रशिक्षण से आता है।
  - **निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना:** मिशन कर्मयोगी के तहत, प्रदर्शन निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाएंगे।
  - **लोकतांत्रिक बनाना और निरंतर व आजीवन सीखने के अवसरों को सक्षम बनाना।**
  - **सरकार में अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना।**
- **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT)[6] कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:** यह मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है।
- iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के **प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार** पर किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत लर्नर, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता और निर्माता शामिल हैं।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी का महत्त्व:

- **पेशेवर विकास:** सिविल सेवकों की बदलती भूमिकाएं **अधिकारियों के लिए अपनी व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन संबंधी दक्षताओं के निर्माण तथा उन्हें मजबूत करने के अवसर** प्रस्तुत करती हैं, जिससे पेशेवर विकास में वृद्धि होती है।
- **एक समान प्रशिक्षण दृष्टिकोण:** इस पहल का उद्देश्य देश भर में **प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करना** है। साथ ही, सहयोग और साझा संसाधनों के माध्यम से **क्षमता निर्माण के प्रबंधन एवं विनियमन के लिए एक समान दृष्टिकोण** को बढ़ावा देना है।
- **प्रशिक्षण लागत को कम करना:** यह मिशन **केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को ऑनलाइन कोर्सेज़ को प्राथमिकता देने;** सीखने की प्रक्रियाओं के सह-निर्माण एवं साझाकरण में संसाधनों का निवेश करने तथा विदेशी प्रशिक्षण पर खर्च को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **भावी सिविल सेवकों को प्रेरित करना:** मिशन कर्मयोगी द्वारा प्रचारित मूल्य और आदर्श इच्छुक सिविल सेवकों में नैतिक आचरण को प्रेरित करेंगे। साथ ही, सिविल सेवा परीक्षाओं में बेईमानी के बढ़ते मामलों को रोकने में मदद करेंगे।

[4] Capacity Building Commission

[5] National Programme for Civil Services Capacity Building

[6] Integrated Government Online Training

- **व्यापार करने में सुगमता:** यह पहल आर्थिक संवृद्धि के लिए अनुकूल नीतियां बनाने और सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।
  - **नागरिक केंद्रित:** इस मिशन के माध्यम से शासन में पारंपरिक नियम आधारित दृष्टिकोण से हटकर एक अधिक गतिशील भूमिका आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस भूमिका आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य खंडित अवस्था में काम करने जैसी चुनौतियों का समाधान करना, टीम वर्क को बढ़ावा देना और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी से जुड़ी चिंताएं

- **विस्तार:** विविध स्तरों पर बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों (1.5 करोड़) के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की पहल को प्रभावी ढंग से बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **अति-केंद्रीकरण:** प्रशिक्षण और सीखने के लिए केंद्रीकृत संस्थागत ढांचे पर जोर देने से **राज्यों की ओर से प्रतिरोध** का सामना करना पड़ सकता है। इससे मिशन का कार्यान्वयन और वांछित परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
- **प्रतिरोध:** भारतीय नौकरशाही अक्सर **बदलाव के लिए प्रतिरोधी** रही है और इतने बड़े सुधार को नौकरशाही के भीतर अलग-अलग स्तर पर प्रतिरोधों का सामना करना पड़ सकता है।
- **व्यावहारिक कार्य अनुरूप प्रशिक्षण में कठिनाई:** नागरिकों के विशिष्ट मुद्दों, जरूरतों और मांगों का समाधान करने हेतु सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - उदाहरण के लिए, हिमालयी राज्यों में सिविल सेवकों के सामने आने वाले मुद्दे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों से काफी अलग हैं।

निष्कर्ष

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक साहसिक पहल है, जो प्रशिक्षण प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण करने और मौजूदा प्रणाली में जटिलता, लालफीताशाही और खंडित रूप से कार्य करने की संस्कृति जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, सिविल सेवकों की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार विकसित होते प्रशिक्षण कार्यक्रम; राज्यों के साथ सहयोग आदि सिविल सेवाओं में सुधार ला सकते हैं। साथ ही, सिविल सेवकों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

1.9.1. नौकरशाही में लेटरल एंट्री (Lateral entry in Bureaucracy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नौकरशाही में लेटरल एंट्री हेतु जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए पत्र लिखा।

लेटरल एंट्री के बारे में

- इसके माध्यम से सरकारी मंत्रालयों/ विभागों में मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए **पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों के बाहर से व्यक्तियों की भर्ती** की जाती है।
- इसे **नीति आयोग के तीन-वर्षीय एक्शन एजेंडा** की सिफारिश पर 2018 में औपचारिक रूप से पेश किया गया था।

- 2005 में गठित **दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग** ने भी लेटरल एंट्री का समर्थन किया था।
- अब तक लेटरल एंट्री के जरिए **63 नियुक्तियां** की गई हैं। इनमें से **35 नियुक्तियां** निजी क्षेत्र से हुई हैं।

लेटरल एंट्री के पक्ष में तर्क	लेटरल एंट्री के विपक्ष में तर्क
• यह शासन व्यवस्था और नीतियों को लागू करने में जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए **डोमेन विशेषज्ञता** लाती है। • इससे केंद्र सरकार को **अधिक अनुभव वाले लोग मिल जाते हैं।** एक डेटा के अनुसार केंद्र सरकार में 1,469 अधिकारियों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 442 IAS अधिकारी ही केंद्र के साथ काम कर रहे हैं। • **नियुक्ति के लिए प्रतिभा पूल के अधिक विकल्प प्राप्त होते हैं।** इसी तरह की पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में भी सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है।	• लेटरल एंट्री से भर्ती किए गए अधिकारियों का कार्यकाल छोटा होता है। इस कारण उनकी **जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल** हो जाता है। • ऐसे अधिकारियों में **फील्ड में कार्य करने के अनुभव की कमी** होती है। • यह सरकार में पहले से मौजूद **प्रतिभाओं को हतोत्साहित** करती है। • आरक्षण के मामले में स्पष्टता की कमी है। • **लोक सेवा और निजी क्षेत्रक की पृष्ठभूमि के बीच हितों का संभावित टकराव निर्णय लेने को प्रभावित** कर सकता है।

नौकरशाही को मजबूत करने के लिए अन्य सुधारों की आवश्यकता

- अधिकारियों में डोमेन विशेषज्ञता लाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उनकी **निजी क्षेत्रक में प्रतिनियुक्ति** करनी चाहिए।
- प्रत्येक विभाग में **लक्ष्य निर्धारण** और ट्रैकिंग को **संस्थागत बनाया** जाना चाहिए।
- मूल्यांकन तंत्र अपनाया जाना चाहिए, जैसे सरकार का नया "360 डिग्री" **प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र।**
- सिविल सेवा से जुड़ने के आकांक्षी लोगों और सेवारत अधिकारियों के लिए **लोक प्रशासन विश्वविद्यालयों की स्थापना** करनी चाहिए।
- **UPSC द्वारा चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए** और संविदात्मक खंडों द्वारा हितों के टकराव का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही, गैर-प्रकटीकरण समझौतों को लागू करना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.10. ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना एवं काम-काज पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित हाई कोर्ट्स से रिपोर्ट मांगी है।

ग्राम न्यायालय के बारे में

- **भारत के विधि आयोग** ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय का लक्ष्य **नागरिकों को उनके घर के करीब सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करते हुए स्थानीय अदालतों पर बोझ को कम** करने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया था।
- **ग्राम न्यायालयों की प्रमुख विशेषताएं:**
  - इन्हें **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008** के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जनजातीय क्षेत्रों में लागू **नहीं** है।
  - आमतौर पर **ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित** होते हैं।
  - **स्तर:** ग्राम न्यायालय "प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय" होता है।
    - राज्य सरकार, हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए **'न्यायाधिकारी'** की नियुक्ति करती है।
  - **क्षेत्राधिकार:** ये ग्रामीण स्तर पर छोटे-मोटे विवादों को निपटाने के लिए मोबाईल कोर्ट के जैसे होते हैं। ये सिविल और आपराधिक, दोनों ही प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
  - **विवाद समाधान प्रक्रिया:** इसमें विवाद को संबंधित पक्षों के बीच सुलह के जरिए निपटाया जाता है।
    - ग्राम न्यायालय **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** में साक्ष्य से जुड़े प्रावधानों से नहीं बल्कि **प्राकृतिक न्याय** के सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। हाल ही में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह **'भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023'** पारित किया गया है।
  - **अपील:** आपराधिक मामलों में अपील सेशन कोर्ट में, जबकि सिविल मामलों में अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। अपील का निपटारा अपील को दायर करने की तारीख से 6 माह के भीतर करना होता है।
- **ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने की पहल: ग्राम न्यायालय योजना** के तहत, केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।

निष्कर्ष

ग्राम न्यायालयों की स्थापना से भारतीय न्यायपालिका में संरचनात्मक सुधारों को मजबूत करने तथा उन लोगों की न्याय तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है, जो न्यायिक प्रणाली की जटिलता और तकनीकी व्यवस्था के कारण पर्याप्त समर्थन और सुरक्षा से वंचित हैं।

1.11. डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **डाकघर अधिनियम, 2023** को भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जगह लागू किया गया है।

डाकघर अधिनियम, 2023

- यह अधिनियम **नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों** को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक **सरल विधायी फ्रेमवर्क** तैयार करता है।

डाकघर अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:

- **डाक सेवाओं के महानिदेशक (DGPS)** को भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) का **प्रमुख** नियुक्त किया जाएगा।
  - डाक सेवाओं के महानिदेशक के पास **सेवाओं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने आदि से संबंधित शक्तियां** होंगी।
- **डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल को रोकने की शक्तियां:**
  - केंद्र सरकार **कुछ निर्धारित आधारों** पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है।
  - जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जा सकता है, उनमें **देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा** शामिल हैं।
- **जवाबदेही से उन्मुक्ति:** डाकघर अपने द्वारा **प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं** होगा। हालांकि, कुछ निर्धारित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया है।
- इस अधिनियम में **किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं** किया गया है।

डाकघर अधिनियम, 2023 से संबंधित चिंताएं

- **प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का अभाव:** अधिनियम में भारतीय डाक के माध्यम से प्रसारित होने वाले ऐसे आर्टिकल्स को रोकने के लिए पर्याप्त प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का अभाव है, जो संभावित रूप से व्यक्तियों की बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- **डाक सेवाओं में चूक के लिए भारतीय डाक को दायित्व से छूट:** उत्तरदायित्व को केंद्र सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, जो भारतीय डाक का प्रशासन भी करते हैं। इससे हितों का टकराव हो सकता है।
- **परिणामों पर स्पष्टता का अभाव:** यदि अधिकारी अवरोध डालने (Interception) की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं या अधिकारी धोखाधड़ी से कार्य करते हैं (जिससे सेवा में देरी होती है) तो अधिनियम उस संबंध में परिणामों पर स्पष्ट नहीं है।

- **अपरिभाषित आपातकालीन शक्तियां:** आपात स्थिति को परिभाषित नहीं किया गया है और प्राधिकारियों को अनियंत्रित शक्तियां प्रदान की गई हैं।

निष्कर्ष

सरकार को अवरोधन की प्रक्रिया वाले ऐसे नियम बनाने की जरूरत है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी हों।

1.12. विफल होती लोक परीक्षा प्रणाली (Failing Public Examination Systems)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)[7] द्वारा आयोजित NEET UG और UGC NET परीक्षाओं के हालिया विवाद ने छात्रों व शैक्षिक जगत के बीच सार्वजनिक परीक्षाओं (पब्लिक एग्जामिनेशन) की शुचिता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

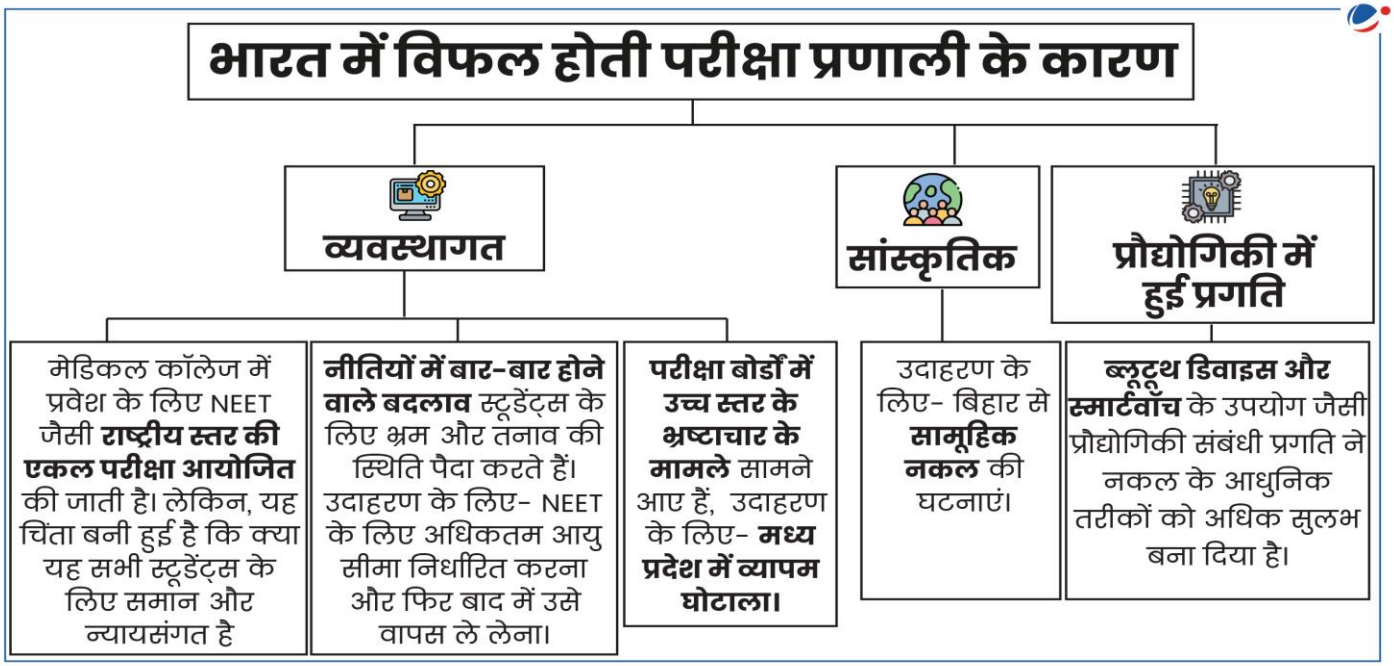

विफल होती सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों के संभावित परिणाम

सामाजिक	• पेपर के बार-बार लीक होने और परीक्षा रद्द होने से परीक्षाओं के प्रति **जनता का विश्वास कम** हो सकता है। इसके साथ ही परीक्षा की निष्पक्षता के बारे में बड़े पैमाने पर संदेह पैदा हो सकता है। • इन व्यवधानों से वंचित छात्रों के अधिक प्रभावित होने के कारण **सामाजिक असमानताएं बढ़ रही** हैं। • अनिश्चितता और बार-बार परीक्षा तिथियों में बदलाव के कारण छात्रों व अभिभावकों में **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं** उत्पन्न हो सकती हैं। • बार-बार इस तरह की घटनाएं होने के कारण **सामाजिक मूल्यों में बदलाव** आ सकता है। इसके चलते नकल एक आम बात हो सकती है और इससे सामाजिक नैतिकता में गिरावट आ सकती है।
आर्थिक	• दोबारा परीक्षा **आयोजित करने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान होता है।** • घरेलू परीक्षाओं में विश्वास की कमी के कारण **प्रतिभा पलायन** हो सकता है। इसके कारण अधिक छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे देश को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
राजनीतिक	• परीक्षा घोटालों के कारण शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की बजाय **राजनीतिक दबाव से प्रेरित होकर जल्दबाजी में नीतिगत परिवर्तन** किए जा सकते हैं। • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच **संघीय तनाव** बढ़ा सकते हैं। **उदाहरण के लिए,** NEET को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच असहमति। • **सरकार की कार्यक्षमता के प्रति जनता की सोच** को प्रभावित कर सकती है।

[7] National Testing Agency

संस्थागत	• परीक्षाओं द्वारा अभ्यर्थियों का समुचित मूल्यांकन न हो पाने के कारण **व्यावसायिक मानकों में गिरावट** आ रही है। इसके कारण कम योग्य व्यक्ति पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। • **इससे प्रशिक्षण का बोझ नियोक्ताओं एवं व्यावसायिक संस्थाओं पर पड़ता है।** ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कर्मचारियों में योग्यता की कमी की समस्या से निपटने के लिए उनके प्रशिक्षण पर अधिक निवेश करना पड़ सकता है। • **औसत दर्जे का चक्र जारी रहना:** जब अयोग्य पेशेवर भविष्य के शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता बन जाते हैं, तो वे औसत गुणवत्ता दर्जे की शिक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति को स्थायी बना देते हैं।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 {Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024}

- **उद्देश्य:** लोक परीक्षा (पब्लिक एग्जामिनेशन) प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाना।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **कवरेज:** यह कानून संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होगा।
  - यह कानून लोक परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न **"अनुचित साधनों"** को परिभाषित करता है। इन साधनों में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी (आंसर-की) को अनधिकृत तरीके से प्राप्त करना या उन्हें लीक करना, लोक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्स के साथ छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि शामिल हैं।
  - **दंड**
    - **अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए:** कम-से-कम तीन वर्ष का कारावास (जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा) और दस लाख रुपये तक का जुर्माना।
    - **सेवा प्रदाता के लिए अथवा संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति/समूह के लिए :** कम-से-कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक का कारावास। साथ ही उनसे परीक्षा की आनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी।
    - सभी अपराध **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमन योग्य (नॉन-कंपाउंडेबल)** होंगे।
- इस अधिनियम को लागू करने हेतु केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने **लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:**
  - यदि लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला सामने आता है, तो **परीक्षा केंद्र प्रभारी (Venue-in-charge) FIR दर्ज कराने** सहित उचित कार्रवाई कर सकता है।
  - यदि परीक्षा आयोजित करने वाले **सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक मंडल की अनुचित साधनों के उपयोग में संलिप्तता पाई जाती है,** तो इसकी जांच के लिए लोक परीक्षा अथॉरिटी एक **समिति गठित** करेगी।
  - क्षेत्रीय अधिकारी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या **अपराध की सभी घटनाओं की समय-समय पर** लोक परीक्षा अथॉरिटी को **रिपोर्ट** करेगा। साथ ही, **उसने इस मामले में जो भी कार्रवाई की है, उनकी भी रिपोर्ट** अथॉरिटी को सौंपेगा।

आगे की राह

- **परीक्षा प्रक्रिया में सुधार:** उदाहरण के लिए, उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश में **प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन को** शामिल करना।
- **सुरक्षा उपाय:** उपाय **के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाने चाहिए** एवं **इन्हें लागू करना** चाहिए। इसमें **परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम आधार पर निगरानी, प्रश्नपत्रों को रखने के लिए एन्क्रिप्टेड डिजिटल लॉकरों का उपयोग** इत्यादि उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **संस्थागत सुधार: परीक्षा बोर्डों और टेस्टिंग एजेंसियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं की निगरानी के लिए स्वतंत्र सांविधिक निकाय की** स्थापना की जानी चाहिए।
- **विकेंद्रीकरण और अनुकूलन:** राष्ट्रीय परीक्षाओं में राज्य-स्तरीय सुझावों या इनपुट को शामिल करना चाहिए और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने व व्यक्तियों का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए एडेप्टिव टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए।

1.12.1. शिक्षा को पुनः राज्य सूची में शामिल करना (Restoring Education to State List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, NEET-UG और UGC-NET की परीक्षाओं में धांधली को लेकर उठे विवाद के कारण **शिक्षा को फिर से राज्य सूची में शामिल करने की मांग तेज** हो गई है।

शिक्षा को सूचीबद्ध करने की पृष्ठभूमि

- भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत **शिक्षा को प्रांतीय विधायी सूची**[8] में रखा गया था।
- **स्वतंत्रता के बाद,** मूल संविधान में शिक्षा को **सातवीं अनुसूची की राज्य सूची** में शामिल किया गया था।
- **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश के बाद **42वें संविधान संशोधन (1976)** द्वारा इसे **समवर्ती सूची में स्थानांतरित** कर दिया गया।
- **शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लाभ:**
  - एक **विषय के रूप में शिक्षा पर अखिल भारतीय नीतियां** तैयार करना संभव हो पाता है।
  - राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में **गैर-पेशेवर तौर-तरीकों और भ्रष्टाचार** को दूर किया जा सकता है।
  - केंद्र और राज्यों के बीच मानकों एवं समन्वय में सुधार किया जा सकता है।

शिक्षा को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की मांग के कारण

- **सभी समस्याओं का एक हल:** भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह दृष्टिकोण **न तो संभव है और न ही वांछनीय** है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक ही शिक्षा नीति या कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकती/सकता है।
- **शिक्षा पर राजस्व व्यय:** 'शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण' 2022 के अनुसार, शिक्षा पर **24% खर्च केंद्र द्वारा** किया जाता है, जबकि **76% खर्च राज्यों द्वारा** किया जाता है।
- पाठ्यक्रम को **प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार** किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** राज्य और स्थानीय सरकारें **समग्र शैक्षिक मानक** निर्धारित करती हैं तथा **कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की निगरानी** करती हैं। संघीय शिक्षा विभाग के कार्य मुख्य रूप से वित्तीय सहायता देने वाली नीतियों पर केंद्रित हैं।
- **कनाडा:** शिक्षा का प्रबंधन **प्रांतों** द्वारा किया जाता है।
- **जर्मनी:** शिक्षा के लिए **विधायी शक्तियां राज्यों के पास** हैं।
- **दक्षिण अफ्रीका:** स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विभाग और प्रांत राष्ट्रीय नीतियों को लागू करते हैं तथा स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

निष्कर्ष

मौजूदा परिस्थितियों में राष्ट्रीय मानकों को राज्य-विशिष्ट अनुकूलनों के साथ एकीकृत करने की जरूरत है। केंद्र सरकार व्यापक मानक निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, जबकि राज्य इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और नीतियां तैयार कर सकते हैं। यह संतुलन विविध क्षेत्रीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है।

[8] Provincial Legislative List

1.13. भारत में खेल इकोसिस्टम (India's Sports Ecosystem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा, जबकि इससे पहले आयोजित टोक्यो ओलंपिक (2020) में भारत 48वें स्थान पर था।

भारत में खेल इकोसिस्टम

- **खेल राज्य सूची का विषय है।** इसलिए, देश में खेलों के प्रसार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों पर है। इसमें खेल सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है।
- हालांकि, **केंद्र सरकार** अपनी अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों के **पूरक के रूप में सहायता** प्रदान करती रहती है।
- खेल राजस्व उत्पन्न करते हैं और देश की **सॉफ्ट पावर** को बढ़ाते हैं। साथ ही, **खिलाड़ियों को स्वस्थ और सेहतमंद रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान** देते हैं।
    - इन लाभों के बावजूद, **भारत की केवल 6% आबादी ही खेलों में भाग लेती हैं**। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह अनुपात लगभग 20% है और जापान में तो यह 60% तक है।

भारत के खेल इकोसिस्टम की चुनौतियां

- **प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान में कमियां**: दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने पेरिस ओलंपिक में केवल 117 एथलीटों को भेजा। वहीं इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 594, फ्रांस के 572 और ऑस्ट्रेलिया के 460 एथलीट शामिल हुए थे।
- **संसाधन की कमी:** भारत का खेल बजट संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन जैसे देशों की तुलना में कम है। आवंटित फंड का कम उपयोग भी बड़ी समस्या है।
    - उदाहरण के लिए- मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, **खेलो इंडिया योजना** के लिए 2019-20 में **आवंटित 500 करोड़ रुपये में से केवल 318 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।**
- **अवसंरचना की कमी:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली **अधिकांश खेल सुविधाएं** हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक जैसे **कुछ राज्यों में ही केंद्रित हैं।**
- **भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण:** उदाहरण के लिए- जनवरी 2023 में ओलंपिक में पदक जीतने वाले कई खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के तत्कालीन अध्यक्ष और महासंघ के कोचों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
- **एथलीटों के प्रबंधन में कमी:** उदाहरण के लिए- विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल के दिन 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भारत ने एक निश्चित रजत और संभावित स्वर्ण पदक को खो दिया।

भारत में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

- **मानसिकता में बदलाव लाना:** माता-पिता को उन लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदर्शन करने वाले छात्र/ छात्राओं को मिलते हैं। जैसे- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में वरीयता।
- **खेल प्रतिभा पूल को बढ़ाना**
  - **युवा प्रतिभा को बढ़ावा देना: केरल सरकार** की **'एक पंचायत, एक खेल का मैदान'** पहल एक ऐसा मानक है, जिसे राज्यों में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जा सकता है।
  - **एक राज्य-एक खेल नीति:** खेलों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और खेल अभिरुचि पैदा करने के लिए क्षेत्र-विशेष के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - **ग्रामीण ओलंपिक:** राजस्थान सरकार ने **'ग्रामीण ओलंपिक'** जैसे स्थानीय खेल मेगा इवेंट आयोजित किया है। ऐसे इवेंट को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **कई खेलों का समर्थन करना: बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए IPL जैसी लीग को प्रायोजित करके** प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, टीमों के स्वामित्व और खेल सुविधाओं के निर्माण में भी इनकी मदद ली जा सकती है।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** पोषण विशेषज्ञों और एथलीटों के सहायक स्टाफ के लिए प्रदर्शन मापदंड लागू करना और अंतिम क्षण में गलत प्रबंधन के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।
- **खेल महासंघों की गवर्नेंस संरचना में सुधार** करना।
- **खेल क्षेत्र के लिए कॉर्पोरेट फंडिंग**।

1.14. स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा (Safety of Healthcare Professional)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ने चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए **14 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल (NTF)** के गठन की घोषणा की है।

राष्ट्रीय कार्य बल (National Task Force: NTF) के बारे में

- NTF को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, अनुकूल कार्य दशाएं और कल्याण सुनिश्चित करने तथा अन्य संबंधित मामलों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी सिफारिशें तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
  - **कैबिनेट सचिव** इस NTF का अध्यक्ष होगा।

स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां

- चिकित्सा देखभाल इकाइयों में **सुरक्षा कर्मियों की कमी** है;
- अस्पताल में प्रवेश और निकास द्वार की निगरानी करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों तक लोगों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए **ठीक से काम करने वाले CCTV कैमरों की कमी है;**
- रात्रि में ड्यूटी करने के लिए तैनात चिकित्सा पेशेवरों के लिए **विश्राम स्थल अपर्याप्त हैं;**
- चिकित्सा पेशेवरों के लिए होस्टल्स या ठहरने के स्थानों तक **सुरक्षित आवागमन हेतु परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त या अनुपलब्ध हैं;**
- **अस्पताल के अंदर रोगी व उनके परिजन सभी स्थानों (ICU और डॉक्टरों के विश्राम कक्ष सहित) तक जा सकते** हैं, जिससे असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है;
- सभी राज्य **राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आयोग (NCAHP) अधिनियम, 2021 को लागू करने में विफल** रहे हैं, आदि।

स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई पहलें:

- **भारत में शुरू की गई पहलें:**
  - **राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आयोग (NCAHP)[9] अधिनियम, 2021:** इसमें **संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की शिक्षा और उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के मानकों के विनियमन व देखरेख** का प्रावधान किया गया है। साथ ही, एक **केंद्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के रखरखाव** के लिए भी उपबंध किया गया है।
    - इसके कई प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 ने ही पूर्व अनियमित श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित करने हेतु राज्य परिषदों का गठन किया है।

[9] National Commission for Allied and Healthcare Professions

- **महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020:** इसके तहत महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के खिलाफ हिंसा की कार्रवाइयों को **संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध** माना गया है।
- **अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH)[10]:** यह **भारतीय गुणवत्ता परिषद** का एक घटक बोर्ड है। इसे स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू करने और उसे संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013** लागू किया गया है।
- **केरल स्वास्थ्य देखभाल सेवा व्यक्ति और स्वास्थ्य देखभाल सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2023** लागू किया गया है।

- **वैश्विक स्तर पर पहलें:**
  - **यूनाइटेड किंगडम:** स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में हिंसा पर **'जीरो टॉलरेंस नीति'** अपनाई गई है। इस नीति में सुरक्षा टीमों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की व्यवस्था की गई है।
  - **ILO और WHO:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) तथा कुछ अन्य संगठनों ने सरकारों, नियोक्ताओं, कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और आम जनता को शामिल करते हुए संयुक्त रूप से **'स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में कार्यस्थल पर हिंसा से निपटने के लिए फ्रेमवर्क दिशा-निर्देश'** जारी किए हैं।

आगे की राह

- **राज्य सरकारों की जिम्मेदारी:** राज्य सरकारों को चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसमें जुर्माना लगाना और तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन सुविधाएं शामिल हैं। राज्यों पर यह जिम्मेदारी इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं।
- **NCAHP अधिनियम 2021:** राज्यों को संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषदों की स्थापना करने जैसे प्रावधानों को लागू करना चाहिए।
- **अवसंरचना विकास:** CCTV कैमरे लगाने चाहिए, पहचान के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन प्रणाली अपनानी चाहिए तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- **कर्मचारी सुरक्षा समितियां:** तिमाही आधार पर सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रत्येक चिकित्सा प्रतिष्ठान में ऐसी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
- **कार्य के घंटों का विनियमन:** सरकारों को स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के काम करने के समय की अधिकतम सीमा तय करने वाले कानून लागू करने चाहिए।

[10] National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers

1.15. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा (Auditing of Local Bodies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गुजरात के राजकोट में "स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL)[11]"** का उद्घाटन किया गया।

स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL) के बारे में:

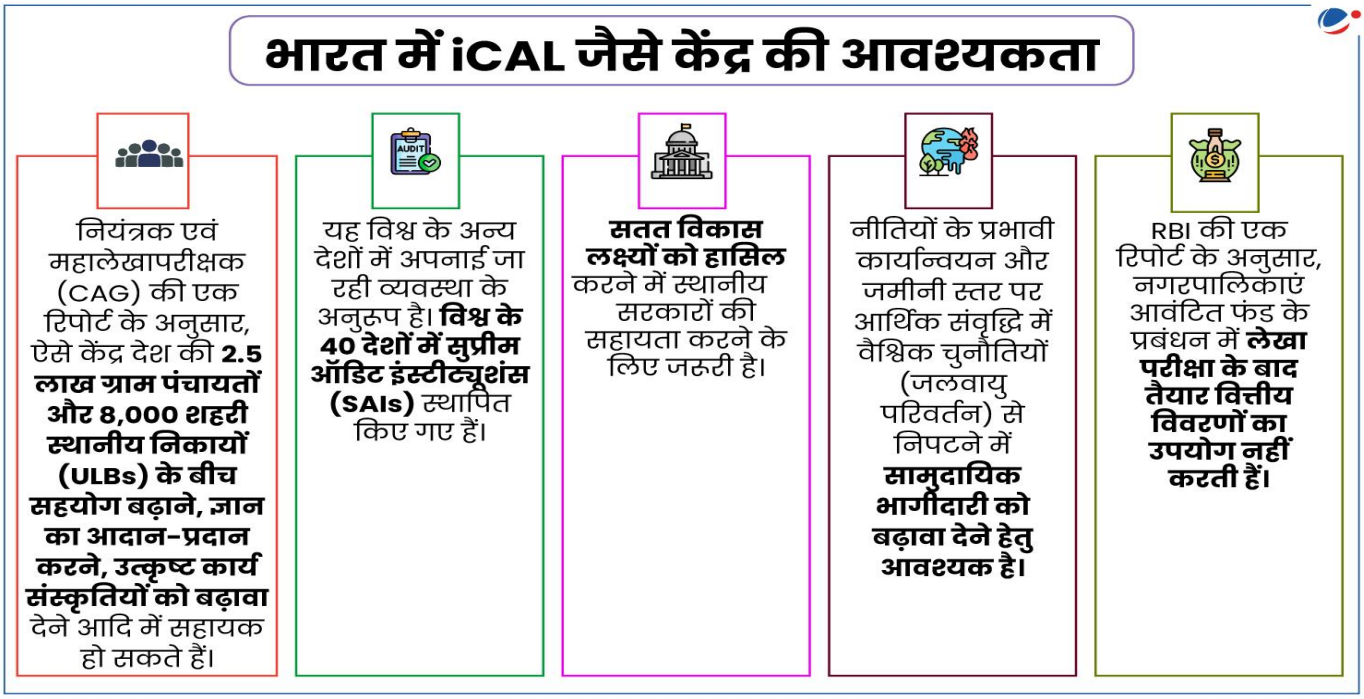

- यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य **स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वैश्विक मानक** निर्धारित करना है। यह **नीति-निर्माताओं और लेखा परीक्षकों (Auditors) के बीच सहयोग के एक मंच** के रूप में कार्य करेगा।
- यह स्थानीय शासन के **लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य** करने में मदद करेगा। इससे स्थानीय सरकारों के **वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार** होगा।
- **स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा-परीक्षा प्रणाली**

[11] International Centre for Audit of Local Governance

- **2020 में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट** करने तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन** विकसित की थी।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार **CAG (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971** से प्राप्त होता है।
  - **CAG** पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी तीन स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है व उनका पर्यवेक्षण करता है।
- अधिकतर राज्यों में **स्थानीय निधि खातों के परीक्षक (ELFA) या स्थानीय निधि खातों के निदेशक (DLFA)** लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं।
  - ये संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा **स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा** करती हैं।

स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा से जुड़े मुद्दे

- **रिकॉर्ड रखने का खराब तरीका:** कई स्थानीय निकायों के वित्तीय रिकॉर्ड अधूरे हैं और सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हैं। इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों एवं स्थानीय निकायों में **एक समान लेखा-परीक्षा मानकों का अभाव** भी है। इससे लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता आती है।
- **कुशल कर्मियों का अभाव:** इसके कारण अपर्याप्त या सतही लेखा-परीक्षा हो सकती है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है।
- **अधिकार-क्षेत्र का ओवरलैप होना:** विविध एजेंसियों (जैसे राज्य लेखा-परीक्षा विभाग), स्थानीय सरकारी लेखा परीक्षकों और CAG के बीच लेखा-परीक्षा जिम्मेदारियों का विभाजन भ्रम एवं अक्षमता पैदा कर सकता है।
- **पुरानी प्रक्रियाएं:** 11वें वित्त आयोग के अनुसार कई राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा खातों के रखरखाव के लिए **प्रारूप और प्रक्रियाएं** दशकों पहले तैयार की गई थीं तथा उनकी बढ़ी हुई शक्तियों, संसाधनों और जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें **अपडेट नहीं** किया गया है।
- **कम जागरूकता:** आम जनता और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के बीच लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं व उनके महत्त्व के बारे में जागरूकता कम है।

आगे की राह (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें)

- **सरल मानक: पंचायतों के लिए लेखा-परीक्षा और लेखांकन मानक एवं प्रारूप** इस तरह से तैयार किए जाएं कि वे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सरल एवं समझने योग्य हों।
- **संस्थागत स्वतंत्रता: DLFA या किसी अन्य एजेंसी की स्वतंत्रता को राज्य प्रशासन से स्वतंत्र बनाकर संस्थागत** बनाया जाना चाहिए।

- **स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान-मंडल के समक्ष** रखी जानी चाहिए। साथ ही, इन रिपोर्ट्स पर लोक लेखा समिति की तर्ज पर राज्य विधान-मंडल की अलग समिति द्वारा चर्चा की जानी चाहिए।
- **सूचना तक पहुंच:** स्थानीय निकायों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानूनों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करके **DLFA/ लेखा-परीक्षा करने के लिए नामित प्राधिकारी या CAG तक प्रासंगिक जानकारी/ रिकॉर्ड तक पहुंच** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **स्थानीय निकायों में लेखांकन और लेखा-परीक्षा मानकों को पूरा करने की क्षमता** है।

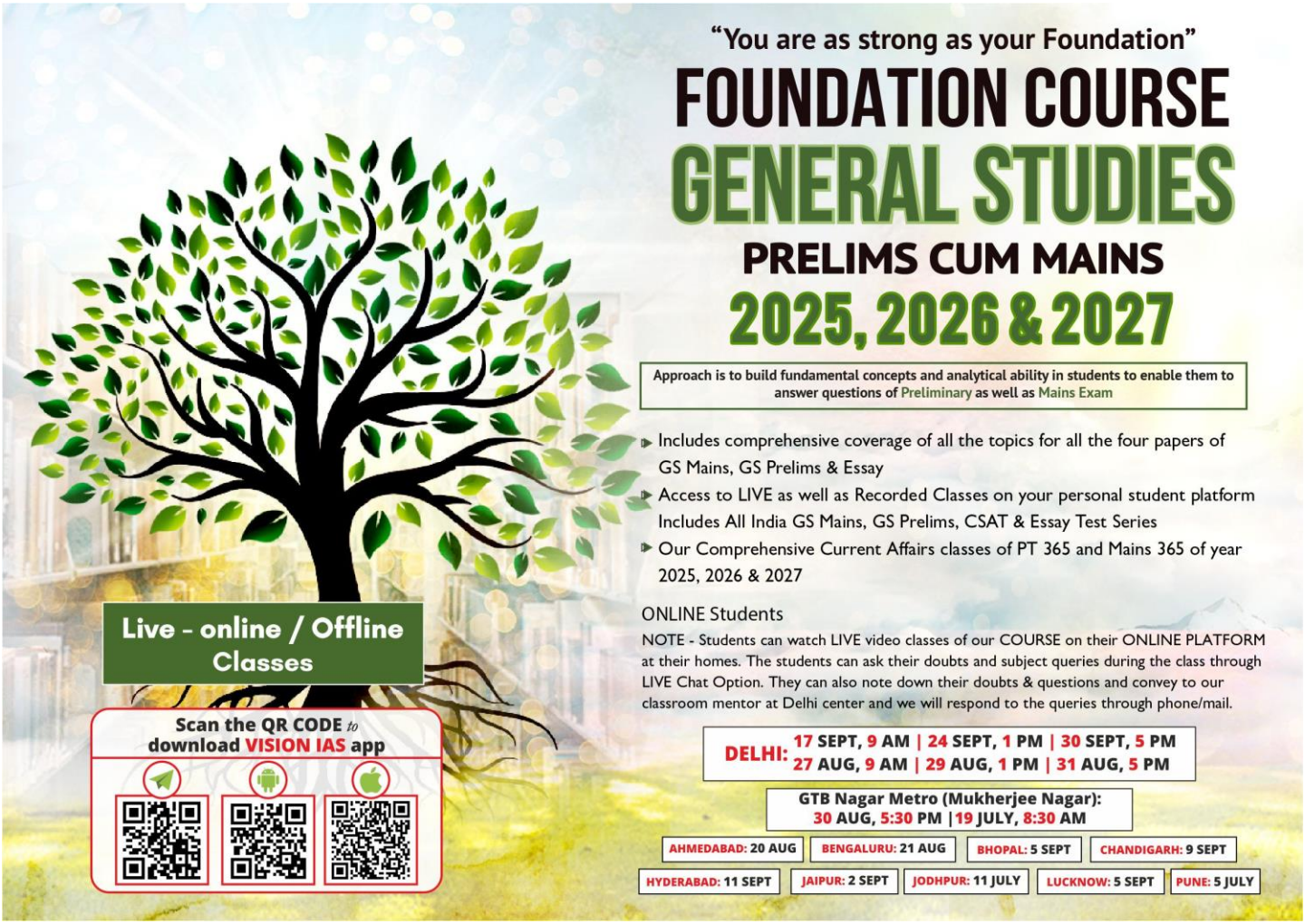

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत: वैश्विक शांति निर्माता के रूप में (India: Global Peacemaker)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन** आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का शीर्षक था- **'पाथ टू पीस समिट'।**

शांति सम्मेलन के बारे में

- **उद्देश्य:** यूक्रेन में त्वरित एवं स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना।
- **भारत का प्रतिनिधित्व:** इस सम्मेलन में **भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव** ने किया था।
  - **भारत ने इस सम्मेलन के उपरांत जारी संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए।**

वैश्विक शांति स्थापना किस प्रकार भारत के हित में है?

- **हालिया वैश्विक संघर्षों का व्यापक प्रभाव:** उदाहरण के लिए- रूस-यूक्रेन और गाजा युद्ध तथा ताइवान को लेकर संघर्ष की आशंका जैसे मुद्दों का वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ रहे हैं। इन प्रभावों में व्यापार में व्यवधान, मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट, खाद्य असुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आदि शामिल हैं।
- **अप्रभावी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली:** उदाहरण के लिए- वर्तमान वैश्विक संघर्षों में UNSC के स्थायी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के कारण **इसकी विश्वसनीयता कम** हो गई है।
- **संभावित वैश्विक भागीदार:** शांति स्थापना के लिए भारत द्वारा सफल मध्यस्थता करने से वैश्विक प्रभाव और **समग्र सुरक्षा प्रदाता**[12] बनने में भी मदद मिल सकती है।
- **बाह्य सुरक्षा: पाकिस्तान'-उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम** के बीच कथित संबंधों को देखते हुए, कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को कम करने में भारत की प्रत्यक्ष रुचि भी है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में भारत का योगदान/ क्षमताएं

- **ग्लोबल साउथ का नेतृत्व:** यह **अफ्रीकी संघ (AU) को G-20 में शामिल** करने के उसके प्रयासों से स्पष्ट होता है। इससे भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को बढ़ावा मिल रहा है।
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** इसने शीत युद्ध के दौरान भारत को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया था।
  - उदाहरण के लिए, भारत ने 1953 में ऑस्ट्रिया को सोवियत कब्जे से मुक्त कराने में मदद की थी।
- **संघर्ष समाधान का अनुभव:** उदाहरण के लिए, **अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने; श्रीलंका के नागरिक संघर्ष में मध्यस्थता करने में भूमिका**।
- **उभरती वैश्विक व्यवस्था में बढ़ता प्रभाव:** उदाहरण के लिए, **ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए भारत से शांति निर्माता की भूमिका निभाने का आग्रह** किया था।
- **विकास में भागीदारी के जरिए शांति स्थापना:** उदाहरण के लिए, अफ्रीका और अफगानिस्तान में ITEC (भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के जरिए अवसंरचनाओं का निर्माण करना (जैसे- अफगानिस्तान में सलमा बांध) आदि।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत के **सभ्यतागत लोकाचार** को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और इसका सम्मान किया जाता है। साथ ही, भारत का **'वसुधैव कुटुम्बकम'** का दर्शन भी विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होता है, जो सद्भाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सक्रिय भागीदार:** उदाहरण के लिए- भारत शांति स्थापना मिशनों के लिए सर्वाधिक सैन्य टुकड़ियों का योगदानकर्ता राष्ट्र है।

[12] Net Security Provider

आगे की राह

- **विश्वबंधु (विश्व का मित्र) के रूप में भारत की भूमिका:** भारत को वैश्विक शांति स्थापना में **अधिक सक्रिय रुख अपनाना चाहिए।**
- **भागीदारी:** भारत समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति स्थापना के प्रयासों में अधिक योगदान दे सकता है। जैसे- ब्राजील, स्विट्जरलैंड।
- **क्षमता निर्माण:** विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक्स के भीतर शांति दल (Peace team) का गठन करना चाहिए, ताकि वैश्विक संघर्षों का अध्ययन किया जा सके। साथ ही, **ओस्लो में नॉर्वे की शांति इकाई** के समान ही समाधान रणनीति विकसित की जा सके।

2.2. संप्रभु ऋण संकट (Sovereign Debt Vulnerability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने तीसरे "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS)" की मेजबानी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS) का लक्ष्य 'वसुधैव कुटुंबकम'** के दर्शन से जुड़े विविध मुद्दों पर **अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ** के देशों को एक साथ लाना है।
- **इस शिखर सम्मेलन में भारत ने एक व्यापक "ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट (GDC)"** प्रस्तुत किया था।
    - GDC का प्रस्ताव **तथाकथित 'विकास वित्त' के कारण देशों (विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' के देशों) की संप्रभु ऋण संकट संबंधी चिंताओं** को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
    - GDC भारत की विकास यात्रा के आधार पर **व्यापार, प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान और रियायती वित्त-पोषण की सुविधा** प्रदान करेगा। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब कई देश **चीन की 'ऋण जाल' कूटनीति** के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट (GDC) के बारे में

- **मुख्य फोकस:** विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण स्वयं ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा किया जाएगा।
- **स्वरूप:** यह मानव-केंद्रित व बहुआयामी होगा और विकास के लिए बहु-क्षेत्रकीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।
- **उद्देश्य:** भागीदार देशों के संतुलित और सतत विकास में योगदान देना।

- **GDC के तहत प्रस्तावित निधियां:**
  - भारत **व्यापार संवर्धन गतिविधियों** को बढ़ावा देने के लिए **2.5 मिलियन डॉलर के 'विशेष कोष'** की शुरुआत करेगा। साथ ही, **क्षमता निर्माण के लिए 1 मिलियन डॉलर का 'व्यापार नीति प्रशिक्षण कोष'** भी शुरू करेगा।

संप्रभु ऋण सुभेद्यता का आशय 'उस जोखिम से है, जिसमें कोई देश अपने ऋणों का पुनर्भुगतान न कर पाने और तरलता की कमी होने के कारण आर्थिक संकट में फंस जाता है।'

विकासशील देशों पर ऋणों का बोझ बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारण	ऋण संधारणीयता का मुद्दा
• **निधियों की उच्च लागत:** जब विकासशील देश धन उधार लेते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ती है। • **ब्याज चुकाने के लिए अधिक संसाधनों का व्यय:** वर्तमान में, कम-से-कम आधे विकासशील देश अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% से अधिक और अपने कुल सरकारी राजस्व का 6.9% ब्याज के भुगतान में व्यय करते हैं। • **ऋण पुनर्गठन में समस्या:** बाह्य ऋणदाता संकटग्रस्त देशों के ऋणों का पुनर्गठन करने से बचते हैं।	• **कर्ज का बोझ देशों को महंगे ऋण लेने के लिए मजबूर** करता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति संकट में आ जाती है। उदाहरण के लिए, श्रीलंका का 2022 का सार्वजनिक ऋण संकट। • **संप्रभुता का ह्रास:** चीन की एक कंपनी ने 99 साल के पट्टे पर श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। • **विकास संबंधी व्यय में कमी:** 3.3 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो स्वास्थ्य या शिक्षा की तुलना में ब्याज के भुगतान पर अधिक व्यय करते हैं।

संप्रभु ऋण संकट का समाधान करने के लिए शुरू की गई पहलें

- महामारी की शुरुआत से अब तक **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 94 देशों को 272 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है।** इनमें से **57 देश निम्न आय वाले देश हैं।**
- **G-7 समूह** ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों की अवसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए **वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII)** की घोषणा की है।
- **G-20 समूह ने डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव (DSSI)** की शुरुआत की है। साथ ही, **पेरिस क्लब** के देशों के साथ **डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव (DSSI) से परे 'G-20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट्स'** भी तैयार किया है।
- **भारत** ग्लोबल साउथ के देशों में वित्तीय दबाव से निपटने और विकास संबंधी वित्त-पोषण के लिए **SDG स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप** में योगदान दे रहा है।

आगे की राह

- एक **स्थाई और प्रभावशाली वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट** तैयार करने की आवश्यकता है।
- विकास परियोजनाओं के वित्त-पोषण में **बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) की भागीदारी बढ़ाने** के लिए उनके ऋण संसाधनों, ज्ञान समर्थन आदि में वृद्धि की जानी चाहिए।
- आर्थिक संकट संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए एक **पारदर्शी और स्थिर वैश्विक वित्तीय प्रणाली** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- वित्तीय जोखिमों का **शीघ्र पता लगाने** और संकटग्रस्त ऋणों के **सक्रिय प्रबंधन के लिए IMF निगरानी प्रणाली को मजबूत करने** की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

संप्रभु ऋण संकट को कम करने के लिए, देशों को अपनी **राजकोषीय नीतियों को मजबूत** करना चाहिए; अपनी **अर्थव्यवस्थाओं में विविधता** लानी चाहिए; **ऋण प्रबंधन में सुधार** करना चाहिए तथा **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भागीदारी बढ़ानी** चाहिए। इसके अलावा, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए **संधारणीय ऋण और सक्रिय जोखिम मूल्यांकन** महत्वपूर्ण हैं।

2.3. भारत के पड़ोसी देश में अस्थिरता (Instability in India's Neighbourhood)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री ने बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रधान मंत्री के इस्तीफे के कुछ समय बाद, बांग्लादेश में एक **अंतरिम सरकार** का गठन हुआ। इसका नेतृत्व **बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस** कर रहे हैं।
- **बांग्लादेश में अशांति** और पड़ोसी देशों में अस्थिरता सहित **दक्षिण एशिया की हालिया राजनीतिक उथल-पुथल** का **भारत के रणनीतिक हितों तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव** पड़ा है।

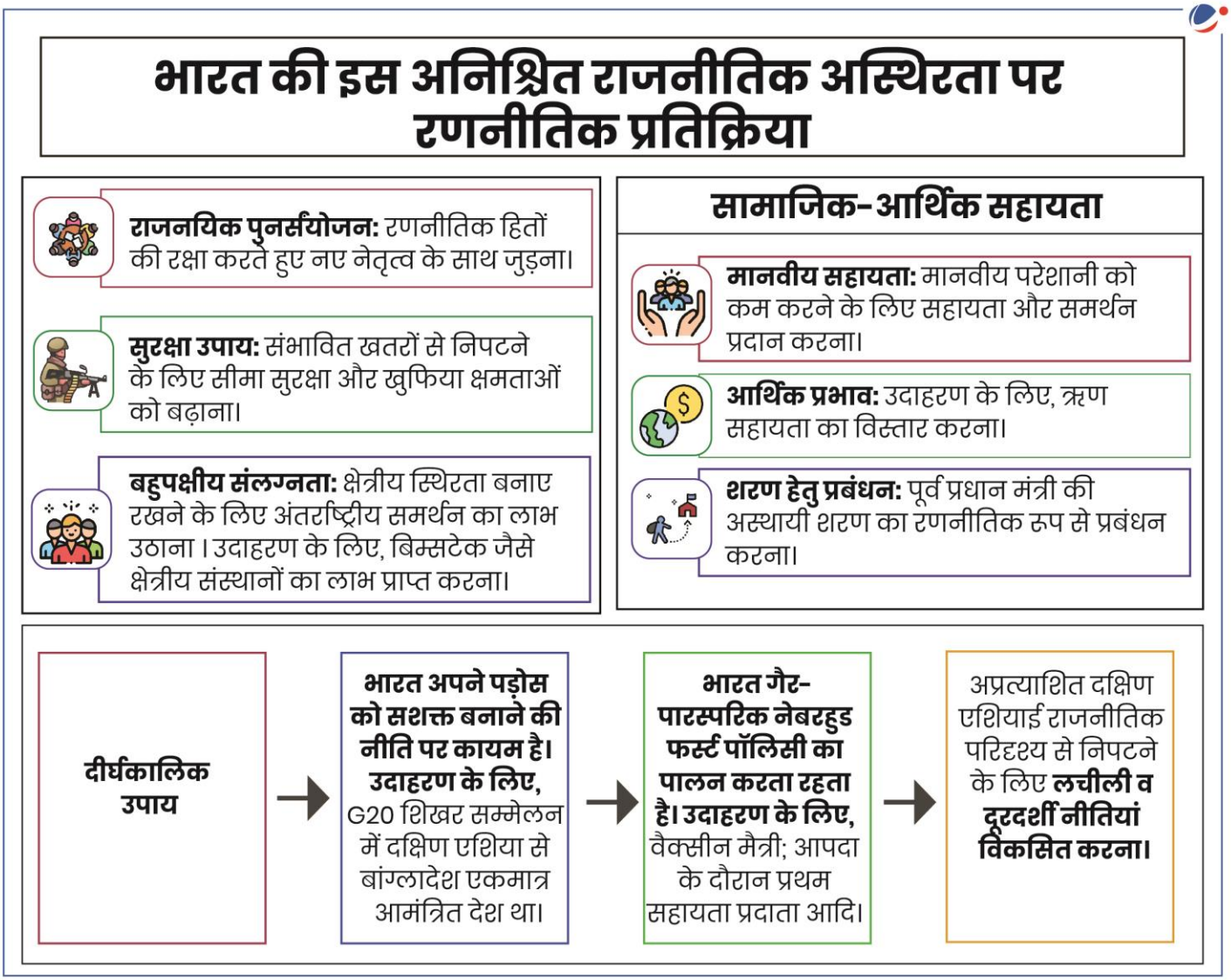

बांग्लादेश में घटित हालिया घटनाक्रम के संभावित प्रभाव

- **भारत-बांग्लादेश भागीदारी में अवरोध।**
- **अवैध प्रवासन और जबरन विस्थापन में वृद्धि:** बांग्लादेश में अतिवाद (Extremism) के बढ़ने से वहां की अल्पसंख्यक आबादी के समक्ष खतरा बढ़ सकता है।
- **बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप:** यदि बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान या चीन के साथ गठबंधन करती है, तो इससे भारत के लिए सीधा खतरा पैदा सकता है।
- **आर्थिक और निवेश संबंधी खतरे:** वर्ष 2016 से भारत द्वारा बांग्लादेश में सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए 8 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है।
    - **अखौरा-अगरतला रेल लिंक और खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन** जैसी प्रमुख परियोजनाओं को खतरा हो सकता है।

भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता

- **म्यांमार:** 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है, जिससे व्यापक विरोध और हिंसा भड़क उठी है।
- **अफगानिस्तान:** 2021 में तालिबान के कब्जे के कारण लोकतांत्रिक सरकार का पतन हो गया।
- **श्रीलंका:** 2022 में, आर्थिक संकट ने राजनीतिक अस्थिरता और सार्वजनिक अशांति को जन्म दिया।

- **मालदीव:** मालदीव में राजनीतिक उथल-पुथल 2012 में शुरू हुई थी, जब घोर सुधारवादियों ने बलपूर्वक देश के राष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था।
- **नेपाल:** बार-बार सरकार बदलने से राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है।

पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव

- **म्यांमार:** म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों की साझा सीमा है। इससे विद्रोही गतिविधियों और शरणार्थियों के आगमन की संभावना बढ़ सकती है। पहले से ही, **32,000 से अधिक नृजातीय चिन समुदाय के लोग भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्य में शरण** ले चुके हैं।
- **अफगानिस्तान:** भारत अफगानिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। साथ ही, यह अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से जुड़े सुरक्षा संबंधी निहितार्थों को लेकर भी चिंतित है। जैसे-यह स्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।
- **श्रीलंका:** भारत के लिए श्रीलंका की अवस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत को **संभावित शरणार्थी आगमन, आर्थिक प्रभाव और चीनी प्रभाव को लेकर रणनीतिक चिंताओं का सामना** करना पड़ता है।
- **मालदीव:** यहां भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। इनमें शामिल हैं- **कट्टरपंथ का मुकाबला करना, मालदीव के हर क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से निपटना, हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना,** आदि।
- **नेपाल:** सरकार में बार-बार बदलाव तथा बढ़ते चीनी प्रभाव से भारत के क्षेत्रीय हित और संबंध जटिल बन गए हैं। उदाहरण के लिए- हाल ही में, नेपाल में 16 वर्षों में 14वीं सरकार का गठन हुआ है।

आगे की राह

- भारत हमेशा से **तर्कपूर्ण वार्ता करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक** रहा है। इसलिए, भारत ने **सामान्य रूप से वैश्विक मुद्दों और विशेष रूप से क्षेत्रीय मुद्दों** पर अपने दृष्टिकोण में **संवाद, परामर्श एवं निष्पक्षता** का समावेश किया है।
- इस संदर्भ में, भारत ने **5 'स' (सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि) जैसे सैद्धांतिक दृष्टिकोण को अपनाया** है।

2.3.1. भारत-बांग्लादेश संबंध: एक नज़र में (India-Bangladesh Relations at a Glance)

भारत-बांग्लादेश संबंध

क्षेत्रीय सहयोग: बांग्लादेश **इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव** में शामिल हुआ।

2023-24 में दोनों देशों के बीच **14.01 बिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था।

बांग्लादेश हमारी **'नेबरहुड फर्स्ट' नीति, एक्ट ईस्ट नीति, सागर विजन और इंडो-पैसिफिक विजन** के संगम पर स्थित है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्त्व

- **महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार:** बांग्लादेश, **दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** देश है। साथ ही, भारत **एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** देश है।
- **सुरक्षा और सीमा प्रबंधन:** दोनों देश पुलिस संबंधी मामलों, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी आदि के मुद्दों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। दोनों देश 4,096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं।
  - **भूमि सीमा समझौता (2015) और समुद्री सीमा का परिसीमन** सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के उदाहरण हैं।
  - **बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता:** जैसे- सार्क, बिम्सटेक, BBIN, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) आदि।
- **बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी:** उदाहरण के लिए- चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग।
- **सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क:** इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र तथा ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही साझे सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **विकासात्मक साझेदारी:** पिछले 8 वर्षों में, भारत ने बांग्लादेश को **8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की लाइन्स ऑफ क्रेडिट (LOC) प्रदान की है।

द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद चुनौतियां

- **नदी जल विवाद:** उदाहरण के लिए- **तीस्ता नदी जल बंटवारा।**
- **चीन की भूमिका:** चीन, बांग्लादेश का एक रणनीतिक साझेदार और उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है।
- **आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:** बांग्लादेश के साथ-साथ म्यांमार **(जैसे- रोहिंग्या)** से अवैध प्रवास।
- **बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती कट्टरता और दुर्व्यवहार।**
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) जैसी नीतियां भारत-बांग्लादेश संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
- सरकार को **अचानक सत्ता से हटा देना।**

पक्षीय संबंधों में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदम

- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए बातचीत को शीघ्र शुरू करना चाहिए।**
- **जल कूटनीति और जल साझाकरण संधि** का समाधान।
- **अंतर-क्षेत्रीय विद्युत व्यापार को विकसित करने के लिए बिजली और ऊर्जा सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।**

- विश्व बैंक की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, **कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने** से बांग्लादेश को भारत से किए जाने वाले निर्यात में 172% की वृद्धि हो सकती है।
- BBIN मोटर वाहन समझौते का शीघ्र संचालन करके भारत को BIMSTEC, SAARC और IORA आर्किटेक्चर के तहत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय **एकीकरण करने के लिए बांग्लादेश को प्रमुख माधाम के रूप में देखना चाहिए।**
- जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के जरिए **सीमा पार आवजन प्रबंधन** को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- भारत-बांग्लादेश संबंधों को **कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सहयोग के साझा दृष्टिकोण** के आधार पर उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए।
- दोनों देश एक-दूसरे को अपरिहार्य साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान करके, अपने-अपने राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण **"विकसित भारत 2047" और "स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041"** को साकार कर सकते हैं।

2.4. एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 में भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' (AEP) के 10 वर्ष पूरे होंगे।

एक्ट ईस्ट नीति (AEP) के बारे में

- एक्ट ईस्ट नीति वास्तव में **1992 में लागू की गई 'लुक ईस्ट नीति' की ही अगली कड़ी** है।
- भारत के प्रधान मंत्री ने **नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान + भारत शिखर सम्मेलन में 'एक्ट ईस्ट नीति'** की घोषणा की थी।
- एक्ट ईस्ट नीति **हिंद-प्रशांत क्षेत्र (IPR) में "विस्तारित पड़ोसी"** देशों पर केंद्रित है। इसमें **आसियान देशों** के साथ संबंध मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - गौरतलब है कि **एक्ट ईस्ट नीति में पहली बार** "विस्तारित पड़ोस" (Extended neighbourhood) को स्पष्ट किया गया है।
- **उद्देश्य:** इस नीति का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक संबंध विकसित** करना है।

एक्ट ईस्ट नीति की उपलब्धियां

- इस नीति ने **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने में लॉन्चिंग पैड** के रूप में कार्य किया हे। उदाहरण के लिए, **दक्षिण चीन सागर विवाद में फिलीपींस को भारत का समर्थन।**
- एक्ट ईस्ट नीति ने **इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान** जैसे देशों के साथ भारत की **मजबूत रणनीतिक साझेदारी** बनाने में मदद की है। साथ ही, इस नीति की वजह से **बिम्सटेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** देशों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए हैं।
- इस नीति ने **पूर्वोत्तर राज्यों की आसियान और आसपास के देशों के साथ अधिक एकीकरण** में भी भूमिका निभाई है। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक अलगाव समाप्त हुआ है। उदाहरण के लिए- **भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम ने** विकास और संपर्क को बढ़ावा दिया है।

एक्ट ईस्ट नीति के समक्ष चुनौतियां

- आसियान देशों की अर्थव्यवस्था से **चीन मजबूती से जुड़ा** हुआ है। इस मामले में भारत को चीन से चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- आसियान देशों के साथ **भारत का आर्थिक प्रदर्शन संतोषजनक नहीं** है। उदाहरण के लिए, भारत का इन देशों के साथ **43.57 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा** है।

आगे की राह

- आसियान देशों के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की समीक्षा** करने की जरूरत है;
- इन देशों के साथ **पर्यटन को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है;
- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा** देने के लिए **सिंगापुर और मलेशिया** के साथ साझेदारी बढ़ाई जानी चाहिए, आदि।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत की पहलें

- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा:** इसके उदाहरण हैं- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग; कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना आदि।
- **'विश्व की फार्मेसी' की भूमिका निभाना:** उदाहरण के लिए, **वैक्सीन मैत्री पहल** के तहत कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की गई थी।
- **रक्षा निर्यात को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए, भारत ने **फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल** प्रणाली उपलब्ध कराई है।
- **आसियान देशों के स्मारकों का जीर्णोद्धार करके सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करना:** उदाहरण के लिए- भारत ने **माई सन मंदिर (वियतनाम), बागान में बौद्ध पैगोडा (म्यांमार), वाट फो मंदिर परिसर (लाओस), प्रीह विहियर मंदिर (कंबोडिया)** आदि के जीर्णोद्धार में मदद की है।

2.5. मिनीलैटरल का उदय (Rise of Minilaterals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता ने **'स्क्वाड (SQUAD)'** के उद्भव को प्रेरित किया है। यह **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **फिलीपींस** के बीच एक मिनिलेटरल समूह है।

अन्य संबंधित तथ्य

- स्क्वाड को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा आधारित मिनीलैटरल समूहों की श्रृंखला में किए गए एक अतिरिक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा आधारित कुछ मिनीलैटरल समूह हैं- **क्वाड (QUAD); ऑकस (AUKUS); संयुक्त राज्य अमेरिका-फिलीपींस-जापान त्रिपक्षीय समूह; संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय समूह** आदि।
- स्क्वाड के गठन ने वर्तमान विश्व व्यवस्था में सहयोग के साधन के रूप में **मिनीलैटरलिज्म की बढ़ती प्राथमिकता** को उजागर किया है।

मिनीलैटरल समूह क्या होते हैं?

मिनीलैटरल समूह एक प्रकार के **अनौपचारिक और लक्षित समूह** होते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या **कम (आमतौर पर 3 या 4)** होती है। ये देश समान हितों को साझा करते हैं तथा किसी विशिष्ट खतरे, आकस्मिक चुनौती अथवा सुरक्षा संबंधी खतरे को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर संयुक्त रूप से निपटाने का प्रयास करते हैं।

मिनीलैटरल समूहों के उदय के पीछे उत्तरदायी कारण

बहुपक्षीय संस्थाओं की विफलता	मिनीलैटरलिज्म के लाभ
• मौजूदा बहुपक्षीय संस्थाओं को **जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा** जैसी नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ○ उदाहरण के लिए, **आसियान के सदस्य देश** दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा करने में विफल रहे हैं। • **महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता** आम सहमति को बाधित कर रही है। उदाहरण के लिए, **WTO की विवाद समाधान प्रणाली की विफलता** आदि। • हालिया दिनों में **चीन के अधिक आक्रामक** होने के कारण **क्वाड, AUKUS** जैसे मिनीलैटरल समूहों का उदय हुआ है।	• **बहुपक्षवाद के जटिल ढांचे का व्यावहारिक विकल्प:** इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और विभिन्न देशों के हितों के बीच तालमेल बिठाने में आसानी होती है। • **मुद्दा आधारित सहयोग** समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ आने में सक्षम बनाता है। जैसे- **ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच शुरू की गई आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन पहल।** • **वि-वैश्वीकरण (De-globalization) और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि** बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मुश्किल बनाती है: उदाहरण के लिए **संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच व्यापार युद्ध।** • **निवारक कूटनीति:** इसका उद्देश्य मौजूदा विवादों को संघर्ष में बदलने से रोकना है। उदाहरण के लिए, **यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE) का संघर्ष निवारण केंद्र।**

• **बहुमत द्वारा अनुचित व्यवहार:** विकसित देश, विकासशील देशों की उच्च सौदेबाजी की क्षमता को बहुमत द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR)[13] के सिद्धांत' की मांग से असहमत हैं।	• **मध्यस्थता और समझौता:** आसियान समूह ने सदस्य देशों के बीच संघर्षों में सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है। उदाहरण के लिए, **2011 में थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद।** • **संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण:** संघर्ष के बाद समाज के पुनर्निर्माण में सहायता करना। उदाहरण के लिए, **पश्चिमी बाल्कन में यूरोपीय संघ की भूमिका।** • **अस्तित्व संबंधी खतरों से निपटना:** उदाहरण के लिए, **यूरोपीय संघ ने यूरोपियन यूनियन नेट-जीरो इंडस्ट्री एक्ट और यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट** लागू किए हैं।

मिनीलैटरल समूहों से भारत को मिलने वाले लाभ

- **सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने,** बहु-ध्रुवीय विश्व की अपनी नीति को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभ प्राप्त होगा।
  - उदाहरण के लिए- **क्वाड साझेदारी।**
- पश्चिमी देशों के हितों को ग्लोबल साउथ के विकासात्मक एजेंडे के साथ एकीकृत करके **ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।**
  - उदाहरण के लिए, **भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) त्रिपक्षीय सहयोग।**
- हिंद-प्रशांत फ्रेमवर्क में **साझा हितों वाले भागीदारों को शामिल** करने से विशिष्ट मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिए- **ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व भारत त्रिपक्षीय गठबंधन** क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी प्रकार, **भारत-ईरान-आर्मेनिया त्रिपक्षीय गुट** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग पर आधारित है।
- जल, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रकों से संबंधित **अंतर्राष्ट्रीय तथा विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में ये समूह सहायक हैं।**
  - उदाहरण के लिए **भारत-फ्रांस-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) त्रिपक्षीय सहयोग।**
- **ये भारत को विविध मंचों/ समूहों का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान** करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत अमेरिकी गठबंधन **QUAD तथा मध्य-पूर्व में I2U2 का भागीदार** देश है।
- इन समूहों के जरिये औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से बाहर स्थानांतरित करके तथा नए गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करके **चीन-केंद्रित एशियाई एकीकरण का पुनर्गठन** करने में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिए **जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका का "चिप 4" सेमीकंडक्टर गठबंधन।**

[13] Common but differentiated responsibilities

निष्कर्ष

भारत को **सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय** के दर्शन के अनुरूप **बहुपक्षवाद के साथ-साथ मिनीलैटरलिज्म** की अवधारणा को भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा, भारत को अल्पावधि में मिनीलैटरल के मार्ग का उपयोग करते हुए **सार्वभौमिक नियम आधारित फ्रेमवर्क** की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय स्तर पर सुधारों पर जोर देते रहना चाहिए।

2.6. ग्रुप ऑफ सेवन (G-7): एक नज़र में {Group of 7 (G7) at a Glance}

ग्रुप ऑफ सेवन (G-7)

G-7 दुनिया के सबसे विकसित **लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है।** इसकी बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। इन बैठकों में सदस्य देश **वैश्विक आर्थिक नीतियों के समन्वय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, जैसे- प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष** आदि के समाधान पर चर्चा करते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में G-7 देशों की 40% हिस्सेदारी है। **वैश्विक आबादी का 1/10वां (10%) हिस्सा G-7** देशों में निवास करता है।

पहलें: बिल्ड बैक बैटर वर्ल्ड (B3W) साझेदारी, वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII), एल' एक्विला फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव (AFSI), आदि।

सदस्य: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस को 1998 में औपचारिक रूप से इस समूह में शामिल करने के बाद इसे 'G-8' कहा जाने लगा था। हालांकि, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर करने के परिणामस्वरूप इसे एक बार फिर से G-7 कहा जाने लगा है।

मौजूदा भू-राजनीति में G-7 का महत्त्व

- **वैश्विक गवर्नेंस में केंद्रीय भूमिका निभाना: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गवर्नेंस:** AI गवर्नेंस के लिए **ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर AI (GAPI)।**
- **टैक्स गवर्नेंस:** G-7 द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की स्थापना 1989 में की गई थी।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रक्षक के रूप में कार्य करना:** उदाहरण के लिए- G-7 कानून के शासन के आधार पर स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत की सख्ती से रक्षा करता है।
- **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकटों एवं विवादों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए एक मंच:** उदाहरण के लिए- **रूस-यूक्रेन युद्ध** आदि।
- **G-7 'लोकतंत्रों का समूह':** लोकतांत्रिक समाजों की रक्षा और इस राजनीतिक केंद्र को इसके नेता **"नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था"** कहते हैं।

G-7 की प्रभावशीलता की सीमाएं

- **G-7 वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने में विफल रहा है:** G-7 का **आर्थिक प्रभुत्व** 1970 के दशक में 60% से घटकर 2023 में 26.4% रह गया है।
- **वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस का फोकस अधिक समावेशी, प्रतिनिधिक** और लोकतांत्रिक गवर्नेंस व्यवस्था की ओर स्थानांतरित हो रहा है। उदाहरण के लिए- G-20
- **देशों के बीच विवाद से G-7 की एकता कमजोर हुई है:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा में आयोजित हुई G-7 बैठक में G-7 जलवायु परिवर्तन घोषणा में शामिल होने से इनकार कर दिया था और अंत में अमेरिका ने किसी भी विज्ञप्ति के लिए समर्थन वापस ले लिया था।

भारत और G-7

G-7 में भागीदारी सदस्य के रूप में भारत की सहभागिता का महत्त्व:

- **G-7 शिखर सम्मेलनों में भारत को बार-बार आमंत्रित** करना वैश्विक मामलों में इसके बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है। **उदाहरण के लिए,** भारत को अब तक 11 बार आमंत्रित किया गया है।
- **भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति इसे G-7 का संभावित भावी सदस्य** बना सकती है।
- **एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप** में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने में चीन का विकल्प बन सकता है।
- भारत के शामिल होने से **G-7 को ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य को बेहतर ढंग से समझने** और उससे जुड़ने में मदद मिलेगी।
- **भारत की G-20 अध्यक्षता उसकी G-7 भागीदारी** को पूरक बनाती है तथा विकसित और विकासशील विश्व के हितों को जोड़ती है।

भारत के लिए G-7 की प्रासंगिकता

- यह एक ऐसा मंच है, जहां भारत ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक पटल पर रख सकता है।
- **लोकतंत्रों के समुदाय में:** ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO), G-7 भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की चिंताओं और एजेंडों को व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करता है।
- **भारत के लिए, G-7 शिखर सम्मेलन का आउटरीच सत्र, विश्व के सामने उसकी अपनी उपलब्धियों और दृष्टिकोण** को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है।
- **G-7 मंच भारत को वैश्विक नेताओं** से मिलने और प्राथमिकताएं तय करने का अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- **अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने** G-7 **को "स्वतंत्र विश्व की संचालन समिति"** के रूप में वर्णित किया है। G-7 को यह संबोधन वैश्विक नीति को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गौरतलब है कि **लोकतंत्रों को जटिल चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर **G-7 का एकीकृत दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी स्थायी प्रासंगिकता और प्रभाव को प्रदर्शित करता है।**

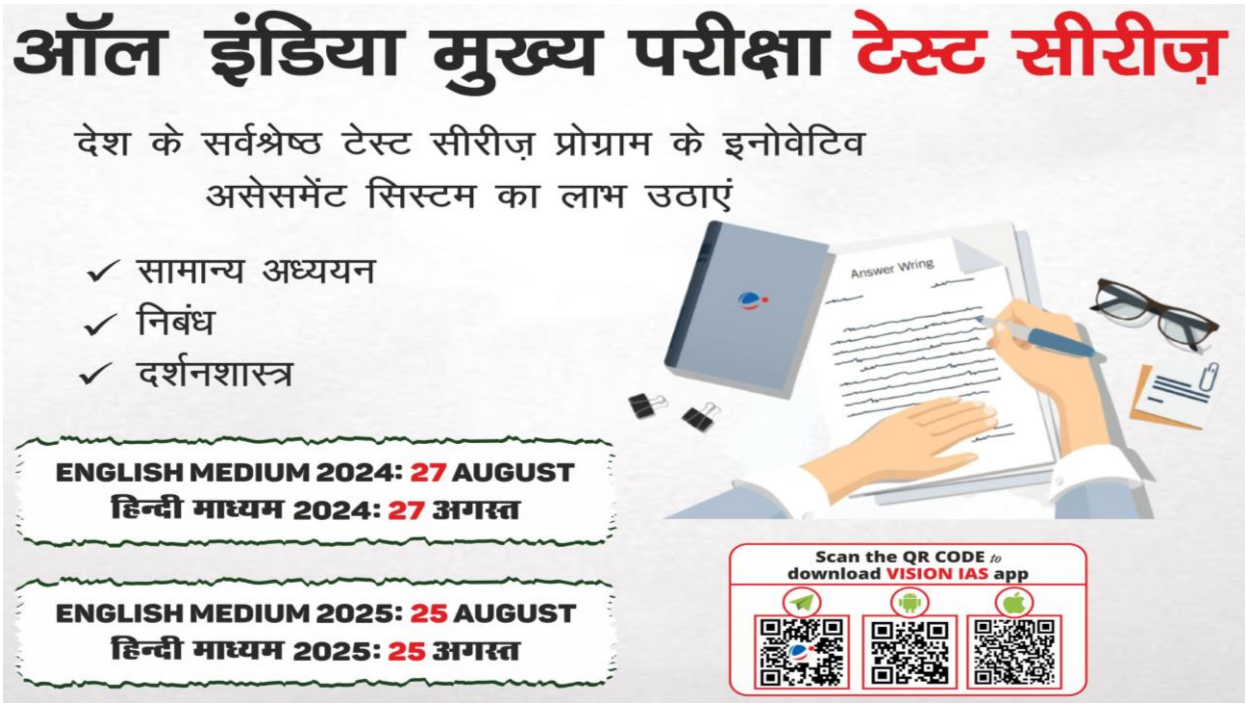

2.7. भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध: एक नज़र में (India-Pacific Islands Nations Relations at a Glance)

भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध

'प्रशांत द्वीपीय देश' **प्रशांत महासागर** में अवस्थित हैं। ये द्वीपीय देश **तीन प्रमुख द्वीप समूहों अर्थात् मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया** का हिस्सा हैं।

हाल ही में, भारत ने प्रशांत द्वीपीय देश **पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता भेजी है। यह फोरम ऑफ इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन (FIPIC) साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

2021-22 में भारत और FIPIC के बीच कुल **571.66 मिलियन डॉलर** का व्यापार हुआ था।

भारत के लिए प्रशांत द्वीपीय देशों का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक:**
  - प्रशांत द्वीपीय देश **भारत की व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।**
  - **भू-सामरिक अवस्थिति:** ये भारत को व्यापक समुद्री रणनीतियों और सैन्य गठबंधनों के लिए संभावित मार्ग प्रदान करते हैं।
- **भारत की आर्थिक क्षमता को मजबूत करते हैं:** प्रशांत द्वीपीय देशों के **विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) ब्लू इकोनॉमी** के संदर्भ में पारस्परिक रूप से लाभकारी भागीदारी के लिए आधार प्रदान करते हैं।
- ये राष्ट्र वैश्विक स्तर पर साझा चिंताओं पर सामूहिक रुख बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता।
- **जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता:** उदाहरण के लिए- इनमें से कुछ राष्ट्र **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल** हो गए हैं।
- **मजबूत प्रवासी उपस्थिति:** फिजी की एक तिहाई से अधिक आबादी भारतीय मूल की है।

भारत की प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भागीदारी?

- **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI, 2019):** यह एक मुक्त व बिना संधि वाली वैश्विक पहल है।
- **अनुदान सहायता और रियायती ऋण:** भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान और वहनीय (Concessional) ऋण प्रदान किए हैं।
- **चुनाव प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद:** उदाहरण के लिए- पापुआ न्यू गिनी को अमिट स्याही (indelible ink) की आपूर्ति
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC):** उदाहरण के लिए- FIPIC में 1000 प्रशिक्षण अवसरों के लिए सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना।
- **भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष (2017):** इसे अल्प विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ सहयोग में चुनौतियां

- **चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति** इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव के लिए चुनौती बन गई है। उदाहरण के लिए- **2022 में चीन ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।**
- **भारत की घरेलू निवेश की आवश्यकता** इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान करने और गहन वैश्विक संलग्नता की क्षमता को सीमित कर सकती है।
- भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच **भौगोलिक दूरी बहुत अधिक है।**
- **बढ़ती सुभेद्यता:** इन देशों को प्राकृतिक आपदाओं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों आदि के कारण तटीय और वाणिज्यिक केंद्रों की सुभेद्यता के मामले में असमान प्रभाव का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **जलवायु अनुकूल परियोजनाओं पर सहयोग।**
- भारत **अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती (पायरेसी) और समुद्री प्रदूषण जैसे मुद्दों** पर सहयोग कर सकता है।
- अवसंरचनाओं एवं सतत विकास में **रणनीतिक संसाधन आवंटन।**
- **लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ होंगे।** इससे दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण होगा।
- भारत सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, विलवणीकरण और डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे क्षेत्रकों में **मांग-आधारित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।**

2.8. पश्चिमी हिंद महासागर (Western Indian Ocean: WIO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पश्चिमी हिंद महासागर **संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत हिंद-प्रशांत सहयोग** के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

पश्चिमी हिंद महासागरक्षेत्र (WIOR)[14] के बारे में

- यह **अफ्रीका के पूर्वी तटों से लेकर भारत के पश्चिमी तटों** तक फैला हुआ है।
- इसमें **केन्या, मोजाम्बिक, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया** (पूर्वी अफ्रीकी तटीय देश); **कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस एवं सेशेल्स** (द्वीपीय देश) तथा **फ्रांसीसी क्षेत्र** (मायोटे व रीयूनियन) शामिल हैं।

पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र का महत्त्व

- **व्यापार और परिवहन:** पश्चिमी हिंद महासागर में प्रमुख व्यापार मार्ग और चोक पॉइंट अवस्थित हैं। जैसे- **केप ऑफ गुड होप, मोजांबिक चैनल** आदि।
  - उदाहरण के लिए- वैश्विक तेल व्यापार का लगभग **30 प्रतिशत हिस्सा मोजांबिक चैनल** से गुजरता है।

[14] Western Indian Ocean Region

- **हिंद-प्रशांत सहयोग के लिए महत्वपूर्ण:** इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) के माध्यम से रियल टाइम सूचना का आदान-प्रदान करना।
- **महासागरीय परिसंपत्तियां:** यह क्षेत्र **अपतटीय तेल और गैस भंडार तथा मात्स्यिकी** जैसी आर्थिक संभावनाएं प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिए- "**सकल समुद्री उत्पाद** प्रतिवर्ष **20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होने की संभावना है।
- **भारत के लिए पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र का महत्त्व**
  - **रणनीतिक अवस्थिति:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक अवस्थिति हिंद-प्रशांत और मध्य पूर्व के बीच की दूरी को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** (IMEEC)[15]।
  - **चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना:** इस क्षेत्र में चीन की अत्यधिक सक्रियता को प्रतिसंतुलित करके। उदाहरण के लिए- भारत ने **मेडागास्कर में एक सैन्य अड्डा** स्थापित किया है।
  - **ब्लू इकोनॉमी:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के विशाल प्राकृतिक संसाधन **भारत के डीप ओशन मिशन और ब्लू इकोनॉमी 2.0 पहल** की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र **स्वेज नहर** जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह कनेक्टिविटी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
    - वैश्विक ऊर्जा व्यापार का **90 प्रतिशत हिस्सा** हिंद महासागर से (मुख्यतः स्वेज नहर के माध्यम से) होता है।
  - **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की संलग्नता एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की छवि और प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियां

- **उभरते समुद्री खतरे:** जैसे समुद्री डकैती (पायरेसी), विदेशी पादप प्रजातियों और जीवों की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी, अनधिकृत मत्स्यन, मानव तस्करी आदि। उदाहरण के लिए- हाल ही में, **सोमालिया के तट पर** समुद्री डकैतों के हमलों में वृद्धि हुई है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। जैसे- समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, समुद्री जल का अम्लीकरण और चरम मौसमी घटनाएं।
- **चीन की ऋण जाल कूटनीति:** चीन की ऋण जाल कूटनीति ने **केन्या** जैसी पूर्वी अफ्रीका की कई नाजुक अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष डिफ़ॉल्ट का बढ़ता जोखिम उत्पन्न कर दिया है।
- **सैन्यीकरण:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की उपस्थिति **क्षेत्रीय स्थिरता** को कमजोर कर सकती है, तनाव को बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए- **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के क्रमशः डिएगो गार्सिया एवं जिबूती** में सैन्य अड्डे हैं।

भारत-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र संलग्नता

- **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR/ सागर) मिशन:** मिशन सागर के तहत, भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को **कोविड-19 से संबंधित सहायता** प्रदान की है। इसमें **खाद्य सहायता, दवाएं** आदि शामिल हैं।
- **क्षमता निर्माण:** भारत, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के तटरक्षक बलों और नौसेनाओं को **प्रशिक्षण एवं उपकरण** प्रदान करता है। उदाहरण के लिए- **मॉरीशस में तैनात भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण दल मॉरीशस की पुलिस** को प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** उदाहरण के लिए, **अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (AFINDEX-19)**।
- **ऑपरेशन संकल्प:** भारतीय नौसेना ने **अदन की खाड़ी और आस-पास के क्षेत्रों तथा अरब सागर एवं सोमालिया के पूर्वी तट जैसे क्षेत्रों** में समुद्री सुरक्षा अभियान चलाए हैं।
- **इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR):** यह हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए एक प्रमुख केंद्र है।
- **साझे बहुपक्षीय मंचों में सदस्यता:** उदाहरण के लिए- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)[16] आदि।

[15] India-Middle East-Europe Economic Corridor

[16] Indian Ocean Naval Symposium

निष्कर्ष

पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र तेजी से भू-राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण जैसे उपायों की आवश्यकता है। इसके अलावा, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर आगे भविष्य में संयुक्त शोध किया जा सकता है और अनुकूलन रणनीतियां विकसित की जा सकती हैं। भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत कर सकता है।

2.9. भारत-जापान संबंध: एक नज़र में (India-Japan Relations at a Glance)

भारत-जापान संबंध

भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों ने **इटली के अपुलिया में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की।**

वर्ष 2024 को **भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के 10वें वर्ष के रूप** में मनाया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच **21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

- **साझा सामरिक हित:** जापान की **'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (FOIP) रणनीति और भारत की हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI)।**
- **रणनीतिक कनेक्टिविटी:** भारत की **"एक्ट ईस्ट"** और जापान की **"गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना हेतु साझेदारी"** नीति के माध्यम से **दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना।**
  - **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) का लक्ष्य पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को अफ्रीका के करीब लाना है।**
- **रक्षा संबंध: 2+2 वार्ता, ऐक्वज़िशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA)।** उदाहरण- **सैन्य अभ्यास: धर्म** गार्डियन, शिन्यू मैत्री, जिमेक्स (JIMEX) आदि।
- **ऊर्जा सहयोग:** उदाहरण के लिए, 2022 में **भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (CEP), परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत-जापान समझौता (2017)।**
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन में सहयोग:** उदाहरण के लिए, इसरो और JAXA एक संयुक्त **लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (LUPEX)** पर काम कर रहे हैं।

भारत-जापान संबंधों में चुनौतियां

- **द्विपक्षीय व्यापार:** CEPA (2011) के बावजूद कम व्यापार।
- **रणनीतिक भिन्नताएं: चीन से निपटने में अलग-अलग दृष्टिकोण, रूस-यूक्रेन युद्ध पर रुख** (जापान, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल हो गया है)।
- **भारत ने 2019 में हुए G-20 शिखर सम्मेलन में जापान द्वारा सुझाए गए 'ओसाका ट्रैक' का बहिष्कार किया था।**
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी:** उदाहरण के लिए- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर।**

दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **व्यापार और निवेश में तेजी लाने** के लिए CEPA के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, उत्पत्ति के नियमों (Rules of origin) पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- **रक्षा सहयोग में वृद्धि करना:** सह-उत्पादन और सह-विकास।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण:** इससे **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौपरिवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत** बनाया जा सकता है।
- आधुनिक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी जैसे **नए एवं उभरते क्षेत्रकों में सहयोग को गहरा** करना चाहिए।

- दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदारी का उपयोग करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। साथ ही, सकारात्मक विकास को **'लाभ और समृद्धि के प्रतीक'** में परिवर्तित करना चाहिए, जिसमें एशिया में विकास, समृद्धि, स्थिरता और घनिष्ठ एकीकरण शामिल हो।

2.10. भारत-यूरेशिया संबंध: एक नज़र में (India-Eurasia Relations at a Glance)

भारत-यूरेशिया संबंध

- **यूरेशिया:** यह यूरोप और एशिया महाद्वीपों का एक संयुक्त भूभाग है। यह शब्द कभी-कभी विवादित सीमाओं वाले राजनीतिक क्षेत्र को भी संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए- यूक्रेन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, आदि। यूरेशिया की कोई एक परिभाषा नहीं है।

यूरेशिया क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति को उजागर करने वाले कारक

- **संघर्षों का केंद्र:** उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष।
- **बढ़ता चीनी प्रभाव:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार मध्य एशिया और रूस तक है। साथ ही, यूरेशिया में भी चीन के प्रभाव को काफी मजबूत किया है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की बदलती रणनीतिक प्राथमिकताएं:** उदाहरण के लिए, मध्य-पूर्व की बजाय यूरेशिया और हिंद-प्रशांत पर ध्यान केंद्रित करना।

भारत का पूर्वी यूरोप के बारे में रुख या इन देशों से संबंध

- भारत ने यूक्रेन, पोलैंड और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है। भारत का यह कदम इस क्षेत्र में यूरोप के शांति प्रयासों के अनुरूप है।
  - **भारत और पोलैंड** ने अपने संबंधों को बढ़ाकर **रणनीतिक साझेदारी** के स्तर तक पहुंचाया है।
- **भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन:** भारतीय प्रधान मंत्री की यूक्रेन यात्रा से पता चलता है कि यूक्रेन के बारे में भारत का दृष्टिकोण रूस से स्वतंत्र है **(रूस और यूक्रेन संबंधों को अलग-अलग यानी डी- हायफनेट करने का भारत का प्रयास)।**
- **यूक्रेन-रूस संघर्ष पर भारत का रुख:** "भारत तटस्थ नहीं है, हमने शांति का पक्ष चुना है"- भारतीय प्रधान मंत्री।

भारत के लिए उभरते यूरेशियाई परिदृश्य में क्या चुनौतियां हैं?

- INSTC, IMEC जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर **धीमी प्रगति है।**
- **चीन से खतरा:** उदाहरण के लिए- बेल्ट एंड रोड पहल।
- **भारत-रूस संबंधों में चुनौतियां:** उदाहरण के लिए- रूस की चीन के साथ बढ़ती निकटता।
- **अलग-अलग हितों को प्रबंधित करते हुए भारत की स्वायत्तता सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए- समुद्री (जैसे क्वाड) और महाद्वीपीय (जैसे, शंघाई सहयोग संगठन) गठबंधनों दोनों के साथ तालमेल बिठाना।

यूरेशिया क्षेत्र में भारत के लिए अवसर

- **यूरेशियन एनर्जी ग्रिड** का निर्माण, जैसे- **ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव (GGI)।**
- गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को कम करना, जैसे- खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा।
- **आर्कटिक क्षेत्र** में सहयोग और **अफगानिस्तान** में शांति स्थापना।
- **रूस-यूक्रेन के बीच शांति लाने का प्रयास:** जैसे, यूक्रेन के प्रधान मंत्री ने अगले शांति शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत को एक उपयुक्त स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है।
- भारत-ग्रीस के बीच घनिष्ठ संबंधों से **IMEC कॉरिडोर** के शीघ्र पूरा होने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** भारत को **रूस के ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर और नॉर्थ-ईस्ट पैसेज** में शामिल होने पर विचार करना चाहिए।
- **भारत की यूरेशियाई रणनीति के केंद्र में मध्य एशिया:** भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन को द्विवार्षिक की बजाय भारत-आसियान शिखर सम्मेलन की तरह प्रतिवर्ष आयोजित किया जा सकता है।
- **विविध नीतियों में संतुलन:** भारत को अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को अपनी एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक रणनीति के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। ब्रिक्स, SCO और RIC (रूस-भारत-चीन) का एक महत्वपूर्ण सदस्य होना।

2.11. अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून: एक नज़र में (International Humanitarian Law at a Glance)

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून

- इस साल (2024) **जिनेवा कन्वेंशन (1949) के 75 साल पूरे** हो गए। ध्यातव्य है कि जिनेवा कन्वेंशन में ही **अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) की आधारशिला** रखी गई थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून** को युद्ध के कानून या सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में भी जाना जाता है। यह नियमों का एक सेट है, जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने और उन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए मानवीय कारणों की तलाश करता है, जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं या अब तक उसमें शामिल नहीं हुए हैं।

IHL से संबंधित अन्य संधियों में निम्नलिखित शामिल हैं

सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए **हेग कन्वेंशन, 1954**	**जैविक हथियार कन्वेंशन, 1972**	**रासायनिक हथियार कन्वेंशन, 1993**	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए **रोम संविधि, 1998**

IHL के महत्वपूर्ण सिद्धांत

- **विभेद का सिद्धांत:** यह नागरिकों और नागरिक संपत्ति (मकान, स्कूल, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, सांस्कृतिक संपत्ति) पर प्रत्यक्ष हमले को प्रतिबंधित करता है। यह सैनिकों/ लड़ाकों और सैन्य उद्देश्यों तथा नागरिकों के बीच भेद करता है।
- **आनुपातिकता का सिद्धांत:** पक्षकारों को आकस्मिक नुकसान का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जो सीधे हमले और अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण हो सकता है, बशर्ते कि वह उचित रूप से पूर्वानुमानित हो।
- **पूर्वोपाय का सिद्धांत (Principle of precaution):** यह सभी मिलिट्री ऑपरेशन के संचालन में नागरिक आबादी, नागरिकों और नागरिक ऑब्जेक्ट्स की रक्षा करने हेतु सशस्त्र संघर्ष में शामिल पक्षकारों पर सतत देखभाल करने की जिम्मेदारी आरोपित करता है।

IHL के प्रभावी प्रवर्तन में चुनौतियां

- **राज्य हित बनाम मानवतावाद संबंधी चिंताएं:** राज्य अक्सर मानवतावादी दायित्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं।
- **गैर-राज्य अभिकर्ता (Non-State Actors):** गैर-राज्य सशस्त्र समूहों का उदय: ये समूह अक्सर IHL को मान्यता नहीं देते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे: राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार को सीमित** कर सकता है। उदाहरण के लिए- म्यांमार में रोहिंग्या संघर्ष।
- **प्रभावी प्रवर्तन तंत्र का अभाव और वैश्विक गवर्नेंस के साथ समस्याएं: उदाहरण के लिए,** सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान होने वाले युद्ध अपराधों का समाधान निकालने के उद्देश्य से कई संकल्प लाए गए थे। इन संकल्पों को अवरुद्ध करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में रूस और चीन ने बार-बार अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था।
- **तकनीकी:** घातक ऑटोनोमस ड्रोन जैसी स्वचालित हथियार प्रणाली का उपयोग।

आगे की राह

- **वैश्विक गवर्नेंस:**
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार:** बड़े पैमाने पर वीटो शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए, जैसा कि हाल ही में G-4 राष्ट्रों द्वारा मांग की गई है।
  - **क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका में वृद्धि:** IHL को लागू करने में क्षेत्रीय संगठनों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **राजनीतिक:**
  - **राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों को मजबूत करना:** इससे राष्ट्रीय स्तर पर IHL के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा।
  - **गैर-राज्य अभिकर्ताओं** द्वारा मानवतावादी मानदंडों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के लिए **'औपचारिक मानवतावादी प्रतिबद्धता' (Deeds of Commitment)' पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।**
  - **शांति समझौतों में IHL अनुपालन को अनिवार्य बनाना।**
- **तकनीकी अनुकूलन:**
  - साइबर युद्ध में IHL को लागू करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश।

2.12. ऊर्जा कूटनीति (Energy Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का नष्ट होना तथा लाल सागर में तेल के टैंकरों और जहाजों पर होने वाले हमले, भारत की ऊर्जा कूटनीति में विस्तार तथा उसकी ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

ऊर्जा कूटनीति क्या हैं?

- यह कूटनीति का ही एक भाग है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोकार्बन समृद्ध देशों और ऊर्जा संबंधी मुद्दों से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ऊर्जा संबंधों को बनाए रखना तथा उन्हें बढ़ावा देना है, ताकि किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
  - वर्तमान में, इसका संप्रभु राष्ट्रों के बीच **अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अक्षय ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए एक साधन** के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** के अनुसार, **ऊर्जा सुरक्षा** को किफायती दर पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है।

नॉर्ड स्ट्रीम (Nord Stream)

- इसमें अपतटीय पाइपलाइनों (नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2) का एक नेटवर्क शामिल है। इसके जरिए **रूस से उत्तरी जर्मनी (बाल्टिक सागर)** तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है।
- ये पाइपलाइन्स रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी के क्षेत्रीय जल और/या अनन्य आर्थिक क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं।

नॉर्ड स्ट्रीम का नष्ट होना और यूरोपीय संघ पर इसके प्रभाव

यूरोपीय संघ पर

- **रूसी गैस** पर निर्भरता में कमी;
- यूरोपीय संघ द्वारा अपने भागीदारों (जैसे- उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र आदि) के साथ **सक्रिय भागीदारी और ऊर्जा वार्ता;**
- यूरोप के लिए महत्वपूर्ण **वित्तीय लागत** आदि।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम** ने नॉर्ड स्ट्रीम-2 की आलोचना करते हुए कहा है कि **"यह एक रूसी भू-राजनीतिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर करना है।"**

रूस पर प्रभाव

- यूरोपीय बाजार की हानि के कारण **राजस्व में गिरावट;**
- रूसी संयुक्त उद्यमों से **प्रमुख यूरोपीय ऊर्जा कंपनियों (जैसे BP, शेल, इक्विनॉर आदि) का बाहर निकलना;**
- एक आशाजनक विकल्प के रूप में **नए बाजारों (जैसे- एशिया प्रशांत) की खोज** इत्यादि।

भारत की ऊर्जा कूटनीति की स्थिति

- **पड़ोसी देशों की पावर ग्रिड्स के साथ क्षेत्रीय पावर ग्रिड का एकीकरण:** उदाहरण के लिए- **नेपाल, भूटान और बांग्लादेश** के साथ सीमा-पार विद्युत व्यापार।
- **तेल और गैस कूटनीति:** भारत ने **संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब** जैसे देशों के साथ सामरिक तेल भंडार समझौते किए हैं।
  - मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार **भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों** जैसे- ONGC विदेश लिमिटेड, IOCL, GAIL आदि के पास 22 देशों में 48 परिसंपत्तियां हैं। इनका कुल निवेश लगभग 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के जरिए जलवायु परिवर्तन कूटनीति को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- भारत ने वैश्विक सौर ग्रिड के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) पहल के तहत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल** शुरू की है।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम** जैसे देश **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** के तहत भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- **परमाणु ऊर्जा साझेदारी:** भारत **रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फ्रांस और कनाडा से यूरेनियम ईंधन का आयात** करता है। साथ ही, भारत ने **भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते, भारत-जापान असैन्य परमाणु समझौते** जैसे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) जैसे **बहुपक्षीय समूहों के साथ सहभागिता** की जा रही है।

भारत की ऊर्जा कूटनीति से जुड़ी चिंताएं

IEA ने ऊर्जा कूटनीति में मौजूद कुछ प्रमुख घटकों की पहचान की है, जिनमें मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और बाह्य खतरों से सुरक्षा के लिए ऊर्जा प्रणालियों की मजबूती, संप्रभुता और लचीलापन सुनिश्चित करना शामिल है। **भारत की ऊर्जा कूटनीति से संबंधित कुछ प्रमुख चिंताएं इस प्रकार हैं:**

- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता: वित्त वर्ष 2020-21** में भारत द्वारा कच्चे तेल की कुल खपत का **84.4%** हिस्सा आयात पर निर्भर था। **वित्त वर्ष 2021-22** में यह **85.5%** रहा था। **वित्त वर्ष 2022-23** में यह बढ़कर रिकॉर्ड **87.3%** हो गया था। इससे भारत का ऊर्जा बाजार वैश्विक मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बन जाता है।
- **जटिल भू-राजनीति:** इसमें परस्पर विरोधी हितों वाले ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं और रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को संतुलित करना तथा उन्हें प्रबंधित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल के आयात में कटौती करनी पड़ी थी।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** भारत के ऊर्जा आपूर्ति प्रबंधन में ऊर्जा भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए अपर्याप्त घरेलू अवसंरचना के कारण बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, उच्च पारेषण और वितरण (T&D) हानि।
- **एनर्जी ट्रांजीशन और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताएं:** भारत को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की उच्च वित्त-पोषण लागत, बाजार की कमी आदि के कारण ऊर्जा की बढ़ती मांग एवं पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - इसके अलावा, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक (जैसे- सौर उद्योग) **चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।**
- **चीन के साथ प्रतिस्पर्धा:** विशेष रूप से अफ्रीका और मध्य एशिया क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों के मामले में चीन के साथ भारत की प्रतिस्पर्धा, महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसंपत्तियों तक इसकी पहुंच को सीमित कर सकती है।

आगे की राह

- **आयात के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना:** भारत को अपने **एनर्जी मिक्स** में विविधता लानी चाहिए। इसके लिए भारत को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए-
  - नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा में निवेश करना;
  - किसी एक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता को कम करना;

- नए प्राकृतिक गैस और तेल स्रोतों की खोज करना आदि।

- **विदेश नीति में ऊर्जा कूटनीति का एकीकरण:** प्रमुख देशों, क्षेत्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने से भारत को विश्वसनीय एवं दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति हासिल करने में मदद मिलेगी।
- **ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करना:** कुशल ऊर्जा वितरण, आपूर्ति में व्यवधानों में कमी और कीमतों में अस्थिरता के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए; विद्युत ग्रिड्स, पाइपलाइनों, बंदरगाहों और LNG टर्मिनलों में निवेश करना चाहिए।
- **पहुंच बढ़ाना:** दीर्घकालिक जलवायु तटस्थता हासिल करने संबंधी लक्ष्यों को कम किए बिना मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आवश्यक अवसंरचना में निवेश करने तथा कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय उत्पादकों और बड़े उपभोक्ताओं के साथ संपर्क एवं उन तक पहुंच बढ़ानी चाहिए।
- **तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना:** नई सुरक्षा संबंधी और भू-राजनीतिक चुनौतियों का अनुमान लगाने के लिए दूरदर्शिता संबंधी क्षमताओं को मजबूत बनाना चाहिए।

2.13. अंतरिक्ष कूटनीति (Space Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेपाल के 'मुनाल सैटेलाइट' के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता देने हेतु भारत और नेपाल ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत और नेपाल के बीच यह समझौता **अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका** को दर्शाता है।
- मुनाल सैटेलाइट नेपाल में बनाया गया **एक स्वदेशी उपग्रह** है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व (Vegetation density) का डेटाबेस तैयार करना है।
- इस सैटेलाइट को **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** के **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** से लॉन्च किया जाएगा।

अंतरिक्ष कूटनीति के बारे में:

- इसका उद्देश्य देश की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
- **भारत के लिए अंतरिक्ष कूटनीति का महत्त्व**
  - **ग्लोबल साउथ का सहयोग:** भारत **अंतरिक्ष में खोज** के लिए संसाधनों के निर्माण और साझा अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर आम सहमति बनाने में अधिक निवेश कर रहा है। इसका एक उदाहरण है- **दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना।**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- **भारत और अमेरिका ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस** पर समझौता किया है। इसके तहत भारत अपने स्पेस एसेट्स पर खतरों को कम करने के लिए अमेरिकी रडार और सेंसर नेटवर्क का उपयोग कर सकता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण:** इसके जरिए बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **यूनिस्पेस नैनोसैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो** यानी **उन्नति (UNNATI) पहल** के तहत विदेशी इंजीनियरों/ वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है।
  - **संघर्ष मुक्त अंतरिक्ष:** भारत ने आउटर स्पेस का शांतिपूर्ण उद्देश्यों से उपयोग करने और इसे संघर्ष से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **चुनौतियां:**
  - अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की कमी है,
  - डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन की संख्या कम है,
  - बहुपक्षीय अंतरिक्ष साझेदारी का अभाव है, आदि।

निष्कर्ष

बदलती दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी अन्य देशों के साथ संबंधों को दिशा दे रही है, वहीं अंतरिक्ष कूटनीति संबंधों एवं स्वायत्तता को और मजबूत करने के लिए एक नवीन अवसर प्रदान कर सकती है।

2.14. अपडेट्स (Updates)

2.14.1. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने जुलाई 2024 में **22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन** के लिए आधिकारिक तौर पर रूस की यात्रा की।

शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर एक नज़र

- **व्यापार और आर्थिक साझेदारी:** आर्थिक क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करते हुए **'स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी'** पर बल दिया गया।
  - **2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - **राष्ट्रीय मुद्राओं** का उपयोग करके द्विपक्षीय लेन-देन निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
  - **2024-2029** तक की अवधि के लिए **रूसी सुदूर पूर्व** में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में **भारत-रूस सहयोग कार्यक्रम** समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, **रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग सिद्धांतों से संबंधित समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- **सैन्य सहयोग:** मेक इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी सैन्य हथियारों और रक्षा उपकरणों के रख-रखाव के लिए **स्पेयर पार्ट्स एवं कंपोनेंट के भारत में संयुक्त विनिर्माण को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त** की गई।
- **यूक्रेन मुद्दे पर:** यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों देशों से **वार्ता और कूटनीति के माध्यम** से समाधान निकालने पर बल दिया गया।
- भारत **कज़ान और येकातेरिनबर्ग में दो नए वाणिज्य दूतावास** खोलेगा।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास (Labour, Employment and Skill Development)

3.1.1. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (2023): श्रम बल में महिलाएं (Nobel Prize in Economics: Women in Labour Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार 2023" **क्लाउडिया गोल्डिन** को देने की घोषणा की गई। गोल्डिन को यह पुरस्कार **"श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने"** के लिए दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पिछली सदी में, उच्च आय वाले कई देशों में वैतनिक कार्यों में महिलाओं का अनुपात बढ़कर तीन गुना हो गया। यह आधुनिक समय में श्रम बाजार में हुए **सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों में से एक** है। हालांकि, लैंगिक स्तर पर असमानता की समस्या अभी भी मौजूद है।
- **क्लाउडिया गोल्डिन** के शोध ने हमें श्रम बाजार में महिलाओं की **ऐतिहासिक और समकालीन भूमिकाओं** के बारे में नई और कई जगह आश्चर्यजनक समझ प्रदान की है।

लैंगिक असमानता की स्थिति

- **वैश्विक स्थिति:** विश्व स्तर पर, **लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं वैतनिक रोजगार** में हैं, जबकि पुरुषों के मामले में यही अनुपात 80 प्रतिशत है।
  - दक्षिण एशिया में, केवल लगभग 25% महिलाएं ही श्रम बाजार का हिस्सा हैं।
- **भारत में स्थिति:** भारत में, 2022 के लिए महिलाओं की **श्रम बल भागीदारी दर 24%** और **पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर 73.6%** थी।
- **U-आकार का संबंध:** विकास और महिला श्रम बल भागीदारी के बीच U-आकार का संबंध है। यहां विकास से आशय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से है। इसे निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है:
  - निम्न आय वाले देशों में **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक** (कृषि में अधिक हिस्सेदारी) होती है, **मध्यम आय वाले देशों में भागीदारी कम हो जाती है,** और **उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी फिर अधिक** हो जाती है।
- **आय में अंतर:** जब महिलाएं काम करती हैं, तो वे आमतौर पर **कम कमाती** हैं। भारत में, **स्व-रोजगार से जुड़े कार्यबल में महिलाओं एवं पुरुषों में आय का अंतर** बहुत अधिक है।
- **अवसर:** महिलाओं के **औपचारिक रोजगार में कार्य करने की संभावना कम** होती है। उनके पास व्यवसाय का विस्तार करने या करियर में प्रगति का अवसर भी कम होता है।

महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

- **U-आकार का कर्व:** पहले, यह मान लिया गया था कि "आर्थिक संवृद्धि और वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या" के बीच एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध है।
  - गोल्डिन के U-आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया कि **श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक संवृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है।**

- **सामाजिक मानदंड:** कानून या रीति-रिवाज जिन्हें **"विवाह के बाद प्रतिबंध (Marriage bars)"** के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने से रोकते हैं।
  - इसके अलावा, महिलाएं अक्सर **विवाह के बाद लंबे समय के लिए रोजगार छोड़** देती हैं।
- **तकनीकी नवाचार:** गर्भनिरोधक दवाओं का सेवन बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिलाएं भी बच्चों के जन्म में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। **इसके चलते उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि हुई है।**
  - हालांकि, इसका **यह मतलब कतई नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच आय का अंतर पूरी तरह समाप्त हो गया है।** हाँ, इतना जरूर है कि 1970 के दशक के बाद से आय का अंतर काफी कम हो गया है।
- **पेरेंटहुड प्रभाव:** बच्चों की देखभाल (केयर इकोनॉमी) में **पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती** हैं। इससे उनके करियर में प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह- कार्यबल में लैंगिक असमानता को कम करना

- **मूल्यांकन:** जो नीति निर्माता इन असमानताओं को दूर करना चाहते हैं, उन्हें पहले यह समझना होगा कि ये क्यों मौजूद हैं।
- **निवेश:** महिलाओं को सूचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच प्रदान करने के उपायों में निवेश करने से लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलती है।
  - ब्राजील ने कोरोना महामारी की शुरुआत में "आपातकालीन सहायता नकद अंतरण कार्यक्रम" शुरू किया था। इसके तहत महिला प्रधान परिवारों को दोगुना लाभ दिया गया। इससे गरीबी दर में गिरावट आयी है।
- **अनुकूल वातावरण:** संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए कर प्रणाली, सार्वजनिक व्यय, वित्तीय अवसंरचना और विनियमों के साथ-साथ श्रम बाजारों में सुधार करने की आवश्यकता है।
  - नॉर्वे में, सार्वभौमिक बाल देखभाल सेवा के विस्तार से माताओं के रोजगार करने की संभावना में 32% तक की बढ़ोतरी हुई है।
- **पूर्वाग्रहों और सामाजिक मानदंडों से निपटना:** कम उम्र में विवाह को हतोत्साहित करने, घरेलू हिंसा को अपराध घोषित करने और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि जैसे सामाजिक और कानूनी उपायों से ऐसे नुकसान को कम किया जा सकता है।
- **सूक्ष्म-वित्त तक पहुंच:** इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (IGC) नामक एक परियोजना में पाया गया है कि भारत में सूक्ष्म-वित्त ऋणों की अधिक पहुंच से महिला श्रम बल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वेतन भोगी रोजगार के बजाय स्वरोजगार की वजह से हुई है।

3.1.2. विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना (Bridging Global Workforce Gaps)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने **"इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2030"** नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अगले दशक में वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग 24.3% भारत से होगा।

वैश्विक श्रम बाजार की स्थिति	भारत के जनसांख्यिकीय लाभ
• **कामकाजी उम्र की जनसंख्या में कमी:** उच्च आय वाले कई देशों में **जन्म दर में गिरावट** के कारण तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव देखा जा रहा है। ○ 2050 तक, इन देशों में कामकाजी उम्र की आबादी में **92 मिलियन से अधिक की कमी** हो सकती है। • **वृद्ध होती आबादी: उच्च आय वाले कई देशों** में बुजुर्ग व्यक्तियों (65 और इससे अधिक उम्र के व्यक्ति) की आबादी में 100 मिलियन से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। • **वैश्वीकृत रोजगार बाजार:** डिजिटल सिस्टम के उपयोग में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा दूर-दूर रहकर लोग सहकर्मी या टीमवर्क के रूप में कार्य रहे	• **कामकाजी आबादी:** वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है। इनमें से लगभग 65% लोग कामकाजी आयु वर्ग (15-64 वर्ष) के हैं और 27% से अधिक लोग 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। • **कौशल में कमी की समस्या को दूर करना:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)[17] की 'ग्लोबल स्किल गैप स्टडी' से पता चलता है कि दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रकों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है। • **दोहरा लाभ:** भारत में सरप्लस वर्कफोर्स के दो लाभ हैं। युवा आबादी वाला देश (औसत आयु 28.4 वर्ष) होने के कारण भारत को न केवल वर्कफोर्स के मामले में प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ मिलता है, बल्कि युवा

[17] National Skill Development Corporation

हैं। इससे **प्रतिभा मूल्य श्रृंखलाओं (टैलेंट वैल्यू चेन) को अधिक वैश्विक** बनाने में मदद मिली है।

- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव:** भू-राजनीतिक परिस्थितियों, व्यापार प्रतिबंध एवं फ्रेंडशोरिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव एवं परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसने जॉब मार्केट और उससे जुड़े हुए पारिश्रमिकों में बदलाव को प्रभावित किया है।

आबादी की उपभोग शक्ति का आर्थिक लाभ उठाने का अवसर भी मिलता है।

- **पिछली सफलताओं के उदाहरण:** सूचना-प्रौद्योगिकी (IT) एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता इस बात का अच्छा उदाहरण है कि भारत ने अपने जनसांख्यिकीय लाभ का किस प्रकार लाभ उठाया है।

श्रम गतिशीलता के प्रभाव

- **वैश्विक उत्पादकता में वृद्धि:** श्रम गतिशीलता यानी लेबर मोबिलिटी भविष्य के प्रवासियों को जरूरतमंद नियोक्ताओं से जोड़ सकती है। इससे वैश्विक समानता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- **गरीबी उन्मूलन:** अमीर देशों में जाने वाले श्रमिक **अपनी आय में 6 से 15 गुना वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं,** जिससे गरीबी में काफी कमी आएगी।
- **सामाजिक कल्याण:** वर्ष 2022 में, भारत को **रेमिटेंस के रूप में 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि** प्राप्त हुई। इस तरह भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करने का आंकड़ा पार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया।
  - **उदारीकृत विप्रेषण योजना:** यह योजना **2004 में शुरू** की गई थी। इसके तहत नाबालिगों सहित सभी देशवासियों को किसी भी अनुमेय चालू खाता या पूंजी खाता या दोनों खातों में लेन-देन के लिए प्रति वित्त वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से विदेश भेजने (विप्रेषण) की अनुमति दी गई है।
- **ब्रेन ड्रेन:** बड़े पैमाने पर श्रमिकों के बाहर प्रवास कर जाने से **भारत के कौशल विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता** है **और प्रतिभा पलायन** (ब्रेन ड्रेन) की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवा और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभ के उपयोग के लिए उठाए गए कदम

- **कौशल विकास:** केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने **कुशल कार्यबल की कमी की समस्या से निपटने के लिए** कौशल प्रशिक्षण हेतु कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे- स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि।
- **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'** स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने और कम उम्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- **प्रवासन समझौते:** भारत ने इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे अलग-अलग देशों के साथ प्रवासन और कौशल प्रशिक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगे की राह

- **विश्व में श्रम की मांग को समझना:** भारत रणनीतिक रूप से अपने सरप्लस वर्कफोर्स को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मांगों के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है। इससे द्विपक्षीय आर्थिक विकास और एकीकरण सुनिश्चित हो सकेगा।

- **कौशल विकास:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए **कौशल विकास से संबंधित पहलों में निवेश** करना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रकों के लिए जिनमें उच्च आय वाले देशों में कार्यबल की कमी है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते: आव्रजन यानी इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे-** आव्रजन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रवास के अवसरों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और प्रवासियों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना आदि।
- **लागत कम करना: प्रवासी कार्यबल के प्रवासन की लागत को कम करना चाहिए** और भारतीय श्रम बाजार में वापस लौटने वाले कार्यबल के लिए आसानी से श्रम बाजार में रोजगार सुनिश्चित कराना चाहिए।
- **महिला सशक्तीकरण:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार, कार्यबल में अधिक-से-अधिक महिलाओं को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि 2022 में कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 24% ही थी।

3.1.3. गिग इकॉनमी (Gig Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने '**कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक' का मसौदा** जारी किया।

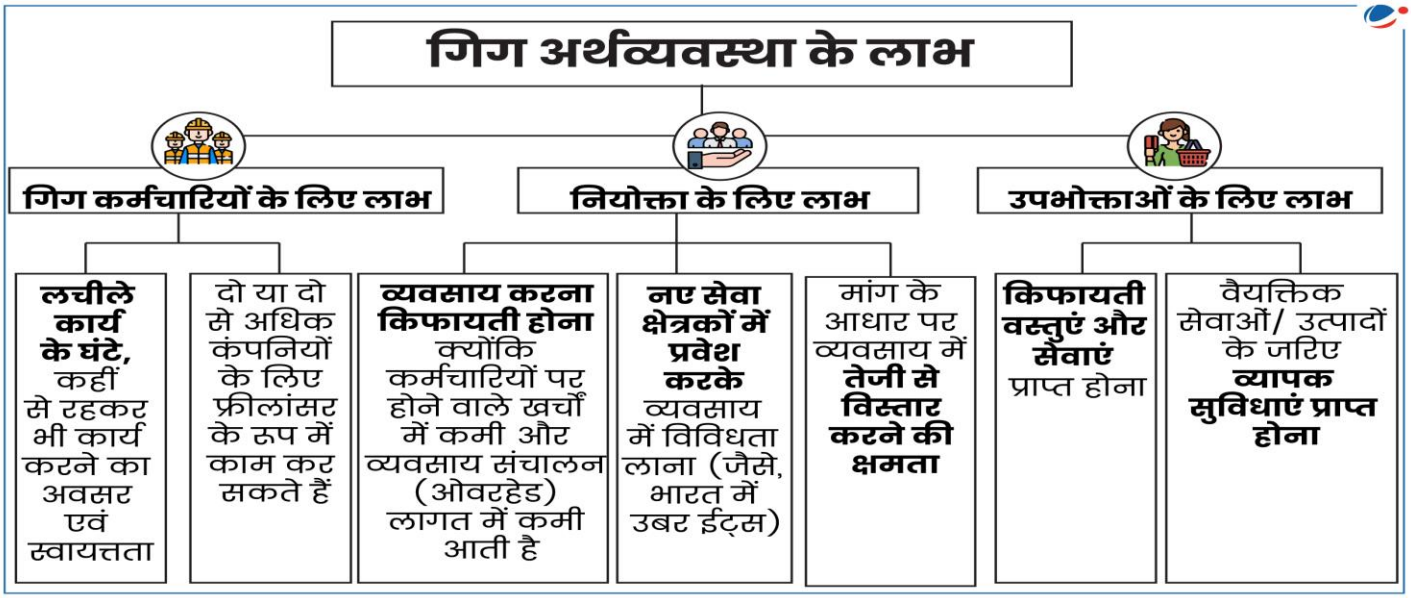

गिग श्रमिक

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के अनुसार, गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध** से बाहर की कार्य-दशाओं में काम करता है और उससे आय अर्जित करता है।
- **आम तौर पर इनकी दो श्रेणियां हैं:**
  - **प्लेटफार्म आधारित:** ये आमतौर पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े होते हैं।
  - **नॉन-प्लेटफॉर्म आधारित:** इसमें सामान्य कंपनियों में पार्ट-टाइम या फुल-टाइम आधार पर कार्य करने वाले अस्थाई वेतन-भोगी कर्मचारी शामिल हैं।
- **गिग श्रमिक को बढ़ावा देने वाले कारक हैं:**
  - तकनीकी प्रगति,
  - शहरीकरण,
  - मध्यम वर्ग की बढ़ती उपभोग संबंधी मांग,
  - मांग आधारित सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती रूचि, तथा
  - वर्कर द्वारा अपने पारिवारिक जीवन और कार्य के बीच बेहतर संतुलन रखने की इच्छा।

गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियां

- **डिजिटल डिवाइड:** इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल तकनीक की सभी क्षेत्रों तक बराबर पहुंच नहीं होने से गिग वर्कर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दायरा भी सीमित है।
- **डेटा संरक्षण:** गिग वर्कर्स के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करने, संग्रहीत करने और साझा करने के संबंध में **प्लेटफॉर्म कंपनियों के नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण** गिग वर्कर्स की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- **'कर्मचारी' का दर्जा न मिलना:** इसकी वजह से वे अपना यूनियन नहीं बना सकते हैं जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सके, शोषणकारी कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आवाज उठा सके, आदि।
- **नौकरी की अनिश्चित प्रकृति:** गिग वर्कर्स के लिए नौकरी की सुरक्षा, वेतन मिलने में अनियमितता और रोजगार की अनिश्चितता जैसी कुछ बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा का कवरेज नहीं मिलना:** इन्हें स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
- **एल्गोरिदमिक प्रबंधन: एल्गोरिदमिक प्रबंधन प्रथाओं** और कस्टमर की रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन से उत्पन्न दबाव के कारण गिग वर्कर्स को तनाव का सामना करना पड़ता है।

भारत में गिग इकॉनमी के लिए उठाए गए कदम

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- **वेतन संहिता, 2019:** यह गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन (यूनिवर्सल मिनिमम वेज) और फ्लोर पारिश्रमिक का प्रावधान करता है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पर गिग वर्कर्स भी पंजीकृत हो सकते हैं।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** इसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों सहित गिग वर्कर्स को एक वर्ष के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

आगे की राह					
गिग वर्कर्स की संख्या का उचित आकलन	स्टार्टअप इंडिया की तरह ही **'प्लेटफार्म इंडिया' पहल की शुरुआत करनी चाहिए।**	**वित्तीय समावेशन में तेजी लाना**	**डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा**	**प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए कौशल विकास**	**सभी को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना**

3.2. संवृद्धि एवं विकास (Growth and Development)

3.2.1. भारत का संरचनात्मक परिवर्तन (India's Structural Transformation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **'एडवांसिंग इंडियाज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच-अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर'** शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है।

भारत के संरचनात्मक परिवर्तन की स्थिति

- **आउटपुट में संरचनात्मक परिवर्तन:**
  - अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में **कृषि और संबद्ध गतिविधियों की हिस्सेदारी** 1972-73 की 42% से घटकर 2019-20 में 15% रह गई।
  - **उद्योग क्षेत्रक** (खनन, निर्माण, विनिर्माण और यूटिलिटीज को मिलाकर) **की हिस्सेदारी** 1972-73 की 24% से बढ़कर 2020-21 में 25.9% हो गई।
  - आउटपुट में **सेवा क्षेत्रक की हिस्सेदारी** 1970 की 34.5 से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 55.3% हो गई।

- **रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन:**
  - **रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी** 1972-73 की 73.9% से घटकर 2018-19 में 42% हो गई।
  - पांच दशकों में **रोजगार में उद्योग की हिस्सेदारी** 1972-73 की 11.3% से बढ़कर 2019-20 में 24% हो गई।
  - रोजगार में **सेवा क्षेत्रक की हिस्सेदारी** 1972-73 की 14.8% से बढ़कर 2019-20 में 30.7% हो गई।
- **अनौपचारिक क्षेत्रक की उपस्थिति:** 1983 और 2019 के बीच, रोजगार में गैर-कृषि क्षेत्रक की हिस्सेदारी 20% बढ़ी है, परन्तु ऐसी अधिकांश नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में सृजित हुई हैं।
- **शहरीकरण:** भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। 2036 तक, भारत के कस्बों और शहरों में 600 मिलियन (60 करोड़) लोग या यानी कुल आबादी का 40 प्रतिशत निवास कर रहा होगा। 2011 में देश की 31 प्रतिशत और 1971 में 20% आबादी शहरों में रह रही थी।

भारत के संरचनात्मक परिवर्तन पर IMF वर्किंग पेपर में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे

- **क्षेत्रक असंतुलन:** अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में कृषि की हिस्सेदारी 1980 में 40% थी, जो घटकर 2019 में 15% हो गई, हालांकि अभी भी समग्र रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 42% है।
- **उद्योगों में तकनीकों को अपनाने की दर एक समान नहीं होना:** टेक्नोलॉजी को अपनाने में सेवा क्षेत्रक ने विनिर्माण क्षेत्रक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **कम कौशल वाली नौकरियों में वृद्धि:** 2019 में लगभग 12 प्रतिशत वर्कर्स निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्रक में संलग्न थे। इस प्रकार निर्माण क्षेत्रक महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता क्षेत्रक बन गया है।
- **कम उत्पादकता:** 2019-20 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में **श्रम की उत्पादकता कृषि की तुलना में 4.5 गुना अधिक** थी।
- वर्किंग पेपर का अनुमान है कि भारत को 2050 तक अपनी बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए **कम-से-कम 143-324 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे**।

IMF वर्किंग पेपर में की गई मुख्य सिफारिशें

- **शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करना:** शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने से वर्कर्स को उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रकों में रोजगार पाने में मदद मिल सकती है।
  - शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 (ASER)[18] के अनुसार **भारत की श्रम शक्ति ने** अन्य देशों की तुलना में **औपचारिक शिक्षा में कम वर्ष व्यतीत किए** हैं। साथ ही, भारत में **शिक्षा की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की** बनी हुई है।
- **श्रम बाजार सुधारों को लागू करना: श्रम बाजार के लचीलेपन को मजबूत** करने के लिए ।
- **व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देना:** व्यापार नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण करने के लिए **द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर** करना चाहिए तथा **शुल्क और गैर-प्रशुल्क प्रतिबंधों को हटाया** जाना चाहिए।
- **लालफीताशाही को समाप्त करना:** नियमों को सरल बनाने और नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करने से निजी क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- **निरंतर सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा:** भारत के विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत भौतिक सार्वजनिक अवसंरचना, दोनों निजी क्षेत्रक की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे।
- **अन्य उपाय:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना चाहिए; **लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को बैंकों से ऋण प्राप्ति में मदद** करने की आवश्यकता है।

[18] Annual Status of Education Report

3.2.2. समावेशी विकास (Inclusive Growth)

समावेशी विकास: एक नज़र में

- **समावेशी विकास क्या है?**
  - यह ऐसे **आर्थिक विकास** को संदर्भित करता है **जिससे समाज के सभी वर्गों (सबका साथ, सबका विकास) को लाभ पहुंचे,** विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और वंचित समूहों को।
  - यह **गरीबी, असमानता और क्षेत्रीय विषमताओं** को कम करने की एक रणनीति है।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल

- **आजीविका और रोजगार:** मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) आदि।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** आयुष्मान भारत, NFSA, अटल पेंशन योजना, NSAP आदि।
- **वित्तीय समावेशन:** प्रधान मंत्री जन धन योजना
- **कौशल विकास:** कौशल भारत मिशन, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, आदि।
- **कृषि और किसान:** पी.एम.-किसान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना, पी.एम. फसल बीमा योजना आदि।
- **शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान (SSA), नई शिक्षा नीति-2020, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि।
- **बुनियादी ढांचा:** पी.एम. ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, भारतमाला आदि।

चुनौतियां

- **आर्थिक असमानता:** भारतीय आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 53% संपत्ति है।
- **गरीबी:** भारत में 11.28% आबादी अभी भी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही है (नीति आयोग)।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** आय, आजीविका के अवसरों, आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं आदि के संदर्भ में।
- **बहिष्करण:** ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति जैसे सुभेद्य समूहों को जीवन के विभिन्न पहलुओं से बहिष्करण का सामना करना पड़ता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डालता है।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** भारत का लगभग 85% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है।
- **शिक्षा और कौशल अंतर:** केवल 49% भारतीय युवा ही रोजगार योग्य हैं (इंडिया स्किल रिपोर्ट)

आगे की राह

- **शिक्षा और कौशल विकास:** रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना।
- **वित्तीय समावेशन:** वंचित क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, आदि।
- **रोजगार सृजन और उद्यमिता:** रोजगार सृजन के लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना, आसान विनियमन और ऋण तक पहुँच आदि के माध्यम से MSMEs और स्टार्ट-अप्स का समर्थन करना।
- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण बुनियादी ढाँचे (सड़क, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी) में सुधार करना और कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय बढ़ाना।
- **गवर्नेंस में सुधार:** पारदर्शिता और जवाबदेही के जरिए शासन व्यवस्था में सुधार करना, सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता बढ़ाना और स्थानीय शासन की संस्थानों को मजबूत करना।

3.2.3. गरीबी का मापन (Measuring Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने हाल में जारी **'नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) 2024'** में कहा है कि वह **"चरम निर्धनता (Extreme poverty)"** के मापन के लिए एक **राष्ट्रीय संकेतक** विकसित कर रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 'नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क' **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर भारत की प्रगति** को ट्रैक करता है। SDGs के लक्ष्यों में 2030 तक चरम निर्धनता का उन्मूलन भी शामिल है।

गरीबी की माप के लिए राष्ट्रीय संकेतक की आवश्यकता क्यों है?

- **आधिकारिक नई गरीबी रेखा का अभाव:** वर्तमान में भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा **2009 की सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट** पर आधारित है।
  - सुरेश तेंदुलकर समिति के अलावा **डी.टी. लकड़ावाला समिति (1993) और सी रंगराजन समिति (2014)** ने भी "गरीबी रेखा" के निर्धारण के लिए मानदंडों की सिफारिश की थी।
    - हालांकि, **सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों** को केंद्र सरकार ने अभी तक स्वीकार **नहीं** किया है।
- **भारत में निर्धनता स्तर पर अलग-अलग अनुमान:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार 2021 में **1% से भी कम भारतीय चरम गरीबी** में जीवन यापन कर रहे थे। वहीं, **विश्व बैंक का मानना है कि 2021 में 12.92% भारतीय चरम गरीबी** में थे।
- **नीति निर्माण और प्रगति पर निगरानी रखने के लिए:** गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को डिजाइन करने, लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए गरीबी से संबंधित विश्वसनीय डेटा या अनुमान होना जरूरी है।

सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी रेखा का आकलन

- समिति ने शहरों में **प्रतिमाह 1,000 रुपये या प्रतिदिन 33 रुपये या उससे कम खर्च पर जीवन यापन** करने वाले लोगों को गरीब माना है। इसी तरह गांवों में **प्रति माह 816 रुपये या प्रति दिन 27 रुपये या उससे कम खर्च पर जीवन यापन** करने वाले लोगों को गरीब माना है।
  - रंगराजन समिति ने खर्च सीमा को बढ़ाकर **ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने** वाले व्यक्तियों को गरीब माना है।

भारत में गरीबी का मापन

- भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा **उपभोग व्यय (रुपये में)** पर आधारित है।
  - ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) प्रत्येक 5 साल पर **उपभोग व्यय सर्वेक्षण (CES)** आयोजित करता है।
- नीति आयोग ने **राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (NMPI) जारी** किया है। इसके अनुसार, भारत में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत **2015-16 के 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96%** रह गया है।

नीति आयोग ने **"2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी[19]"** शीर्षक से एक चर्चा-पत्र जारी किया।

चर्चा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **MPI में गिरावट:** हेड काउंट रेशियो 2013-14 के 29.17% से घटकर **2022-23 में 11.28%** हो गया।
  - पिछले 9 वर्षों में **24.82 करोड़ भारतीय** बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।
  - इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी में भी कमी आ रही है। इससे यह पता चलता है कि अभावग्रस्त आबादी में अभाव के स्तर कम हो रहे हैं यानी उनके अभाव कम हुए हैं।
  - गरीबों के मामले में **हेड काउंट रेशियो में गिरावट की गति** 2005-06 से 2015-16 के बीच की तुलना में **2015-16 से 2019-21 के बीच बहुत तेज** थी।
- **सभी संकेतकों में गरीबी में गिरावट दर्ज की गई:** MPI के सभी 12 संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है।
  - अभाव का सबसे अधिक स्तर- **खाना पकाने के ईंधन** और **आवास** संबंधी संकेतकों में है।
  - अभाव का सबसे कम स्तर- **बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली** और **बैंक खाते** के संकेतकों में है।

[19] Multidimensional Poverty in India since 2005-06

- **MPI में गिरावट का क्षेत्रीय रुझान:** अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में निर्धनता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। यह असमानताओं में कमी का संकेत है।
  - **उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान** में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी से कमी देखी गई है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) की प्राप्ति:** भारत, वर्ष 2030 से काफी पहले **SDG 1.2** (बहुआयामी गरीबी अनुपात को कम-से-कम आधा करना) **को प्राप्त करने की राह** पर है।
- **MPI में गिरावट के लिए उत्तरदायी कारक:** अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों (जैसे- **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य**) तथा परिवर्तनकारी अभियानों (जैसे- **स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन)** ने सामूहिक रूप से लोगों के जीवन-यापन और समग्र कल्याण के स्तरों को ऊपर उठाया है।

3.3. बैंकिंग, भुगतान प्रणालियां और वित्तीय बाज़ार (Banking, Payment Systems & Financial Markets)

3.3.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन (Revised Priority Sector Lending Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने **PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी दिशा-निर्देशों** में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है।

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी संशोधित मानदंड

- **इंसेंटिव फ्रेमवर्क:** इसके तहत **कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए** वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाले **इंसेंटिव फ्रेमवर्क** की स्थापना की जाएगी।
  - जिन जिलों में **ऋण वितरण कम** (प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम) है, वहां PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **अधिक भारांश (125%)** दिया जाएगा।
- **डिसइनसेंटिव फ्रेमवर्क:** पहले से ही **अधिक ऋण प्राप्त** करने वाले जिलों में **(प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक)**, PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **कम भारांश (90%)** दिया जाएगा।
- **अन्य जिले:** कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर, **अन्य सभी जिलों में भारांश 100%** के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा।
- **MSME ऋण:** MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण **PSL श्रेणी** में आएंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर PSL का सकारात्मक प्रभाव

- **वित्तीय समावेशन:** PSL मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लघु एवं सीमान्त किसान, महिलाएं, कमजोर वर्ग जैसे समुदायों को भी ऋण का लाभ मिले।

- **कृषि का समर्थन:** अन्य नीतियों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों हेतु PSL दिशा-निर्देश के कारण कृषि क्षेत्रक के लिए अनिवार्य 18% ऋण देने का प्रावधान करने के चलते कृषि ऋण में 2000 से 2020 तक 19.81% की CAGR[20] दर्ज की गई।
- **MSMEs को बढ़ावा मिलना:** PSL के तहत MSMEs के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। इसके चलते रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है।
- **आय वृद्धि:** आंध्र प्रदेश में की गई एक केस स्टडी में यह बात सामने आई है कि लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है।

PSL से जुड़ी समस्याएं

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs):** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक में बकाया ऋण की वजह से बैंकों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
  - कुछ अध्ययनों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण के चलते अधिक NPA बना है और **NPA को बट्टे खाते में डाला गया (राइट ऑफ)** है।
- **लागत में वृद्धि होना:** PSL संबंधी शर्तों के पालन की वजह से बैंकों की प्रशासनिक और लेन-देन लागत में वृद्धि हुई है।
- **PSL से जुड़ी अन्य समस्याएं:** बैंकों की लाभप्रदता कम हुई है, बैंकों के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा है, आदि।

आगे की राह

- **सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना और "लघु" वित्त बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित करना:** सूक्ष्म वित्तीय संस्थान अपने विशाल सेवा वितरण नेटवर्क और **"लास्ट माइल कनेक्टिविटी"** के व्यवसाय मॉडल के माध्यम से बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण देने की सुविधा बढ़ा सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उदाहरण के लिए- किसानों को ऋण मंजूरी के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। इससे बैंकों की ऋण वितरण की लागत कम होगी तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण वितरण और दक्षता में वृद्धि होगी।
- **मजबूत ऋण अवसंरचना और जोखिम मूल्यांकन टूल बनाना:** ऋण लेने वालों के ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में कमी लाने के लिए टूल्स यानी मैकेनिज्म बनाए जाने चाहिए।

3.3.2. भारत में सूक्ष्म वित्त (Microfinance in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN) ने **"माइक्रो मैटर्स: मैक्रो व्यू"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- MFIN **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (NBFC-MFIs)**[21] का एक संघ है। इसे **2009** में स्थापित किया गया था।
- यह देश के **सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) का शीर्ष निकाय** है।
- **सूक्ष्म-वित्त** से आशय निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, जो आमतौर पर किसी कारणवश **पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं** हुए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **NBFC-MFIs** अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में **सर्वाधिक मात्रा** में सूक्ष्म-वित्त प्रदान करते हैं।

[20] Compound annual growth rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

[21] Non-Bank Finance Company Micro Finance Institutions

- MFIs की **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs)**[22] में गिरावट आई है। ये वित्त वर्ष 2022 के 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में **2.7%** पर आ गई हैं।
- सूक्ष्म-वित्त प्रदायगी में **पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी** में कमी दर्ज की गई है। इनकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल घटकर **34.9%** रह गई है।

भारत में सूक्ष्म-वित्त का महत्त्व

- **वित्तीय समावेशन:** यह आबादी के उस खंड को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के तहत लाने में सहायता करता है, जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं या जिन्हें बहुत कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हुई हैं।
- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं की एक उल्लेखनीय आबादी सूक्ष्म-वित्त के तहत उधार ले रही है।
- **गरीबी उन्मूलन:** यह गरीब लोगों को आय-सृजन गतिविधियां संचालित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। यह गरीबी के चक्र को समाप्त करते हुए आर्थिक गतिशीलता लाने में सहायक है।
- **सामुदायिक विकास:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से, सूक्ष्म-वित्त ने सामाजिक एकजुटता व सामुदायिक विकास को सुविधाजनक बनाया है।

MFIs के समक्ष मौजूद चुनौतियां: कम लोगों तक पहुंच; उच्च ब्याज दर; शहरी गरीबों की अनदेखी; अतिदेय (Overdue) ऋणों का लगातार बकाया रहना; आदि।

[22] Non-Performing Assets

3.3.3. फिनटेक क्षेत्रक (Fintech Sector)

फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (FinTech) क्षेत्रक: एक नज़र में

- वित्त वर्ष 2021 में भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य **50-60 बिलियन डॉलर था। यह 2025 तक 150 बिलियन डॉलर** तक पहुंच सकता है।
- **मार्च 2020 में, भारत में फिनटेक एडॉप्शन रेट 87%** थी, जबकि वैश्विक औसत 64% था।
- भारत में **दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम** मौजूद है।
- 2022 में दुनिया भर में किए गए सभी रियल टाइम ट्रांजेक्शन में से **46% भारत में किए गए।**

वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी का जुड़ाव

वित्त	फिनटेक	प्रौद्योगिकी
बैंक		हार्डवेयर प्रदाता
भुगतान		सॉफ्टवेयर प्रदाता
एन.बी.एफ.सी		क्लाउड प्रदाता
सिक्योरिटी ब्रोकिंग		प्लेटफॉर्म प्रदाता
धन प्रबंधन		
वितरण		

भारत में फिनटेक के विकास के चालक

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों द्वारा संचालित तकनीकी नवाचार।**
  - जैसे- RBI द्वारा **इंटर-ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (IORS) प्रणाली**
- **भारत में इंटरनेट उपयोग और स्मार्टफोन की संख्या बढ़ रही है।** साथ ही, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में यह दूसरे स्थान पर है।
- भारत के पास **अनुकूल जनसांख्यिकी है।** यहाँ वर्ष 2030 तक 140 मिलियन मध्यम आय और 21 मिलियन उच्च आय वाले परिवार होंगे।
- **वित्तीय समावेशन से जुड़े पहल,** जैसे- PMJDY, DAY-NRLM, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, अटल पेंशन योजना आदि।

फिनटेक को बढ़ावा देने हेतु पहल

- डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए **ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स)।**
- आधार, पी.एम. जन धन योजना, वीडियो KYC और UPI जैसे **डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से इस क्षेत्रक को बढ़ावा मिल रहा है।**
- पूरे देश में डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने के लिए डिजीधन मिशन।
- वित्तीय उत्पादों, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के विकास एवं विनियमन के लिए **इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA)।**
- **ग्लोबल फिनटेक फेस्ट:** यह NPCI, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) का एक संयुक्त प्रयास है।

चुनौतियां

- **डेटा लीक, प्लेटफ़ॉर्म डाउनटाइम और सूचना की चोरी।**
- **विभिन्न प्रकार की स्वीकृति,** क्योंकि फिनटेक को अपनाना **हर प्रकार के व्यवसाय के लिए आसान नहीं है।**
- **तेजी से बदलते नियम** जो अनुपालन लागत को बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास को कम करते हैं।
  - इसके अलावा, इनमें निवेश के बाद सिस्टम से बाहर निकलने, क्रिप्टोकरेंसी, भुगतान नियम, डेटा, बुनियादी ढांचा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण जैसे मुद्दों पर विनियम लगातार विकसित हो रहे हैं।
- **वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी,** क्योंकि लगभग 2/3 भारतीय नागरिक गांवों में रहते हैं।
- वित्तीय प्रणाली में बिग टेक उद्योगों की बढ़ती **भूमिका समग्र स्थिरता को कम कर सकती है या एकाधिकार संबंधी मुद्दों** को जन्म दे सकती है।

आगे की राह

- दूरसंचार **जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।**
- प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए **बाजार संकेंद्रण, मानकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी के जोखिम को हल करने हेतु अनुकूल नीतिगत ढांचा।**
- तीव्र और कम मूल्य वाले खुदरा मोबाइल भुगतान के लिए **वैश्विक गठबंधन बनाना।** उदाहरण के लिए- UPI नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से साझेदारी।
- **फिनटेक** के मामले में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग करना। इससे दूरदराज के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भुगतान प्रणाली में सुधार होगा।
- फिनटेक के आपराधिक दुरुपयोग के जोखिमों की पहचान, समझ, आकलन और उन्हें कम करके **वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना।**
- वाटल समिति की रिपोर्ट में **विनियामक सैंडबॉक्स** का सुझाव दिया गया है।
- छोटे और मध्यम आकार के फिनटेक का समर्थन करने हेतु **इंडिया फिनटेक क्रेडिट फंड (IFCF)।**

3.3.4. फिनफ्लुएंसर्स (Finfluencers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपंजीकृत **फाइनेंसियल इन्फ्लुएंसर्स** या **फिनफ्लुएंसर्स** के लिए आधारभूत नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों में विनियमित संस्थाओं को बिना पंजीकरण वाले फिनफ्लुएंसर्स के साथ काम करने से प्रतिबंधित किया गया है।

फिनफ्लुएंसर की संख्या में बढ़ोतरी के कारण

वित्तीय साक्षरता का अभाव: नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, **भारत में वित्तीय साक्षरता मात्र 27% है।**	**खुदरा निवेश में वृद्धि:** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार, कैश मार्केट के टर्नओवर में **रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी** वित्त वर्ष 2016 के **33%** से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में 45 प्रतिशत हो गई थी।	**नए निवेशकों की संख्या में तेजी से वृद्धि:** जून 2021 में नए ग्राहक का पंजीकरण रिकॉर्ड 1.5 मिलियन तक पहुंच गया, जो जून 2020 के 0.6 मिलियन के दोगुने से भी अधिक है।	**तकनीकी प्रगति:** नए जमाने की ब्रोकिंग फर्म्स द्वारा आसानी से उपयोग किए जाने वाले ऐप्स; जैसे ज़ेरोधा, ग्रो आदि लॉन्च किए जाने से ट्रेडिंग का प्रसार हुआ है।

फाइनेंसियल इनफ्लुएंसर या 'फिनफ्लुएंसर' के बारे में

- यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निवेशकों को अलग-अलग वित्तीय निवेशों; आमतौर पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स और बीमा उत्पादों में व्यक्तिगत निवेश पर **जानकारी और सलाह** देता है।

- **आय के स्रोत:**
  - **विज्ञापन-** व्यूज के आधार पर पैसिव इनकम।
  - **कोलैबोरेशन-** किसी वित्तीय उत्पाद को प्रमोट करने के लिए।
  - **सांठगांठ-** किसी उत्पाद को खरीदने या किसी सेवा के लिए साइन अप करने के लिए वीडियो विवरण में लिंक देना।

फिनफ्लुएंसर्स के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं

- **विनियमन का अभाव:** विनियमन के दायरे में नहीं आने की वजह से फिनफ्लुएंसर की विशेषज्ञता और योग्यता का आकलन करना या गलत सलाह की वजह से निवेशकों को हुए किसी जोखिम के लिए फिनफ्लुएंसर पर कोई जवाबदेही तय करना काफी मुश्किल हो जाता है।
- **बाजार में हेरफेर: कंपनियों द्वारा कई बार अपने लाभ** के लिए शेयर्स के मूल्य में हेरफेर करने हेतु फिनफ्लुएंसर्स को भुगतान किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **सालासर टेक्नोलॉजीज** के शेयर की कीमतों में फिनफ्लुएंसर्स द्वारा हेरफेर किया गया, जिसके चलते निवेशकों को **भारी नुकसान झेलना** पड़ा था।
- **उच्च जोखिम वाले निवेश:** फिनफ्लुएंसर्स उच्च जोखिम वाले निवेश अवसरों को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा अक्सर इससे जुड़े जरुरी जोखिमों को बताए बिना ही **उच्च रिटर्न देने की गारंटी के साथ किया** जाता हैं।
- **सलाह की विश्वसनीयता पर सवाल:** फिनफ्लुएंसर्स द्वारा साझा की जाने वाली वित्तीय सलाह आम तौर पर विश्वसनीय या अच्छी तरह से शोध की गई नहीं होती हैं, बल्कि ये व्यूज और लाइक्स पाने के लिए दी जाती हैं।
  - इस प्रकार का **कंटेंट-फर्स्ट एप्रोच, दी गई सलाह की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से समझौता** करने जैसा है।
- **अनैतिक गतिविधियों की आशंका:** फिनफ्लुएंसर्स **बाजार में हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिंग आदि के जरिए व्यक्तिगत लाभ के बदले में कुछ शेयर्स की बाजार में डिमांड को बढ़ावा** दे सकते हैं।

फिनफ्लुएंसर्स के लिए विनियामकीय कार्रवाई

- **सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम 2013:** यह उन लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क है जो **फीस के बदले वित्तीय सलाह प्रदान करते** हैं।
- **सेबी परामर्श पत्र:** इसके जरिए सेबी ने अपने यहां पंजीकृत मध्यवर्तियों/ विनियमित संस्थाओं के अपंजीकृत **'फिनफ्लुएंसर'** के साथ संबंध को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)**: इसने अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है, जिससे इनफ्लुएंसर्स के लिए **सेबी के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य** हो गया है।
- ASCI और **यूट्यूब इन-हाउस नियम दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए पेड** या **प्रोमोशनल कंटेंट** की घोषणा करना अनिवार्य करते हैं।

आगे की राह

- **स्पष्ट परिभाषाएं:** फिनफ्लुएंसर्स, निवेश सलाह जैसे टर्म्स की स्पष्ट परिभाषा तय की जानी चाहिए ताकि इनसे जुड़ी किसी भी गतिविधि की **न्यायिक या विनियामक स्तर पर जांच की जा** सके।
  - इसमें वित्तीय-निवेश के संचार के लिए उपभोक्ता तक पहुंच वाले **सभी माध्यमों का कवरेज** शामिल होना चाहिए। जैसे टीवी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया इत्यादि से दी गई सलाह।
- **वित्तीय सलाहकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए,** हितों के टकराव से बचने जैसी कुछ डिस्क्लोजर आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, आदि।
- **पारदर्शिता और डेटा-आधारित संचार:** रियल टाइम डिजिटल निगरानी की तरह, एक **आचार संहिता** मौजूद होने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि दी गई **वित्तीय जानकारी "सच्ची, संतुलित और डेटा-आधारित"** है।
- **निवेशक शिक्षा:** निवेशकों को डिजिटल माध्यम से दिए जाने वाले वित्तीय मार्गदर्शन का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए **आवश्यक ज्ञान और कौशल** से लैस करना चाहिए।
  - ब्रोकिंग फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स और साथ ही सेबी द्वारा **टियर-II और टियर-III जगहों पर** निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- **स्व-विनियामक संगठन (SROs):** औद्योगिक संगठनों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्व-विनियमन प्रोटोकॉल अपनाने की आवश्यकता है।
- **प्रदर्शन सत्यापन एजेंसी (PVA)[23]:** एक **थर्ड पार्टी एंटिटी के रूप में PVA** का गठन किया जा सकता है। इसका कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट्स का सत्यापन करके वित्तीय इकोसिस्टम में भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ाना होना चाहिए।

फिनफ्लुएंसर्स के विनियमन पर विश्व के कुछ उदाहरण

- **ऑस्ट्रेलिया:** बिना लाइसेंस के वित्तीय सलाह देने वाले फिनफ्लुएंसर्स को **5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान** है।
- **यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण:** इसने "निवेश सिफारिशें क्या हैं", "उन सलाह को सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट किया जाए" जैसे सवालों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। साथ नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- **न्यूज़ीलैंड:** फिनफ़्लुएंसर्स के लिए परिभाषित **'कोड ऑफ बिहेवियर'** में दी गई सलाह की जटिलता के अनुसार लाइसेंसिंग की अलग-अलग स्तरों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, कंटेंट डिस्क्लेमर में जोखिम चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का प्रावधान है।
- **सिंगापुर और चीन के विनियामकों** ने **फिनफ्लुएंसर्स के लिए भी दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

3.4. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

3.4.1. भारत का व्यापार घाटा (India's Trade Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, **वित्त वर्ष 2023-24** में भारत ने **अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा** दर्ज किया।

भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)

- व्यापार घाटा तब होता है जब किसी **देश के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता** है। इसे **नकारात्मक व्यापार संतुलन** भी कहा जाता है।
- भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश हैं; **चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस** और **सऊदी अरब** (घटते क्रम में)।
- **चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग** के साथ **भारत का व्यापार घाटा** 2022-23 की तुलना में **बढ़ा** है, जबकि **संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया** और **इराक** के साथ **यह कम** हुआ है।

[23] Performance Validation Agency

- **संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम** और **इटली** शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार देश हैं जिनके साथ **भारत का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस)** है।

उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - अतिरिक्त आयात के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के कारण **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है**। इससे **घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास (Depreciation) की चिंता बनी रहती** है।
  - **चालू खाता घाटे में वृद्धि** होती है। यह देश की क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिसकी वजह से उच्च ब्याज दर पर उधार मिल पाता है।
  - निरंतर व्यापार घाटे के कारण रणनीतिक परिणाम भी सामने आते हैं। विशेष रूप से आवश्यक उत्पादों या क्रिटिकल सेक्टर्स के आयात के मामले में।
- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - व्यापार घाटा मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक विकास के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विकल्प मिलने का संकेत भी होता है। इसके अलावा यदि घाटा की वजह पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है, तो इससे **घरेलू निवेश** में वृद्धि होती है।

भारत के उच्च व्यापार घाटे के कारण

- **आयातित इनपुट पर अधिक निर्भरता**: कच्चा तेल और फार्मास्युटिकल सामग्री के लिए आयात पर निर्भर होना, आदि।
- **उपभोग पैटर्न में बदलाव**: उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स), लक्ज़री गुड्स इत्यादि की मांग बढ़ रही है।
- **भारत की आर्थिक संरचना संबंधी कारक:** जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकास न होना, लॉजिस्टिक की उच्च लागत, अवसंरचना की कमियां, आदि
- **घरेलू नीतियां** जैसे कि इनवर्टेड ड्यूटी व्यवस्था, वस्तुओं के निर्यात पर बार-बार प्रतिबंध लगाना आदि।
- **अन्य** - मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर ढंग से लाभ न उठा पाना, विकसित देशों द्वारा गैर-प्रशुल्क बाधाएं लगाना आदि।

3.5. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (Agriculture And Allied Activities)

3.5.1. बागवानी क्लस्टर्स (Horticulture Clusters)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि मंत्री ने निर्यात पर केंद्रित **100 बागवानी क्लस्टर्स के लिए 18,000 करोड़ रुपये की घोषणा** की। इन क्लस्टर्स को अगले पांच वर्षों में कृषि आय बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा।

बागवानी क्लस्टर्स के बारे में

- ये कुछ विशेष बागवानी फसलों हेतु **एक क्षेत्रीय/ भौगोलिक केंद्र** होते हैं।
- **बागवानी क्लस्टर के लाभ:**
  - यह **फसल और कटाई के बाद के नुकसान को कम** करता है तथा **नवीन प्रौद्योगिकियों की सुविधा** प्रदान करता है।
  - यह **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं** में हितधारकों को सुविधा प्रदान करता है।
  - यह उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, विपणन और निर्यात में विशेषज्ञता प्रदान करता है।

भारत में बागवानी की स्थिति

- इसका **कृषि GVA (सकल मूल्य वर्धित) में लगभग 33% का योगदान** है।
- **फल एवं सब्जी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान** पर है।
- **देश में 2022-23 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 355.48 मिलियन टन** था।
- बागवानी क्षेत्रक में **वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी** केवल 1% है।

भारत में बागवानी क्षेत्रक की प्रमुख चुनौतियां

- उच्च गुणवत्ता वाले पौधों और रूटस्टॉक की कमी,
- बागवानी फसलों में बार-बार कीट लगने की समस्या,
- जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादकता और समग्र वित्तीय व्यवहार्यता को नुकसान पहुंच रहा है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):** इस मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्रक का समग्र रूप से विकास करना है।
  - MIDH के अंतर्गत **क्लीन प्लांट प्रोग्राम** किसानों को वायरस मुक्त व उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है।
- **कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो-इनफॉर्मेटिक्स (CHAMAN):** इस कार्यक्रम की शुरुआत एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने के लिए की गई है, ताकि बागवानी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और उत्पादन का आकलन किया जा सके।
- **पूंजी निवेश सब्सिडी योजना:** यह योजना बागवानी उत्पादों के कोल्ड स्टोरेज/ भंडार के निर्माण/ विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई है।

3.5.2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और घरेलू व्यय (PDS and Household Expenditure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के आंकड़े सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के बारे में

- **खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम:** PDS भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है।**
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र है।
- **संयुक्त जिम्मेदारी: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केन्द्र और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी** के तहत किया जाता है।
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।
  - **राज्य सरकारों को** परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के कामकाज का पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं।
- **वस्तुएं:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में **गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन** के वितरण हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन किया जा रहा है।
  - कुछ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त वस्तुएं, जैसे- दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि भी वितरित करते हैं।

घरेलू व्यय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव

- **खाद्य वस्तुओं में हिस्सा:** खाद्य पदार्थों पर व्यय का हिस्सा धीरे-धीरे कम हुआ है, जबकि 1999-2000 के सर्वेक्षण के बाद से शहरी और ग्रामीण, दोनों परिवारों के लिए **गैर-खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।**
- **व्यय में बदलाव:** मुख्य व्यय अब अनाज और दालों से **उच्च मूल्य तथा पौष्टिक पशुपालन और बागवानी उत्पाद पर स्थानांतरित हो गया है।**
- **खाद्य पदार्थों में विविधता:** खाद्य पदार्थों में पेय पदार्थों, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक है।
- **चावल और गेहूं की व्यापकता:** अखिल भारतीय स्तर पर, प्रति व्यक्ति कुल अनाज खपत में चावल और गेहूं की हिस्सेदारी लगभग 96% है।

3.6. उद्योग एवं औद्योगिक नीति (Industry and Industrial Policy)

3.6.1. वस्त्र क्षेत्रक (Textile Sector)

वस्त्र क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में वस्त्र क्षेत्रक की स्थिति

वस्त्र क्षेत्रक, भारतीय **GDP में** 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7% तथा भारत की निर्यात से होने वाली आय में 12% का योगदान देता है।

भारत दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है एवं तकनीकी वस्त्रों का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

विश्व स्तर पर **हाथ से बुने हुए कपड़ों का 95% हिस्सा** अकेले भारत से आयात किया जाता है।

यह 45 मिलियन से अधिक लोगों (कुल रोजगार का 21%) को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए **7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) पार्कों की स्थापना।**
- वस्त्र क्षेत्रक के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** कपड़ा उद्योगों की प्रौद्योगिकी/मशीनरी के उन्नयन के लिए **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)।**
- **क्षेत्रक विशिष्ट मिशन:** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन।
- **क्षमता निर्माण एवं सामाजिक सुरक्षा:** कपड़ा क्षेत्रक में क्षमता निर्माण योजना (SAMARTH), स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग (SIAM) और वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना (STIWA) आदि।

भारत में वस्त्र क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **अधिक बिखराव और असंगठित क्षेत्रक तथा लघु और मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व।**
- **निवेश लागत अधिक होना:** बाजार की अप्रत्याशित परिस्थितियों, मौसम, नीतियों आदि के परिणामस्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति में कमी और सामग्री की लागत में वृद्धि होना।
- **बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाएं:** सड़कों, राजमार्गों आदि की खराब स्थिति आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं पैदा करती है। इससे मांग को पूरा करने में विलंब होता है। परिणामस्वरूप माल को गोदाम में रखने और माल ढुलाई की लागत में वृद्धि होती है।
- **अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार:** वैश्विक बाजार में टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के साथ मुक्त/ तरजीही व्यापार समझौतों की कमी, भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

- फिटनेस और स्वच्छता पर बढ़ते जोर, ब्रांड्स के प्रति बढ़ती जागरूकता, तेजी से बदलते फैशन ट्रेंड आदि सहित उपभोक्ता प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। इनके कारण **गैर-बुनाई वाले और तकनीकी वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्रक में इन नए अवसरों का उपयोग किया जाना चाहिए।**
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** 'प्लग एंड प्ले' सुविधा के साथ बंदरगाहों के पास मेगा परिधान पार्कों की स्थापना और अपशिष्ट उपचार के लिए साझी अवसंरचना का विकास आदि करना चाहिए।
- GST परिषद की 45वीं बैठक के दौरान वस्त्रों पर लगने वाली **उल्टी शुल्क संरचना में प्रस्तावित सुधारों** को लागू करना चाहिए।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के क्षेत्रक में हो रहे नवीन तथा आगामी विकास का उपयोग करके **प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देना।**
- **संधारणीय वस्त्रों और परिधानों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना:** इस कार्य को मौजूदा वस्त्रों की अप-स्केलिंग एवं उनके पुन: उपयोग तथा प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

3.6.1.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन पर अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति[24] ने ग्रेट (GREAT) स्कीम पहल के तहत सात स्टार्ट-अप्स प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

ग्रेट (GREAT) पहल के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय
- **उद्देश्य:** तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में युवा इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों/ प्रौद्योगिकीविदों और स्टार्ट-अप उद्यमियों को अपने आइडिया यानी नई सोच को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों/ उत्पादों में परिवर्तित करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **अनुदान सहायता:** आम तौर पर **18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपये** तक की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

तकनीकी वस्त्र के बारे में

- **परिभाषा:** तकनीकी वस्त्र को दरअसल ऐसी वस्त्र सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग **उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं की बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक यानी फंक्शनल गुणों** के आधार पर किया जाता है।

भारत के लिए तकनीकी वस्त्रों का महत्त्व

- **उत्पादकता में वृद्धि:** 'टेक्निकल टेक्सटाइल इकोसिस्टम इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, बागवानी में **तकनीकी वस्त्रों के उपयोग** से कृषि उत्पादकता में 2-5 गुना वृद्धि होती है।
- **सरकारी पहलों में समन्वय:** उदाहरण के लिए; सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य **पैक-टेक नामक टेक्निकल टेक्सटाइल का उत्पादन बढ़ाने का** अवसर प्रदान करता है।
  - पैक-टेक सेगमेंट के वैश्विक बाजार में भारत 40-45% हिस्सेदारी के साथ अपना दबदबा बनाए हुए है।
- **उच्च विकास दर:** भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार प्रति वर्ष 8-10% की दर से वृद्धि कर रहा है।

[24] Empowered Programme Committee

- भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार **दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा बाजार** है। वर्ष 2021-22 में इसका **कुल मूल्य 21.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।

- **निर्यात क्षमता:** भारत के तकनीकी वस्त्र उत्पादों का निर्यात मूल्य 2020-21 में 2.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, अर्थात् इस दौरान इसमें 28.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- **अन्य:** कम अवधि में विस्तार करने की क्षमता है; उच्च वेतन वाले कार्यबल या रोजगार के अवर सृजित करने में सक्षम है, आदि।

भारत में तकनीकी वस्त्र के विकास के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **मशीनरी के लिए आयात पर निर्भरता:** वर्तमान में, तकनीकी वस्त्र उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली अधिकांश मशीनरी भारत में उपलब्ध नहीं है। इन मशीनों का आयात किया जाता है।
- **मानकीकरण और संबंधित विनियमनों का अभाव:** कई तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए मानक बेंचमार्क अभी तक निश्चित नहीं किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाज़ार में घटिया और सस्ते उत्पाद उपलब्ध होते हैं।
  - भारतीय रक्षा क्षेत्रक जैसे संस्थागत खरीदारों ने आवश्यक मानकों के कारण पारंपरिक रूप से कई तकनीकी वस्त्र उत्पादों की खरीद की जगह आयात का विकल्प चुना है।
- **उद्यमशीलता की कमी:** तकनीकी वस्त्रों में उद्यमशीलता की संस्कृति और कौशल प्रशिक्षण नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में मुख्य बाधाएं हैं।
- **तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अधिक अनुसंधान एवं विकास का नहीं होना:** यह समस्या उद्योग के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। **तकनीकी वस्त्र** के उत्पादों और प्रक्रियाओं में तेजी से बदलाव होते हैं और इसके लिए नवाचार की आवश्यकता होती है। **अनुसंधान एवं विकास की कमी की वजह से नवाचार** को बढ़ावा नहीं मिलता है।

आगे की राह

- **कौशल विकास पर ध्यान देना एवं शैक्षिक परिवेश तैयार करना:** सरकार को तकनीकी वस्त्रों में उद्यमिता पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अलग-अलग उद्यमिता विकास संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- **भारत के ब्रांडों को प्रमोट करने में मदद करना:** भारतीय ब्रांड को गुणवत्ता के मामले में वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित करने और उद्योग को ग्राहक-विशिष्ट उत्पाद बनाने के लिए तैयार करने की जरूरत है।
- **PPP मॉडल पर आधारित 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना करना:** तकनीकी वस्त्रों में डिजाइनिंग, बाजार संपर्क, क्षमता निर्माण, परीक्षण केंद्र, संधारणीय सामग्रियों पर अनुसंधान और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- **तकनीकी वस्त्रों में संयुक्त उद्यम:** संयुक्त उद्यमों की स्थापना से प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की विकास लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था भारतीय और विदेशी उद्यमियों के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि यह नए बाजारों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करती है।
- **स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना:** तकनीकी वस्त्र उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों का निर्माण किया जाना चाहिए और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

3.6.2. विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones: SEZs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने **विशेष आर्थिक क्षेत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 2023** अधिसूचित किए। ये नियम **SEZ अधिनियम, 2005** की **धारा 55 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग** करके अधिसूचित किए गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **SEZs (पांचवां संशोधन) नियम, 2023** के जरिए **SEZ नियम, 2006 में संशोधन** किए गए हैं।
- संशोधित नियम के तहत **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES)[25] वाले SEZ** में **"बिल्ट-अप एरिया" के एक हिस्से को 'नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया'** घोषित किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए शर्त यह होगी कि ऐसे क्षेत्र को जो कर रियायतें मिली हुई थीं, उनका पुनर्भुगतान करना होगा।
  - गौरतलब है कि SEZ में स्थित **प्रॉसेसिंग एरिया में वस्तुओं का उत्पादन या सेवा प्रदान करने संबंधी कार्य** किए जाते हैं। वहीं, **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया में सहायक अवसंरचना उपलब्ध** कराई जाती है।
- **संशोधन का महत्त्व:**
  - यह SEZs में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को आसान यानी उदार बनाएगा,
  - इससे SEZs के **डेवलपर्स और इनमें व्यवसाय करने वाले, दोनों** को फायदा होगा,
  - SEZ में नहीं उपयोग की गई जगह **(नॉन-प्रॉसेसिंग)** का नई कंपनियां और व्यवसायी बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे।

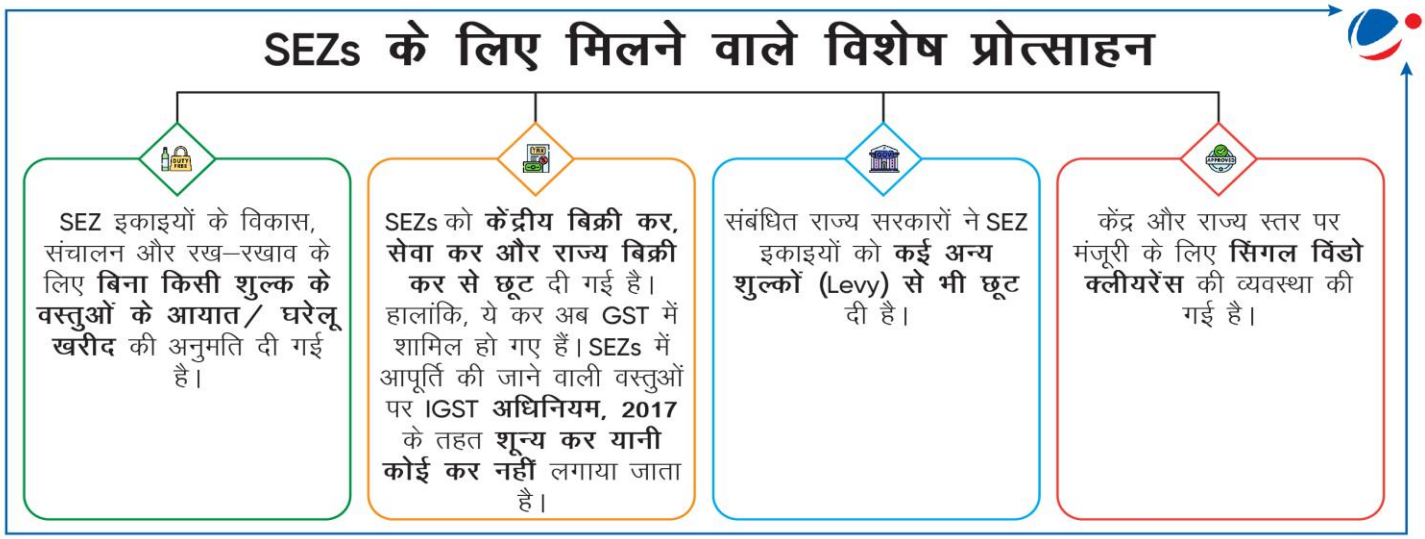

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बारे में

- SEZ **एक प्रकार का शुल्क-मुक्त अधिसूचित क्षेत्र** होता है। व्यापार संबंधी गतिविधियों के संचालन तथा कर एवं प्रशुल्क के मामले में यह एक प्रकार का **"विदेशी क्षेत्र"** माना जाता है।

[25] Information Technology Enabled Services

- **पात्र संस्थाएं: कोई भी निजी/ सार्वजनिक/ जॉइंट सेक्टर या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियां** SEZ स्थापित कर सकती हैं।
  - गौरतलब है कि भारत के अलावा चीन, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस जैसे **कई देशों ने भी SEZ** स्थापित किए हैं।
- **विनियमन: SEZ अधिनियम, 2005** के लागू हो जाने के बाद **SEZ नियम** अधिसूचित किए गए थे। ये नियम 2006 में लागू हुए थे।
  - SEZ अधिनियम और नियमों ने भारत में SEZ की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक आधारभूत फ्रेमवर्क प्रदान किया है।
- **SEZ क्षेत्र:** 'SEZ' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के ज़ोन शामिल होते हैं। इनमें निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन (EPZ)[26], फ्री-ज़ोन (FZ), इंडस्ट्रियल एस्टेट्स (IE), मुक्त व्यापार ज़ोन (FTZ)[27], मुक्त बंदरगाह, शहरी उद्यम ज़ोन आदि शामिल हैं।
- **संचालनात्मक SEZs (Operational SEZs):** वर्तमान में, भारत में 280 **SEZs** कार्यरत हैं और 2023-24 में **SEZs** से कुल निर्यात 163.69 बिलियन डॉलर का रहा।

भारत में SEZ से जुड़ी चुनौतियां

- **नीतियों में बदलाव:** 2005 के SEZ कानून के लागू होने के बाद आरंभ में बड़ी संख्या में SEZs स्थापित हुए, लेकिन निरंतर प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण यह गति मंद पड़ गई।
  - सरकार ने 2011-12 में **न्यूनतम वैकल्पिक कर** और **लाभांश वितरण कर** से छूट जैसे प्रोत्साहन समाप्त कर दिए जिसके चलते SEZ की अवधारणा कमजोर पड़ गई।
- **अप्रयुक्त भूमि:** लोक लेखा समिति की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, SEZ के लिए आवंटित की गई जमीन का 52 प्रतिशत हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है।
- **सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रभावी नहीं:** वैसे शीघ्र मंजूरी देने के लिए व्यवस्था तो स्थापित की गई है, लेकिन SEZs के कई निर्यातकों ने शिकायत की है कि डॉक्युमेंटेशन और प्रक्रिया संबंधी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुरूप नहीं:** WTO के विवाद निपटान पैनल ने 2019 में निर्णय दिया था कि निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली भारत की योजनाएं (SEZ योजना सहित) **"एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स"** के तहत प्रतिबंधित सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं और ये सब्सिडी WTO के मानदंडों का उल्लंघन करती हैं।
  - हालांकि, भारत ने इस फैसले के खिलाफ WTO की अपीलीय संस्था में अपील की है।
- **अन्य समस्याएं:**
  - भूमि अधिग्रहण में समस्याएं आती हैं। भारत के कई हिस्सों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किए गए हैं।
  - SEZ की कई व्यावसायिक यूनिट्स ने भारत की तुलना में बेहतर वित्तीय लाभ और व्यापार माहौल को देखते हुए आसियान देशों का रुख कर लिया है।
  - भारत में ज्यादातर SEZs विकसित राज्यों और शहरी केंद्रों के निकट अवस्थित हैं।

आगे की राह

- **बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें:**
  - समिति ने अनुकूल व्यवसाय परिवेश बनाकर **प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने** की सिफारिश की है। हाई-स्पीड मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, व्यावसायिक सेवाओं और यूटिलिटी अवसंरचना हेतु वित्त-पोषण करके अनुकूल परिवेश बनाया जा सकता है।
  - SEZs में निर्यात पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बजाय अधिक संख्या में **रोजगार के अवसर पैदा करने** और **आर्थिक संवृद्धि** को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
  - **विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक से संबंधित SEZs के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं बनाने** की आवश्यकता है।
  - SEZ को **अवसंरचना का दर्जा** दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें फंड जुटाने में मदद मिलेगी तथा उन्हें लंबी अवधि के लिए ऋण मिल सकेगा।
  - मध्यस्थता और वाणिज्यिक कोर्ट्स के जरिए **विवाद समाधान को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
  - SEZ **में व्यवसाय चलाने और यहां से निकास** के मामले में डेवलपर्स और किरायेदारों को **प्रक्रिया में छूट** दी जानी चाहिए।

[26] Export Processing Zones

[27] Free Trade Zones

- SEZ में व्यवसाय करने वाली इकाइयों पर निर्यात करने की बाध्यता समाप्त करनी चाहिए तथा **"घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों (DTAs)[28]"** में अपने उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री की अनुमति देनी चाहिए।
  - कोई भी क्षेत्र जो भारत में SEZ या किसी अन्य कस्टम बॉन्डेड ज़ोन के बाहर स्थित है, उसे **DTA के रूप में जाना जाता है।**
- SEZ को आवंटित भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए उपाय करने की जरूरत है। इनमें भूमि उपयोग से संबंधित उदार नियम, औद्योगिक एन्क्लेव विकसित करने के लिए क्षेत्रक-विशेष का चयन जैसी बाध्यता को दूर करना शामिल है।
- **SEZ नीति के साथ "PLI योजनाओं[29] का एकीकरण** करने से भारतीय अर्थव्यवस्था की औद्योगीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है।

3.6.3. मानकीकरण संबंधी फ्रेमवर्क (Standardization Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारत को उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक निर्धारण में अग्रणी बनाने की बात कही।

मानकीकरण का महत्त्व:

- यह **आर्थिक संवृद्धि का समर्थन** करता है तथा वस्तुओं और सेवाओं को बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- यह **तकनीकी विकास को बढ़ावा** देता है और **नवाचार का समर्थन** करता है।
- यह **स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित चिंताओं का समाधान** करता है।

भारत में इससे संबंधित प्रक्रियाएं

- भारत में **मानक विकास प्रक्रिया** काफी हद तक सरकार के हाथ में है। **BIS राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने वाले संगठन के रूप में कार्य** करता है।
  - BIS को संसद के **1986** के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसने **1 अप्रैल 1987** से कार्य करना शुरू किया था।
    - बाद में **भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016** के द्वारा इसे **राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था** के रूप में स्थापित किया गया था।
  - यह **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है। इस मंत्रालय का **मंत्री BIS का अध्यक्ष** होता है।
  - **BIS के कुछ प्रमाणीकरण:** ISI (औद्योगिक उत्पाद), BIS हॉलमार्क (कीमती धातु), और इको मार्क (पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद)।
- **मानकों के विकास के लिए शुरू की गई अन्य पहलें:**
  - **राष्ट्रीय मानक कार्य योजना (SNAP)** आरंभ की गई है;
  - **मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति (INSS)** बनाई गई है;
  - **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** की स्थापना की गई है। इसकी **"मानक विकास संगठनों (SDOs) के एक्रेडिटेशन (प्रत्यायन या मान्यता) के लिए योजना"** चलाई जा रही है
  - भारतीय गुणवत्ता परिषद ने QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क[30] की शुरुआत की।
  - BIS की **एक राष्ट्र एक मानक** योजना लागू की गई है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)[31] के बारे में

- इसे **1996 में प्रत्यायन (Accreditation) के राष्ट्रीय निकाय** के रूप में स्थापित किया गया था। यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त गैर-लाभकारी संगठन** है।
- इसे **केंद्र सरकार, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)** ने संयुक्त रूप से स्थापित किया था।

[28] Domestic Tariff Areas

[29] Production-Linked Incentive/ उत्पादन-से-सम्बद्ध प्रोत्साहन

[30] Surajya Recognition & Ranking Framework

[31] Quality Council of India

- **QCI की भूमिका:**
  - **राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (NAB)[32]:** इसका कार्य वैश्विक मानकों के अनुरूप **राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा** देना है।
  - यह **उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं** के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए एक तंत्र का गठन करता है।
  - यह भारत के नागरिकों के **जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में सुधार** के लिए प्रयास करता है।

QCI की उपलब्धियां:

- **स्वास्थ्य देखभाल:** इसने देश भर में कोविड-19 से संबंधित परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार करने के लिए **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)** के साथ कार्य किया है।
  - इसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ **आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम, स्वास्थ्य केंद्रों की स्वच्छता के लिए कायाकल्प प्रमाणन** आदि में भी सहयोग किया है।
- **स्वच्छता:** यह शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का **ODF (खुले में शौच मुक्त), ODF+, ODF++** के रूप में प्रमाणन करता है।
- **शिक्षा:** इसने **ईक्वेस्ट (eQuest)** की शुरुआत की है। यह कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के लिए **ई-क्वालिटी प्लेटफ़ॉर्म** है।
- **कृषि:** यह सार्क देशों में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस (GAP) के कार्यान्वयन व प्रमाणन के लिए मानकों व योजनाओं का विकास कर रहा है। GAP खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की एक परियोजना है।

3.7. डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)

3.7.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure: DPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट' जारी की गई है। यह रिपोर्ट **'आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स'** ने जारी की है।

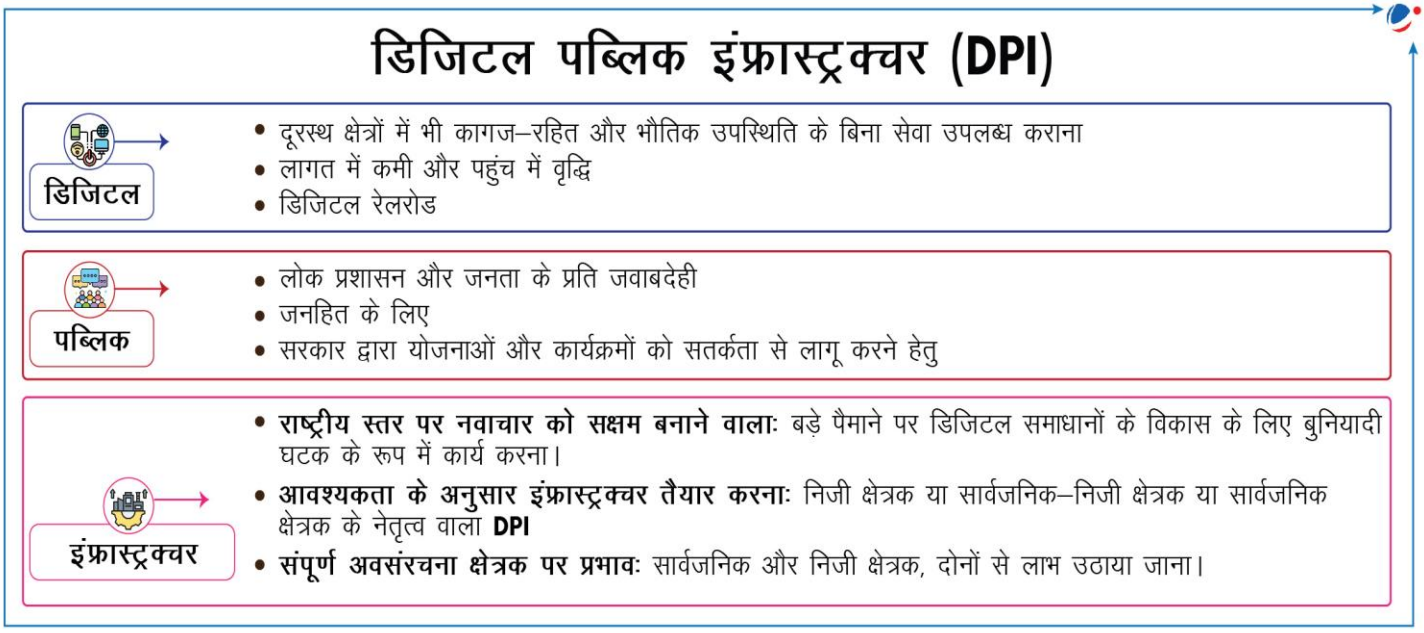

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

- यह **साझा डिजिटल सिस्टम्स** का एक सेट है, जो-
  - **सुरक्षित और इंटर-ऑपरेबल** होना चाहिए,

[32] National Accreditation Body

- **खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना** चाहिए, ताकि यह सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/ या निजी सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित कर सके।
- **लागू कानूनी फ्रेमवर्क और सक्षम नियमों द्वारा शासित** होना चाहिए, ताकि विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सके तथा मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान कर सके।

DPI का महत्त्व

- **विकास में तेजी लाना:** इसका आर्थिक विकास पर काफी असर पड़ता है।
- **नवाचार को बढ़ावा:** DPI लेन-देन की लागत कम करता है, एक-दूसरे के बीच समन्वय के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है तथा निजी पूंजी को आकर्षित करता है। इसके परिणामस्वरूप नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **समावेशी विकास:** DPI विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, महिलाएं, SMEs जैसे कमजोर समूहों की विभिन्न सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इससे समूहों के बीच मौजूद असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिए- भारत में खोले गए बैंक खातों की संख्या 2015 की 147.2 मिलियन से तीन गुना बढ़कर 2023 में 508.7 मिलियन हो गई। इनमें 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- **प्रभावी तरीके से सार्वजनिक सेवा वितरण:** उदाहरण के लिए- DPI ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत प्रभावी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) को संभव बनाया है। इससे सरकार को लगभग 41 बिलियन डॉलर की बचत हुई है।
- **व्यक्तियों को सशक्त बनाना:** DPI **व्यक्तियों की आर्थिक प्रगति** सुनिश्चित करके तथा उनके पैसे और डेटा पर नियंत्रण जैसे प्रमुख **डिजिटल अधिकारों** की रक्षा करके व्यक्तियों को सशक्त बनाता है।

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में

- **इंडिया स्टैक:** यह भारत का अपना मूलभूत DPI है। इसमें 3 परस्पर जुड़ी लेयर्स शामिल हैं:
  - **आइडेंटिटी लेयर-** (जैसे, आधार नंबर, e-KYC आदि),
  - **पेमेंट लेयर-** (जैसे, UPI, आधार पेमेंट ब्रिज आदि) और
  - **डेटा गवर्नेंस लेयर-** (जैसे, डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर आदि)।

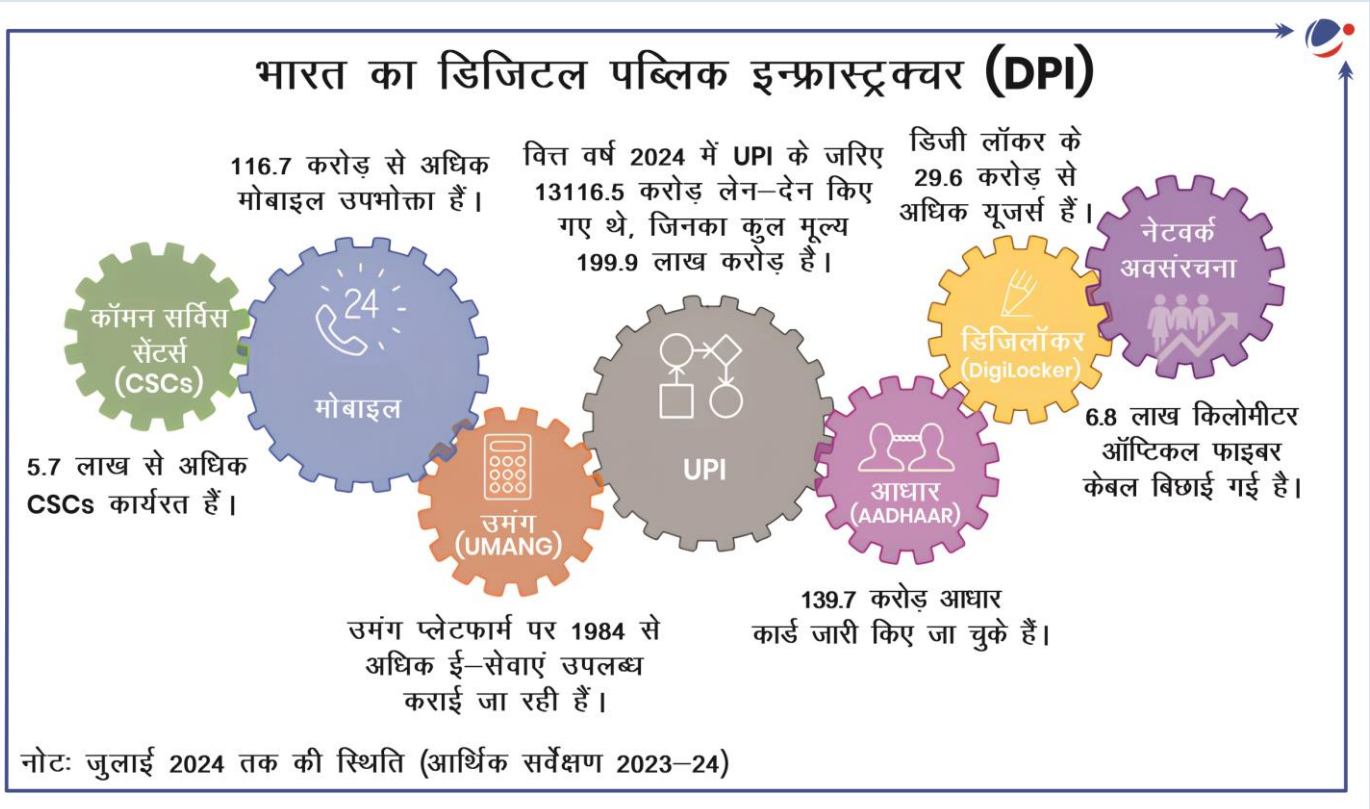

DPI के लिए वैश्विक प्रयास

- **डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG):** यह **DPI एप्रोच पर** किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर देशों द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार की गई **पहली आम सहमति** है।
- **वन फ्यूचर अलायंस:** यह **G20 इंडिया प्रेसीडेंसी** द्वारा प्रस्तावित एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य **क्षमता निर्माण करना तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में DPI** को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्त-पोषण प्रदान करना है।
- **ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी (GDPIR):** इसकी घोषणा 2023 में G20 वर्चुअल लीडर्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसे DPI पर एक केंद्रित संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।
  - ग्लोबल साउथ के देशों में DPI कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए **सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF)** की भी घोषणा की गई।
- **यूरोपीय संघ 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)':** भारत और यूरोपीय संघ अन्य देशों में DPI के विकास और उपयोग में तेजी लाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए है।

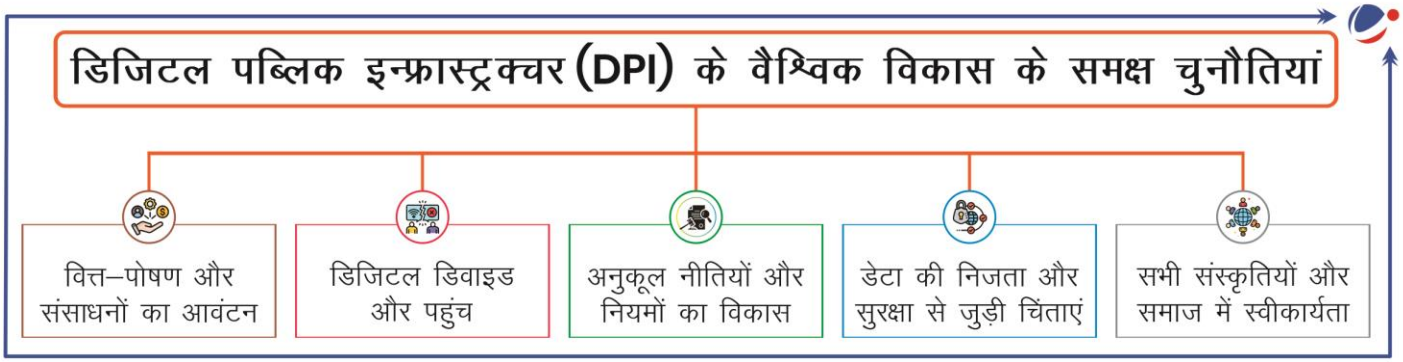

वैश्विक स्तर पर DPI को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका

- **पहचान प्रणाली: IIIT[33], बेंगलुरु** ने **मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (MOSIP)** की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अन्य देशों को **"आधार" जैसी प्रणाली विकसित करने में मदद करना** है।
  - अब तक श्रीलंका, सिएरा लियोन जैसे 10 से अधिक देशों ने MOSIP प्रोजेक्ट्स आरंभ कर दिए हैं।
- **भुगतान लिंकेज:** भारत ने अपनी **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए** अलग-अलग देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में **सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस**, इत्यादि शामिल हैं।
- **G-20 के मंच पर भी आम सहमति:** भारत की अध्यक्षता में संपन्न G-20 सम्मेलन में भी भागीदार देशों ने DPI फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने और अपनाने हेतु आम सहमति व्यक्त की है।
- **वैकल्पिक मॉडल:** भारत के **DPIs पारंपरिक "बिग टेक" दृष्टिकोण के लिए एक वैकल्पिक मॉडल** प्रस्तुत करते हैं। यह मॉडल सार्वजनिक स्वामित्व सुनिश्चित करने और अति-महत्वपूर्ण अवसंरचना[34] की सुरक्षा पर बल देता है।
- **वन फ्यूचर एलायंस (OFA):** भारत ने LMICs के भीतर DPI को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता तथा वित्तीय सहायता देने के लिए OFA का प्रस्ताव रखा है।
- **ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर:** ओपन सोर्स तकनीक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने अति-महत्वपूर्ण अवसंरचना के निजीकरण पर रोक लगाई है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर DPIs को अपनाना और सरल हो जाएगा।

आगे की राह

- रिपोर्ट में सिफारिश की गई "**3 पिलर्स DPI एप्रोच**" को अपनाया जाना चाहिए (इमेज देखें)।

[33] International Institute of Information Technology/ अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

[34] Critical infrastructure

- ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के गहन शोध और विश्लेषण आधारित **व्यापक तथा चरणबद्ध दृष्टिकोण** को अपनाने की आवश्यकता है।
- **खुले और रीयूजेबल प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क का समर्थन करना चाहिए।** उदाहरण के लिए- **देशों की संप्रभुता और डेटा स्वामित्व सुनिश्चित** करते हुए, कुछ तरह की DPI का उपयोग करने के लिए देशों को प्लग एंड प्ले करने की अनुमति देने हेतु **रीयूजेबल** प्रबंधित सर्विस मॉडल का पता लगाया जाना चाहिए।
- DPI के उपयोग से जुड़े अपने अनुभव साझा करने के लिए **वार्षिक DPI फोरम** आयोजन के जरिए संवाद और क्रियान्वयन को बढ़ावा देना चाहिए।
  - ग्लोबल साउथ के देशों को विशेष रूप से अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं हेतु DPI पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए **ग्लोबल साउथ फोरम** की स्थापना करनी चाहिए।
- DPI पर **केंद्रित संस्थान** की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्थान उचित तकनीक और शैक्षणिक विशेषज्ञता के साथ नीतिगत पहलुओं और रणनीतियों के निर्माण तथा इनके कार्यान्वयन पर कार्य करेगा। ।

3.7.2. डिजिटल एकाधिकार (Digital Monopoly)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक अमेरिकी जिला अदालत ने निर्णय दिया है कि गूगल ने अपने दो प्रोडक्ट मार्केट्स; **जनरल सर्च सर्विसेज (GSS) और जनरल टेक्स्ट एडवरटाइजिंग** में अपना एकाधिकार बनाकर रखा है। अदालत के अनुसार गूगल की यह गतिविधि **अमेरिकी एंटी-ट्रस्ट कानून "शर्मन एक्ट (Sherman Act)" का उल्लंघन** है।

- एंटी-ट्रस्ट कानून **प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों और एकाधिकार वाले व्यवहार** पर रोक लगाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को फंसाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से बचाया जा सके।

गूगल का डिजिटल एकाधिकार (जैसा कि निर्णय में उजागर किया गया है)

- **जनरल सर्च सर्विसेज (GSS) मार्केट** में गूगल की 89.2% हिस्सेदारी है। मोबाइल डिवाइसेज में हिस्सेदारी बढ़कर 94.9% हो गई है।
  - **जनरल टेक्स्ट एडवरटाइजिंग मार्केट में भी** 2020 में गूगल की हिस्सेदारी 88% थी।
- गूगल ने **अपना एकाधिकार बनाए रखा है और प्रतिस्पर्धा को दबा दिया है। यह निम्नलिखित तरीकों से संभव हुआ है:**
  - गूगल का **प्रमुख डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर लगभग पूरा नियंत्रण** है। इस तरह अन्य सर्च इंजन कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल हो गया है।
    - डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स व्यक्तियों और संगठनों का नेटवर्क हैं, जो किसी उत्पाद या सेवा को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने में शामिल होते हैं, जैसे-ऐप स्टोर।
  - एप्पल, सैमसंग और वेरिजॉन के साथ **गूगल ने समझौते** कर लिए हैं। इससे इन कंपनियों की डिवाइसेज पर गूगल सर्च डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है।

डिजिटल एकाधिकार क्या है?

- **डिजिटल एकाधिकार (Digital Monopoly):** यह वह स्थिति है जब कोई एकल **कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म** अपने उत्पाद से संबंधित डिजिटल इकोसिस्टम और बाजार पर **वर्चस्व बनाए रखती** है।
  - **इस तरह की कंपनियों के उदाहरण हैं:** गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां।

डिजिटल एकाधिकार की प्रमुख विशेषताएं				
प्रभुत्व: जैसे कि कंपनी की बाजार में व्यापक हिस्सेदारी	**प्रवेश में अधिक बाधाएं:** जैसे- नए प्रतिस्पर्धियों को उच्च लागत, डेटा तक पहुंच मुश्किल आदि।	**नेटवर्क प्रभाव:** मजबूत नेटवर्क प्रभाव के कारण प्लेटफॉर्म आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है।	**डेटा और सूचना पर नियंत्रण**	**प्रतिस्पर्धा की कमी**

डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए भारत की पहलें

- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:** यह कानून ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटप्लेस के कार्यों को प्रशासित करने के लिए बनाया गया है। इन नियमों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों को रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।
- **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023:** इस संशोधन के जरिए हाई-वैल्यू वाले और डेटा के मामले में समृद्ध कंपनियों के विलय/ अधिग्रहण के लिए विलय अधिसूचना संबंधी सीमा[35] और डील वैल्यू पर ऊपरी सीमा तय की गई है। इसका आशय है कि किसी विलय या सौदे में शामिल लेन-देन की राशि तय सीमा से अधिक होने पर CCI की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में डिजिटल एकाधिकार को रोकना है।
    - **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों की भी जांच करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम[36], 2023:** यह कुछ बड़ी टेक कंपनियों के पास डेटा संकेंद्रण को रोकने के लिए डेटा के महत्त्व पर जोर देता है और इस हेतु प्रावधान करता है।
- **प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट (DIA):** इसमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स कंपनियों सहित अलग-अलग डिजिटल कंपनियों को विनियमित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा:** इसका उद्देश्य सभी सरकारी निकायों में गैर-व्यक्तिगत और गुमनाम डेटा के लिए मानकीकृत डेटा प्रबंधन और सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना है।
- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2024 का ड्राफ्ट:** इसका उद्देश्य संभावित एंटी-ट्रस्ट मुद्दों के आधार पर पूर्वानुमानित विनियमन और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDE)[37] की पहचान करना है।

आगे की राह (डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून, 2024 पर गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर)

- **एक्स-एंटे उपायों के साथ एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाना चाहिए:** अभी अधिकांश मामलों में प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों या गतिविधियों के सामने आने के बाद जांच की जाती है। इसके बदले में प्रस्तावित कानून में वित्तीय विश्लेषण का एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों या कार्यों का पूर्वानुमान कर सके।
- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्ती (SIDIs)[38] व्यवस्था शुरू करना:** कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहचान करके उन्हें SIDIs के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इनके लिए एक्स-एंटे नियम और दायित्व तय किए जाने चाहिए।
- **विलय पर नियंत्रण की व्यवस्था में सुधार:** विलय संबंधी सौदों को **CCI से मंजूरी अनिवार्य करने के लिए सौदे में शामिल राशि की ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए।** विलय का आकलन करते समय सौदे के मूल्य में डेटा और नवाचार जैसे गैर-मूल्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को सशक्त बनाना:** डिजिटल डोमेन में प्रतिस्पर्धा संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए CCI की संस्थागत क्षमता और विशेषज्ञता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।
- CCI, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) जैसे **अलग-अलग विनियामक प्राधिकरणों** के बीच **बेहतर तालमेल सुनिश्चित** करने पर ध्यान देना चाहिए।
- डिजिटल प्रतिस्पर्धा विनियमन हेतु **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व के बेहतरीन नियम अपनाने को बढ़ावा देने की** आवश्यकता है।

3.7.2.1. डार्क पैटर्न (Dark Patterns)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने **"कॉन्शियस पैटर्न्स"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग **सभी भारतीय ऐप्स अपने व्यवसाय में भ्रामक या डार्क पैटर्न्स** का उपयोग करती हैं।

[35] Merger notification thresholds

[36] Digital Personal Data Protection Act

[37] Systematically Significant Digital Enterprise

[38] Systemically Important Digital Intermediaries

डार्क पैटर्न के बारे में

- **परिभाषा:** यह उन व्यावसायिक कार्य-पद्धतियों को व्यक्त करता है, जो डिजिटल चॉइस आर्किटेक्चर के तत्वों का इस तरह से उपयोग करती हैं, जिससे उपभोक्ता की स्वायत्तता, उसके निर्णय या पसंद आदि विकृत हो जाते हैं।
- **प्रभाव:** यूजर्स को अक्सर वित्तीय नुकसान होता है। साथ ही, डेटा उल्लंघन और निजता को खतरे जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
- **पहल:** ASCI और उपभोक्ता कार्य विभाग ने **2023 में डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए थे।

ASCI अध्ययन द्वारा पहचाने गए प्रमुख डार्क पैटर्न

- **निजता से धोखाधड़ी:** इन ऐप्स द्वारा यूज़र्स को उनकी जानकारी और इच्छा के बिना अधिक पर्सनल डेटा साझा करने के लिए बाध्य किया जाता है- उदाहरण के लिए, लोकेशन ट्रैकिंग की अनुमति मांगना।
- **इंटरफेस द्वारा प्रेरित हस्तक्षेप:** ये ऐप्स स्वयं द्वारा पेश किए गए ऑफर के बारे में **अधूरी जानकारी देकर यूजर्स को आगे कार्य करने के लिए गलत तरीके से निर्देशित** करते हैं- उदाहरण के लिए, कैशबैक अनलॉक करना।
- **ड्रिप प्राइसिंग:** यह एक ऐसा तरीका है, जिसमें उत्पाद लागत के अन्य मूल्य पहले नहीं दिखाए जाते हैं। उत्पाद का कुल मूल्य केवल खरीद प्रक्रिया के अंत में या खरीद की पुष्टि के बाद दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, पैकेजिंग शुल्क।
- **झूठी तात्कालिकता:** इसके जरिए यूजर पर **कृत्रिम दबाव पैदा** किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि किसी विशेष उत्पाद/ सेवा की मात्रा बहुत सीमित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए- केवल कुछ सीटें ही उपलब्ध बताना।
- **कंफर्म शेमिंग:** किसी कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए यूजर्स को भ्रमित करने हेतु अपराध बोध या सामाजिक दबाव का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, अभी अपग्रेड करें बनाम मुझे अधिक स्मार्ट सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए के बीच चयन करना।

कॉन्शियस पैटर्न वेबसाइट

- अध्ययन के आधार पर एक **"कॉन्शियस पैटर्न वेबसाइट"** बनाई गई है।
- यह निर्माताओं को **डिजिटल रूप से जागरूक उत्पाद बनाने में सक्षम** बनाती है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को **ऑनलाइन तथ्य आधारित विकल्प उपलब्ध** कराना है।

3.8. लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना (Logistics and Infrastructure)

3.8.1. रेलवे सुरक्षा (Railway Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पिछले छह महीनों में ट्रेन के पटरी से उतरने/टकराने की कई घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।

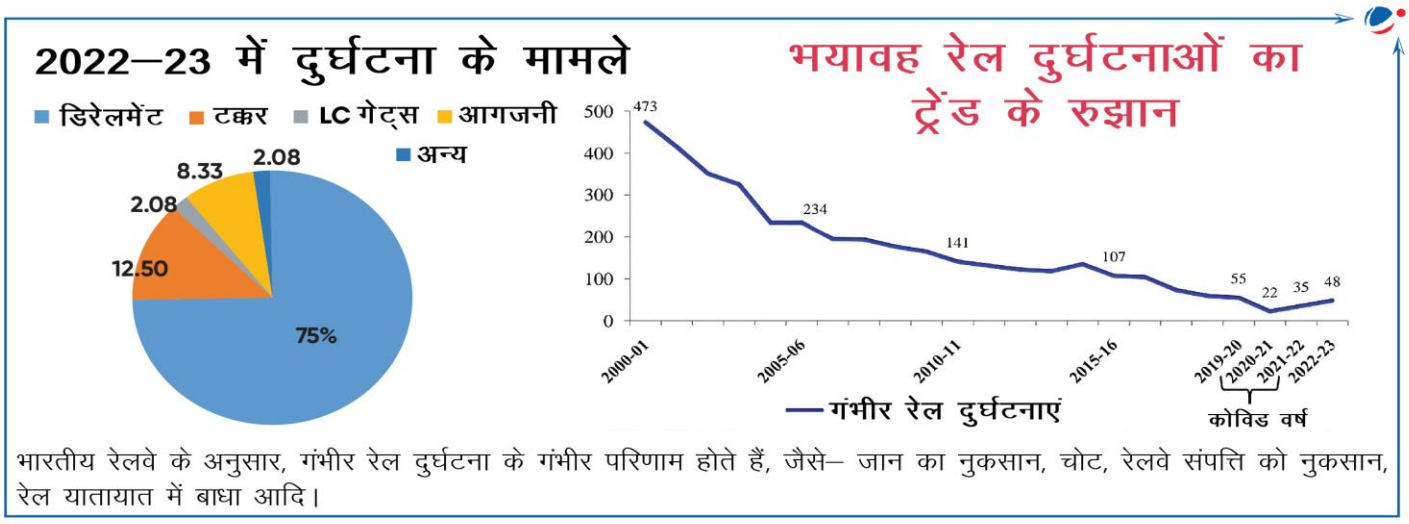

भारतीय रेलवे के अनुसार, गंभीर रेल दुर्घटना के गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे– जान का नुकसान, चोट, रेलवे संपत्ति को नुकसान, रेल यातायात में बाधा आदि।

रेल दुर्घटनाओं के कारण

- **ट्रेनों का पटरी से उतरना:** इसका कारण इंजन, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, सिग्नल आदि का सही ढंग से रख-रखाव न करना एवं परिचालन संबंधी अन्य अनियमितताएं हो सकती हैं।
- **मानवीय भूल (ह्यूमन एरर):** इस प्रकार की गलतियां इंसानी भूल के कारण होती है। इसमें रेलवे स्टाफ के साथ-साथ सड़क यात्री, सवारी, उपद्रवी आदि भी शामिल हैं।
  - भारतीय रेलवे के अनुसार, **लगभग 75% रेल दुर्घटनाएं 'रेलवे स्टाफ की गलती' के कारण होती** हैं।
- **सिग्नल फेलियर:** खराब या क्षतिग्रस्त ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर, सिग्नल फेलियर के प्रमुख कारण हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** दोषपूर्ण सिग्नल सर्किट मॉडिफिकेशन के कारण गलत सिग्नलिंग हुई, जिसके कारण 2023 में बालासोर में ट्रेन की टक्कर हुई।
- **रेलवे कोचों में आग लगने की घटनाएं:** यात्रियों द्वारा अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ ले जाने; शॉर्ट सर्किट लगने; पैंट्री कार के कर्मचारियों, लीज ठेकेदार की लापरवाही जैसे कारणों से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं।
- **मानव संसाधन:** भारतीय रेलवे के सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यबल में लगभग 20,000 पद रिक्त हैं।
  - सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोको क्रू, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर आदि शामिल हैं।

रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

- **कवच प्रणाली (KAVACH System)**: यह **स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली** (ATP)[39] है। यह सिस्टम कैब सिग्नलिंग जैसी विशेषताएं से युक्त है जो उच्च रफ्तार और कोहरे वाले मौसम में भी कार्य कर सकता है।
  - तकनीकी भाषा में इसे **ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS)** या **ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (ATP) सिस्टम** के नाम से जाना जाता है।
- **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK):** इसकी स्थापना वर्ष 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए की निधि से की गई थी। इसे पाँच वर्ष की अवधि में रेलवे सुरक्षा से जुड़ी महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करने संबंधी कार्यों के लिए स्थापित किया गया था।
- **नई प्रौद्योगिकी का उपयोग: GPS-आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस** लोकोमोटिव पायलटों को कोहरे वाले क्षेत्रों में आगे के सिग्नलों और क्रॉसिंगों के बारे में सचेत करती है। इससे कम दृश्यता की स्थिति में मदद मिलती है।
- **मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त किया गया है:** ब्रॉड गेज (BG) मार्ग पर सभी "मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (UMLCs)" को जनवरी 2019 तक समाप्त कर दिया गया था।
- **सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली** (SIMS)[40]: जोनल रेलवे (ZRs) और रेलवे बोर्ड (RB) के बीच दुर्घटना की रिपोर्टिंग, विश्लेषण और जानकारी साझा करने के लिए एक तेज और कुशल प्रणाली स्थापित करने हेतु, रेलवे बोर्ड के सुरक्षा निदेशालय द्वारा 2016 में एक वेब आधारित एप्लिकेशन SIMS विकसित किया गया।
- **अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग:** भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दीवार पैनलिंग, फर्श, छत पैनलिंग सहित आंतरिक साज-सज्जा में अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग किया है।

आगे की राह

- **रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण (Railway Safety Authority):** काकोदकर समिति की सिफारिश के अनुरूप रेलवे के परिचालन मोड पर सुरक्षा निगरानी रखने के लिए एक वैधानिक "रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण" गठित किए जाने की आवश्यकता है। इन्हें अधिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए।
  - वर्तमान में, रेलवे बोर्ड द्वारा तीन महत्वपूर्ण कार्य (नियम बनाना, संचालन और विनियमन) किए जाते हैं।
- **विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क:** नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की 'भारत में रेलवे का ट्रैक से उतरना' शीर्षक वाली 2021 की रिपोर्ट में सुरक्षा कार्यों के लिए एक **'विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क'** बनाने की सिफारिश की गई है। इसे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK) से फंड प्राप्त होगा।
  - यह फ्रेमवर्क सुरक्षा के लिए शुरू की गई प्रत्येक पहल के परिणामों का मूल्यांकन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि RRSK फंड अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करें और रेलवे सुरक्षा में प्रभावी रूप से सुधार करें।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लिकेशन विकसित करना:** AI, स्टेशनों और ट्रेनों से बड़े पैमाने पर प्राप्त होने वाले डिजिटल डेटा का विश्लेषण कर सकता है, गंभीर अनियमितताओं की पहचान कर सकता है और बेहतर सुरक्षा निगरानी के लिए शीर्ष रेलवे प्रबंधन को तुरंत सचेत कर सकता है।

[39] Automatic Train Protection System

[40] Safety Information Management System

- **ट्रैक सुरक्षा सहनशीलता (Track Safety Tolerances)**: खन्ना समिति की सिफारिश के अनुसार अलग-अलग स्पीड और ट्रैक की श्रेणियों के लिए सुरक्षा सहनशीलता निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO)[41] द्वारा विश्व के देशों में अपनाई जाने वाली कार्य पद्धतियों तथा रेल व्हील इंटरेक्शन के सभी पक्षों का अध्ययन करने की जरूरत है।
- **बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाना:** मुंबई उपनगर की लंबे समय से चली आ रही स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियां एक सफल मॉडल के रूप में काम करती हैं। ट्रेन सुरक्षा के लिए देश भर में इनका उपयोग किया जा सकता है।

रेल सुरक्षा पर विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां

- **यूरोप: यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ETCS)** एक प्रकार का सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। इसे रेलवे परिवहन की सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए पूरे यूरोप में लागू किया जा रहा है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** यहां की **ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली** का उद्देश्य ट्रेनों को सिग्नल का उल्लंघन करने से रोकना तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करके सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **जापान:** स्वचालित ट्रेन नियंत्रण (Automatic Train Control) प्रणाली का उपयोग स्पीड सिग्नल्स के अनुसार ट्रेन की गति को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

3.8.2. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Transshipment Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने केरल के **विझिनजाम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर मल्टीपर्पज सी-पोर्ट** में नवनिर्मित अर्ध-स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का स्वागत किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- विझिनजाम बंदरगाह का स्वामित्व **केरल सरकार** के पास है।
- इस बंदरगाह को वर्तमान में **"लैंडलॉर्ड मॉडल"** के आधार पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही, इसे **"डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT)"** के आधार पर **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** घटक के तहत विकसित किया जा रहा है।
  - "लैंडलॉर्ड मॉडल" के अंतर्गत **पोर्ट अथॉरिटी 'विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड'** के रूप में कार्य करती है, जबकि **बंदरगाह के संचालन (विशेष रूप से कार्गो हैंडलिंग) का दायित्व निजी कंपनियों** के पास होता है।

ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में

- **ट्रांसशिपमेंट हब** ऐसे बंदरगाह होते हैं, जिनका मालवाहक जहाज के स्रोत और उसके गंतव्य बंदरगाहों से कनेक्शन होता है। इसका आशय है कि **एक जहाज से माल या कार्गो को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले ट्रांसशिपमेंट हब में दूसरे जहाज में लादा** जाता है।
  - **छोटे कार्गो के पार्सल को एक बड़े जहाज पर लादा जाता है,** जो दूसरे देशों के दूर के बंदरगाहों तक यात्रा करते हैं।

ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भारत का महत्त्व

- **राजस्व सृजन:** ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग सुविधा नहीं होने की वजह से देश के बड़े बंदरगाहों को लगभग **200-220 मिलियन डॉलर का राजस्व घाटा** होता है। इस घाटे से बचा जा सकता है। साथ ही, ट्रांसशिपमेंट हब होने से बंदरगाहों पर **आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि** होगी।

[41] Research Design & Standards Organisation

- **भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो** को भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है।
  - **कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग (मलेशिया) बंदरगाह इनमें से 85% ट्रांसशिपमेंट कार्गो** को हैंडल करते हैं।

- **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना:** देश का अपना ट्रांसशिपमेंट हब होने से विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय बचत होगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा और व्यापार में वृद्धि होगी।
  - बंदरगाह के आसपास जहाजों से जुड़े व्यवसायों का विकास होगा, जैसे- **जहाज़ की मरम्मत, वेयरहाउसिंग, बंकरिंग आदि**।
- **आत्मनिर्भरता:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हिंद महासागर में बंदरगाह संबंधी अवसंरचनाओं में **चीन का बढ़ता प्रभाव** एवं विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता **देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा** है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण:** शिपिंग कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होने से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का एकीकरण बाधित हुआ है। **विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2%** ही है।

ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के विकास में मौजूद समस्याएं

- **भारतीय बंदरगाहों के पास जल की प्राकृतिक गहराई अपेक्षाकृत कम है:** मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर और तूतीकोरिन जैसे बड़े भारतीय बंदरगाहों की प्राकृतिक गहराई केवल 10-14 मीटर है।
  - एक अच्छे ट्रांसशिपमेंट हब के लिए **20-मीटर गहराई की आवश्यकता** होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों से दूरी:** उदाहरण के लिए- पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर मौजूद हमारे देश के बड़े बंदरगाह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से काफी दूरी पर अवस्थित हैं।
- **श्रम संबंधी मुद्दे:** बड़े भारतीय बंदरगाह अपने-अपने बंदरगाहों पर लगातार श्रमिक हड़तालों, भीड़भाड़, दक्षता की कमी एवं कर्मियों की कम उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
- **अन्य समस्याएं:** फंडिंग की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अक्षमताएं, **विदेशी बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना** (जैसे कोलंबो, दुबई, सिंगापुर, जबेल अली, पोर्ट केलांग, आदि)।

भारत में बंदरगाहों के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

- **मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047:** यह भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा है।
- **नए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास:** इनका विकास अंडमान और निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार की गैलाथिया खाड़ी तथा कोचीन के वल्लारपदम में किया जा रहा है ।
- **टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021:** ये दिशा-निर्देश PPP ऑपरेटर्स को बाजार द्वारा निर्धारित टैरिफ को तय करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** मौजूदा बंदरगाहों **(विशेष रूप से ड्राई कार्गो के मामले में)** की क्षमता बढ़ाने के लिए **आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीकों** में निवेश बढ़ाने की जरुरत है।

- **सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के आधार पर परियोजनाएं शुरू करना:** विदेशी शिपिंग कंपनियों को **आकर्षित करने** के लिए करों को व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए तथा **PPP परियोजनाओं को मंजूरी देने** के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- **कौशल विकास पहल:** स्थानीय कार्यबल को कुशल बनाने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए।
  - प्रायोगिक अनुसंधान और विकास में अवसर प्रदान करने के लिए IITs/ NITs/ IIMs के सहयोग से **तटीय और अंतर्देशीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्रों** (CMICT)[42] की स्थापना की जानी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा:** भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के समकक्ष लाने के लिए लागत दक्षता, टर्नअराउंड समय एवं ग्राहक सेवा से जुड़ी प्रमुख समस्यायों की पहचान करनी होगी एवं इन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा।
- **तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP)[43] तैयार करना:** बंदरगाहों को पूर्व में जारी पर्यावरण मंजूरी के आधार पर भविष्य की निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए CZMP तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है।

3.8.3. ई-मोबिलिटी (E-Mobility)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **"ई-मोबिलिटी R&D रोडमैप फॉर इंडिया" रिपोर्ट** जारी की है।

प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास (R&D) रोडमैप	
क्षेत्र	**आवश्यक उपाय**
ऊर्जा भंडारण सेल	• अधिक लिथियम भंडार खोजने की प्रक्रिया में तेजी लाना, लिथियम निकालने हेतु विश्व स्तर पर उपलब्ध और सफल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, लिथियम-आयन बैटरी/ सेल उत्पादन की मौजूदा आपूर्ति-श्रृंखला रणनीतियों का उपयोग करना।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) एग्रीगेट्स	• हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (HESS)[44] पर जोर देना, बैटरी और सुपरकैपेसिटर जैसी अलग-अलग ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को संयोजित करना।
मटेरियल और रीसाइक्लिंग	• रीसाइक्लिंग वैल्यू चेन की आर्थिक उपयोगिता का विश्लेषण करना, पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी और रिपोर्टिंग के तरीकों को लागू करना, आदि।
चार्जिंग और रिफ्यूलिंग	• सड़क के नीचे ट्रांसमिटिंग पैड लगाने के लिए उपयुक्त सड़क अवसंरचना, गतिशील वायरलेस चार्जिंग प्रौद्योगिकी के लिए स्केलेबल सिस्टम डिजाइन करना, एडाप्टिव चार्जिंग तकनीकों का डिजाइन और विकास करना, आदि।

देश में ई-मोबिलिटी की/के लिए आवश्यकता

- **पर्यावरण संधारणीयता:** परिवहन क्षेत्रक से प्रतिवर्ष लगभग 142 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन होता है। इनमें से 123 मिलियन टन अकेले सड़क परिवहन क्षेत्रक से उत्सर्जित होता है।
  - ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने से **पार्टिकुलेट मैटर** और **नाइट्रोजन ऑक्साइड** (NO_X) के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रमुख कारण हैं।

[42] Centers for Coastal and Inland Maritime Technology

[43] Coastal Zone management Plan

[44] Hybrid Energy Storage Systems

- यह कदम **सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** तथा **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के **COP26 (ग्लासगो)** में प्रस्तुत **पंचामृत जलवायु कार्य योजना** जैसी **वैश्विक प्रतिबद्धताओं** के अनुरूप होगा।

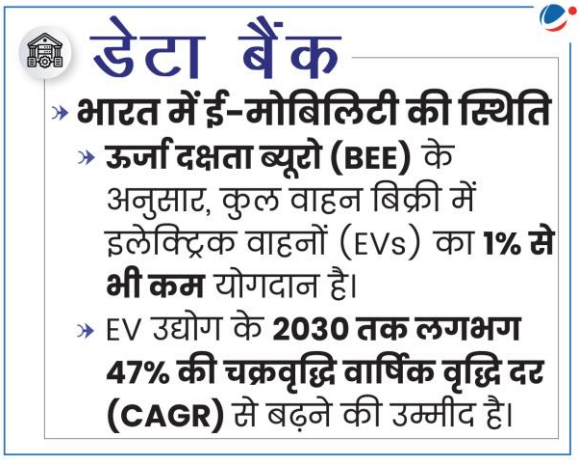

- **आयात पर निर्भरता कम करना:** भारत में कुल ऊर्जा खपत में परिवहन क्षेत्रक का योगदान 18% है। इस मांग को मुख्य रूप से आयातित कच्चे तेल के जरिए पूरा किया जा रहा है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से कच्चे तेल की अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
- **निर्यात क्षमता:** भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाज़ार है। इस ताकत और क्षमता को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात की दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **अन्य:** इस क्षेत्र में 10 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार और 50 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की क्षमता है, इलेक्ट्रिक वाहनों के कम रख-रखाव में लागत कम आती है, आदि।

ई-मोबिलिटी को अपनाने में चुनौतियां

उच्च लागत: महंगी बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को बढ़ाती है।	**चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:** नीति आयोग की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, भारत में करीब 2000 चार्जिंग स्टेशन हैं। चार्जिंग स्टेशनों की कमी से रेंज एंग्जायटी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।	**ई-अपशिष्ट प्रबंधन:** इस्तेमाल की गई लगभग 90% बैटरियों को या तो असंगठित उद्योग द्वारा प्रोसेस किया जाता है या फिर लैंडफिल और कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है।	**जटिल/ कमजोर आपूर्ति श्रृंखला:** ई-मोबिलिटी वैल्यू चेन कोबाल्ट, लिथियम और निकल जैसे प्रमुख तत्वों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।	**मानकीकरण का अभाव:** इलेक्ट्रिक वाहनों के अलग-अलग विनिर्माता अलग-अलग तरह की बैटरियां, चार्जिंग कनेक्टर और पावरट्रेन का इस्तेमाल करते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024):** इसे भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने शुरू किया है।
- **PLI योजनाएं:** भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[45] योजना शुरू की गई है, ताकि एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।
  - एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) के विनिर्माण के लिए PLI योजना शुरू की गई है, ताकि देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाई जा सके।
- **फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) इंडिया:** फेम इंडिया योजना चरण- II के तहत "चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP)[46]" शुरू किया गया है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को कम किया गया है:**
  - इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5% किया गया है;
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/ चार्जिंग स्टेशनों पर GST को 18% से घटाकर 5% किया गया है।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना:** विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर – दिशानिर्देश और मानक" जारी किए हैं।
  - विद्युत मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय स्तर पर चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

आगे की राह

- **बैटरी टेक्नोलॉजी स्वैपिंग नीति तैयार करना:** बैटरी स्वैपिंग से आशय बैटरी स्वैपिंग ऑपरेटर (BSO) के नेटवर्क के भीतर किसी स्वैपिंग स्टेशन पर खाली बैटरी को पूरी तरह चार्ज की गई बैटरी से बदलना है।

[45] Production Linked Incentive

[46] Phased Manufacturing Programme

- **मानकीकरण:** सभी हितधारकों को चार्जिंग पोर्ट आदि के क्षेत्र में सामान्य मानक अपनाने के लिए एक साथ आना होगा, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके।
- **बुनियादी ढांचे पर ध्यान: व्यक्तिगत निवेशकों**, **महिला स्वयं सहायता समूहों** और **सहकारी समितियों को** सुनिश्चित रिटर्न का प्रस्ताव करके चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - बैटरी, सेल और EV ऑटो घटकों के विनिर्माण के लिए **समर्पित विनिर्माण केन्द्र** और **औद्योगिक पार्क** स्थापित करना चाहिए।
- **वित्त की उपलब्धता:** इलेक्ट्रिक वाहनों को **प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग** के दायरे में लाना चाहिए।
- **विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तंत्र:** लिथियम के खनन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा पहलें शुरू की जानी चाहिए।

3.9. खनन एवं ऊर्जा (Mining and Energy)

3.9.1. भारत में अपतटीय खनिज (Offshore Minerals in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 2002 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 तैयार किए हैं।

भारत में अपतटीय खनिजों के बारे में

- **अपतटीय खनन:** यह 200 मीटर से अधिक की गहराई पर, **गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया** है।
- **विस्तार:** दो मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के **भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में बड़ी मात्रा में प्राप्ति योग्य अपतटीय खनिज संसाधन मौजूद** हैं।
- **खनिज भंडार:** भारत के अपतटीय खनिज भंडार में **सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज,** और विकास के लिए आवश्यक **रेयर अर्थ एलिमेंट्स** शामिल हैं।
- **भंडार:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपतटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित खनिज संसाधनों की पहचान की है:
  - गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के EEZ में **लाइम मड**
  - केरल के समुद्री तट के पास **कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड**
  - ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आंतरिक-शेल्फ (मग्नतट) और मध्य-शेल्फ में **भारी खनिज प्लेसर**
  - पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपीय सीमांत (कॉन्टिनेंटल मार्जिन) में **फॉस्फोराइट**
  - अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर में **पॉलीमेटेलिक फेरोमैंगनीज (Fe-Mn) नोड्यूल और क्रस्ट**

अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024

- **किन खनिजों पर लागू होगा:** ये नियम **सभी खनिजों पर लागू** होते हैं, **सिवाय खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन** तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की पहली **अनुसूची के भाग B में सूचीबद्ध खनिजों को छोड़कर**।
- **परिभाषाएं:** इसके लिए नियम में खनिज प्राप्ति के कई चरणों हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC) और **खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति (CRIRSCO)**[47] टेम्पलेट के संशोधित संस्करण का उपयोग किया गया है। **ये चरण निम्नलिखित हैं:**
  - **अन्वेषण चरण (Exploration Stages): किसी भी खनिज भंडार की खोज में चार चरण शामिल हैं:**
    - **टोही सर्वेक्षण/Reconnaissance survey (G4)**
    - **प्रारंभिक अन्वेषण (G3)**
    - **सामान्य अन्वेषण (G2)**
    - **विस्तृत अन्वेषण (G1)**
  - **संभाव्यता अध्ययन (Feasibility Studies) चरण:** संभाव्यता अध्ययन के चरणों में- **भूवैज्ञानिक अध्ययन (F3), पूर्व-संभाव्यता अध्ययन (F2) और संभाव्यता अध्ययन (F1)** शामिल हैं।

[47] Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards

- **अन्वेषण मानक (Exploration Standards):** नए नियम अपतटीय खनिज संसाधनों के सटीक आकलन और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए सख्त अन्वेषण मानकों को अनिवार्य करते हैं।
  - **खनन पट्टे देने के लिए** संकेतित खनिज संसाधन की पुष्टि हेतु कम से कम **सामान्य अन्वेषण (G2)** उप-चरण पूरा होना आवश्यक है।
  - संयुक्त यानी कंपोजिट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए खनिज ब्लॉक की टोही खनिज संसाधन या खनिज क्षमता का अनुमान लगाने के लिए कम-से-कम **टोही सर्वेक्षण (G4) को पूरा करना** आवश्यक है।
- **भूवैज्ञानिक अध्ययन:** अन्वेषण कार्यों के पूरा होने पर, संभावित खनिज भंडार की पुष्टि के लिए लाइसेंस-धारक द्वारा भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- **विशिष्ट अन्वेषण मानदंड:** ये नियम अलग-अलग प्रकार के खनिज भंडारों और खनिजों के लिए विशिष्ट अन्वेषण मानदंड (Specific Exploration Norms) निर्धारित करते हैं। इसके तहत कंस्ट्रक्शन-ग्रेड सिलिका सैंड, कैलकेरियस मृदा, फॉस्फेटिक तलछट, डीप-सी मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) खनिज, हाइड्रोथर्मल खनिज और नोड्यूल आदि शामिल हैं।

3.9.2. गैस-आधारित अर्थव्यवस्था (Gas-Based Economy)

गैस-आधारित अर्थव्यवस्था: एक नज़र में

गैस-आधारित अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- प्रति यूनिट ऊर्जा उत्पादन के लिए यह **कोयले की तुलना में लगभग 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जित** करती है।
- कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में **प्राकृतिक गैस से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता अधिक होती है।**
- **तीव्र और कुशल परिवहन:** यदि प्राकृतिक गैस को -161.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो यह तरल अवस्था में बदल जाती है। इसे 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)' कहते हैं। तरल अवस्था में यह अपने मूल आयतन का केवल 1/600 वां भाग रह जाती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैकअप स्रोत:** ऐसी स्थिति में **प्राकृतिक गैस से चलने वाले जनरेटर ऊर्जा का आदर्श बैकअप हो सकते हैं** क्योंकि ये स्वच्छ ऊर्जा आधारित विद्युत प्रदान करते हैं ।

योजनाएं/ नीतियां/ पहलें

- **संशोधित 'घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश':** किरीट पारिख की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने संशोधित "घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश" को मंजूरी दी है।
- **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP), 2016**
- **इंडिया गैस एक्सचेंज की शुरुआत**
- **प्राकृतिक गैस पाइपलाइंस के लिए एकीकृत टैरिफ (वन नेशन, वन ग्रिड और वन टैरिफ)**
- **आवश्यक गैस अवसंरचना का निर्माण:** इसके अंतर्गत **LNG टर्मिनल्स, CNG स्टेशन, राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क का निर्माण** किया जा रहा है।
- परिवहन और खनन क्षेत्रक में LNG का उपयोग बढ़ाने के लिए **LNG नीति का मसौदा** तैयार किया गया।

चुनौतियां/ बाधाएं

- आरंभ में कुल ऊर्जा स्रोत में गैस की हिस्सेदारी बढाकर **2025 तक 20%** करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इसे संशोधित कर **2032 तक 11% करने का लक्ष्य रखा गया,** फिर इस लक्ष्य में बदलाव कर 2030 तक 15% कर दिया गया।
- प्राकृतिक गैस की हमारी **वर्तमान मांग का लगभग 50 प्रतिशत अन्य देशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात से** पूरा किया जाता है।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं**
- अपनाने में **चुनौतियां जैसे** –पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में उच्च प्रारंभिक लागत, LNG की खुदरा दुकानों की उपलब्धता की कमी, बाजार में झिझक आदि।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** हालांकि प्राकृतिक गैस को एक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन माना जाता है, किन्तु इसके दोहन, उत्पादन और दहन से भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।

आगे की राह

- **किरीट पारिख समिति की अन्य सिफारिशों को लागू करने पर विचार करने की जरूरत:** जैसे- **लीगेसी फील्ड्स से प्राप्त प्राकृतिक गैस के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और बाजार-निर्धारित मूल्य को लागू करना।**
- **प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ाने के लिए उपाय करना:** इस दिशा में **कर लाभ, सब्सिडी जैसे नीतिगत प्रोत्साहन और लक्षित योजनाओं** की घोषणा जैसे उपाय करना शामिल हैं।
- **मौजूदा गैस-परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि: ऊर्जा पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में 14.3 GW की क्षमता वाले ऐसे गैस-आधारित संयंत्रों की पहचान की गई है, जिनका उपयोग नहीं** किया जा रहा है।
- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि:** आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए **देश में ही गैस की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना** चाहिए।
- **अनुसंधान और विकास:** प्राकृतिक गैस के **दोहन, उत्पादन और उपयोग से संबंधित एडवांस टेक्नोलॉजी** का विकास करने के लिए **अनुसंधान एवं विकास में निवेश** करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- वर्दवान (पश्चिम बंगाल) में कोयला-से-CNG (सिंथेटिक प्राकृतिक गैस) परियोजना।

3.9.3. सिटी गैस वितरण नेटवर्क {City Gas Distribution (CGD) Network}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फिक्की (FICCI) ने PWC के साथ मिलकर 'चार्टिंग द पार्थ फॉरवर्ड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन: इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

सिटी गैस वितरण के बारे में

- **पाइपलाइन नेटवर्क:** सिटी गैस वितरण नेटवर्क, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की आपूर्ति के लिए भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है।
  - प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ-दहन वाला जीवाश्म ईंधन है। इसमें मीथेन (CH4) की अधिक मात्रा तथा अन्य हायर हाइड्रोकार्बन की आंशिक मात्रा प्राप्त होती है।
- **विनियमन:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम (PNGRB Act), 2006 के तहत, PNGRB[48] निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने वाली संस्थाओं को मंजूरी प्रदान करता है।
- **कवरेज:** देश में 33,753 किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइनें अधिकृत हैं। इनमें से **लगभग 24,623 किलोमीटर पाइपलाइन वर्तमान में चालू हैं।**
- **विकास:** भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 7% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने की योजना बनाई है।

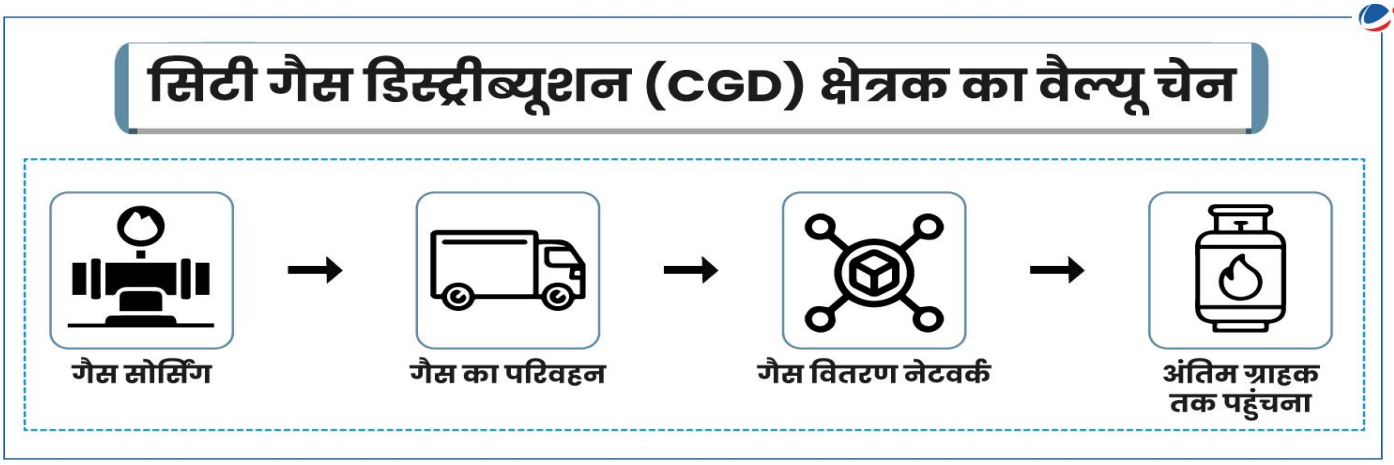

सिटी गैस वितरण नेटवर्क की प्रासंगिकता

- **क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन:** प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने से भारत की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- **ट्रांजिशन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस:** प्राकृतिक गैस भारत में पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बीच एक सेतु का काम करती है।
  - यह स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। साथ ही, यह नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक है और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में मदद करती है।
- **समान ऊर्जा पहुंच:** यह पूरे देश में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करेगा।
- **किफायती और सुरक्षित: प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना** उत्पादन स्रोतों से उपभोग बाजारों तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक किफायती और सुरक्षित तरीका प्रदान करती है।
  - **CNG के लाभ:** उत्सर्जन का स्तर बहुत कम है, उच्च तापमान पर प्रज्वलन गुण के कारण आग लगने की संभावना नहीं है, प्रति वाहन प्रति मील सबसे कम दुर्घटना घायल और मृत्यु दर होना, आदि।
  - **PNG के लाभ:** सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति, उपयोग में सुविधाजनक, ऊर्जा की बर्बादी नहीं, सिलेंडर बदलने या सिलेंडर बुकिंग आदि का कोई झंझट नहीं।

[48] Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

सिटी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- **सिटी गैस वितरण कंपनियों के लिए बाजार निर्धारित करना:** सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों को 8 साल की अवधि के लिए एक निर्धारित भौगोलिक बाजार प्रदान किया जाना चाहिए। इस अवधि को बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है।
- **गैस पाइपलाइन को अवसंरचना का दर्जा देना:** RBI से अवसंरचना का दर्जा प्राप्त होने से वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में आसानी हो रही है।
- **गैस सोर्सिंग के लिए प्राथमिकता:** सरकार घरों (PNG) और परिवहन (CNG) के लिए घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देती है।
- **एकीकृत प्रशुल्क सुधार:** यह "एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक प्रशुल्क" के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- **वित्तपोषण:** सरकार ने अगले छह वर्षों में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य रखा है।

सिटी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह

- **सरकार और विनियामक:** सिटी गैस वितरण क्षेत्रक को व्यवस्थित करने के लिए एकीकृत विनियामक रणनीति विकसित करना जरूरी है।
  - कुशल वर्कर्स की कमी, मंजूरी मिलने में देरी और गैस की अस्थिर कीमतों जैसी समस्याओं का समाधान करने से विश्वास का निर्माण हो सकता है व प्रक्रियाओं में सुधार हो सकता है।
- **सिटी गैस वितरण कंपनियां:** कंपनियों को बाजार की माँगों को पूरा करने और विश्वसनीयता बनाने के लिए ग्राहक-अनुकूल रणनीतियां अपनानी चाहिए।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के आने से बाजार में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाकर भविष्य में मांग में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- **प्रौद्योगिकी कंपनियां:** प्रौद्योगिकी कंपनियों को स्मार्ट मीटर और GIS मैपिंग जैसे **अत्याधुनिक समाधान विकसित** करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **वित्तीय संस्थान और निवेशक:** निवेशकों को लाभकारी सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की पहचान करनी चाहिए और बाजार के उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां तैयार करनी चाहिए।

3.9.4. भारत में कोयला क्षेत्रक (Coal Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयातित कोयले की हिस्सेदारी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 13.94% (2004-05 से 2013-14) से घटकर -2.29% (2014-15 से 2023-24) हो गई है।

कोयला क्षेत्र में आयात को कम करने में सहायक सुधार/पहलें

- **कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015:** इस अधिनियम ने निजी संस्थाओं को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कोयला खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी की अनुमति दी।
  - 2020 में, पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी शुरू की गई थी।

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021:** इसने खनन लाइसेंस के आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। कोयला के लिए विशेष रूप से **समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा (PL-cum- ML)**[49] की अनुमति दी गई।
- **नेशनल कोल इंडेक्स (NCI):** NCI सभी बिक्री चैनलों - अधिसूचित मूल्य, नीलामी मूल्य और आयात मूल्य से कोयले की कीमतों को मिलाकर तैयार किया गया एक मूल्य सूचकांक है। यह बाजार में उतार-चढ़ाव के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है जो मूल्य में उतार-चढ़ाव की मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।
- **FDI और तकनीकी प्रगति:** कोयला खनन में 100% FDI की अनुमति देने से वैश्विक विशेषज्ञता और अत्याधुनिक तकनीकों को आकर्षित करने में मदद मिली है।

डेटा बैंक

- भारत के पास दुनिया में कोयले का **5वां सबसे बड़ा** भूगर्भीय भंडार है,
- भारत, दुनिया में कोयले का **दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है,**
- भारत, दुनिया में कोयले का **दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है,**
- भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का **50.7%** कोयला और लिग्नाइट पर निर्भर है (2023)।

- **एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति, 2024:** यह योजना कोयला मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है जिसका उद्देश्य एक लचीली और किफायती कोयला निकासी लॉजिस्टिक प्रणाली विकसित करना है।
- **कोयला गैसीकरण में निवेश:** कैबिनेट ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।

कोयला क्षेत्रक में स्थायी समस्याएं/चुनौतियां

- **आयात पर अधिक निर्भरता:** इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में **उच्च ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (GCV) वाले कोयले की उपलब्धता कम** है। उच्च ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू वाले कोयले में राख (ऐश) और सल्फर की मात्रा कम होती है।
  - भारत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका से कोयला आयात करता है।
- **कोल इंडिया लिमिटेड का प्रभुत्व:** कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान देता है।
  - इससे पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2017 में यह तर्क दिया था कि कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियां बाजार की ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और भारत में गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन और आपूर्ति बाजार में उनका वर्चस्व है।
- **अपग्रडेशन की कमी:** अनुपयुक्त हो चुकी तकनीकों का इस्तेमाल जारी रहने से कम उत्पादकता, उच्च लागत और सुरक्षा संबंधी खतरे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **लॉजिस्टिक्स समस्या:** मल्टी-मॉडल परिवहन अप्रोच का सीमित स्तर पर पालन करने के कारण कोयला लॉजिस्टिक्स लागत उच्च है।
- **पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं: ओपन-कास्ट खनन से होने वाला नुकसान** अपूरणीय होता है, जिससे भूमि बेकार हो जाती है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - बिजली के उपभोक्ताओं द्वारा **बकाया राशि का भुगतान न करना।**
  - कोयला क्षेत्रों में **श्रम/औद्योगिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं।**
  - कोयला खनन क्षेत्रों में **कुसमय और लंबे समय तक बारिश** होना।

आगे की राह

- **संधारणीय कार्यों को बढ़ावा देना:** खदानों के पास ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर **मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति** का उपयोग किया जा सकता है।
- **निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करना:** इससे कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) पर बोझ कम होगा। इसके अलावा, वे खनन में नई तकनीकों को भी बढ़ावा देंगे।
- **आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, अंतर-मंत्रालयी समिति** ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं -
  - **कोयला लिंकेज नीति को युक्तिसंगत बनाना।**

[49] Composite Prospecting Licence-cum-Mining Lease:

- कोयला लिंकेज में सुधार करने का उद्देश्य कोयला खदानों से उपभोक्ताओं तक कोयले की परिवहन दूरी को कम करना है।

- **कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों का शीघ्र संचालन।**
- विद्युत मंत्रालय को **घरेलू कोयला बिजली संयंत्रों** को आयातित कोयले की बजाय घरेलू कोयले का उपयोग करना अनिवार्य करना चाहिए। इसके लिए, कोयला मंत्रालय को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति और किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं को समाप्त करना चाहिए।
- देश में **कोयला गैसीकरण** को बढ़ावा देना ताकि इस्पात क्षेत्र के लिए सिंथेटिक गैस का उत्पादन किया जा सके, जो मुख्य रूप से आयातित कोयले पर निर्भर है।

3.10. नवाचार एवं उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship)

3.10.1. क्रिएटिव इकोनॉमी (Creative Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत के रचनात्मक उद्योगों के लिए **ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी (AIICE)** की शुरूआत की।

क्रिएटिव इकोनॉमी या रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्या है?

अंकटाड (UNCTAD) रचनात्मक अर्थव्यवस्था को **मानव रचनात्मकता, विचारों, बौद्धिक संपदा, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर अंतर्संबंधों** के रूप में परिभाषित करता है। मूलतः सामूहिक रूप से इसमें **ज्ञान-आधारित आर्थिक गतिविधियां समाहित हैं, जिन पर 'रचनात्मक उद्योग (Creative industries)' आधारित** हैं।

भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की स्थिति				
विविध रचनात्मक व्यवसायों में लगे कामगार **देश के कुल रोजगार में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान** देते हैं।	रचनात्मक अर्थव्यवस्था **देश के समग्र सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में लगभग 20% का योगदान** देती है।	औद्योगिक संकेन्द्रण के संदर्भ में, रचनात्मक कार्यबल **निम्नलिखित उद्योगों में सबसे अधिक केंद्रीकृत है:** • मीडिया, एंटरटेनमेंट एवं रिक्रिएशन; कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग; आर्किटेक्चर, डिज़ाइन व इंजीनियरिंग; फैशन; शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास उद्योग।	गैर-रचनात्मक कार्यबल की तुलना में रचनात्मक कार्यबल अधिक **शहर-केंद्रित, युवा कार्यबल एवं लैंगिक आधार पर कम पक्षपाती** पाया जाता है।	रचनात्मक व्यवसाय में **तुलनात्मक रूप से बेहतरीन आय प्राप्त** होती है। यह **गैर-रचनात्मक व्यवसायों की तुलना में लगभग 88% अधिक है।**

भारत जैसे देशों के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि:** उत्पादों और सेवाओं के लिए मांग का सृजन, नवाचार, आर्थिक विविधीकरण और निर्यात से होने वाली आय को बढ़ावा देना।
- **सामाजिक विकास को बढ़ावा:** सामाजिक समावेशन और सशक्तीकरण, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन, कौशल विकास एवं शिक्षा सुनिश्चित करना।
- अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी समझ को बढ़ावा देना और **राजनयिक सहभागिता के नए मार्ग ओपन करना।**
- **सतत विकास:** इससे पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों की मांग में वृद्धि हो रही है तथा संधारणीय उपभोग को बढ़ावा मिल रहा है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक

- **डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियां:** डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता व कौशल संबंधी कमियां, बौद्धिक संपदा का अपर्याप्त संरक्षण।
- **प्रणालीगत मुद्दे:** समर्थनकारी नीतिगत फ्रेमवर्क का अभाव, विश्वसनीय और व्यापक डेटा का अभाव, क्षेत्रक के लिए असमान वित्त-पोषण आदि।
- **इस क्षेत्रक में पहले से मौजूद कुछ समस्याएं:** रचनात्मक उद्योगों का विखंडन, बाजार तक पहुंच और वितरण, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं।
- **रचनात्मक गतिविधियों को अपर्याप्त मान्यता** और भारत में स्थानीय कला एवं संस्कृति के बारे में (विशेष रूप से वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों के संदर्भ में) जागरूकता का अभाव या गलत धारणाएं रचनात्मक क्षेत्रक के विकास में एक प्रमुख बाधा है।

भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास को समर्थन देने के लिए शुरू की गई विविध पहलें

- भारत में IPRs के प्रशासन एवं कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016** लागू की गई है।
- लोक कला और संस्कृति के विविध रूपों को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए देश में **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ZCCs)**[50] स्थापित किए हैं।
- **ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम:** यह योजना भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देती है।
- **यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क:** डिज़ाइन, फ़िल्म, शिल्प व लोक कला, पाक-कला, मीडिया कला, साहित्य, संगीत आदि सांस्कृतिक क्षेत्रकों में सहयोग को बढ़ावा देने तथा अनुभवों और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने हेतु।
- **स्टार्ट-अप इंडिया योजना:** भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति का विकास करना तथा नवाचार एवं उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना।

आगे की राह

- **भारत में रचनात्मक उद्योगों को परिभाषित करना और उनकी मैपिंग करना।**
- **वित्त पोषण से संबंधित समस्याओं के लिए** क्रेडिट गारंटी योजनाएं तथा क्राउडफंडिंग उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- **कॉपीराइट व बौद्धिक संपदा संरक्षण से जुड़े समस्याओं को दूर करना** तथा क्रिएटर्स और इनोवेटर्स के हितों की रक्षा करना।
- थाईलैंड के क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट मॉडल की तर्ज पर **देश में रचनात्मक जिले/ हब स्थापित करना।**
- यूनाइटेड किंगडम (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज काउंसिल) की तर्ज पर देश में भी एक ऐसी **नोडल एजेंसी** स्थापित की जा सकती है, जो विशेष रूप से भारत में रचनात्मक उद्योगों की वृद्धि और विकास के प्रति समर्पित हो।
- यूरोपीय आयोग के "क्राउडफंडिंग4कल्चर" पोर्टल जैसे **वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना।**

3.10.2. एंजेल टैक्स (Angel Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट 2024-25 में, सरकार ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। ऐसा उद्यमशीलता के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए किया गया है।

एंजेल टैक्स क्या है?

- **परिभाषा:** एंजेल टैक्स गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर है। इसके तहत स्टार्ट-अप का उचित बाजार मूल्य (फेयर मार्केट वैल्यू) और उसके द्वारा इससे अधिक जुटाई गई राशि को आय माना जाता है और इस अतिरिक्त आय पर एंजेल टैक्स लगाया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- यदि किसी स्टार्टअप का उचित बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपये है, और वह एंजेल निवेशकों से 1.5 करोड़ रुपये जुटाता है तो वैल्यूएशन की अतिरिक्त 50 लाख रुपये की राशि पर कर लगेगा।
- **उद्देश्य:** इसे मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 2012 में शुरू किया गया था।
- **कानूनी प्रावधान:** यह **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (II) (viib) के तहत** लगाया जाता था।
- **कवरेज:** पहले यह केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन बजट 2023-24 में इसका विस्तार करते हुए विदेशी निवेश (कुछ अपवादों के साथ) को भी इसके दायरे में लाया गया है।

स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग के प्रमुख स्रोत

- वेंचर कैपिटल/ प्राइवेट इक्विटी/ एंजेल फंड, नवीन और उभरते स्टार्टअप में निवेश करते हैं।
  - वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित) को वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)[51] माना जाता है। AIFs स्टार्ट-अप्स और अन्य कंपनियों में निवेश के लिए निजी फंड जुटाते है।
- **वेंचर कैपिटलिस्ट:** वे संस्थागत निवेशकों से जुटाए गए फंड का प्रबंधन करते हैं और बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं। वे आम तौर पर ऐसे स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं जिनकी बाजार में पहले से ही अच्छी पैठ है, जिनके पास एक मान्य बिजनेस मॉडल है और वे व्यापक तौर पर व्यवसाय करने के लिए तैयार हैं।
  - वे स्टार्ट-अप में अधिक स्वामित्व चाहते हैं ताकि रणनीतिक निर्णय लेने में उनकी अधिक भूमिका हो सके।

[50] Zonal Cultural Centers

[51] Alternative Investment Funds

- **एंजेल निवेशक:** वे आम तौर पर अपने व्यक्तिगत फंड की लघु मात्रा को शुरुआती चरण वाले ऐसे स्टार्टअप में निवेश करते हैं जो व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया में है।
  - एंजेल निवेशकों के निवेश को अधिक अनिश्चितता और जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

एंजेल टैक्स क्यों खत्म किया गया?

- **व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए:** एंजेल टैक्स ने स्टार्ट-अप पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ और नियमों के पालन का बोझ बढ़ा दिया था। इससे उनकी विकास करने की क्षमता के साथ-साथ सुगम तरीके से व्यवसाय करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई।
  - एंजेल टैक्स समाप्त होने से स्टार्ट-अप की **रिवर्स फ़िलपिंग** को बढ़ावा मिलेगा।
- **निवेश को व्यवस्थित करना:** भारतीय स्टार्ट-अप में 2023 में वैल्यू के स्तर पर फंडिंग में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
  - इसके अलावा, विदेशी निवेशकों पर एंजेल टैक्स लगाने से फंडिंग के अवसर कम हो गए। गौरतलब है कि स्टार्ट-अप्स का वैल्यूएशन बढ़ाने में विदेशी निवेशकों ने अहम भूमिका निभाई थी।

एंजेल टैक्स खत्म करने से जुड़ी चिंताएं

- इसे खत्म करने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। साथ ही, स्टार्ट-अप का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है या फर्जी स्टार्ट-अप बनाए जा सकते हैं।

स्टार्ट-अप्स की वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है?

- **यूनिकॉर्न का विस्तार:** स्टार्टअप्स को अधिक फंड प्रदान करने में मदद करने के लिए **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) फंड-ऑफ-फंड्स के दायरे** का विस्तार करना चाहिए।
  - सिडबी फंड-ऑफ-फंड्स वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) जैसे अन्य फंड्स में निवेश करता है।
- **AIFs की लिस्टिंग:** पूंजी के सतत स्रोत तक पहुंचने के लिए AIFs को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **FVCI के लिए क्षेत्रों का विस्तार:** विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (FVCI)[52] को उन सभी क्षेत्रकों में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- **घरेलू संस्थागत फंड जुटाना:** बड़े बैंकों को फंड-ऑफ-फंड्स स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और श्रेणी-III AIF में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

3.10.3. महिला उद्यमिता (Women Entrepreneurship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) महिला उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **25 लाख महिला उद्यमियों** को कौशल, ज्ञान, संसाधन, और वित्तीय अनुदान प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- NSDC तथा **राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) संयुक्त रूप से निःशुल्क ऑनलाइन स्व-शिक्षण उद्यमिता कोर्स** प्रदान करेंगे। ये कोर्स **स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)** के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
  - राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और SIDH केंद्रीय **कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय** के अधीन कार्य करते हैं। ये संस्थान **प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता** (Apprenticeship) के अवसर प्रदान करते हैं।
  - **NSDC एक गैर-लाभकारी पब्लिक लिमिटेड** कंपनी है।

महिला उद्यमिता का महत्त्व

- **आर्थिक महत्त्व:**
  - महिला उद्यमी **रोजगार के अवसर** प्रदान करती हैं। नीति आयोग के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले औद्योगिक संगठन लगभग **170 मिलियन रोजगार** उत्पन्न कर सकते हैं।

[52] Foreign venture capital investors

- ये **सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि** कर सकती हैं। **विश्व बैंक** के एक अनुमान के अनुसार **कार्यबल में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% की वृद्धि** कर सकती है।
- ये **नई व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा** देती हैं।

- **सामाजिक महत्त्व:**
  - **सशक्तीकरण को बढ़ावा** मिलता है। महिला उद्यमिता से **जेंडर से संबंधित मानदंडों और रूढ़ियों को हटाने में मदद** मिलती है।
  - **शिक्षा, जागरूकता और नेटवर्किंग के अवसरों में वृद्धि** होती है, आदि।
- **राजनीतिक महत्त्व:** नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और महिला उद्यमी महिलाओं की समस्याओं को नीति-निर्माताओं के समक्ष उठाती हैं। महिलाओं की प्रतिनिधिक भूमिका को मजबूती मिलती है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** पारंपरिक शिल्प और कलाओं में महिला उद्यमियों की भागीदारी से **भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा** मिल सकता है।

भारत में महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां

- महिलाओं को **बैंकों से ऋण लेने में भेदभाव का सामना** करना पड़ता है। इसके अलावा पुरुष प्रधान पारिवारिक संरचना होने की वजह से महिलाएं सामने नहीं आ पाती हैं या निर्णय लेने में उनकी भागीदारी नहीं होती है आदि।
- महिलाओं को **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का भी सामना** करना पड़ता है। उन्हें अपने **ऑफिस कार्य** के साथ-साथ अपने घरों में वे कार्य भी करने पड़ते हैं, जिन्हें **"केवल महिलाओं" का कार्य** मान लिया गया है। इस तरह उन्हें **दोहरा बोझ** सहना पड़ता है।
- **अन्य चुनौतियां:** साक्षरता की कमी; कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की प्राप्ति में समस्या आदि।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहलें

- **मुद्रा ऋण:** महिलाओं को **10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई जमानत यानी कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं** होती है।
- **स्टैंड-अप इंडिया:** यह योजना महिला उद्यमियों को फंड प्रदान करती है।
- **व्यापार-संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (TREAD):** इसके तहत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं को फंडिंग प्रदान की जाती है।
- **नीति आयोग ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम** शुरू किया है।

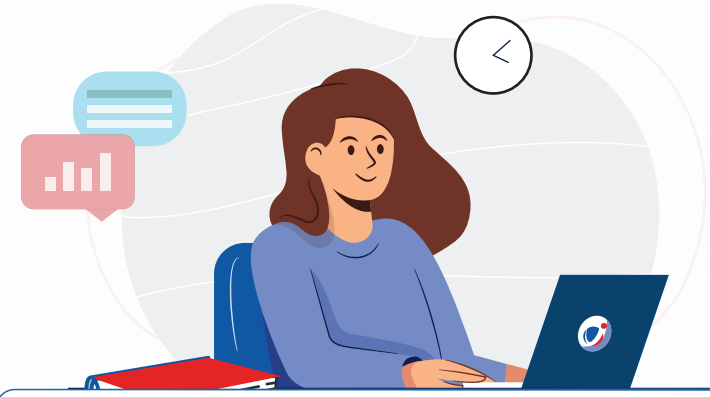

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. सुरक्षा (Security)

4.1. पड़ोसी देशों में अशांति और भारत की आंतरिक सुरक्षा (Disturbance in Neighboring Nations and India's Internal Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, म्यांमार की सेना और लोकतंत्र समर्थक विद्रोही/ सैन्य गुटों के बीच हुई गोलीबारी के बाद, म्यांमार के लगभग 1,500 लोगों ने मिजोरम के चम्फाई जिले में शरण ली।

पड़ोस देश में अशांति का भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

- **शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की बड़ी संख्या में आगमन:** जैसा कि म्यांमार में रोहिंग्या संकट और 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान हुआ।
- **आंतरिक संघर्षों में वृद्धि:** उदाहरण के लिए- मणिपुर में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, कुकी और मेइती समुदायों के बीच नृजातीय संघर्ष को बढ़ा सकती है।
- **संगठित अपराध:** उदाहरण के लिए, नशीली दवाओं और मानव तस्करी, हथियारों और नकली मुद्रा की तस्करी आदि।

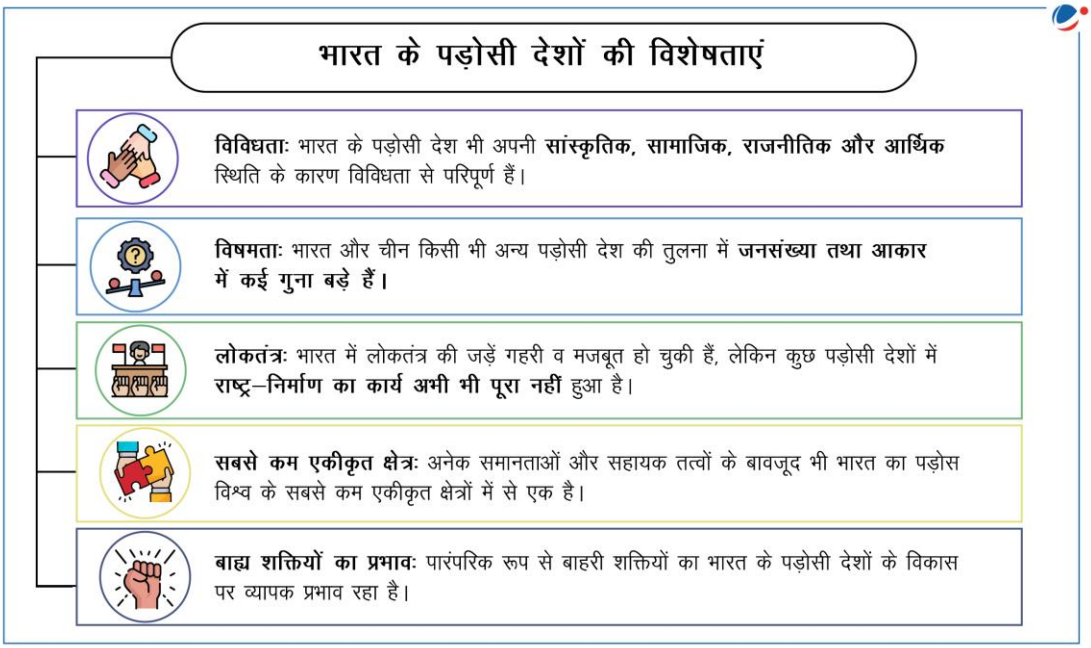

- **सीमा पार आतंकवाद:** खुली सीमाएं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) जैसे समूहों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करती हैं।
- **आर्थिक जोखिम:** उदाहरण के लिए- बांग्लादेश में कई भारतीय कंपनियों की संपत्तियां जला दी गईं।

पड़ोसी देशों में शांति लाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास

- **लोगों को सहायता:** उदाहरण के लिए, भारत ने **तिब्बती लोगों को शरण** दे रखा है और धर्मशाला स्थित **केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को अपना समर्थन भी प्रदान करता है;** नागरिकता संशोधन अधिनियम (2019)।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के साथ सम्प्रीति अभ्यास।
- **मानवीय सहायता:** आपदा के दौरान तुरंत सहायता। श्रीलंका में आए सुनामी और मालदीव में जल संकट (ऑपरेशन नीर) से लेकर 2015 में नेपाल में आए भूकंप जैसी आपदाओं के समय भारत ने तेजी से और प्रभावी ढंग से सहायता पहुंचाई थी।

पड़ोसी देशों में फ़ैली अशांति के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए आगे की राह

- **राजनीतिक जोखिम प्रबंधन:** भारतीय पत्रकारों को राजनीतिक उथल-पुथल का पूर्वानुमान लगाने, सूचना के अभाव को दूर करने और इस प्रकार सूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- **सीमा सुरक्षा:** सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, घुसपैठ को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, ह्यूमन इंटेलिजेंस आदि का संयुक्त रूप से उपयोग करना चाहिए।
  - **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम** के माध्यम से सीमा से सटे गांवों में स्थिरता लाना।
- **राजनयिक जुड़ाव का उपयोग करना:** द्विपक्षीय वार्ता के साथ-साथ, शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और सार्क जैसे मंचों का लाभ उठाना चाहिए।

4.2. सीमा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका (Role of Community in Border Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तराखंड के ग्रामीण विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि **भारत-तिब्बत सीमा से लगे राज्य के 11 गांव वीरान** हो गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे **भारत की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़** गई हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि **चीन भारतीय सीमा के निकट शियाओकांग गांव बसा** रहा है।
  - चीन की दक्षिण चीन सागर रणनीति के समान ही इन नए गांवों को **चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति या कैबेज रणनीति** के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। यह अपने **पड़ोसियों के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की चीनी रणनीति** है।
  - ये गांव (शियाओकांग) चीन के लिए **सैन्य और सामरिक सड़क नेटवर्क के रूप में सहायता** करते हैं। साथ ही, ये क्षेत्र पर **चीन के नियंत्रण एवं कानूनी दावों को मजबूत करने के लिए चीन के साधन भी हैं।**
- इन घटनाक्रमों से **भारत और भूटान के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ा है।

सीमा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का महत्त्व

- **सुरक्षा और संरक्षा:** स्थानीय भू-भाग, क्रॉसिंग पॉइंट्स और आवागमन के नियमित पैटर्न से परिचित होने के कारण वे सीमा सुरक्षा बलों के लिए **सूचना के अतिरिक्त स्रोत के रूप में कार्य करने में सक्षम** होते हैं।
- **बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता:** वे सीमा पर **खुफिया जानकारी जुटाने में सहायता करते हैं और संदिग्ध गतिविधियों, तस्करी के प्रयासों या संभावित सुरक्षा खतरों के बारे में जानकारी** प्रदान करते हैं।
- **बिना वर्दी के सैनिक:** उदाहरण के लिए, **2020 में चुशूल गांव (लद्दाख)** के निवासियों ने कठोर सर्दियों के मौसम में आपूर्ति को सुरक्षित करने में सेना की मदद की थी।
- **चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति पर प्रतिक्रिया।**

सीमा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने की चुनौतियां

- **राज्य की अपर्याप्त क्षमता:** खराब सीमा अवसंरचना, अपर्याप्त बुनियादी उपकरण तथा कानून लागू करने के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मी।
- **अलगाव की भावना:** सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रतिबंधात्मक प्रकृति तथा **भाषाई अवरोधों के कारण संचार संबंधी कमियां स्थानीय लोगों में अविश्वास और अलगाव की भावना** पैदा कर सकती हैं।
- **आंदोलनात्मक दृष्टिकोण:** अपराधी सीमा पर तैनात अधिकारियों और जनता के बीच संघर्ष पैदा करने के लिए स्थानीय असंतोष का फायदा उठाते हैं।
- **अस्थायी और अनौपचारिक सहयोग:** सीमावर्ती समुदायों और प्राधिकारियों के बीच मौजूदा सहयोग प्रायः **अस्थायी और अनौपचारिक प्रकृति** का है। इससे सहयोग में विश्वास व सक्रियता की कमी हो जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार के लिए शुरू की गई पहलें

- **जीवंत ग्राम कार्यक्रम (VVP)[53]:** इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख की उत्तरी सीमाओं **पर बसी विरल आबादी और सीमित कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे वाले गांवों को शामिल** करने की परिकल्पना की गई है। ये गांव अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP):** यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के **50 किलोमीटर के भीतर** रहने वाले लोगों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है।
- **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM)[54] योजना:** BIM का लक्ष्य सीमा प्रबंधन, पुलिस व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत करना है।

[53] Vibrant Villages Programme

[54] Border Infrastructure and Management

आगे की राह

- **सहकारी संघवाद: 'सीमा सुरक्षा' से 'सीमा प्रबंधन'** की ओर बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा जिम्मेदारियां होंगी।
- **विकास सुनिश्चित करना: सीमा प्रबंधन पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट (2001)** की सिफारिशों के अनुसार, सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लानी चाहिए।
- **समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण:** सुरक्षा, सुविधाओं और रोजगार के अवसरों में सुधार करना चाहिए। साथ ही, **सीमा पर तैनात प्राधिकारियों द्वारा आचार संहिता और नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित** करना चाहिए।
  - प्राधिकारियों व स्थानीय निवासियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए **शिकायत निवारण को बढ़ावा देना, स्थानीय भाषाएं सीखना, स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान करना और स्थानीय गतिविधियों में शामिल** होना जरूरी है।
  - सामुदायिक भागीदारी यह भी सुनिश्चित करती है कि **सुरक्षा उपाय मानवाधिकारों का सम्मान करें** तथा वस्तुओं और लोगों की **आवाजाही को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित न** करें।

4.3. कारगिल युद्ध के 25 साल (25 Years of Kargil War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कारगिल युद्ध में जीत और ऑपरेशन विजय की सफलता के 25 साल पूरे हुए। इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

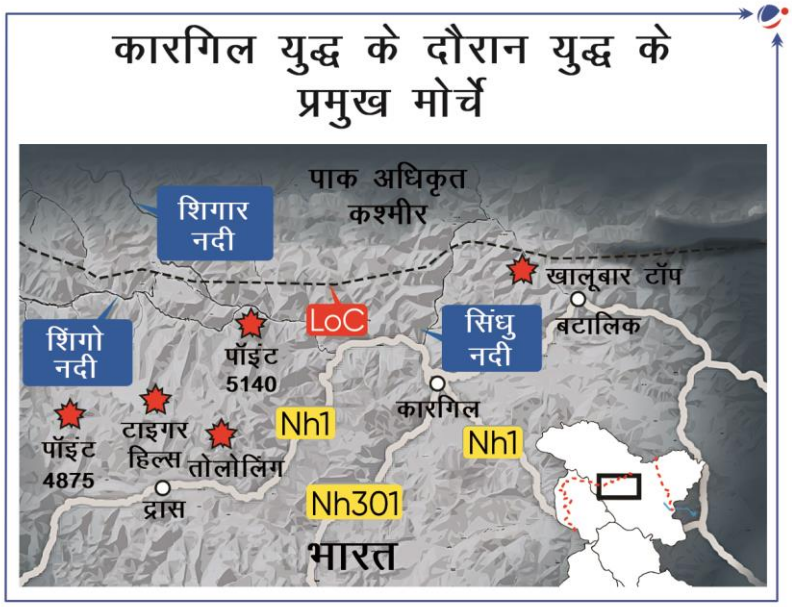

अन्य संबंधित तथ्य

- **ऑपरेशन विजय,** भारतीय सेना द्वारा **कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ के जवाब** में शुरू किया गया था।
  - **भारतीय वायुसेना** ने ऊंची पहाड़ियों पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करने के लिए **'ऑपरेशन सफेद सागर'** शुरू किया। **भारतीय नौसेना** ने अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए **'ऑपरेशन तलवार'** शुरू किया।

कारगिल युद्ध के बारे में

- **युद्ध का स्थान:** यह युद्ध जम्मू-कश्मीर के **कारगिल जिले** (वर्त्तमान में लद्दाख में) में 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर लड़ा गया था। यह नियंत्रण रेखा (LoC) के पास वाली सीमा है।
  - **युद्ध के प्रमुख स्थान थे;** टोलोलिंग, टाइगर हिल, बटालिक, द्रास, मश्कोह घाटी, काकसर, चोरबत-ला।
- **युद्ध की शुरुआत:** युद्ध की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच **1999 में लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर** के तुरंत बाद हो गई थी। दरअसल, भारतीय सेना ने सर्दियों में सैनिकों को नुकसान से बचाने के लिए कुछ पोस्ट खाली कर दिए थे। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने उन पोस्ट पर कब्ज़ा जमा लिया था।

पाकिस्तानी सेना की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के कारण

- **राजनीतिक-रणनीतिक:** पाकिस्तान कश्मीर को **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परमाणु फ्लैश प्वाइंट** के रूप में पेश करना चाहता था, **नियंत्रण रेखा (LoC) की वर्तमान स्थिति को बदलना** और **कारगिल में कब्ज़ा किए गए पोस्ट (क्षेत्रों) के बदले** सियाचिन में भारत के अधिकार वाले क्षेत्रों से **बेहतर सौदेबाजी** करना चाहता था।

- **सैन्य/ प्रॉक्सी युद्ध से संबंधित उद्देश्य:**
  - **श्रीनगर-लेह मार्ग** को अवरुद्ध करके लेह में आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बाधित करना।
  - कश्मीर में दक्षिण दिशा से उत्तरी क्षेत्र को मिल रही रक्षा सहायता को बाधित करके उत्तर में स्थित **तुरतुक और सियाचिन में भारत की स्थिति को कमजोर करना।**
  - घाटी में स्थित भारतीय सैनिकों को कारगिल की ओर जाने को मजबूर करके **जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना।**

भारत की रक्षा संरचना में मौजूद कमियां जिनकी वजह से कारगिल युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई:

कारगिल युद्ध के बाद, भारत सरकार ने **जुलाई 1999 में कारगिल समीक्षा समिति (KRC)** गठित की। रणनीतिक मामलों के प्रसिद्ध विश्लेषक **के. सुब्रमण्यम** को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। **कारगिल समीक्षा समिति** तथा इसके बाद गठित किए गए 'मंत्रियों के समूह' ने निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित किया:

- **खुफिया तंत्र की विफलता**: लाहौर घोषणा के तुरंत बाद भारत सरकार ने युद्ध की अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए, पाकिस्तानी घुसपैठ की संभावना की उपेक्षा करना वास्तव में खुफिया तंत्र की विफलता थी।
- **तकनीक का अभाव**: यदि **भारत के पास हाफ-मीटर रिज़ॉल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी क्षमता**, उचित मानव-रहित हवाई वाहन (UAV) के साथ-साथ बेहतर ह्यूमन इंटेलिजेंस (HUMINT) होती तो **पाकिस्तानी घुसपैठ का पहले ही पता लगाया जा सकता** था।
- **सुरक्षा बलों के लिए पर्याप्त संसाधनों का न होना:** रक्षा व्यय में कमी के कारण रक्षा आधुनिकीकरण पर प्रभाव पड़ा। अप्रचलित/पुराने उपकरणों और हथियार प्रणालियों की जगह आधुनिक उपकरण और हथियार नहीं खरीदे जा सके।
- **व्यापक सुरक्षा नीति:** छद्म युद्ध, उपमहाद्वीप में परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे की वजह से बदलते खतरे को देखते हुए तथा सैन्य मामलों में क्रांतिकारी बदलाव (RMA)[55] हेतु एक व्यापक सुरक्षा नीति तैयार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

भारत की रक्षा और सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशें:

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को मजबूत किया जाना चाहिए और एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त करना चाहिए।
- उपग्रह इमेजरी क्षमता बढ़ानी चाहिए और सीमाओं की निगरानी में मानव-रहित हवाई वाहनों (UAV) को तैनात करना चाहिए।
- अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की तर्ज पर भारत में **इलेक्ट्रॉनिक और संचार खुफिया** पर केंद्रित **एक संगठन** गठित करना चाहिए।
- एक **एकीकृत रक्षा खुफिया एजेंसी** (DIA)[56] का गठन करना चाहिए।
- **संयुक्त खुफिया समिति** (JIC)[57] को अधिक शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करना चाहिए।
- भारतीय सेना में कम उम्र के युवाओं को प्राथमिकता देकर सेना की एज प्रोफाइल को कम करना चाहिए तथा पेंशन बिल को कम करने का तरीका खोजना चाहिए।
- **प्रभावी सीमा प्रबंधन नीति बनाने** के लिए **सभी संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित** की जानी चाहिए।
- **युद्ध के रिकॉर्ड को प्रकाशित** किया जाना चाहिए और इनसे संबंधित आधिकारिक डाक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सही तथ्यों का पता चल सके।
- **सेना और मीडिया के बीच तालमेल** बिठाना चाहिए।
- **अलग-अलग स्तरों पर नागरिक (सिविल)-सैन्य संपर्क तंत्र का विकास करना चाहिए,** जिससे कमान मुख्यालय से लेकर जमीनी स्तर पर परिचालन संरचनाओं तक संबंधों को सुचारू बनाया जा सके।

भारत की रक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

विशेष विवरण	किए गए सुधार
खुफिया तंत्र (Intelligence)	• खुफिया तंत्र पर **टास्क फोर्स** का गठन किया गया है। • राष्ट्रीय स्तर की अति महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए 2004 में **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** (NTRO)[58] का गठन किया गया।

[55] Revolution in Military Affairs

[56] Defence intelligence agency

[57] Joint Intelligence Committee

[58] National Technical Research Organisation

	• **एक 'मल्टी एजेंसी सेंटर' (MAC) स्थापित किया गया** है। इसके तहत, सभी खुफिया एजेंसियों द्वारा दैनिक आधार पर MAC में सूचना साझा की जाती है। ○ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) को MAC से जोड़ा गया है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रक्षा मंत्रालय की एक त्रि-सेवा इंटेलिजेंस एजेंसी है। • इसरो ने **रडार सैटेलाइट-2** (RISAT-2) लॉन्च किया है। यह हर मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने की क्षमता से युक्त एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन और सर्वोच्च स्तर पर निर्णय प्रक्रिया	• सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद** (NSC)[59] में आवश्यक **सुधार किए गए** और पिछले कुछ वर्षों में NSA को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। • भारत ने परमाणु हथियारों के प्रबंधन के लिए 2003 में परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA)[60] का अनावरण किया। इस प्राधिकरण की **राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता** प्रधान मंत्री करते हैं। **परमाणु हथियारों के उपयोग का आदेश** देने का एकमात्र अधिकार इसी **राजनीतिक परिषद** के पास है। • 2019 में **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** (CDS) का पद सृजित किया गया। CDS **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष** होता है।

निष्कर्ष

कारगिल युद्ध के बाद से युद्ध का स्वरूप और तरीका बदल गया है। अब नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और लड़ने के अन्य अलग-अलग गैर-परंपरागत तरीकों का उपयोग किए जाने लगा है। साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी प्रगति भी युद्ध की दिशा निर्धारित कर रही है। इसलिए, भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य के संघर्षों के बदले हुए स्वरूप से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि भविष्य में होने वाले युद्ध अधिक हिंसक और अप्रत्याशित हो सकते हैं।

4.4. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद (Terrorism in J&K)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) के **जम्मू संभाग में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि** देखी गई है। दो दशकों तक सापेक्षिक शांति के बाद जम्मू में उग्रवाद का पुनरुत्थान हो रहा है।

हाल ही में जम्मू में आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारण

- **प्रॉक्सी युद्ध का फिर से सक्रिय होना:** पाकिस्तान अपनी प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करना चाहता है, जो 5 अगस्त, 2019 को भारतीय संसद द्वारा **अनुच्छेद 370 को निरस्त** करने के बाद काफी हद तक कम हो गई थी।
- **जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था का कमजोर होना:** 2020 में पूर्वी लद्दाख के **गलवान विवाद** के बाद जम्मू से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को हटाकर चीन की सीमा पर तैनात किया गया था। इसके कारण यह क्षेत्र कुछ हद तक असुरक्षित हो गया है।
- **कश्मीर में सुरक्षा स्थिति:** कश्मीर घाटी में उच्च स्तर की सतर्कता के कारण आतंकवाद समर्थक देशों के लिए बहुत कम संभावना बचती है, जबकि जम्मू में आतंकवादी हमले करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर सुरक्षा अपेक्षाकृत कम है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के बने रहने के लिए उत्तरदायी कारण

- **बाह्य कारण:**
  - पाकिस्तान की ओर से **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद।**
  - **छिद्रिल सीमाएं (Porous borders) घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं।**
  - **वैश्विक चरमपंथी समूहों से वैचारिक प्रभाव।**

[59] National Security Council

[60] Nuclear Command Authority

- **आंतरिक कारण:**
  - **राजनीतिक अस्थिरता:** शासन व्यवस्था में बार-बार परिवर्तन, लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन की मौजूदगी एवं लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित लोकप्रिय सरकारों की अनुपस्थिति ने सत्ता संबंधी शून्यता पैदा कर दी है, जिसका आतंकवादी समूह ने लाभ उठाया है।
  - **गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे:** AFSPA लागू करने, इंटरनेट शटडाउन करने, मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में लेने जैसी राज्य के मनमाने व्यवहार के कारण स्थानीय आबादी स्वयं को अलग-थलग महसूस करती है।
  - **ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs):** ये धन के प्रबंधन, भर्ती, प्रचार और गलत सूचना आदि के माध्यम से आतंकवाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - OGWs ऐसे व्यक्ति/ समूह हैं, जो सशस्त्र गतिविधियों में सीधे भाग लिए बिना आतंकवादी समूहों को लॉजिस्टिक सहायता, खुफिया जानकारी और अन्य गैर-लड़ाकू सहायता प्रदान करते हैं।
    - अग्रलिखित कारकों की वजह से OGWs से निपटना कठिन होता है- सामान्य नागरिकों और लड़ाकों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है; OGWs के सामुदायिक संबंध होते हैं; वे एन्क्रिप्टेड संचार का उपयोग करते हैं आदि।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदम

संवैधानिक और राजनीतिक पुनर्गठन: अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और 2019 में जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया गया।

कानूनी प्रावधान: आतंकवादियों को चिन्हित करने के लिए UAPA में 2019 में संशोधन किया गया, जमात-ए-इस्लामी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया आदि।

सुरक्षा: ऑपरेशन ऑल-आउट (2017), बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मल्टी-एजेंसी सेंटर की स्थापना, आदि।

विकासात्मक कार्य: प्रधान मंत्री विकास पैकेज (2015), भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के रूप में जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना (J&KIDS, 2021) तैयार की, आदि।

विश्वास निर्माण के लिए उपाय: ऑपरेशन सद्भावना (गुडविल) (2023), आतंकवाद छोड़ने वाले लोगों के लिए पुनर्वास नीति, आदि।

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति: आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका को अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उजागर करने के लिए भारत के प्रयास, पुलवामा आतंकी घटना (2019) के बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के प्रयास।

आगे की राह

- **सुरक्षा और खुफिया तंत्र: TECHINT** (तकनीकी खुफिया/ Technological Intelligence) के पूरक के रूप में **HUMINT** (मानव खुफिया/ Human Intelligence) **को मजबूत बनाने** की रणनीतियां अपनानी चाहिए। साथ ही, खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए।
- **राजनीतिक:** जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव सितंबर और अक्टूबर 2024 में होने हैं। इससे लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।

- **आर्थिक:** आर्थिक विकास और लोगों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए **जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30** का कार्यान्वयन।
- **कूटनीतिक उपाय करना:** आतंकवादी समूहों और उनके समर्थक देशों को अलग-थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए- सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने हेतु **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) में भारत द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयास।**
- **विश्वास निर्माण उपाय और कट्टरपंथ विरोधी कदम:** चरमपंथी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए **विलेज डिफेंस गार्ड** और स्थानीय धार्मिक नेताओं को शामिल करना, सरेंडर कर चुके आतंकवादियों का पुनर्वास करना।

4.5. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) की आवश्यकता पर प्रश्न उठाए। इससे NSS डॉक्यूमेंट के महत्त्व पर बहस छिड़ गई है।

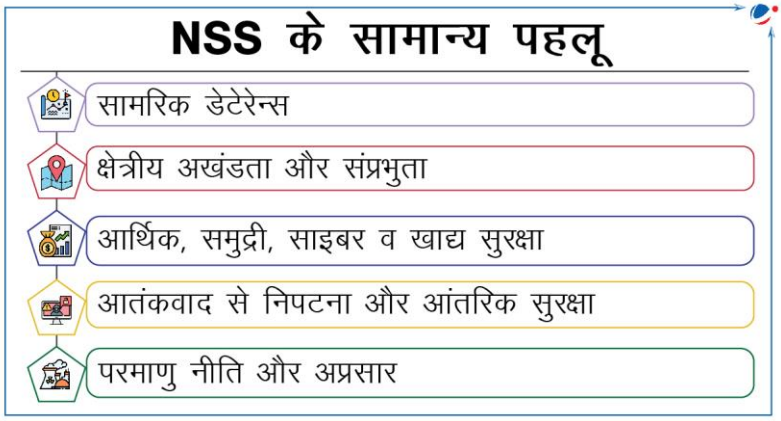

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) क्या है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति किसी देश के **रणनीतिक विजन और उद्देश्यों का संक्षिप्त सार** है। इसमें घरेलू तथा बाहरी चुनौतियों का उल्लेख होता है। साथ ही, इसमें सभी **पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने और अवसरों** का विवरण होता है, जिन्हें **समय-समय पर अपडेट** भी किया जाता है।
  - **अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी बड़ी शक्तियां अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों** को प्रकाशित और अपडेट कर चुकी हैं।

भारत को लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रभावी दीर्घकालिक योजना के लिए फ्रेमवर्क:** यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अल्पकालिक, अस्थायी, जल्दबाजी, और सत्तारूढ़ सरकार की सोच पर केंद्रित निर्णय लेने से बचने में मदद करेगी।
- **विश्व व्यवस्था में भारत की रणनीतिक स्थिति पर स्पष्टता:** यह **मित्र देशों और शत्रु देशों** के प्रति भारत के **रणनीतिक इरादों** को स्पष्ट करेगी, हिंद महासागर में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका तय करेगी, और साझेदार देशों के साथ स्पष्ट सहयोग को बढ़ावा देगी।
- **सुरक्षा व्यवस्था के बदलते स्वरुप और प्राथमिकताओं को पूरा करना:** यह सरकार को नियमित रूप से खतरों, अवसरों और वैश्विक सुरक्षा के ट्रेंड की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे हाइब्रिड युद्ध, चीनी नौसेना के बढ़ते प्रभुत्व जैसी नई चुनौतियों से समय पर निपटा जा सकता है।
- **परिचालन संबंधी स्पष्टता:** यह अधिकारों के वितरण, थिएटर कमांड के संचालन जैसे क्षेत्रों में निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने में सहायता कर सकती है।
- **राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण अपनाना:** यह **व्यापक राष्ट्रीय शक्ति** का उपयोग करने और ऑपरेशन्स के बेहतर समन्वय हेतु तालमेल बनाने में मदद कर सकती है।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को संहिताबद्ध करने में चुनौतियां

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर राजनीतिक सहमति की कमी, जवाबदेही लेने का भय, रक्षा मामलों पर विशेषज्ञता की कमी जैसी वजहों से **राजनीतिक नेतृत्व** लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करने से बचता रहा है।
- **रणनीतिक लचीलापन कम होना:** लिखित **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति** होने से राजनीतिक नेतृत्व विशेष तरीका अपनाने के लिए मजबूर होगा, वहीं लिखित रणनीति नहीं होने की स्थिति में वे अधिक प्रतिबद्धता से काम करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, **इजरायल औपचारिक NSS नीतियों के बिना काम** करता है।
- **संसाधन का आवंटन:** राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के प्रभावी तरीके से लागू का मतलब है इसके निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय तथा मानवीय संसाधन और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी।
- **कमजोर संस्थागत समर्थन और नीतिगत फीडबैक की कमी:** वर्तमान में, भारत में रक्षा और सुरक्षा मामलों पर बहुत कम थिंक-टैंक मौजूद हैं।
  - **कारगिल समीक्षा समिति** की रिपोर्ट और सुरक्षा पर **नरेश चंद्र समिति (2011),** दोनों NSS के तत्काल निर्माण में विफल सिद्ध हुए।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व में उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रक्षा योजना समिति (2018):** यह एक स्थायी निकाय है। इसे अन्य कार्यों के साथ-साथ **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार करने का कार्य भी** सौंपा गया है।
- **हुडा समिति:** इसे 2018 में गठित किया गया था। इसे नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु और भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति** का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। **इसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मसौदे के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का सुझाव दिया:**
  - **वैश्विक मामलों में अपना उचित स्थान सुनिश्चित करना:** इसके लिए वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।
  - **सुरक्षित पड़ोस सुनिश्चित करना:** पड़ोसी देशों से सहयोग बढ़ाना और उन देशों में स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - **आंतरिक संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना:** पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के साथ बेहतर एकीकरण सुनिश्चित करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, आदि।
  - **अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना:** आर्थिक सुरक्षा, साइबर खतरे और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा, आदि।
  - **अपनी क्षमताओं को मजबूत करना:** समुद्री सीमा, अंतरिक्ष, रणनीतिक संचार, इत्यादि क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य का प्रतीक है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने में किसी भी प्रकार की **झिझक और अस्पष्टता को दूर करना** और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

4.6. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat: NSCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने पहली बार **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)** में **अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** (ANSA)[61] की नियुक्ति की।

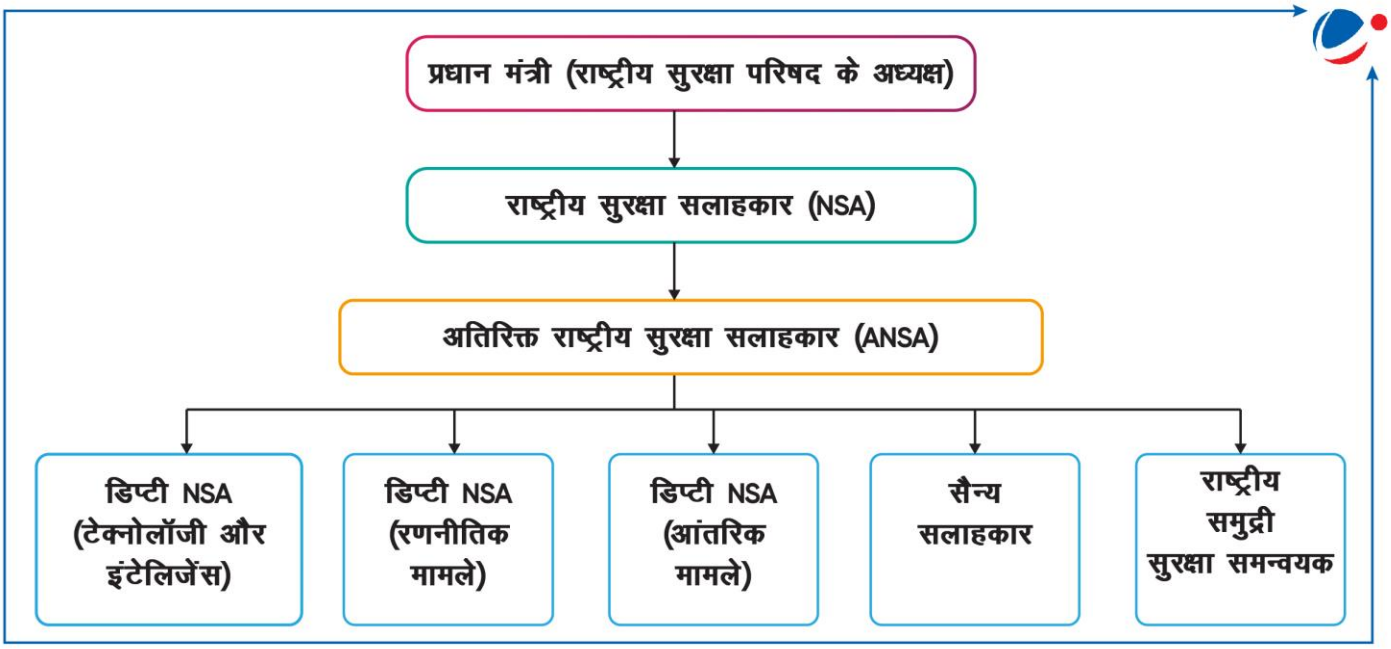

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के बारे में

- **गठन:** NSCS का गठन **1990 के दशक के अंत** में किया गया था। यह तब से **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के सचिवालय** के रूप में कार्य करता है। (NSC के बारे में अंत में बॉक्स देखें)

[61] Additional National Security Advisor

- **भूमिका:** यह **सभी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी मामलों पर शीर्ष सलाहकार निकाय** है। इसकी अध्यक्षता **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) यानी NSC का सचिव** करता है।
    - 2019 से **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) को कैबिनेट मंत्री का दर्जा** प्राप्त है। इसके अलावा, NSA तथा NSCS **कैबिनेट नोट्स तैयार कर सकते हैं, महत्वपूर्ण कैबिनेट दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी अंतर-मंत्रालयी परामर्श में भाग ले सकते हैं।**
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **रणनीति, दिशा और दीर्घकालिक विज़न** प्रदान करना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित **प्रत्येक मंत्रालय को सभी संभावित खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार** किया जा सके।
- **NSCS में निम्नलिखित शामिल हैं:** तीन डिप्टी NSA; सैन्य सलाहकार; राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC)[62]

ANSA की नियुक्ति का महत्त्व

- **NSA की विशिष्ट भूमिका:** अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (ANSA), **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और NSCS के अन्य सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी** के रूप में कार्य करेगा।
    - अब NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के प्रमुख सलाहकार निकायों की देखरेख पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। इन निकायों में **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** (NSAB)[63] और **रणनीतिक नीति समूह** (SPG)[64] शामिल हैं।
- **निरंतरता सुनिश्चित करना:** ANSA द्वारा NSA के रूप में कार्य करने की संभावना बढ़ने से संगठन में निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- **उभरती जरूरतों के अनुसार ढलना:** बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का सामना करने के लिए निरंतर संस्थागत सुधार करना आवश्यक है।

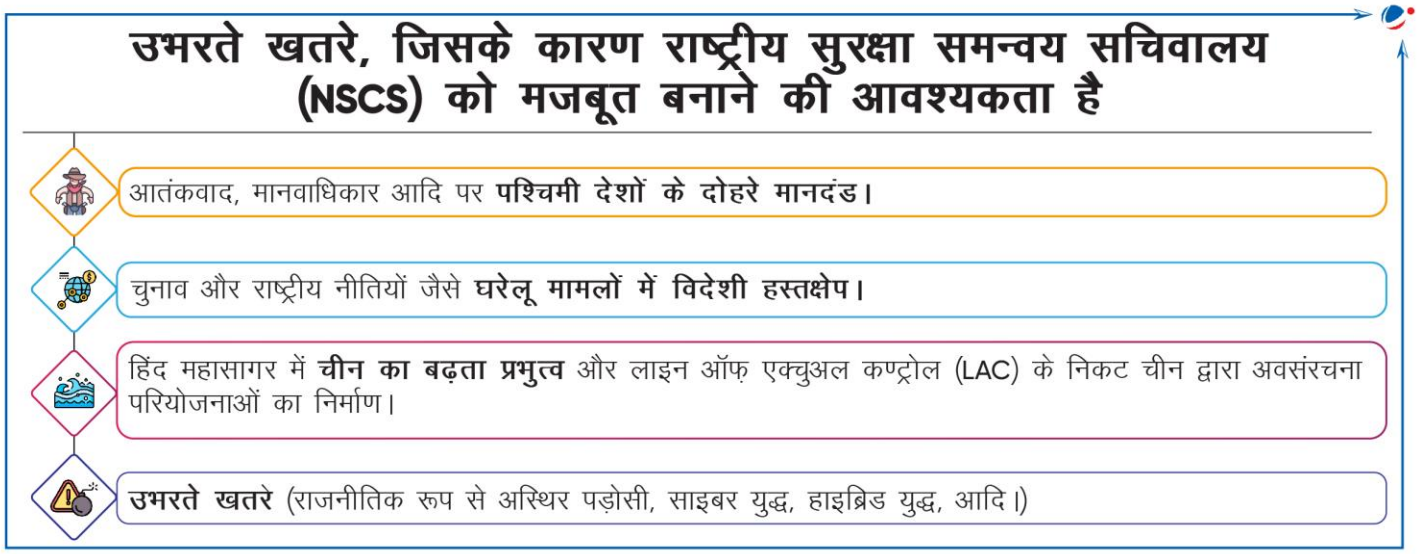

आगे की राह

- **NSA की भूमिका को मजबूत करना:** राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, पदों के लिए चयन करते समय स्पष्ट और निष्पक्ष मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। इन मानदंडों में उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यताएं और अनुभव का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क के भीतर पारदर्शी कमांड श्रृंखला को भी सुनिश्चित करना चाहिए।
- **NSCS में संरचनात्मक बदलाव:** उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों को भर्ती करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाना ताकि जटिल राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

[62] National Maritime Security Coordinator

[63] National Security Advisory Board

[64] Strategic Policy Group

- **'संपूर्ण राष्ट्र' दृष्टिकोण को लागू करना:** राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक, सरकार के विभिन्न विभाग, निजी कंपनियां और सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर काम करें। उन्हें एक-दूसरे को जानकारी देनी चाहिए और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के तरीके खोजने चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council: NSC)

- इसका गठन 1999 में **के.सी. पंत** की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर 25 वर्ष पहले किया गया था।
- यह एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। इसकी **अध्यक्षता प्रधान मंत्री** करते हैं और इसमें **वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री** भी शामिल होते हैं।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों और उद्देश्यों की रक्षा करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के संसाधनों के **समन्वित उपयोग और एकीकृत सोच** को बढ़ावा देना है।
- **यह एक त्रिस्तरीय संगठन है:**
  - **सामरिक नीति समूह (SPG)[65]:** यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के निर्माण में अंतर-मंत्रालयी समन्वय और प्रासंगिक इनपुट के एकीकरण के लिए प्रमुख तंत्र है। इसकी अध्यक्षता NSA करते हैं।
    - अन्य सदस्यों में **नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, RBI के गवर्नर, विदेश, गृह, रक्षा, वित्त, रक्षा उत्पादन, राजस्व, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष** और NSCS के सचिवों के अलावा रक्षा मंत्री के **वैज्ञानिक सलाहकार**, कैबिनेट सचिवालय में सचिव (R) और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख शामिल हैं।
    - **कैबिनेट सचिव** केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा **SPG के निर्णयों को लागू करवाने में सहयोग करता है।**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)[66]:** इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय **सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों का दीर्घकालिक विश्लेषण करना एवं NSC को सही गाइडेंस** प्रदान करना है। इसके अलावा, यह **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा चिह्नित मुद्दों पर सटीक उपायों/ समाधान और नीतिगत विकल्पों की सिफारिश भी करता है।** इसकी **अध्यक्षता NSA** करते हैं।
  - **संयुक्त खुफिया समिति (JIC)[67]:** इसका कार्य इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) सहित अनेक खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी का आकलन करना है। यह **NSCS के अधीन कार्य करता है।**

4.7. अर्बन नक्सलवाद (Urban Naxalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र विधान सभा में "महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024" पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य **'अर्बन-नक्सलवाद'** की गतिविधियों पर **अंकुश लगाना** है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- इसमें संदिग्ध व्यक्तियों की कई तरह की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। इन गतिविधियों में **कानून की अवज्ञा करने के लिए उकसाना या इसके लिए प्रचार करना** आदि शामिल हैं।
- संदिग्ध गतिविधियों में शामिल **संगठन को गैरकानूनी घोषित** करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, **जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्तों को मुकदमा चलाने** की अनुमति देने की शक्ति दी गई है।
  - किसी संगठन को **गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA)** के तहत भी गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है।
  - हालांकि, UAPA के तहत **मुक़दमा चलाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी** आवश्यक है।

अर्बन नक्सलवाद क्या है?

- नक्सलवाद से आशय **वामपंथी उग्रवाद या माओवाद** से है। ये हिंसक साधनों के जरिए **राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकने में विश्वास** रखते हैं।
  - भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति **1967** में **पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव** में हुए विद्रोह से मानी जाती है।

[65] Strategic Policy Group

[66] National Security Advisory Board

[67] Joint Intelligence Committee

- **"अर्बन नक्सलवाद" की कोई मानक परिभाषा नहीं** है। यह टर्म आम तौर पर **शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की सक्रियता बढ़ाने के प्रयासों** के लिए उपयोग की जाती है।
    - ग्रामीण नक्सलवादी राज्य के खिलाफ हिंसा के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अर्बन नक्सली ऐसे **हिंसक साधनों के प्रयोग से परहेज** करते हैं।
        - अर्बन नक्सली मुख्यतः **भर्ती करने वाले एजेंट, प्रचारक, नक्सलियों के लिए धन के स्रोत** आदि के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, ये सशस्त्र नक्सली कैडरों को लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं और सुरक्षित पनाह भी देते हैं।
- हालाँकि, ग्रामीण नक्सलवाद की तुलना में **अर्बन नक्सलवाद को कम जन-समर्थन प्राप्त** है।
    - इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में **शिक्षा के बेहतर अवसर और अवसंरचना** उपलब्ध हैं और **सरकार या प्रशासन तक पहुंच भी आसान** है।

4.8. साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UN Treaty on Cybercrime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने साइबर अपराध को लक्षित करने वाली संधि को अंतिम रूप दिया।

साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र संधि के बारे में

- यह **संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि** है, जिसका उद्देश्य **"साइबर अपराध को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से रोकना तथा उससे निपटना है।"** यह संधि विशेष रूप से **बाल यौन शोषण की तस्वीरों और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने** पर केंद्रित है।
- **40 सदस्य देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि** किए जाने के बाद यह संधि लागू हो जाएगी।
- वर्तमान में, **बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 (काउंसिल ऑफ़ यूरोप के वार्ता के बाद)** दुनिया भर में **साइबर अपराध कानूनों के लिए दिशा-निर्देश या संदर्भ** के रूप में कार्य करता है।
    - इस पर अधिकांशतः यूरोप के देश, तुर्किये, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका और ब्राजील ने हस्ताक्षर किए हैं।

संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- यह संधि देशों को **दोषसिद्धि के लिए प्रासंगिक डेटा को "संग्रह या रिकॉर्ड"** करने और सेवा प्रदाताओं को **संबंधित जानकारी या दस्तावेज सौंपने के लिए "बाध्य"** करने की अनुमति देती है।
- **सदस्य देशों पर दायित्व:**
    - यह संधि देशों से ऐसे कानून बनाने का आह्वान करती है, जो लोगों द्वारा ऐसी सूचना और संचार प्रणाली का उल्लंघन करना गैर-कानूनी बना देंगे, जिनकी ऐसी प्रणाली तक पहुंच नहीं है।
    - यह संधि देशों को बाल यौन शोषण संबंधी ऑनलाइन कंटेंट के सृजन, प्रस्तुति, बिक्री, वितरण आदि को अवैध घोषित करने के लिए प्रेरित करेगी।
    - देश यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संधि के तहत उनके दायित्वों का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत निर्धारित उनके दायित्वों के अनुरूप हो।

संधि का महत्त्व

- यह संधि पहली बार **वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध और डेटा तक पहुंच में सक्षम बनाने वाला कानूनी ढांचा** स्थापित करती है।
- यह साइबर अपराध से **समाज की रक्षा के लिए "एक वैश्विक आपराधिक न्याय नीति"** स्थापित करती है।

4.9. साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त डॉक्ट्रिन (Joint Doctrine for Cyberspace Operations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने साइबरस्पेस गतिविधियों के संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया। इसमें साइबरस्पेस गतिविधियों के संचालन के सैन्य पहलुओं को समझने पर जोर दिया गया है।

साइबरस्पेस के बारे में

- साइबरस्पेस **उन सभी वैश्विक भागीदारों** (जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली) को शामिल करता है जो डिजिटल जानकारी और कोड की प्रोसेसिंग**, भंडारण और प्रसार करने में** लगे हुए हैं, भले ही वे आपस में जुड़े हुए हों अथवा नहीं।
- **साइबरस्पेस गतिविधियों के सैन्य लाभ:** रियल टाइम में खुफिया जानकारी एकत्र करना, आक्रामक और रक्षात्मक अभियान में, बेहतर संचार और सिग्नल इंटेलिजेंस में, आदि।
- **साइबरस्पेस गतिविधियों की कमजोरियां:** साइबरस्पेस युद्ध या साइबर हमले सरकारी वेबसाइटों और नेटवर्क को निष्क्रिय कर सकते हैं, आवश्यक सेवाओं को बाधित या अक्षम कर सकते हैं, गोपनीय डेटा को चुरा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं, और वित्तीय प्रणालियों को पंगु बना सकते हैं आदि।

संयुक्त डॉक्ट्रिन का महत्त्व

- यह सशस्त्र बलों के कमांडरों, स्टाफ और चिकित्सकों को साइबर ऑपरेशन की योजना बनाने और संचालित करने के लिए **वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करता** है।
- तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) की **जॉइन्ट्नेस और एकीकरण को बढ़ावा** देता है जो प्रभावी एकीकृत थिएटर कमांड के गठन की एक पूर्व शर्त है।
- **साइबरस्पेस में ऐसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को रोकना,** जो देश की अर्थव्यवस्था, एकजुटता, राजनीतिक निर्णय लेने और आत्मरक्षा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी।** गौरतलब है कि चीन जैसे देशों ने साइबर युद्ध की अधिक क्षमताएं विकसित कर ली हैं, जिनमें विरोधियों की सैन्य संपदा और सामरिक नेटवर्क को कमजोर करने या नष्ट करने वाले साइबर हथियारों का विकास भी शामिल हैं।

भारत में साइबर स्पेस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **रक्षा साइबर एजेंसी (DCA):** इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। यह त्रि-सेवा एजेंसी है। यह साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने और तीनों सेनाओं के बीच साइबर सुरक्षा के प्रयासों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
- **अन्य: साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (Cyber Emergency Response Teams: CERTs), साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (CSOC)[68], साइबर सुरक्षा अभ्यास- 2024.**

निष्कर्ष

साइबरस्पेस संचालन पर संयुक्त डॉक्ट्रिन राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबरस्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करते हुए भविष्य की सैन्य रणनीतियों और संचालन को दिशा देने के लिए तैयार किया गया है।

4.10. ऑनलाइन गलत सूचना (Online Misinformation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक सिद्धांत **"ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी: रेकमेंडेशन्स फॉर मल्टी-स्टेकहोल्डर एक्शन"** जारी किए हैं।

[68] Cyber Security Operations Centre

ऑनलाइन गलत सूचना के बारे में

- **गलत सूचना (Misinformation)** का अर्थ वह **झूठा या भ्रामक कंटेंट है,** जिसे बिना किसी नुकसान के इरादे से साझा किया जाता है, हालांकि वह हानिकारक हो सकता है।
    - **धोखा देने अथवा आर्थिक या राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करने के इरादे से फैलाई गई झूठी या भ्रामक सूचना**, जिससे जनता को नुकसान पहुंचता है, उसे **दुष्प्रचार (Disinformation)** कहा जाता है।

ऑनलाइन गलत सूचना के संभावित नकारात्मक प्रभाव

- **अपारदर्शी एल्गोरिदम:** यह बहुत अधिक सूचनाओं को उत्पन्न करता है और नस्लवाद, भेदभाव, महिलाओं से द्वेष जैसे कई पूर्वाग्रहों को मजबूत करता है।
- **लोकतंत्र के लिए खतरा:** गलत सूचना मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में गुमराह करके चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल करने में कठिनाई:** उदाहरण के लिए - गलत सूचना और संचालित दुष्प्रचार अभियान 'ग्रीनवॉशिंग' जैसी गतिविधियों के माध्यम से जलवायु संबंधी कार्रवाई में बाधा बन सकते हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव:** गलत सूचनाएं वित्तीय बाजारों में तनाव पैदा करके या अवास्तविक अपेक्षाओं (जैसे बहुत कम समय में अधिक वित्तीय लाभ) को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने में चुनौतियां

- **तीव्र डिजिटल प्लेटफॉर्म:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म की अभूतपूर्व गति, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी यानी "सूचना की सत्यता" के समक्ष गंभीर खतरा पैदा करती है।
- **रीडर्स की सुदूर अवस्थिति:** तथ्य-जांचकर्ता अक्सर रीडर्स से अलग-थलग होते हैं। इसलिए, रीडर्स सूचना में किए गए किसी भी सुधार या सूचना को रद्द किए जाने से अनजान रह सकते हैं।
- **डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक:** व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म गलत सूचना की निगरानी और उस पर प्रतिक्रिया करना मुश्किल बनाते हैं।
- **मीडिया के बारे में कम समझ और सुभेद्यता:** वृद्धजन ऑनलाइन गलत सूचना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
    - उदाहरण के लिए, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में युवा व्यक्तियों की तुलना में झूठी खबरें साझा करने की संभावना तीन से चार गुना अधिक होती है।
- **रोचक कंटेंट:** सरल व मनोरंजक मीम और ट्वीट एवं मल्टीमीडिया संदेश (वीडियो या ऑडियो) सभी दर्शकों के लिए आसानी से स्वीकार करने योग्य होते हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें बहुत अधिक टेक्स्ट वाले कंटेंट पसंद नहीं आते हैं।

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र के **"इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी के लिए वैश्विक सिद्धांत" निम्नलिखित 5 सिद्धांतों** को रेखांकित करते हैं। इनका उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना से निपटना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मानवाधिकारों को बनाए रखना है:

- **सामाजिक विश्वास और लचीलापन:** सभी भाषाओं और संदर्भों में **मजबूत व नवीन डिजिटल विश्वास एवं सुरक्षा प्रणालियों को लागू** करना चाहिए। साथ ही महिलाओं, वृद्धों और बच्चों जैसे सुभेद्य समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **सकारात्मक प्रोत्साहन:** ऐसे **व्यवसाय मॉडल्स अपनाने चाहिए, जो मानवाधिकारों को प्राथमिकता** देते हों। साथ ही, ये व्यवहारिक ट्रैकिंग और व्यक्तिगत डेटा पर आधारित व एल्गोरिदम-संचालित विज्ञापन पर निर्भर न हों।
- **लोगों का सशक्तीकरण:** प्रौद्योगिकी कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को **विश्वास, सुरक्षा, गोपनीयता संबंधी नीतियों और डेटा पर प्रतिक्रिया** देने में सक्षम बनाना चाहिए। साथ ही अलग-अलग प्रदाताओं की सेवाओं के साथ संगतता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **स्वतंत्र, मुक्त और बहुलवादी मीडिया:** राज्यों और तकनीकी कंपनियों को प्रेस की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, जनहित के लिए काम करने वाले समाचार संगठनों, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का समर्थन करना चाहिए।
- **पारदर्शिता और अनुसंधान:** सूचना प्रसार, डेटा उपयोग एवं जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए तकनीकी कंपनियों द्वारा पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।

4.11. वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (Financial Action Task Force: FATF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सिंगापुर में आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) की बैठक में '**भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट** (MER)[69]' को स्वीकार किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत का पहला **म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन 2010 में किया गया** था।
- **वर्तमान म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट (MER) में** भारत को **"रेगुलर फॉलो-अप" श्रेणी** में रखा गया है। इस रिपोर्ट में JAM (जन धन, आधार नंबर, मोबाइल) ट्रिनिटी जैसी पहलों की प्रशंसा की गई है।
  - गौरतलब है कि **नकद लेनदेन पर सख्त विनियमन** के कारण **वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई** है। साथ ही, इन उपायों ने लेन-देन को पारदर्शी बना दिया है।

FATF की 'म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट' क्या है?

- म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण** तथा **सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने में** किसी देश द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन है।
  - यह रिपोर्ट **पीयर रिव्यू** पर आधारित होती हैं, जहाँ अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि दूसरे देश का मूल्यांकन करते हैं।
- **म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के दो मुख्य घटक हैं:** प्रभावशीलता रेटिंग (Effectiveness rating) और तकनीकी अनुपालन मूल्यांकन (Technical Compliance assessment)।
- **म्यूच्यूअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण**
  - **रेगुलर फॉलो-अप: सर्वोच्च श्रेणी:** इस श्रेणी में केवल **24 देश** हैं। इनमें **भारत, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस** और **रूस** जैसे G20 के सदस्य देश भी शामिल हैं।
  - **एन्हांस्ड फॉलो-अप:** इनमें ऐसे देश शामिल होते हैं जिनके प्रयासों में कई कमियां मौजूद होती हैं। इस श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश और कई यूरोपीय देश शामिल हैं।
  - **इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप (ICRG) समीक्षा: इसमें उच्च जोखिम वाले एवं अन्य तरह की निगरानी वाले क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन)** शामिल हैं।
    - इनमें शामिल देशों को अपने प्रयासों में **कमियों को दूर करने के लिए एक साल की निगरानी अवधि** में रखा जाता है।
    - चिह्नित **कमियों को दूर करने में विफल होने** पर देशों को **ब्लैक या ग्रे सूची** में डाला जा सकता है।

[69] Mutual Evaluation Report

वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में आयोजित ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- **सदस्यता:** 38 सदस्य देश (इसमें रूस भी शामिल है, हालांकि उसकी सदस्यता निलंबित है।) **भारत 2010 से इसका सदस्य है।**
- **FATF-शैली की क्षेत्रीय संस्थाएं: ऐसी 9 क्षेत्रीय संस्थाएं** हैं। इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रसार** करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- **मुख्य कार्य**
  - **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की कार्यप्रणाली को स्वच्छ बनाए रखना:** FATF **मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त-पोषण** एवं **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य संबंधित खतरों** से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है।
  - **वित्तीय समावेशन:** 2000 के दशक के अंत से वित्तीय समावेशन का समर्थन करना FATF की प्राथमिकता में शामिल हो गया।
    - FATF ने **'अवांछित परिणामों पर परियोजना'**[70] भी शुरू की है, जिसमें वित्तीय अपवंचन (फाइनेंशियल एक्सक्लूशन) से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट:** इनमें ऐसे देश और क्षेत्राधिकार शामिल हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं।
  - **ग्रे लिस्ट (अधिक निगरानी वाले देश):** ये वे देश हैं जो अपने कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।
  - **ब्लैक लिस्ट (अधिक जोखिम वाले देश जिनसे कार्रवाई करने को कहा गया है):** ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई में **गंभीर कमियों** वाले देशों या क्षेत्राधिकारों की सूची है।
- FATF में सर्वसम्मति से निर्णय का प्रावधान है।

FATF अधिक प्रभावी क्यों नहीं रहा है?

- **निष्पक्षता का अभाव:** वैसे तो FATF सर्वसम्मति से निर्णय लेता है, किंतु इस बारे में **कोई औपचारिक नियम नहीं है** कि किसी प्रस्ताव को खारिज करने या किसी देश को ग्रे सूची में शामिल होने से बचाने के लिए कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का विरोध करना आवश्यक है।
- **सूची में शामिल करने की व्यवस्था में खामियां:** क्षमताओं और कार्रवाइयों के आधार पर ग्रे सूची में शामिल देशों में अंतर करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- **क्रमिक प्रतिक्रिया का अभाव:** निर्देशों का पालन नहीं करने वाले देशों को या तो ब्लैक लिस्ट में या ग्रे सूची में डालने से आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले देशों के खिलाफ लचीला और चरणबद्ध उपाय करने का मार्ग अवरुद्ध होता है।
- **अधिक प्रभावी नहीं:** FATF वास्तविक कार्रवाई की जांच किए बिना देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि उसने तकनीकी रूप से FATF की सिफारिशों को लागू किया था।
- **अन्य मुद्दे:** क्रिप्टोकरेंसी, डीपवेब आदि के कारण आतंकवाद के वित्त-पोषण का उभरता स्रोत; ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान ने देना; आदि।

FATF को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे की राह

- **कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ाना:** पारदर्शी और खुली प्रतियोगिता प्रणाली के माध्यम से सचिवालय में अलग-अलग पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति को बढ़ावा देना चाहिए।
- **ग्रे लिस्ट का उप-वर्गीकरण: FATF के निर्देशों पर कार्रवाई करने की मंशा और गंभीरता के आधार पर** देशों को ग्रे सूची में भी अलग-अलग वर्गों में रखा जाना चाहिए। इससे आतंकवाद के वित्त-पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है।
- **गरीब देशों की संसाधनों और क्षमताओं से मदद करना:** जरूरतमंद देशों को उनके कानूनी, विनियामक, संस्थागत और वित्तीय पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग:** IMF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और FATF-स्टाइल क्षेत्रीय संस्थाओं सहित अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अधिक सहयोग और समन्वय बढ़ाने से FATF को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

[70] Project on unintended consequences

4.12. भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रोग्राम (India's Ballistic Missile Defence Program)

भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रोग्राम: एक नज़र में

हाल ही में, DRDO ने चरण-II **एयर डिफेंस एंडो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल** का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण करते हुए **5,000 किलोमीटर रेंज** की श्रेणी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के बारे में

- BMD प्रणालियां ड्रोन, लड़ाकू जेट और बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों जैसे **हवाई हमलों से बचाव के लिए** इंटरसेप्टर्स लॉन्च करती हैं, जो आने वाली मिसाइलों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देती हैं।
- **बैलिस्टिक मिसाइल बनाम क्रूज मिसाइल:** बैलिस्टिक मिसाइलें रॉकेट संचालित हथियार हैं जो उच्च चाप वाले प्रक्षेप पथ के साथ आगे बढ़ती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें (जैसे- ब्रह्मोस) जेट इंजन द्वारा संचालित होती हैं, कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं।

भारत का BMD प्रोग्राम

- इसे देश को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एक **लेयर्ड मिसाइल शील्ड** तैनात करने के लिए 2000 में शुरू किया गया था।
- **यह कार्य दो चरणों में:**
  - BMD का पहला चरण: इस प्रणाली को पहले ही तैनात किया जा चुका है। इस प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD) मिसाइल:** यह **50-80 किलोमीटर** रेंज वाली **एक्सो-एटमॉस्फेरिक** मिसाइल है।
    - **एंडो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल प्रणाली:** ये मिसाइल **पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर ही कार्य** करती हैं।
- **BMD का दूसरा चरण:** इसमें **AD-1 और AD-2** नामक दो मिसाइलें शामिल हैं।

BMD प्रोग्राम का महत्त्व

- **सामरिक:** BMD भारत की सामरिक स्वायत्तता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेट-सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इसकी भूमिका का समर्थन करता है, विशेष रूप से S-400 जैसी बाह्य प्रणालियों के अधिग्रहण में देरी के मामले में।
- **सुरक्षा:** यह दक्षिण एशिया में परमाणु खतरों, देशों की तर्कहीन कार्रवाइयों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं से सुरक्षा करता है।
- **तकनीकी:** यह रडार, ट्रैकिंग सिस्टम और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देता है।
- **कूटनीतिक:** यह अमेरिका, रूस आदि जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को नया रुख दे कर सकता है।

BMD प्रणालियों से संबंधित चुनौतियां/ चिंताएं

- **हथियारों की होड़:** BMD परमाणु व्यवस्था को बदल सकता है और रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिससे विरोधी जवाबी उपाय विकसित करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- **लागत और संसाधन:** भारत की सीमित इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण संबंधित अनुसंधान और विकास तथा इस प्रणाली की तैनाती के लिए धन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है।
- **इंटर-ओपरेबिटिली:** BMD को मौजूदा सैन्य अवसंरचना के साथ एकीकृत करने हेतु प्रभावी समन्वय की दिशा में सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है।

4.13. विमान वाहक पोत (Aircraft Carrier)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री ने दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की योजना की घोषणा की है। साथ ही, उन्होंने भविष्य में "पांच या छह" और विमान वाहक पोत बनाने की योजना का भी उल्लेख किया।

विमान वाहक पोत के बारे में

- एक विमान वाहक पोत **कई तरह की रणनीतिक सेवाएं** प्रदान करता है। इनमें निगरानी, एयर डिफेन्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, समुद्री संचार लाइनों (SLOC)[71] की सुरक्षा और एंटी-सबमरीन युद्ध शामिल हैं। इनके तीन प्रकार हैं-
  - **CATOBAR** (कैटापुल्ट असिस्टेड टेक-ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी)
  - **STOBAR** (शॉर्ट टेक-ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी)
  - **STOVL** (शॉर्ट टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग)
- **नौसेना परिप्रेक्ष्य योजना (1985-2000)** और **समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (2012-27)** में **तीन विमानवाहक पोतों की आवश्यकता** का उल्लेख किया गया था। इनमें से दो परिचालन में होने चाहिए (पूर्वी और पश्चिमी तट पर) और एक पोत किसी भी समय जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए उपलब्ध रहेगा।
- वर्तमान में, भारतीय नौसेना के पास **45,000 टन के दो विमानवाहक पोत हैं; INS विक्रमादित्य** और **INS विक्रांत।**
- ये दोनों पोत नाभिकीय ऊर्जा की बजाय **पारंपरिक ऊर्जा द्वारा संचालित पोत हैं।** ये विमानों की उड़ान भरने में सहायता करने के लिए **स्की-जंप रैंप** का उपयोग करते हैं।
- INS विक्रांत, जिसका अर्थ "बहादुर" है, भारत का **पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत** है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। वहीं **INS विक्रमादित्य** को **रूस से खरीदा गया** था और 2014 में इसे तैनात किया गया।
  - **INS विक्रांत ने भारत को** चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे **उन चुनिंदा देशों** के **समूह में शामिल कर दिया** है जो अपने स्वयं के विमान वाहक पोतों का निर्माण करने में सक्षम हैं।
- **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में** भारत के **तीसरे विमानवाहक पोत का निर्माण** किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का निर्माण भी इसी शिपयार्ड में हुआ है।

भारत को तीसरे विमानवाहक पोत की आवश्यकता क्यों है?

- **ब्लू वाटर नेवी क्षमताओं को बढ़ाना:** भारतीय नौसेना को **ब्लू वाटर फोर्स** माना जाता है और तीसरा विमान वाहक पोत भारत की इस क्षमता को और मजबूत करेगा। **हिंद महासागर क्षेत्र में** एकमात्र **सुरक्षा प्रदाता बनने तथा अपने पक्ष में शक्ति संतुलन** बनाए रखने के लिए ऐसी क्षमता जरूरी है।

[71] Sea Lines of Communication

- **ऑपरेशनल रूप से हमेशा तैयार रहना:** तीन विमानवाहक यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम दो हमेशा परिचालन में रहें, तथा भारत के पूर्वी और पश्चिमी, दोनों समुद्री तटों पर तैनात रहें।
- **अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश:** तीसरा विमान वाहक पोत (IAC-2) भारी विमानों को लॉन्च करने के लिए **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (EMALS)** और **CATOBAR** जैसी एडवांस प्रणालियों से युक्त होगा और अधिक क्षमता वाला होगा।
- **भारत के सॉफ्ट पावर की भूमिका निभाने में मददगार:** शांति के समय में, विमान वाहक पोत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)[72] कार्यों में शामिल हो सकते हैं, जो एम्फीबियन तथा वायु और समुद्री क्षेत्र की अन्य जरूरतों में भी भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और बढ़ती भू-राजनीतिक गतिविधियों के बीच भारत को अपनी विमान वाहक क्षमताओं को बढ़ाना होगा। खासकर, वित्तीय संसाधनों की कमी और परिचालन संबंधी चुनौतियों के बीच भारत को नौसैनिक सुरक्षा के मामले में अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना होगा।

विमान वाहक पोत बनाम पनडुब्बियां

- **लागत और जोखिम:** भारत के पहले **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** ने विमानवाहक पोतों को महंगा और **अनावश्यक** माना था। विमानवाहक पोतों को **समुद्र और तटीय क्षेत्रों से प्रक्षेपित मिसाइलों से खतरा** है। इन खतरों को देखते हुए पनडुब्बियों **को प्राथमिकता देने का तर्क दिया** जाता है।
  - स्टील्थ क्षमताओं और रक्षात्मक विशेषताओं वाली पनडुब्बियों को **समुद्री सतह पर संचालित विमानवाहक पोतों की तुलना में** युद्धपोतों के सुरक्षात्मक आवरण की कम जरुरत पड़ती है।
- हालांकि, **संतुलित नौसैनिक रणनीति के लिए विमानवाहक पोत और पनडुब्बी, दोनों समान रूप से आवश्यक** हैं।
  - **दोनों की भूमिकाएं पूरक हैं:** पनडुब्बियां स्टील्थ और आक्रामक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं, जबकि विमानवाहक पोत विभिन्न प्रकार के विमानों को तैनात करके व्यापक हवाई और समुद्री संचालन क्षमताएं प्रदान करते हैं।

[72] Humanitarian Assistance and Disaster relief

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

5.1.1. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (Climate Change Impact)

5.1.1.1. लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) पर प्रभाव: एक नज़र में {Impact on Small Island Developing States (SIDS) at a Glance}

लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

SIDS

- SIDS उन लघु द्वीपीय देशों और क्षेत्रों का समूह है जो **संधारणीय विकास संबंधी समान चुनौतियों को झेल रहे हैं एवं एक ही जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय खतरों का सामना** कर रहे हैं।
  - SIDS के उदाहरण: मालदीव, सेशेल्स, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, सूरीनाम, मॉरीशस, पापुआ न्यू गिनी, वानूअतू, गुयाना, सिंगापुर आदि।
- SIDS में **तीन भौगोलिक क्षेत्रों के देश शामिल हैं: कैरेबियन सागर; प्रशांत महासागर;** तथा **अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर (AIS)।**
- 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में SIDS को उनके **पर्यावरण और विकास, दोनों मामलों में "विशेष स्थिति" (स्पेशल केस)** के रूप में मान्यता दी गई थी।

SIDS पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

विस्थापन के लिए विवश:	आर्थिक प्रभाव:	आर्थिक कौशल और तकनीकी प्रगति तक पहुंच का अभाव।	जलवायु संबंधी अन्याय:	अन्य प्रभाव:
तटीय कटाव और जमीन के पानी में डूबने के कारण। उदाहरण के लिए- **पनामा** जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली करने वाला पहला देश बन गया।	SIDS की औसत GDP 13.7 बिलियन डॉलर है, जिसमें चरम मौसमी दशाओं के कारण 153 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ (1970-2020 तक)। उदाहरण के लिए- महासागरीय अम्लीकरण पर्यटन, मात्स्यिकी जैसी आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित करता है।	2019 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त-पोषण में से SIDS को मात्र 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त हुए।	ये मौजूदा जलवायु संकट के लिए सबसे कम उत्तरदायी हैं। **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में** SIDS का हिस्सा **केवल 1% है।**	मूलवासी समुदायों पर अधिक प्रभाव; स्वास्थ्य, जल उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा आदि पर प्रभाव।

उठाए गए कदम

- **लघु द्वीपीय देशों का गठबंधन (AOSIS):** यह लघु द्वीपीय देशों का पक्ष रखने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- **लघु द्वीपीय विकासशील देशों के संधारणीय विकास पर वैश्विक सम्मेलन, 1994 (बारबाडोस कार्य योजना)।**
- **UNDP की पहलें: क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव; प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव।**
- **लघु द्वीपीय विकासशील देशों के त्वरित कार्यवाही पद्धति (Small Island Developing States Accelerated Modalities of Action: SAMOA) पाथवे।**
- **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI): IRIS कार्यक्रम** के तहत 8 **मिलियन डॉलर** के वित्त-पोषण की घोषणा की है।
- **अवसंरचना लचीलापन त्वरक कोष (IRAF) (2022):** यह **50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रस्ट फंड** है। इसे UNDP तथा **संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय** (UNDRR) के सहयोग से स्थापित किया गया है।

आगे की राह

- **जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को अन्य क्षेत्रीय नीतिगत पहलों के साथ एकीकृत करना।**
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और सुभेद्यता आकलन के माध्यम से डेटा संग्रहण एवं तकनीकी क्षमता में सुधार करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण:** उदाहरण के लिए- ब्रिजटाउन इनिशिएटिव (2022) ने SDGs में निवेश करने के लिए सतत विकास लक्ष्य राहत पैकेज का प्रस्ताव किया गया है।
- **प्रकृति-आधारित समाधान:** उदाहरण के लिए- ब्लू कार्बन परियोजनाएं, निम्नीकृत (डिग्रेडेड) पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना इत्यादि।
- **नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए; SIDS लाइटहाउस पहल का लक्ष्य 2030 तक सभी SIDS देशों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।

5.1.1.2. सीमांत किसानों पर प्रभाव: एक नज़र में (Impact on Marginal Farmers at a Glance)

जलवायु परिवर्तन का सीमांत किसानों पर प्रभाव

जलवायु परिवर्तन और सीमांत किसान" रिपोर्ट (फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट)

- **चरम मौसम के कारण संकट:** एक-तिहाई से अधिक **सीमांत किसानों को पांच वर्षों में कम-से-कम दो बार चरम मौसमी घटनाओं** का सामना करना पड़ा है।
- **कृषि आय में कमी:** 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की वार्षिक कृषि आय में औसतन 15-18% कमी हो सकती है। यह कमी असिंचित क्षेत्रों में बढ़कर 20-25% तक हो सकती है।
- **आजीविका विविधीकरण:** जलवायु प्रभावों के कारण 86% से अधिक सीमांत किसानों ने कृषि के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। वैकल्पिक आजीविका में किसी अन्य जगह रोजगार हेतु **अस्थायी प्रवास करने जाना, मनरेगा के तहत काम** करना आदि शामिल हैं।
- **जलवायु अनुकूल कृषि (CRA) पद्धतियों को अपनाने में बाधाएं:** उच्च प्रारंभिक लागत, भू-जोत का छोटा आकार, भौतिक संसाधनों की कमी आदि।

आगे की राह

- **ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर (GACSA)** जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को मजबूत बनाया जाना चाहिए। यह प्लेटफॉर्म **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** ने विकसित किया है।
- **भूमि उत्पादकता की बजाय जल उत्पादकता (Water Productivity)** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - जहां भूमि उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर भूमि पर अनाज उत्पादन की गणना की जाती है, वहीं जल उत्पादकता में कृषि भूमि में प्रति घन मीटर जल की खपत की तुलना में अनाज उत्पादन की गणना की जाती है।
- किसानों को **शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता और विस्तार सहायता पर मिशन मोड एप्रोच** प्रदान करने की जरूरत है।

5.1.1.3. शिक्षा पर प्रभाव: एक नज़र में (Impact on Education at a Glance)

शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

शिक्षा पर प्रभाव (विश्व बैंक की "शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव" रिपोर्ट)

- **जलवायु नीति एजेंडा में शिक्षा की उपेक्षा की गई है:** 2020 में जलवायु संबंधी आधिकारिक विकास सहायता का **1.3% से भी कम हिस्सा शिक्षा क्षेत्रक** को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, **औसतन तीन NDCs यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में से एक से भी कम** में शिक्षा क्षेत्रक का उल्लेख किया गया है।
- **स्कूलों का बंद होना:** 2005-2024 के दौरान, **चरम मौसम की कम-से-कम 75% घटनाओं के बाद स्कूल बंद** कर दिए गए थे। इससे **50 लाख या अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित** हुई थी।
- दुनिया भर में **99% से अधिक बच्चे कम-से-कम एक प्रमुख जलवायु और पर्यावरणीय खतरे, आपदाओं आदि का सामना** करते हैं।
- **अन्य प्रभाव:**
  - **लर्निंग आउटकम्स पर प्रभाव:** ब्राजील की ऐसी 10% नगरपालिकाओं में, जहां बहुत अधिक तापमान रहता है, बढ़ती गर्मी के कारण छात्रों का प्रतिवर्ष लगभग 1% लर्निंग नुकसान होता है।
  - निम्न और मध्यम आय वाले देशों में **कम-से-कम 4 मिलियन लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने से रोक सकती हैं।**

आगे की राह: शिक्षा प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने हेतु उपाय

- आपदाओं की अर्ली वार्निंग सिस्टम में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए- **InaRISK मोबाइल ऐप इंडोनेशिया में छात्रों और कर्मचारियों को आपदाओं के बारे में ज्ञान में वृद्धि** कर रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्कूली अवसंरचनाएं:** उदाहरण के लिए- **रवांडा में बाढ़ और वर्षा-तूफान से होने वाले भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूल के चारों ओर रिटेनिंग दीवारें** बनाई जा रही हैं।
- **कक्षा में तापमान को कम रखने के लिए उपाय** करने चाहिए। उदाहरण के लिए- केन्या में **"ग्रीन इकोनॉमी स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेशन प्लान"** अपनाई गई है। यह योजना **बायोक्लाइमेटिक डिजाइन** को बढ़ावा दे रही है **तथा अधिक गर्मी के दौरान छात्रों को राहत प्रदान** कर रही है।
- **अन्य:** जलवायु परिवर्तन को पाठ्यक्रम में शामिल करना; शमन और अनुकूलन समाधान विकसित करने में शिक्षा की भूमिका को मान्यता देना; जलवायु वित्त प्रोग्राम्स में शिक्षा को शामिल करना।

Mains 365 : अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2024
दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम
(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)
दिनांक 30 अगस्त
अवधि 5 महीने
हिन्दी/English माध्यम

5.1.1.4. समुद्री जलस्तर में वृद्धि (Sea Level Rise)

समुद्री जलस्तर में वृद्धि (SLR): एक नज़र में

SLR के बारे में:

- **दुनिया के महासागरों और समुद्रों के औसत जल-स्तर में क्रमिक वृद्धि** को ही समुद्री जलस्तर में वृद्धि कहा जाता है।
- 1901 से 2018 के बीच, वैश्विक स्तर पर समुद्र के जलस्तर में औसतन 15 से 25 से.मी. की वृद्धि हुई है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि **2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई** और ऐसा अनुमान है कि **वर्ष 2100 तक इसमें प्रतिवर्ष 15 मि.मी. की वृद्धि हो सकती है।**

भारत से संबंधित रुझान (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी: CSTEP)

- 1987 से 2021 के बीच मुंबई के समुद्री जल क्षेत्र में अधिकतम SLR (4.44 सेमी) रिकॉर्ड किया गया।
- **2040 तक मुंबई, यनम और थूथुकुडी का 10% से अधिक भू-भाग जलमग्न** हो जाएगा।

समुद्र जलस्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- **महासागरीय तापीय विस्तार:** महासागर ग्रीनहाउस गैसों की वजह से पैदा हुई गर्मी का **90% से अधिक हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं।**
- **हिम का पिघलना:** ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियर, आइस-कैप्स और हिम-चादर तेजी से पिघल रही हैं।

समुद्र जलस्तर में वृद्धि के प्रभाव

तटीय कटाव या अपरदन में वृद्धि के कारण **समुद्र तटों एवं तटीय बस्तियों को नुकसान** पहुँच रहा है।

पेयजल दूषित हो रहा है।

मैंग्रोव, लवणीय दलदल (साल्ट मार्श) और प्रवाल भित्तियों जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचता है, जिससे **मत्स्यन और जैव विविधता नकारात्मक रूप से प्रभावित** हो रही है।

शमन संबंधी उपाय

- **तटीय सुरक्षा:** सी-वाल्स, सर्ज बैरियर, आदि।
- **कुशल शहर: स्पॉन्ज सिटी** जैसी कुशल शहर नियोजन रणनीतियाँ और **डिजिटल ट्विन** जैसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
- **नेट जीरो लक्ष्य:** 2015 पेरिस समझौते का पालन करना।
- **सर्वोत्तम अभ्यास:** दक्षिण कोरिया और मालदीव द्वारा अपनाए गए फ्लोटिंग होम।

5.1.2. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जलवायु परिवर्तन शमन पर टिप्पणियां (Economic Survey 2023-24 Observations on Climate Change Mitigation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वेक्षण में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण अस्तित्व के लिए एक-दूसरे पर निर्भरता की प्रकृति की अनदेखी करता है।

वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण में खामियां

- **अपर्याप्त वित्त-पोषण:** शोध से पता चलता है कि विकासशील देशों को अपने मौजूदा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई लक्ष्यों के आधे हिस्से को प्राप्त करने के लिए 2030 तक लगभग **6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी विकसित देशों ने 2020 तक केवल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ही वादा किया था।
- **प्रति व्यक्ति उत्सर्जन डेटा की अनदेखी करना:** उदाहरण के लिए- भारत, विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जक** है। इसके विपरीत, भारत का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन और **प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम** है। 1850-2019 के बीच वैश्विक संचयी GHG उत्सर्जन में भारत की केवल 4 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है। इसके बावजूद **भारत पर अधिक उत्सर्जन कटौती करने के लिए दबाव** डाला जा रहा है।
- **खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना:** परमाणु ऊर्जा सबसे स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा विकल्प है। परन्तु परमाणु संयंत्रों से जुड़ी महज कुछ दुर्लभ दुर्घटनाओं ने इनके प्रति लोगों के मन में अधिक भय पैदा कर दिया है। उदाहरण के लिए- चेरनोबिल और फुकुशिमा आपदा ऐसी ही दुर्लभ परमाणु दुर्घटनाएं हैं।
- **अत्यधिक ऊर्जा की खपत वाली प्रौद्योगिकियां:** उदाहरण के लिए, **चैट-GPT पर एक सर्च से Google पर समान क्वेरी की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा की खपत होती है।**
- **अति उपभोग:** वर्तमान जलवायु परिवर्तन रणनीति बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के साथ पारंपरिक ईंधन को नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के साथ बदलने पर केंद्रित है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की संपूर्ण जीवन-चक्र की लागत पर अनुसंधान का अभाव:** उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा की तुलना में 300 गुना अधिक स्थान की आवश्यकता हो सकती है, तथा बायोमास को 8,000 गुना अधिक स्थान की आवश्यकता हो सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण में पश्चिमी पद्धतियों को अपनाने के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है

- **उत्सर्जन का शमन करने में बाजार अर्थव्यवस्था की सीमाएं:** बाजार अर्थव्यवस्था वित्तीय परिणामों पर अधिक केंद्रित होती है।
- **खाद्य-पशु आहार के मध्य संतुलन में व्यवधान:** मांस के लिए पशु आहार उद्योग (feed industry) के पास पृथ्वी पर कुल कृषि योग्य भूमि का 33% हिस्सा है, जिसका उपयोग अब चारा फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके चलते खाद्य-पशु आहार के मध्य प्रतिस्पर्धा, भूमि की कमी, पर्यावरणीय प्रभाव आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **हाउसिंग में परिवर्तन:**
  - **पश्चिमी जीवन शैली के मॉडल को अपनाना:** भारत में कुल परिवारों में से लगभग 50% एकल परिवार (1-4 सदस्य) हैं। 2008 में यह अनुपात 38% था।
  - शहरी विस्तार की प्रवृत्ति: उच्चतर उत्सर्जन।
  - यूनिवर्सल जीवन शैली मॉडल की नकल करना।

सुझाव

- **भारत जैसे विकासशील देशों को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त** करने के लिए स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार प्रयास करने चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि विकासशील देशों के लिए **सार्थक जलवायु कार्रवाई करने और विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के बीच संतुलन स्थापित** करना चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- जलवायु परिवर्तन पर **वैश्विक आंदोलन संप्रभु विकल्पों और आर्थिक जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए**। हालांकि, यह व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित होना चाहिए जैसा कि भारत के मिशन लाइफ में परिकल्पित है।

5.2. वायु प्रदूषण (Air Pollution)

5.2.1. ग्राउंड लेवल ओज़ोन (क्षोभमंडलीय ओज़ोन) {Ground-level Ozone (Tropospheric Ozone)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रमुख शहरों में ग्राउंड लेवल ओज़ोन (क्षोभमंडलीय ओज़ोन) प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- भारत के **10 महानगरों** में ग्राउंड लेवल ओज़ोन का स्तर **राष्ट्रीय ओज़ोन मानकों से अधिक** पाया गया है। इनमें **दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित** है।
- **ग्राउंड लेवल ओज़ोन हॉटस्पॉट:** ग्राउंड लेवल ओज़ोन मुख्यतः **NO2 और PM2.5 के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों** में मौजूद है। ऐसा इसलिए, क्योंकि **NO2 की अनुपस्थिति ग्राउंड लेवल ओज़ोन के स्तर में गिरावट को रोकती** है।
- रात के समय ग्राउंड लेवल ओज़ोन प्रदूषण **सभी महानगरीय क्षेत्रों में दर्ज** किया गया है।

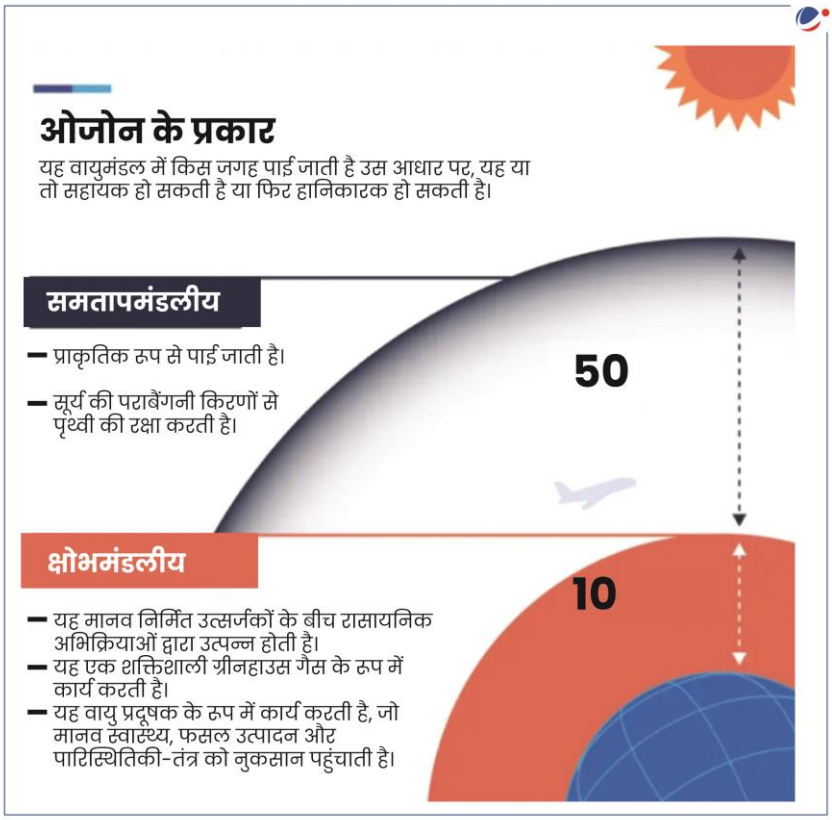

ग्राउंड लेवल ओज़ोन (GLO) के बारे में

- **ग्राउंड-लेवल ओज़ोन एक द्वितीयक,** अल्पकालिक प्रदूषक है। इसकी उत्पत्ति वायुमंडल में **सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के बीच अभिक्रिया** से होती है।
  - **O3 का अधिकतम स्तर गर्मियों** में होता है।
- **ओज़ोन प्रदूषण के स्रोत:** कारों, बिजली संयंत्रों व उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण; इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से होने वाला प्रदूषण (जैसे- फोटोकॉपियर) आदि।
- **ग्राउंड-लेवल ओज़ोन के प्रभाव**
  - **स्वास्थ्य:** ब्रोंकाइटिस का बिगड़ना; अस्थमा को सक्रिय करना; फेफड़ों के ऊतकों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाना आदि।
  - **जलवायु:** यह सौर विकिरण को अवशोषित करती है, जिसके चलते यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्य करती है।
  - **कृषि और पारिस्थितिकी-तंत्र पर प्रभाव:** यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और कुछ पादप प्रजातियों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **ओज़ोन प्रदूषण को रोकने की रणनीतियां:** मीथेन उत्सर्जन में कमी करके और कारों, विद्युत संयंत्रों एवं अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले वायुमंडलीय प्रदूषकों के स्तर में कटौती करके ओज़ोन प्रदूषण पर नियंत्रण लगा सकते हैं।
- **भारत की पहल:** भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (सफर) आदि के तहत चयनित स्थानों पर GLO की निगरानी की जा रही है।

5.3. जल एवं भूमि क्षरण (Water and Land Degradation)

5.3.1. खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि (High Seas Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को **"राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे क्षेत्रों की जैव विविधता** (BBNJ)[73] **समझौते"** पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। इसे **खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई सी ट्रीटी** के नाम से भी जाना जाता है। **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व** करेगा।

खुला सागर या हाई सी या उच्च सागर क्या है?

- **परिभाषा:** खुला सागर किसी भी देश के **राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र** होता है।

[73] Biodiversity Beyond National Jurisdiction

- आमतौर पर, किसी देश का **राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र** उसके समुद्र तट से समुद्र की ओर **200 समुद्री मील (370 कि.मी.) तक फैला** होता है, **जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)**[74] कहा जाता है।

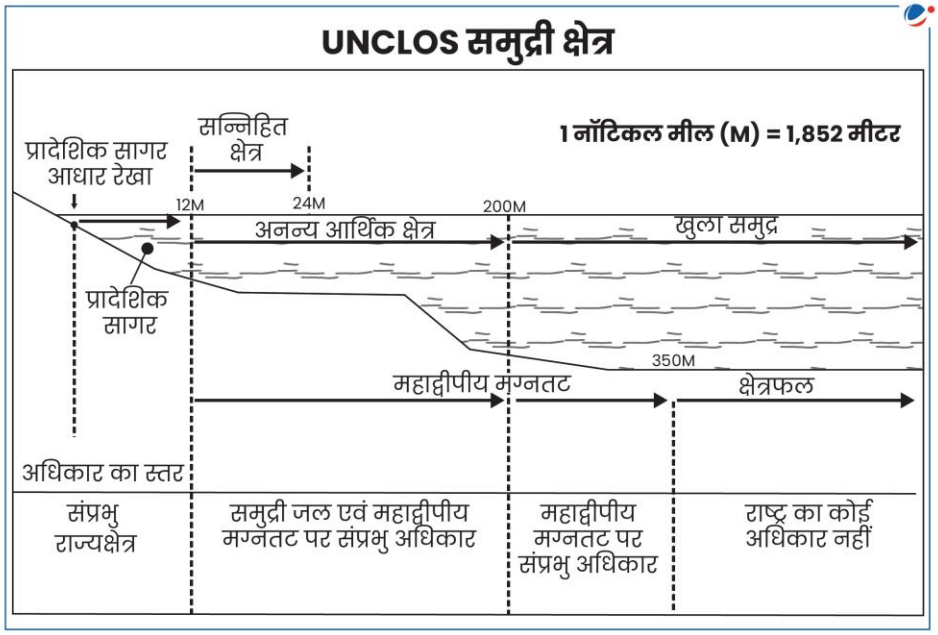

- **ग्लोबल कॉमन्स या वैश्विक साझा क्षेत्र:** खुला समुद्र क्षेत्र कुल महासागर क्षेत्र के **लगभग 64% यानी लगभग दो-तिहाई क्षेत्र को कवर करता है और इसे ग्लोबल कॉमन्स** माना जाता है।
  - इस पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इस पर सभी देशों को **पोत-परिवहन, ओवरफ्लाइट, आर्थिक गतिविधियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, या समुद्र में केबल बिछाने जैसी अवसंरचना के लिए समान अधिकार** प्राप्त होता है।

BBNJ समझौते के बारे में

- इसे औपचारिक रूप से **"राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग पर समझौता"**[75] कहा जाता है। **UNCLOS के तहत:** यह **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)**[76] के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- **अंगीकरण:** इस समझौते को 2023 में अपनाया गया था। यह **दो वर्षों तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा।** यह **60 देशों द्वारा अभिपुष्टि के 120 दिन** बाद लागू हो जाएगा। यह एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि** होगी।
  - जून 2024 तक, **91 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 8 पक्षकारों ने इसकी अभिपुष्टि** की है।
- **उद्देश्य:** वर्तमान एवं दीर्घावधि में राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना।

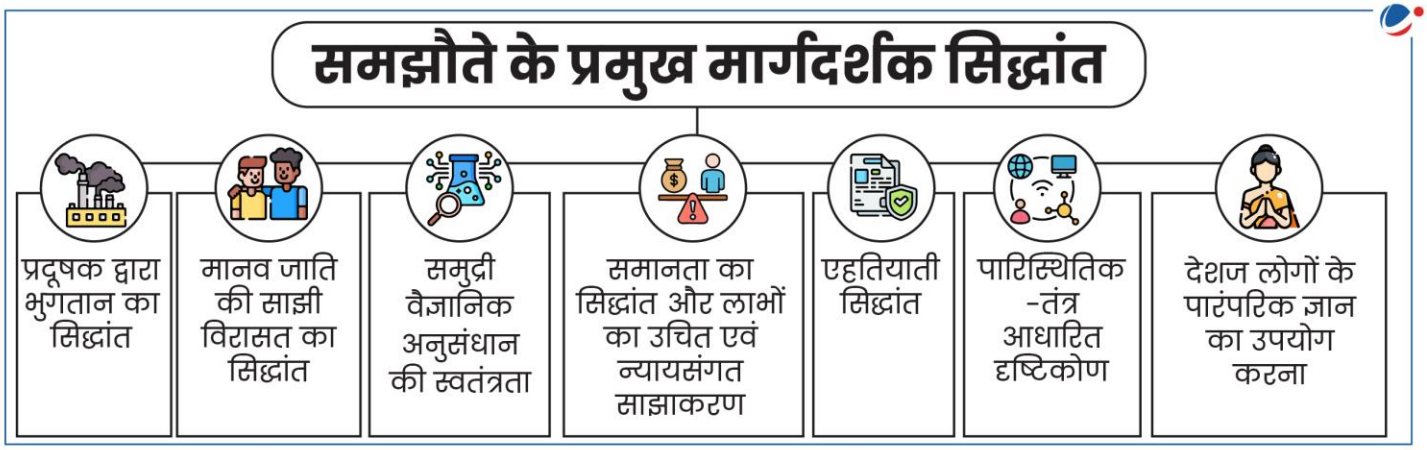

BBNJ समझौते के प्रमुख प्रावधान

- **इसके लागू होने का दायरा:** यह **राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे के समुद्री क्षेत्रों (ABNJ)**[77] पर लागू होता है, जिसमें **खुला समुद्र** भी शामिल है।
  - यह **किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसैन्य सहायता पर लागू नहीं** होता है।

[74] Exclusive Economic Zone

[75] Agreement on Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction

[76] United Nations Convention on the Law of the Sea

[77] Areas Beyond National Jurisdiction

- इसका केवल **भाग-II गैर-वाणिज्यिक सेवा में किसी भी सरकारी जहाज** पर लागू होता है। यह भाग **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों** से संबंधित है।

- **संस्थागत व्यवस्था:** संधि के तहत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **पक्षकारों का सम्मेलन (Conference of Parties: COP):** COP में संधि के पक्षकार शामिल होंगे और यह **निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय** होगा। हालांकि, यह **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** पर कुछ मामलों पर निर्णय नहीं ले सकेगा।
  - **क्लियरिंग-हाउस मैकेनिज्म (CHM):** CHM मुख्य रूप से **ओपन-एक्सेस प्लेटफॉर्म** होगा और एक **केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेगा।
  - **अन्य: वैज्ञानिक एवं तकनीकी निकाय (Scientific and Technical Body: STB); विषय विशिष्ट समितियां जैसे पहुंच एवं लाभ-साझाकरण समिति[78]; क्षमता निर्माण एवं समुद्री प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समिति[79]** आदि।
- **वित्तीय तंत्र:** COP द्वारा स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड, विशेष फंड, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड।
- **अन्य प्रमुख प्रावधान:**
  - कोई भी देश ABNJ के समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGR) पर संप्रभुता या संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं करेगा।
  - ABNJ में किसी गतिविधि के संभावित प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन के लिए EIA फ्रेमवर्क (यानी, वैश्विक मानक)।
  - ABNJ के MGR और संबंधित डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन (DSI) से जुड़े लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिए तंत्र।
    - DSI की परिभाषा पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बनी है।

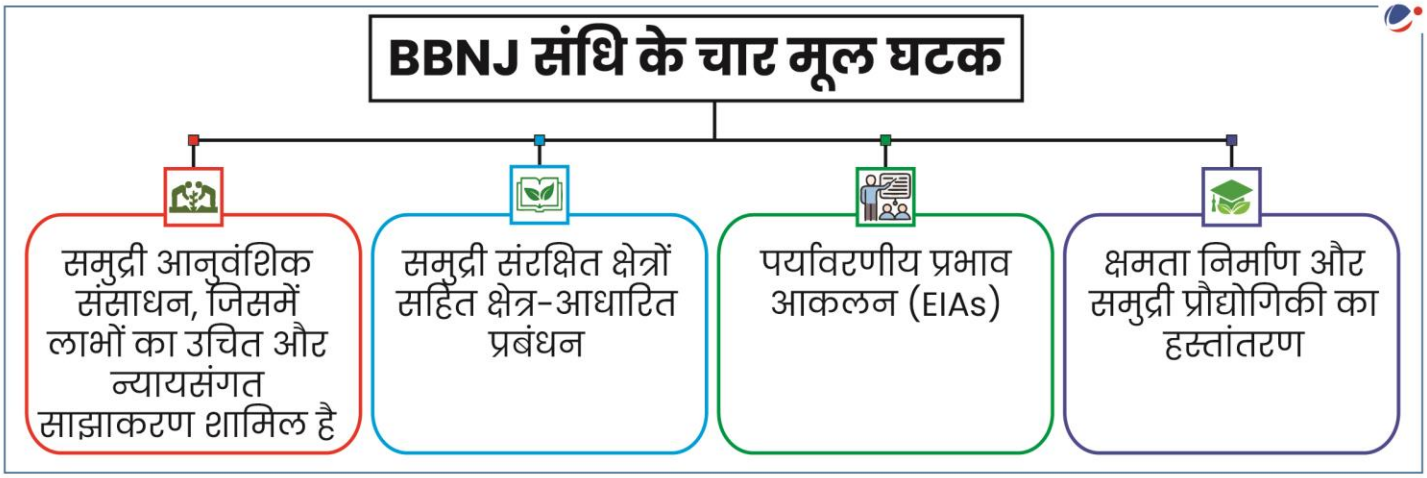

BBNJ समझौते का महत्व

- **जैव विविधता का संरक्षण:** इसके तहत संसाधनों के अतिदोहन, जैव विविधता की हानि, प्लास्टिक की डंपिंग सहित प्रदूषण, महासागरीय अम्लीकरण और कई अन्य समस्याओं की जांच करके जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार, 2021 में लगभग **17 मिलियन टन प्लास्टिक** महासागरों में डंप किया गया था।
- **"30x30" पहल के लक्ष्य की प्राप्ति:** 2030 तक 30% समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करना:** इससे समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र पर तापमान में वृद्धि, महासागर में घुलित ऑक्सीजन की कमी, महासागर का अम्लीकरण आदि के प्रभावों का शमन करने में मदद मिलेगी।
- **समतामूलक आर्थिक व्यवस्था:** इस समझौते में विकासशील देशों (चाहे वे तटीय हों या स्थलरुद्ध) के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इससे एक **न्यायसंगत और समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को साकार** करने में मदद मिलेगी।
- **भारत के लिए महत्त्व:**
  - **सामरिक विस्तार:** यह समझौता भारत को उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे क्षेत्रों में उसकी सामरिक उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

[78]Access and benefit-sharing committee)

[79] Capacity building and transfer of marine technology committee

- **संसाधन लाभ:** यह समझौता साझा मौद्रिक लाभों के अतिरिक्त भारत के समुद्री संरक्षण प्रयासों और सहयोगों को मजबूत करेगा। साथ ही, इससे वैज्ञानिक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे।
- **पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना:** इसमें एहतियाती सिद्धांत पर आधारित समावेशी, एकीकृत व पारिस्थितिकी-तंत्र केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। साथ ही, पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

5.3.2. मृदा स्वास्थ्य (Soil Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मोरक्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन में, यूनेस्को ने अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर 'विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक (World soil health index)' स्थापित करके अपने सदस्य देशों को समर्थन देने का संकल्प लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

इसके अतिरिक्त, यूनेस्को अपने बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत 10 प्राकृतिक स्थलों में लंबे समय तक मृदा और भू-क्षेत्रों के संधारणीय प्रबंधन के लिए एक पायलट कार्यक्रम भी शुरू करेगा।

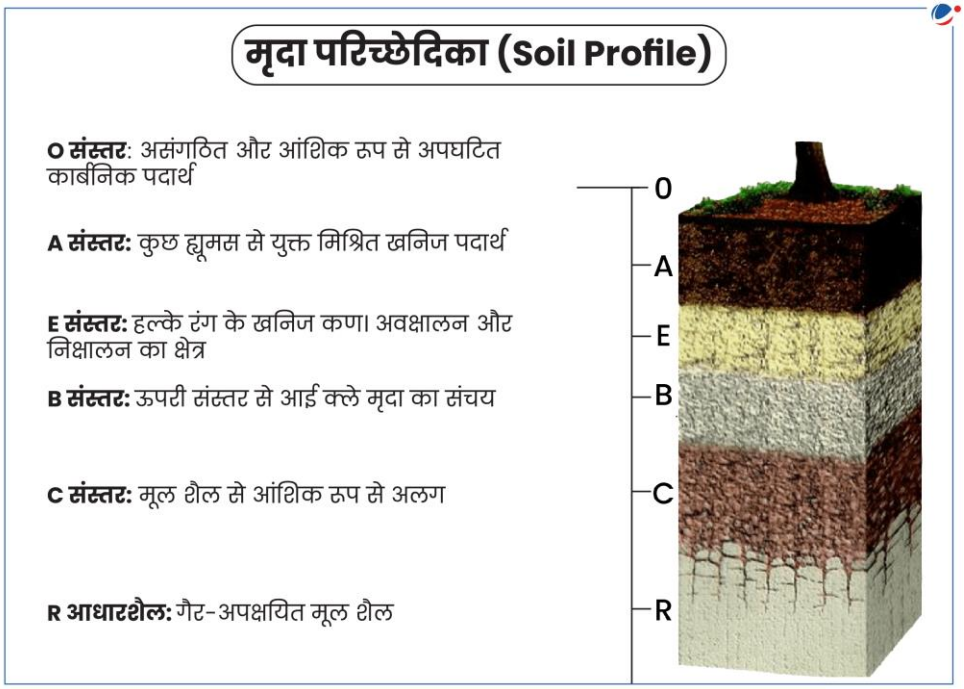

मृदा क्षरण के बारे में

- **मृदा क्षरण** वास्तव में मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक गिरावट है। यह कार्बनिक पदार्थों की हानि, मृदा की उर्वरता और संरचनात्मक स्थिति में गिरावट, क्षरण, लवणता, अम्लता या क्षारीयता में प्रतिकूल परिवर्तन, और जहरीले रसायनों, प्रदूषकों या अत्यधिक बाढ़ के कारण हो सकता है।

मृदा क्षरण की स्थिति

- **विश्व मरुस्थलीकरण एटलस** के अनुसार, **75% मृदा का पहले ही क्षरण** हो चुका है। इसका सीधा प्रभाव **3.2 बिलियन लोगों** पर पड़ रहा है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो **2050 तक 90% मृदा का क्षरण** हो जाएगा।
- इसरो द्वारा बनाए गए भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस (2021) के अनुसार, **कुल निम्नीकृत (Degraded) भूमि 96.4 मिलियन हेक्टेयर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.32% है।**

मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक

- **वनों की कटाई:** इसरो के भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस (जून 2021) के अनुसार, 2018-19 के दौरान **भारत में लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर मरुस्थलीकरण/ भूमि क्षरण, वनस्पतियों के विनाश** के कारण हुआ है।
- **लवणीकरण/ क्षारीकरण:** उदाहरण के लिए- **पंजाब की लगभग 50% कृषि योग्य भूमि** लवणता के कारण अपनी उर्वरता खो चुकी है।
- **अनुचित फसल-चक्र:** जनसंख्या वृद्धि, भूमि की कमी जैसे अनेक दबावों के कारण अनाज (चावल और गेहूं) आधारित गहन फसल चक्र से मृदा की उर्वरता में गिरावट होती है।
- **अतिचारण**: उदाहरण, गुजरात के बन्नी घास के मैदानों का क्षरण।

आगे की राह

- **संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना:** विविध फसल चक्र को अपनाने से **मृदा स्वास्थ्य** में सुधार होता है, कीटों में कमी आती है।
- **मृदा आवरण को अधिकतम करना:** घास, झाड़ियां, फसलें, यहां तक कि पराली जैसे सुरक्षात्मक वनस्पति आवरण की उपस्थिति **हवा की गति को कम कर देती है और इससे मृदा का कम क्षरण होता है।**
- **बाधाओं को कम करना: जुताई को सीमित करना, रासायनिक इनपुट का इष्टतम उपयोग करने** जैसे उपाय अपनाना।
- **एकीकृत भूमि उपयोग योजना:** मृदा पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कृषि, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रकों में अलग-अलग उपयोगों एवं उपयोगकर्ता की मांगों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन करना चाहिए।
- **परिशुद्ध खेती (Precision Farming):** GPS, सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके मृदा प्रबंधन पद्धतियों को बेहतर करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां आवश्यक हो, वहां पर सही मात्रा में जल, पोषक तत्व और कीटनाशकों का उपयोग किया जाए।
- **समुदाय-आधारित मृदा संरक्षण:** सहभागी मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन करने में मदद करने वाले उपयुक्त दृष्टिकोण/ साधनों की पहचान और/या विकास करना चाहिए।

मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **जैविक खेती को बढ़ावा देना:** जैविक खेती को अनेक योजनाओं/ कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)[80], राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (NMOOP)[81] आदि।
- **मृदा स्वास्थ्य के लिए:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि।
- **वन आवरण में सुधार:** राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP)[82], राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM)[83] आदि।
    - **भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR)[84], 2021** के अनुसार, 2 वर्षों में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इससे मृदा के कटाव को कम करने में मदद मिलेगी।
- **फसल अवशेषों/ पराली को जलाने से रोकना:** फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- **बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा:** बॉन चैलेंज एक वैश्विक लक्ष्य है। इसका उद्देश्य 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि और वनों की कटाई वाले भू-क्षेत्रों को वापस उनकी पुरानी प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना है।

5.4. संधारणीय विकास (Sustainable Development)

5.4.1. ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-ग्रेट निकोबार के सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)[85] अध्ययन पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह परियोजना प्रस्तावित **"अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) का समग्र विकास"** परियोजना का हिस्सा है।
- **मसौदा रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
    - **परियोजना के सकारात्मक प्रभाव**

[80] Mission for Integrated Development of Horticulture
[81] National Mission on Oilseeds & Oil Palm
[82] National Afforestation Programme
[83] National Mission for a Green India
[84] India State of Forest Report
[85] Social Impact Assessment

- आर्थिक, रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि होगी।
- क्षेत्र का विकास होने पर जमीन के मूल्य में वृद्धि होगी।

○ **परियोजना के नकारात्मक प्रभाव**

- कृषि के लिए उत्पादक भूमि तथा आवास इकाइयों के लिए भूमि कम पड़ जाएगी।
- बाहरी लोगों का अधिक आगमन होगा और यहां के आदिवासियों की निजता का उल्लंघन होगा।

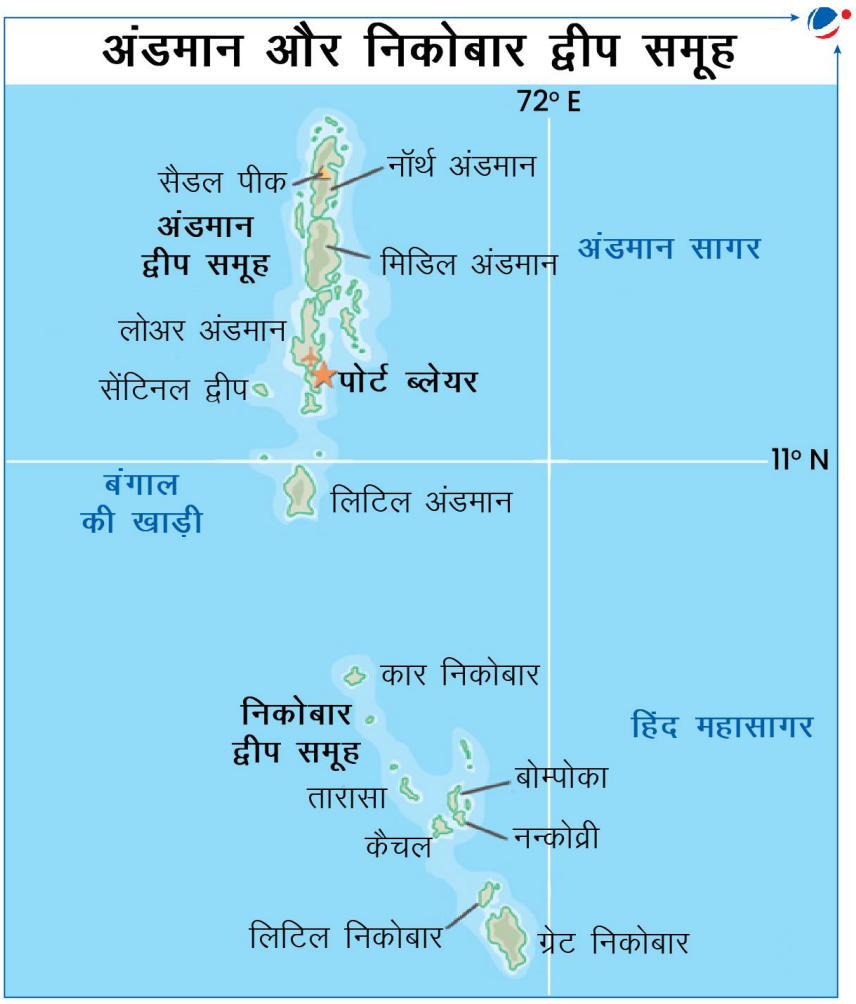

"अंडमान और निकोबार (A&N) द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) का समग्र विकास" परियोजना के बारे में,

- यह परियोजना भारत सरकार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में **अंडमान और निकोबार प्रशासन** द्वारा प्रस्तावित है।
- इस परियोजना को 2022 में **सैद्धांतिक रूप से** वन मंजूरी और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)**[86] है। ANIIDCO **कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।**
- एकीकृत विकास के तहत **प्रस्तावित परियोजनाएं** हैं: इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल: (ICTT), ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप और क्षेत्र विकास, विद्युत संयंत्र।

[86] Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation

परियोजना से जुड़ी चिंताएं

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:**
  - निर्माण क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत की हानि होगी।
  - विद्युत संयंत्र स्थल पर सीवेज अपशिष्ट उत्पादन से आस-पास के जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं।
  - बंदरगाह निर्माण से पूर्वी किनारे पर स्थित मैंग्रोव वन को नुकसान पहुंच सकता है।
  - समुद्र तट पर कृत्रिम प्रकाश की वजह से समुद्री कछुए की नेस्टिंग और हैचलिंग्स प्रभावित हो सकती हैं।
- **जीव-जंतुओं के लिए खतरा:** इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल का निर्माण गैलेथिया खाड़ी में किया जाने की संभावना है। यह **लेदरबैक टर्टल** के लिए विश्व के सबसे बड़े नेस्टिंग स्थलों में से एक है। लेदरबैक टर्टल वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
- GNI को 2013 में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के भाग के रूप में **बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क** में शामिल किया गया था।
- **सामाजिक चिंताएं:** 2022 में ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद ने परियोजना के लिए दिया गया अपना **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** वापस ले लिया। इसका कारण प्रशासन की पारदर्शिता में कमी और आदिवासी समुदायों से जल्दबाजी में सहमति लेना है।
  - नीति आयोग की योजना में "निर्जन" के रूप में पहचानी गई भूमि का एक हिस्सा **ग्रेट निकोबारी लोगों** के पूर्वजों की भूमि है।
- **स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं:** शोम्पेन जनजाति के लोग बाहरी लोगों से बहुत कम संपर्क में रहते हैं। इसलिए बाहरी लोगों के अधिक आने से इनमें **संक्रामक रोगों** के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
- **प्राकृतिक आपदा का खतरा**: अंडमान एवं निकोबार **उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र** में स्थित है। ऐसे में विकास से विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव सामने आ सकते हैं।

आगे की राह

प्रभावों को कम करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय:

- यह योजना स्थानीय भू-क्षेत्र नियोजन अवधारणाओं के अनुसार लागू की जाएगी, ताकि इस भू-क्षेत्र में होने वाले **बड़े बदलावों को पहचाना जा** सके।
- नवंबर से फरवरी के बीच **लेदरबैक टर्टल** का **प्रजनन-काल** होता है। इस दौरान अपतटीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को **प्रतिबंधित किया** जाना चाहिए।
- कृत्रिम प्रकाश से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए **सोडियम वेपर लाइट** का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि समुद्री कछुए इससे कम प्रभावित होते हैं।
- ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास में एकीकृत **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली** को लागू करने की योजना है।
- **किसी भी वर्कर को कभी भी शोम्पेन क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी।** यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए।
- विस्थापित लोगों के लिए **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.4.2. भारतीय हिमालयी क्षेत्र (Indian Himalayan Region: IHR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया निर्णयों से स्पष्ट होता है कि "जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त रहना" **एक नया मूल अधिकार** है। इस नए मूल अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR)** के लिए एक संधारणीय विकास मॉडल को अपनाना आवश्यक हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **एम. के. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ वाद (2024)** में सुप्रीम कोर्ट ने **"जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार"** को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21 के** तहत **मूल अधिकार** माना है।
- **अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघ वाद (2023)** में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता से आगे की राह सुझाने को कहा ताकि शीर्ष न्यायालय संधारणीय विकास के लिए हिमालयी राज्यों और कस्बों की **वहन क्षमता** पर निर्देश जारी कर सके।

- **तेलंगाना राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम वाद** में न्यायालय ने निर्णय दिया कि पर्यावरण के मामले में पारिस्थितिकी केन्द्रित नजरिया अपनाया जाना समय की मांग है, विशेष रूप से ऐसे पर्यावरण के मामले में जिसके केंद्र में "प्रकृति" है।
    - न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संवृद्धि और विकास की आकांक्षाओं को विज्ञान तथा स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं प्रकृति के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र के बारे में (IHR)

- हिमालय **युवा वलित पर्वत** है और यह **विवर्तनिक रूप से सक्रिय** है। इसका निर्माण लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले **यूरेशिया प्लेट** और **उत्तर की ओर बढ़ती इंडियन प्लेट के बीच** टक्कर के कारण हुआ था।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र भारत के **13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 2500 किलोमीटर** तक फैला हुआ है।
- यह **भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 18% भाग पर फैला हुआ है** जबकि देश के वनावरण क्षेत्र और जैव विविधता का 50% हिस्सा कवर करता है।

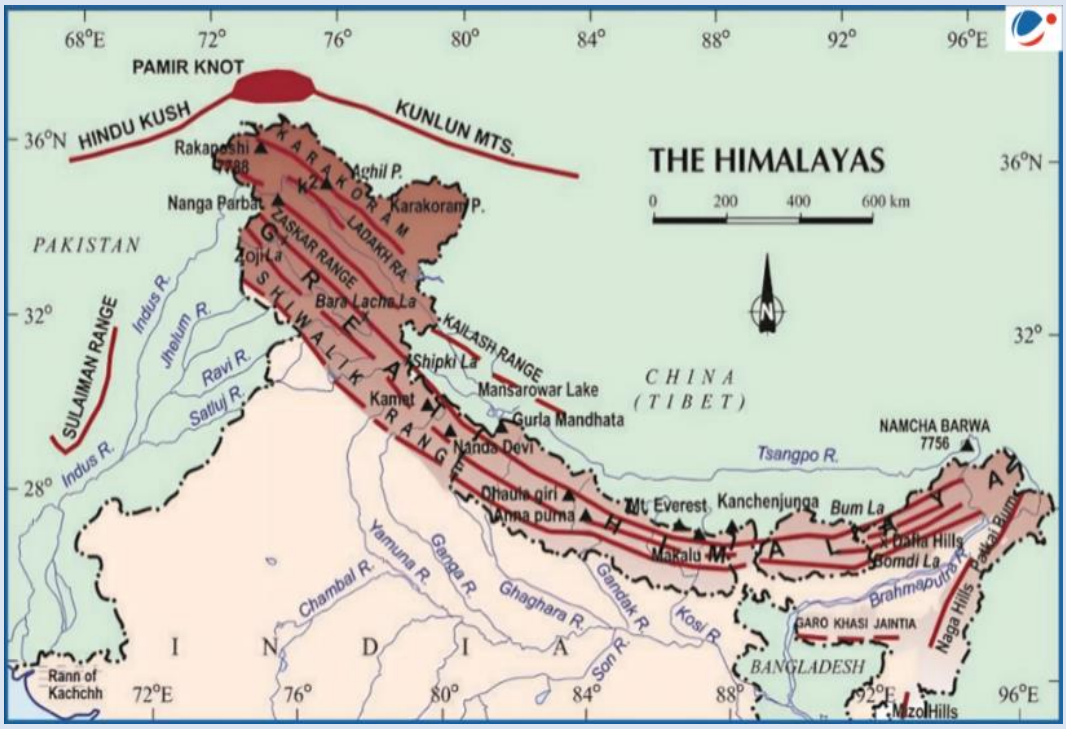

भारतीय हिमालयी क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां

- **असंधारणीय विकास:** कृषि क्षेत्रों के विस्तार के लिए वनों की कटाई; वृहद **जल विद्युत परियोजनाओं** (जैसे-टिहरी बांध) के निर्माण के कारण जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा; **खनन और पर्वतों में विस्फोट** (जैसे- चार धाम परियोजना के लिए) इत्यादि के कारण आपदाओं में वृद्धि हुई है।
- **पर्यटकों की बढ़ती संख्या:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र में **प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन पर्यटक आते** हैं तथा **2025 तक यह संख्या बढ़कर 240 मिलियन होने की संभावना** है। इससे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ेगा।
- **जल संकट:** एक अनुमान के अनुसार, हिमालय में **4 मिलियन** झरनों (स्प्रिंग्स) में से कम-से-कम 33% झरने जल की कमी के कारण सूख रहे हैं और 50% से अधिक में जल प्रवाह में कमी आई है।
- **अन्य:** पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली में कमियां; जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे ग्लेशियरों का पिघलना आदि।

IHR के लिए शुरू की गई पहलें

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE)
- भारतीय हिमालयी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम (IHCAP)
- सिक्योर हिमालय परियोजना
- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद

आगे की राह

- **एकीकृत विकास:** एक "**हिमालयी प्राधिकरण**" की स्थापना की जानी चाहिए। यह हिमालयी राज्यों के एकीकृत और संपूर्ण विकास में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करेगा।
- **संधारणीय पर्यटन**: स्मार्ट शहरों की तर्ज पर "**स्मार्ट पर्वतीय पर्यटन स्थल**" के लिए बिजनेस प्लान बनाने की आवश्यकता है।

- **जल सुरक्षा में सुधार:** उन झरनों के कायाकल्प के लिए सर्वोत्तम उपाय करने की जरूरत है जैसे - सिक्किम में **धारा विकास** एक ऐसा ही उपाय है।
- **क्षमता निर्माण:** संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन पर उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक साथ मिश्रित करके अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली में सुधार:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग से **"पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)[87]"** व्यवस्था की आवश्यकता है।

नोट: *हिमालयी क्षेत्र में अविनियमित पर्यटन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, "Mains 365: पर्यावरण" का आर्टिकल 4.2.1. "भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में अविनियमित पर्यटन" पढ़ें।*

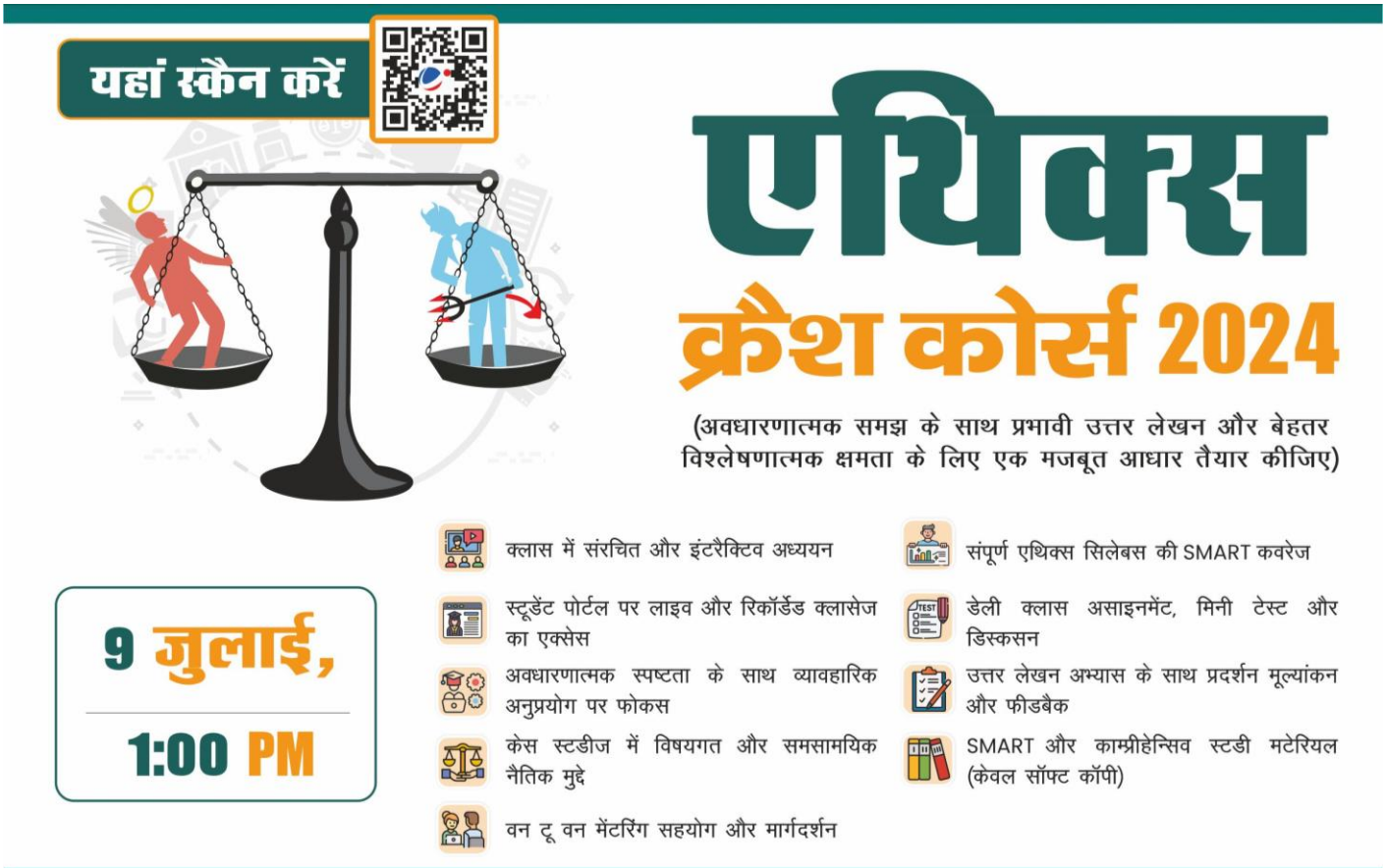

[87] Environment Impact Assessment

5.4.3. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)

SWM के बारे में

- ठोस अपशिष्ट से आशय **घरों से या व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न ऐसे उपोत्पाद (Byproducts)** से है, जो उसके मूल उपयोगकर्ताओं के लिए अपना मूल्य खो चुके हैं यानी अपशिष्ट हो चुके हैं। हालांकि ऐसे **उपोत्पाद किसी अन्य के काम** आ सकते हैं।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति (CPCB 2020-21)

- भारत में प्रतिदिन 1,70,338 टन SWM उत्पन्न होता है जिसमें से प्रतिदिन 91,512 टन का ही उपचार किया जाता है।

भारत में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**
- अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को उसी जगह अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कूड़ेदानों में रखना अनिवार्य किया गया है।
  - ये तीन कूड़ेदान **बायोडिग्रेडेबल, नॉन-बायोडिग्रेडेबल तथा सैनिटरी और घरेलू खतरनाक अपशिष्टों** के लिए हैं।
- स्थानीय प्राधिकरण अपशिष्ट संग्रह, किसी अन्य जगह ले जाने, प्रसंस्करण करने और निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U) 2.0**
- **शहर के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का आकलन करने के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल।**

भारत में SWM के समक्ष चुनौतियां

- **स्रोत पर अपशिष्ट का अपर्याप्त पृथक्करण,** जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट निपटान की लागत बढ़ जाती है।
- **अविकसित भंडारण अवसंरचना,** सीमित डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह, आदि।
- ओपन में डंप करने से **मीथेन गैस उत्सर्जन,** आग, विस्फोट और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान।
- पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में कठिनाई के कारण नगरपालिका की ख़राब वित्तीय स्थिति, खराब ऋण योग्यता के कारण निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना, आदि।

आगे की राह

- **"अपशिष्ट से ऊर्जा" परियोजनाओं को बढ़ाना।**
- **अपशिष्ट पृथक्करण में सुधार करना,** उदाहरण के लिए, CSIR-CMERI ने उन्नत पृथक्करण तकनीकों के साथ नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा विकसित की है।
- **नगर निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करना,** उदाहरण के लिए- बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्रत्येक घर के लिए प्रति माह 100 रुपये का **SWM उपकर** लगाने का प्रस्ताव रखा है।

5.5. नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत (Renewable and other Alternative Sources of Energy)

5.5.1. भूतापीय ऊर्जा: एक नज़र में (Geothermal Energy at a Glance)

भारत में भूतापीय ऊर्जा

भूतापीय ऊर्जा के बारे में

- **पृथ्वी में उत्पन्न और संग्रहित नवीकरणीय ऊष्मा ऊर्जा** है।
- भूतापीय प्रौद्योगिकी के जरिए इस **ऊर्जा/ ऊष्मा का उपयोग हीटिंग और कूलिंग** के लिए किया जा सकता है या इसे **विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जाता है।**

भारत में संभावनाएं

- **भारत की संभावित भूतापीय ऊर्जा क्षमता 10,600 मेगावाट आंकी गई है** (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)
- **भारत में लगभग 300 भूतापीय हॉट स्प्रिंग मौजूद हैं** (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)।
- पूर्वी लद्दाख में पुगा और चुमाथांग सबसे आशाजनक भूतापीय स्थल हैं।

भूतापीय ऊर्जा के लाभ

- यह **स्वच्छ और वहनीय नवीकरणीय ऊर्जा** है।
- संयंत्र अपनी अधिकतम क्षमता पर इसका वर्षपर्यंत उपयोग कर सकते हैं।

भूतापीय ऊर्जा के नुकसान/ मुद्दे:

- भूमि का धसना, ऊर्जा का उच्च परिवहन शुल्क (विद्युत उत्पादन संयंत्र के दूरस्थ होने के कारण)।
- इसके चलते **पारा, आर्सेनिक, बोरॉन और एंटीमनी** जैसे विषैले रसायनों से संदूषण बढ़ने का खतरा होता है।
- **अन्य मुद्दे:** उच्च पूंजी लागत, दूरस्थ स्थान के कारण तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी समस्या आदि।

भारत में किए गए उपाय:

- **'नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम' (RERTD)** शुरू किया गया है।
- MNRE द्वारा **सरकारी/ गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100% वित्तीय सहायता और उद्योग, स्टार्टअप आदि को 70% तक वित्तीय सहायता** प्रदान की जा रही है।
- **अमेरिका-भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी** के तहत **रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफ़ॉर्म** स्थापित किया गया है।
- **मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च (MAHIR)** शुरू किया गया है।

आगे की राह

- संभावित ऊर्जा का पर्याप्त रूप से भूवैज्ञानिक मानचित्रण।
- कम लागत वाली निष्कर्षण तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना।
- बिजली वितरण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देना।

5.5.2. अपतटीय पवन ऊर्जा: एक नज़र में (Offshore Wind Energy at a Glance)

अपतटीय पवन ऊर्जा

अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में

- **अपतटीय पवन ऊर्जा** के तहत **महासागरों या बड़ी झीलों जैसे जल स्रोतों में पवन टर्बाइनों** का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

भारत में संभावनाएं

- **सकल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सतह से** 120 मीटर की ऊंचाई पर 695.50 **गीगावाट** तथा 150 मीटर की ऊंचाई पर 1163.9 गीगावाट है।
- गुजरात और तमिलनाडु के तट पर क्रमशः 36 GW और 35 GW की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता मौजूद है।

दीर्घकालिक लक्ष्य

- **2030 तक 30 GW की वृद्धि करना**

- **पवन ऊर्जा की वर्तमान स्थिति/ स्थापित क्षमता (जून, 2023):** लगभग 46 GW (भारत में कुल स्थापित क्षमता का 10.5%)।
- वैश्विक स्तर पर, **भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान** पर है।

सरकार द्वारा की गई पहलें

- **"राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति- 2015" और पवन-सौर हाइब्रिड नीति।**
- वर्ष 2030 तक **पवन ऊर्जा नवीकरणीय खरीद दायित्व के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा** की गई है।
- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी प्रदान की।**

अपतटीय (ऑफशोर)

लाभ:

- ऑफशोर टर्बाइन, ऑनशोर टर्बाइनों की तुलना में 1 MW अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
- समुद्र के ऊपर चलने वाली पवनें **अधिक प्रबल और एक ही दिशा में बहती हैं।'**
- **कम** पर्यावरणीय प्रभाव।
- **भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं** पड़ती है।

दोष:

- **अधिक भरोसेमंद नहीं है और ऊर्जा उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाना भी कठिन** होता है।
- **विद्युत आपूर्ति (ट्रांसमिशन) और वितरण प्रक्रिया** धीमी व अधिक समय लेने वाली है।
- समुद्री जल की आर्द्रता (नमी) के कारण टर्बाइनों में **संक्षारक प्रभाव या जंग लगने का खतरा बना** रहता है। इस तरह इनके रखरखाव की लागत अधिक होती है।

स्थलीय (ऑनशोर)

लाभ:

- **अधिक किफायती औए अवसंरचना एवं रख-रखाव की लागत कम।**
- भूमि उपयोग के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- पवन टर्बाइन वाली जगह और विद्युत उपभोक्ता के बीच की दूरी कम होने के कारण **वोल्टेज ड्रॉप (वोल्टेज में गिरावट)** कम होता है।
- इसके लिए प्रमाणित **प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।** साथ ही टूटने-फूटने का खतरा कम रहता है और नमी की कमी की वजह से टर्बाइन को कम नुकसान पहुंचता है।

लाभ:

- ध्वनि प्रदूषण के कारण **स्थानीय लोगों को असुविधा।**
- **वायु की गति और दिशा** निश्चित नहीं होने के कारण **दक्षता कम हो जाती है।**
- **भूमि की उपलब्धता और भू-क्षेत्र संबंधी समस्याएं** ऑनशोर विंड फार्मों की स्थापना को बाधित करती हैं।

 © Vision IAS

आगे की राह

- **पवन ऊर्जा संसाधन आकलन करना** क्योंकि पवन ऊर्जा अस्थायी प्रकृति की और स्थान-विशिष्ट ऊर्जा संसाधन है।
- विशेषज्ञ की राय, पायलट परियोजना का अनुभव के साथ-साथ **समुद्री स्थानिक नियोजन (मैरीटाइम स्पेशियल प्लानिंग)** परियोजनाओं की उपयोगिता सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकती है।
- डिस्कॉम **फीड-इन टैरिफ** नियमों को अपना सकते हैं और ऑफशोर पवन ऊर्जा खरीद को अनिवार्य बना सकते हैं।
  - **फीड-इन टैरिफ (FiT):** FiT (फीड-इन टैरिफ) मूल्य-आधारित नीति है जो नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देती है। इसमें सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत हेतु निश्चित अवधि के लिए गारंटीकृत क्रय मूल्य प्रदान करती है।

5.5.3. ग्रीन अमोनिया: एक नज़र में (Green Ammonia at a Glance)

ग्रीन अमोनिया

ग्रीन अमोनिया के बारे में

- ग्रीन अमोनिया उत्पादन प्रक्रिया अक्षय ऊर्जा पर निर्भर करती है। ग्रीन अमोनिया बनाने का एक तरीका पानी से हाइड्रोजन और वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करके उनका उपयोग करना है।
  - पारंपरिक अमोनिया हाइड्रोजन और ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन (प्राकृतिक गैस) का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसलिए, इसे "ब्राउन अमोनिया" कहा जाता है।

लाभ:

- **ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होना:** पारंपरिक अमोनिया उत्पादन तकनीक में **प्रति टन अमोनिया से लगभग 2 टन CO_2** उत्सर्जित होता है।
- **संभावित कार्बन-मुक्त ऊर्जा वाहक:** हाइड्रोजन के दक्षतापूर्वक परिवहन और भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **ऊष्मा और बिजली उत्पादन में उपयोग:** नवीकरणीय प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित अन्य प्रकार के रसायनों की तुलना में अमोनिया में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है।

मुख्य चुनौतियां:

- नई अवसंरचनाओं के विकास की जरूरत है; नवाचार और निवेश की भी आवश्यकता है; दोनों वजहों से ग्रीन अमोनिया महंगा हो जाता है।
- अमोनिया बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है।
- विषाक्तता के कारण अमोनिया के परिवहन और भंडारण से संबंधित सुरक्षा संबंधी मुद्दे।

भारत में शुरू की गई पहलें

- **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत 'स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन' कार्यक्रम।**
  - SIGHT कार्यक्रम के **मोड 2A के तहत चयनित बिडर यानी बोलीदाता को उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रीन अमोनिया पर 3 वर्षों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन / ग्रीन अमोनिया नीति।**

5.5.4. ग्रीन हाइड्रोजन: एक नज़र में (Green Hydrogen at a Glance)

ग्रीन हाइड्रोजन

ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में

- इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में सौर, पवन, हाइड्रो जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं (H2O) को हाइड्रोजन (H2) और ऑक्सीजन (O2) में विभाजित किया जाता है।
  - ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का एक अन्य तरीका बायोमास का गैसीकरण है।

उपयोग: फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEVs), विमानन और समुद्री क्षेत्रक, उद्योग {उर्वरक रिफाइनरी, इस्पात, परिवहन (सड़क, रेल)}, शिपिंग, बिजली उत्पादन।

लक्ष्य (नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत)

- भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को 2030 तक 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचाना।
- 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 GW की वृद्धि करना।

ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने में चुनौतियां

- **आर्थिक रूप से व्यवहार्यता:** इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की वर्तमान लागत **4.10 डॉलर से 7 डॉलर प्रति किलोग्राम** है (नीति आयोग)।
- **उच्च-दबाव वाले टैंकों की आवश्यक:** क्योंकि हाइड्रोजन का क्वथनांक **-252.8 डिग्री सेल्सियस** होता है।
- **जल की आवश्यकता:** ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन **जल के इलेक्ट्रोलाइज़ेशन द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन हेतु 9 लीटर जल की** आवश्यकता हो सकती है (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार)।
- ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा के संबंध में **वैश्विक मानकों का अभाव।**
- परिवहन, भंडारण, सुरक्षा और उपयोग से संबंधित मुद्दे।

किए गए उपाय

- **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 का उद्देश्य** ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को ग्लोबल हब बनाना।
- **गेल लिमिटेड** ने इंदौर (मध्य प्रदेश) में सिटी गैस वितरण ग्रिड में हाइड्रोजन को मिश्रित करने की भारत की प हली परियोजना शुरू की है।
- **NTPC लिमिटेड ने NTPC सूरत (गुजरात)** में PNG नेटवर्क में 8% तक ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण शुरू किया है।
- NTPC द्वारा **ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) और लेह** में हाइड्रोजन आधारित फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) बसें चलाई जा रही हैं।

आगे की राह

- **लागत कम करना: भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लागत को 1 डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाना है।**
- **वित्त:** भारत को संबंधित एडवांसड कमर्शियल टेक्नोलॉजी में 1 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहिए।
- **ग्रीन हाइड्रोजन मानकों और लेबलिंग कार्यक्रम की शुरुआत: डिजिटल (AI/ ML से लैस) लेबलिंग** और ट्रेसिंग मेकैनिज्म सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजन शुरू किया जाना चाहिए।
- **विश्व स्तर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों के साथ** एक इंटरडिसीप्लिनरी **परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU)** बनाई जानी चाहिए।

5.5.5. बायो-इकोनॉमी (Bio-economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रिमंडल ने बायोE3 (बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकॉनमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट) नीति को मंजूरी दी। बायोE3 नीति का उद्देश्य **उच्च प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा** देना और मोटे तौर पर **छह रणनीतिक/ विषयगत क्षेत्रकों (बॉक्स देखें) पर ध्यान** केंद्रित करना है।

छह विषयगत क्षेत्रक

1. जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलीमर और एंजाइम;
2. कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional foods) और स्मार्ट प्रोटीन;
3. सटीक जैव चिकित्सा;
4. जलवायु अनुकूल कृषि;
5. कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग; तथा
6. भविष्योन्मुखी समुद्री और अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान।

नीति की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- यह नीति **अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता को नवाचार-संचालित समर्थन** प्रदान करेगी।
- यह **जैव विनिर्माण और बायो-AI हब एवं बायो-फाउंड्री** की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास व व्यवसायीकरण में तेजी लाएगी।
- यह नीति हरित विकास के **पुनरुत्पादक जैव-अर्थव्यवस्था मॉडल** को प्राथमिकता प्रदान करेगी।
- यह नीति भारत के **कुशल कार्यबल के विस्तार** की सुविधा प्रदान करेगी और **रोजगार सृजन में वृद्धि** करेगी।

बायो-इकोनॉमी के बारे में

- बायो-इकोनॉमी जैविक संसाधनों (जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव), जैविक प्रक्रियाओं (जैसे कि किण्वन, जैव संश्लेषण) पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक रूप है। बायो-इकोनॉमी में, इन संसाधनों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं तैयार की जाती हैं। इसका उद्देश्य सभी आर्थिक क्षेत्रकों में संधारणीय तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना है।
  - **इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं:** बायोइंडस्ट्रियल, बायोफार्मा, बायोएग्रीकल्चर आदि।
- **बायो-इकोनॉमी की स्थिति:**
  - इसका आकार 2014 के **10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन** डॉलर से अधिक हो गया है।
    - इसका आकार **2030 तक बढ़कर 300 बिलियन डॉलर** तक होने का अनुमान है।
  - **बायो-मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान** पर है।

बायो-इकोनॉमी का महत्त्व:

- यह **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम** करती है; इससे **ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती** है और **संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा** मिलता है।
- यह अपशिष्ट की मात्रा को कम करके और संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग को अधिकतम करके **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** देती है। उदाहरण के लिए- **कृषि अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित** किया जा सकता है।

- बायो-इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भारत के GDP में 4% का योगदान करती है और 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है।
- जैव-आधारित प्रौद्योगिकियों में प्रगति से **कृषि उत्पादकता, कीट प्रतिरोध, खाद्य सुरक्षा** आदि को बढ़ावा मिल सकता है।

बायो-इकोनॉमी क्षेत्रक के सामने आने वाली चुनौतियां:

- विनियामकीय व्यवस्था के मामले में अनिश्चितता और इससे जुड़े उद्योगों के लिए एक समान मानकों का अभाव है।
- इससे जुड़े अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों की कमी है और अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त धन का आवंटन भी नहीं किया जाता है।
- इसके संबंध में **जिम्मेदारीपूर्ण अनुसंधान और नवाचार के सिद्धांत** पर आधारित कुछ नैतिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए- आनुवंशिक संशोधन करना आदि।

बायो-इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें और नीतियां

- भारत में **जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के इकोसिस्टम** को आगे बढ़ाने में **BIRAC (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद) सबसे महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
  - **BIRAC** ने विभिन्न उद्योगों पर केंद्रित **बायो टेक्नॉलजी इग्निशन ग्रांट स्कीम**, **बायोनेस्ट (BioNEST)** जैसी योजनाएं शुरू की हैं।
- **नीतिगत उपाय:** इसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018; राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन; जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन[88]; आदि शामिल हैं।
- **जैविक अनुसंधान विनियामक अनुमोदन पोर्टल (BioRRAP)** शुरू किया गया है। यह पोर्टल जैविक अनुसंधान हेतु विनियामकीय मंजूरी प्रदान करने वाले एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

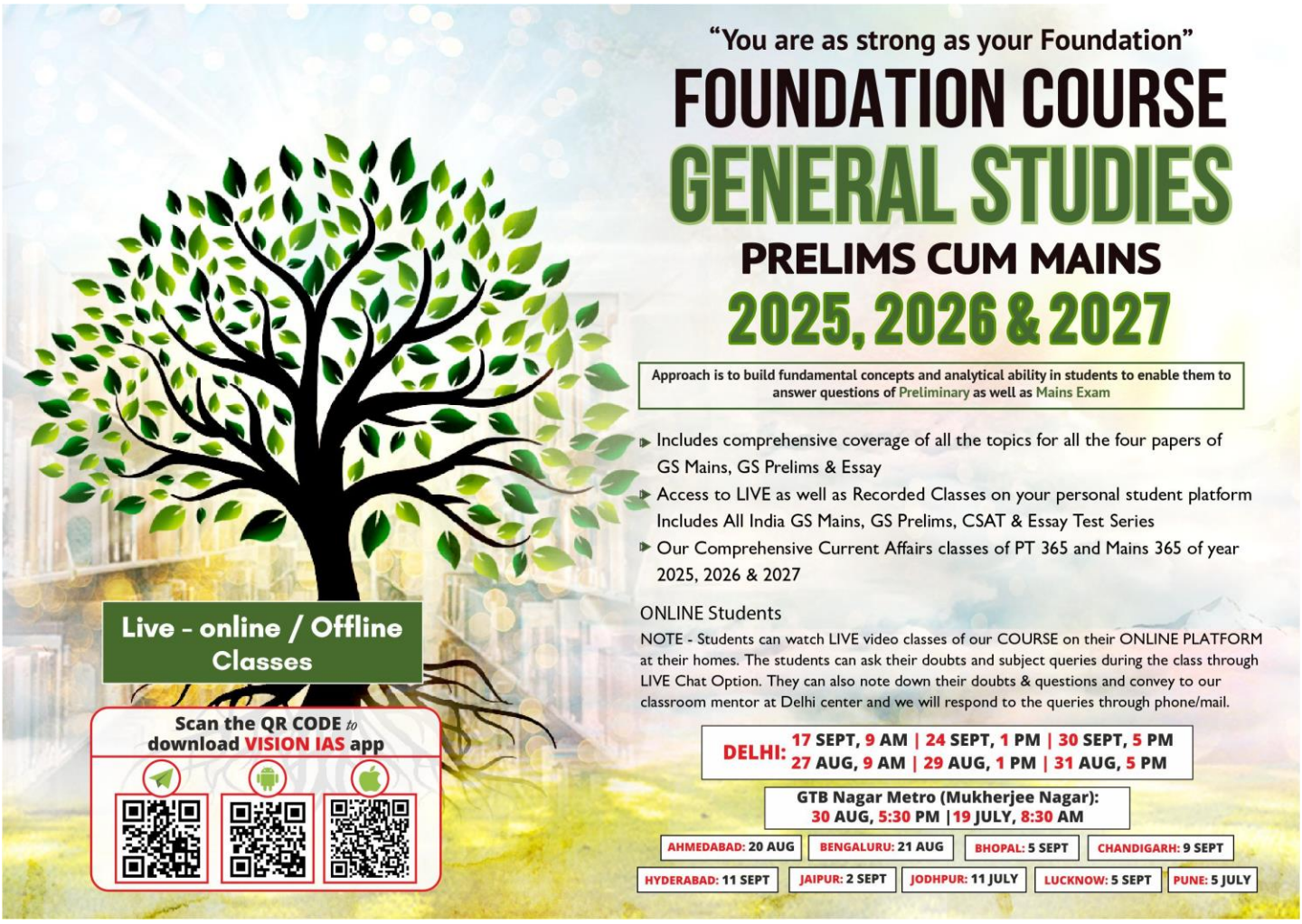

[88] National Mission on Bioeconomy

5.5.6. भूमिगत कोयला गैसीकरण: एक नज़र में {Underground Coal Gasification (UCG) at a Glance}

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

- भूमिगत कोयला गैसीकरण वास्तव में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। इसके तहत कोयले को उसके मूल कोयला-संस्तर में ही गैसीकृत किया जाता है अथवा रासायनिक रूप से संश्लेषण गैस (सिंथेसिस गैस या सिनगैस) में बदला जाता है।
  - भूमिगत कोयला गैसीकरण से प्राप्त गैस, **सतही कोयला गैसीकरण गैस के समान** ही होती है। यह सामान्यतः मीथेन (CH4), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), हाइड्रोजन (H2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का मिश्रण है।
  - **कोयला संस्तर** में भाप और **वायु/ ऑक्सीजन को प्रवेश कराकर** उसे प्रज्वलित करके गैसीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए **1000 डिग्री सेल्सियस** से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है।
- **भूमिगत कोयला गैसीकरण के उत्पाद: रासायनिक फीडस्टॉक के रूप में** मेथनॉल, हाइड्रोजन, अमोनिया और अन्य रासायनिक उत्पादों का उत्पादन में; **हाइड्रोजन के उत्पादन** में।

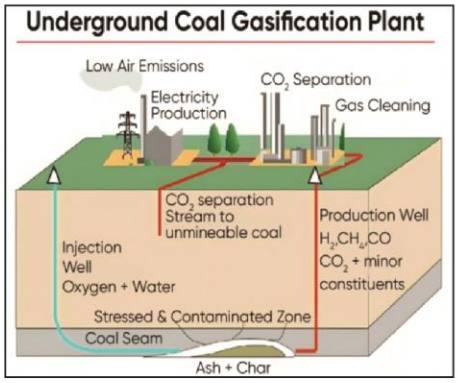

लक्ष्य

- **राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन:** इसका लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन का कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण प्राप्त करना है

भूमिगत कोयला गैसीकरण के लाभ

पूंजीगत व्यय में कमी
- सतही गैसीकरण कॉम्प्लेक्स में जरूरी कई महंगे प्रोसेस यूनिट्स और घटकों की भूमिगत कोयला गैसीकरण के वाणिज्यिक विकास में जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऊर्जा घनत्व
- कोल बेड मीथेन (CBM) की तुलना में भूमिगत कोयला गैसीकरण 3 प्रतिशत कम भू-क्षेत्र की आवश्यकता होती है।

अन्य लाभ
- **खनन न किए जा सकने वाले कोयले का उपयोग**
- आयात पर निर्भरता कम होगी
- सीमित पर्यावरणीय प्रभाव
- उच्च राख (हाई ऐश) की मात्रा वाले कोयले से तापन मान (हीटिंग वैल्यू) प्राप्त करने की विशेष क्षमता है।

संबंधित मुद्दे

- **धंसाव का खतरा:** खाली जगह शेष कोयले संस्तर और आस-पास की चट्टानों को अस्थिर बना सकती है।
- **भूजल का संदूषण: इस प्रक्रिया** में फिनोल, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों/ गैसों के निर्माण के चलते।
- **प्रमाणित प्रौद्योगिकी का अभाव:** कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तन के लिए।
  - उच्च प्रौद्योगिकी लागत सिंथेटिक गैस और इसकी अगली कड़ी के उत्पादों की लागत बढ़ा सकती है तथा परियोजना के आर्थिक रूप से उपयोगी होने को भी प्रभावित करती है।
- **अस्थिर-स्थिति प्रक्रिया (Unsteady-state process)** कई मापदंडों पर निर्भर करती है, जैसे कोयला संस्तर में गुहा (कैविटी) का बढ़ना, अलग-अलग संस्तर में कोयला की गुणवत्ता का अलग-अलग होना, राख की परत का निर्माण, आदि।

कोयला गैसीकरण हेतु सरकारी पहलें

- **कोयला/ लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना:** सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रक द्वारा वित्तीय सहायता है।
- **संयुक्त उद्यम समझौता (JVA):** झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड और भेल के संयुक्त प्रयास से एक अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र का प्रायोगिक रूप से निर्माण किया जा रहा है।
- कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्रों में UCG के विकास के लिए नीतिगत रूपरेखा (2015) को मंजूरी दी गई।

5.6. संरक्षण संबंधी प्रयास (Conservation Efforts)

5.6.1. NDCs को प्राप्त करने के लिए वन संरक्षण (Forest Conservation for achieving NDCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (UN-REDD)[89] द्वारा **"रेज़िंग एम्बिशन, एक्सेलरेटिंग एक्शन: टूवर्ड्स एनहैन्स्ड NDCs फॉर फॉरेस्ट्स"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई की उच्चतम दर वाले **शीर्ष 20 देशों में से केवल 8 ने ही** राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) योजना में वनों से जुड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- **NDCs में से 11 में वनीकरण और पुनर्वनीकरण से संबंधित मात्रात्मक लक्ष्य शामिल हैं,** जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सबसे **पहले वनों की कटाई को कम करना आवश्यक है।**

NDCs को प्राप्त करने के लिए वन संरक्षण संबंधी चुनौतियाँ

वैश्विक	भारत
• **वस्तुओं की वैश्विक मांग:** सोया और पाम ऑयल वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है, जो अक्सर दीर्घकालिक संधारणीयता के स्थान पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देता है। अत्यधिक चराई जैसी प्रथाएँ पर्यावरण क्षरण को और बढ़ाती हैं। • **अपर्याप्त वित्त:** वन-आधारित जलवायु शमन समाधान के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्त औसतन प्रति वर्ष **2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही उपलब्ध** है, (कुल का 1% से भी कम)। • **विभिन्न लक्ष्य:** उदाहरण के लिए, ब्राजील द्वारा वनों की कटाई को 2030 तक खत्म करने की प्रतिबद्धता के बावजूद, ब्राजील ने अपने अपडेटेड NDC में वन-संबंधी कोई लक्ष्य शामिल नहीं किया है। • **गैर-समावेशिता:** 2019 और 2020 में कुल सार्वजनिक जलवायु वित्त का केवल 1.4% **देशज लोगों और स्थानीय समुदायों** के लिए आवंटित किया गया था।	• **ईंधन के रूप में लकड़ी की खपत में वृद्धि:** इसके चलते 2020 में 503.45 मिलियन टन CO_2 के बराबर CO2 उत्सर्जन हुआ। • **चारा: वनों से प्रतिवर्ष कुल 1.05 बिलियन टन चारा निकाला जाता है।** • **प्राकृतिक कारकों की भूमिका:** जैसे विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वनों की आग (उदाहरण के लिए- 2024 में उत्तराखंड में घटित), जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण आदि ने वनों को नुकसान पहुंचाया है। • **वित्तीय चिंता: प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के अंतर्गत निधि का कम उपयोग करना।** • भारत का वनरोपण कार्यक्रम गैर-देशी, वाणिज्यिक प्रजातियों जैसे यूकेलिप्टस के बड़े पैमाने पर एकल-फसल वृक्षारोपण पर केंद्रित है, जिनकी कार्बन अवशोषण क्षमता बहुत कम है।

[89] United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

आगे की राह

- **वित्त में वृद्धि:** जलवायु कार्रवाई के वित्त-पोषण के लिए वैश्विक कर व्यवस्था और डेब्ट फॉर नेचर स्वैप आदि पहलों जैसे नवीन तंत्रों के माध्यम से वित्त-पोषण को बढ़ाकर 30-50 डॉलर प्रति टन करना।
- **समावेशिता:** उदाहरण के लिए, अवैध गतिविधियों पर छापेमारी के माध्यम से मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन से ब्राजील ने 2023 में अमेजन में वनों की कटाई को कम किया है।
- **लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना:** प्राथमिक और द्वितीयक वनों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करना, निवल या सकल वन हानि को परिभाषित करना।
- **REDD+, विकसित देशों और निजी क्षेत्रक के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना।**
- **भारत के लिए विशिष्ट उपाय:**
  - कृषि योग्य गैर-वानिकी क्षेत्र (CNFA) और वन एवं वृक्ष आवरण के आधार पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच NDC लक्ष्य तय एवं वितरित किए जाने चाहिए।
  - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्बन तटस्थता नीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - IUCN की ब्लू कार्बन पहल में ब्लू कार्बन (वायुमंडल से अवशोषित और समुद्र में संग्रहित CO_2) को शामिल करना।
  - कृषि वानिकी को मजबूत करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करना।

5.6.2. इको-सेंसिटिव एरिया (Eco Sensitive Zones)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** से पश्चिमी घाट को इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने की समय - सीमा तय करने को कहा।

अन्य संबंधित तथ्य

- MoEF&CC ने 2022 में पश्चिमी घाट को इको-सेंसिटिव एरिया (ESA) घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित मुख्य प्रावधान थे -
  - **मानवजनित गतिविधियों पर नियंत्रण**
    - **प्रतिबंधित गतिविधियां:** खनन, उत्खनन व रेत खनन, 'लाल' श्रेणी के उद्योग, नई ताप विद्युत परियोजनाएं आदि।
    - **विनियमित यानी कुछ शर्तों के साथ अनुमति:** जलविद्युत परियोजनाएं आदि।
    - **अनुमति प्राप्त गतिविधियां:** पहले से मौजूद सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्र, कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियां आदि।
  - **पश्चिमी घाट के लिए 'निर्णय सहायता और निगरानी केंद्र' की स्थापना:** इसका मुख्य कार्य पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी की स्थिति का आकलन करना और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

इको-सेंसिटिव जोन के बारे में

- इको-सेंसिटिव एरिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एवं विनियमित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना** (2002-2016) के अनुसार, इको सेंसिटिव एरिया (ESA) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे **संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र** है।
- **गतिविधियों का विनियमन:** ESZ में गतिविधियां आम तौर पर विनियमित होती हैं तथा निम्नलिखित कुछ को छोड़कर निषेधात्मक प्रकृति की नहीं होती हैं, जैसे-
  - वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं, खतरनाक पदार्थों से निपटना, अनुपचारित अपशिष्टों का विसर्जन, ईंट भट्टों की स्थापना और प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना।

ESZ का महत्त्व

- प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता का संरक्षण
- **संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर एक प्रकार का आघात-अवशोषक और संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करना**
- **शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों का न्यूनतम प्रभाव।**
- स्वस्थाने संरक्षण
- मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी

ESZs के निर्माण से संबंधित मुद्दे

- विकास संबंधी गतिविधियों और राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण **राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।**
- ESZ को लागू करते समय **हितधारकों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल न करना।**
- सभी संरक्षित क्षेत्रों में '1 किलोमीटर' के बफर जोन को लागू करने वाले **"वन साईज फिट फॉर आल" दृष्टिकोण** को अपनाना।
- इसके तहत **प्रस्तावों की वास्तविक धरातल पर जांच नहीं की जाती** है। ESZ के दायरे का निर्धारण नक्शे (टोपोग्राफिक शीट) पर मनमाने रूप से ही कर दिया जाता है।
- ESZS के दायरे में आने से **भूमि-उपयोग में परिवर्तन प्रतिबंधित** होता है और इससे वन सीमा के निकट स्थित मानव बस्तियों में रहने वाले **लोगों की आजीविका के समक्ष संकट** पैदा हो सकता है।
- कुछ क्षेत्रों में वन भूमियों के आसपास मानव आबादी का अधिक घनत्व मौजूद है। इससे **ESZ को लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन** हो जाता है।

आगे की राह

- ESZs की योजना तैयार करते समय **हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना** चाहिए। इससे पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ-साथ स्थानीय और देशज लोगों की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सकेगा।
- उपग्रह से ली गई तस्वीरों के आधार पर चिह्नित इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन को सत्यापित करने के लिए **जमीनी स्तर पर जाकर जांच** की जानी चाहिए।
- अधिसूचित ESZs के भीतर आने वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से अनुकूल आजीविका पद्धतियों जैसे प्राकृतिक खेती, कृषि वानिकी आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, इसके लिए **स्थानीय लोगों में क्षमता निर्माण** किया जाना चाहिए।
- इसके संबंध में वार्ता के माध्यम से **राज्यों के बीच आम सहमति** बनाई जानी चाहिए।
- अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व **वन और वन्यजीवों पर उनके प्रभावों का व्यापक रूप से अध्ययन** किया जाना चाहिए।

ESZ से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- **उच्चतम न्यायालय** ने जून 2022 में दिए अपने आदेश में कहा था कि **प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर का 1 किमी का क्षेत्र ESZ होना चाहिए।** अब अपने संशोधित आदेश में शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि **ESZ पूरे देश में एक समान नहीं हो सकता** है और इसे **'संरक्षित क्षेत्र-विशिष्ट'** होना चाहिए।

संशोधित आदेश के मुख्य निष्कर्ष

- **जून 2022 का आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:**
  - ऐसे ESZS जिनके लिए **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन गंत्रालय (MoEF&CC) ने मसौदा व अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।** साथ ही, उन भावी ESZs पर भी लागू नहीं होगा, जिनसे संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय ने स्वीकार कर लिए हैं।
  - जहां **राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं** या सीमाओं को साझा करते हैं।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर या इनके 1 कि.मी. के दायरे में **किसी भी तरह की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- ESZS के भीतर की जाने वाली किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों के लिए **MOEF&CC, 2011 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।** साथ ही, उन्हें MoEF&CC द्वारा जारी 2022 के कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों का भी अनुपालन करना होगा।

5.7. आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

5.7.1. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 {The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बनाने के लिए लोक सभा में पेश किया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- इसमें **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा संबंधी डेटाबेस** तैयार करने का प्रावधान किया गया है।
  - इस डेटाबेस में आपदा का आकलन; निधि आवंटन का विवरण; व्यय; आपदा से निपटने की तैयारी और जोखिमों को कम करने की योजना; जोखिम रजिस्टर आदि शामिल होंगे।
- नया संशोधन विधेयक **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** को क्रमशः राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है। वर्तमान में यह अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के पास है।
  - राष्ट्रीय योजना की **हर तीन साल में समीक्षा** की जानी चाहिए और हर पांच साल में कम-से-कम एक बार इसे अपडेट किया जाना चाहिए।
- विधेयक में **"शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण"** की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसे राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों में स्थापित किया जाएगा।
- **मौजूदा निकायों को वैधानिक मान्यता: राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति** (यह बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है) और **उच्च-स्तरीय समिति** (यह वित्तीय सहायता की मजूरी देने वाली एजेंसी है)।
- राज्य आपदा मोचन बल: आपदा से निपटने की राज्यों की क्षमता की मजबूत करने के लिए **राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल गठित करने का अधिकार** दिया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- इसमें त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना की स्थापना का प्रावधान किया गया है:
  - **राष्ट्रीय स्तर:** प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA);**
  - **राज्य स्तर:** राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA);** और
  - **जिला स्तर:** जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)।**
- **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल:** यह आपदाओं की स्थिति में विशेषीकृत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है।
- **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष:** इसे आपदा की खतरनाक स्थिति से निपटने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है।

5.7.2. आपदा प्रतिरोधी शहर (Disaster Resilient Cities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेष रूप से मानसून के मौसम में विविध आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, भारतीय शहरों की आपदाओं और मौसमी चरम दशाओं से निपटने की तैयारी से जुड़ी खामियों को उजागर करती है।

भारतीय शहरों की सुभेद्यता/ असुरक्षा

- **जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण:** भारत की **30 प्रतिशत** से अधिक आबादी पहले से ही शहरों में रहती है और यह संख्या **2030 तक बढ़कर 40 प्रतिशत** हो जाने का अनुमान है।
- **अनियोजित शहरीकरण:** राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) के एक शोध-पत्र के अनुसार **चेन्नई, कोलकाता और मुंबई** जैसे महानगर 2014 से पहले ही **पर्यावरणीय क्षरण की अधिकतम सीमा** तक पहुंच चुके थे।
- **जलवायु संबंधी आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि:** उदाहरण के लिए, अगस्त 2023 में **हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन** जिलों में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुई थी।

- **मौजूदा सुभेद्यताएं:** शहरी परिवेश में पहले से ही विविध सुभेद्यताएं मौजूद हैं, जैसे शहरी गरीबी, शहरी रोजगार में अनौपचारिकता की अधिकता, सामाजिक असमानता आदि।

आपदा प्रतिरोधी शहर के बारे में

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार, **आपदा प्रतिरोधी शहर:**

- यह एक ऐसा शहर होता है, जहां **समझदारी से भवन निर्माण संहिता का पालन** किया जाता है और **अनौपचारिक बस्तियों को बाढ़ क्षेत्र या खड़ी ढलानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं बनाया** जाता है।
- ऐसे शहर में एक **समावेशी, सक्षम और जवाबदेह स्थानीय सरकार** होती है, जो संधारणीय शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- ऐसे शहर में एक ऐसा संगठन होता है, जहां आपदा से होने वाले नुकसान, खतरों, जोखिमों और जनता की असुरक्षा पर एक **साझा व स्थानीय सूचना आधार** बनाए रखा जाता है।
- ऐसे शहर में लोगों को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर **अपने शहर की योजना बनाने, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार** दिया जाता है। साथ ही, **स्थानीय व स्वदेशी ज्ञान, क्षमताओं और संसाधनों** को महत्त्व दिया जाता है।
- **ऐसे शहर में आपदाओं के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने** के लिए आवश्यक कदम उठाए गए होते हैं। इन कदमों में अवसंरचनाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया होता है।

भारतीय शहरों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण के समक्ष चुनौतियां

- **नियोजन का अभाव:** नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में 65 प्रतिशत भारतीय शहरों के पास मास्टर प्लान नहीं है।
- **कंक्रीटीकरण:** शहरी स्थानों को तेजी से कंक्रीट और डामर से ढका जा रहा है। इससे हरित स्थानों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे वे हीट सिंक में बदल रहे हैं।
- **कार्य-प्रणाली में विभागीकरण:** विभाग प्रायः अलग-अलग कार्य करते हैं तथा जल, परिवहन, ऊर्जा जैसे संसाधनों पर स्वतंत्र रूप से (बिना किसी समन्वय के) ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे परिणाम और अधिक जटिल हो जाते हैं।
- **निजी क्षेत्रक से वित्त-पोषण का अभाव:** ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्रक से वित्त-पोषण स्थिर बना हुआ है, जबकि बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण का गैप कई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
- **अन्य चुनौतियां: गवर्नेंस संबंधी मुद्दों के** कारण आपदा-प्रवण क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण को बढ़ावा मिलता है; अपर्याप्त सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था; अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना, आदि।

शहरी आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पहल/ तंत्र

- **गवर्नेंस:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP), 2016
- **शहरी स्थानीय सरकार (ULG):** भवन संहिता, भूमि उपयोग विनियम, शहरी नियोजन व क्षेत्रीकरण, बुनियादी ढांचा आदि को निर्धारित करने में शहरी स्थानीय सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारियां होती हैं।
- **सरकारी योजनाएं:** कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत/ AMRUT), सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन (NMSH) 2021-2030 आदि।
- **क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क:** 'Ease of Living Index' (launched in 2018)

आगे की राह

- **गवर्नेंस:** आपदा प्रबंधन का कार्य **नगरपालिकाओं को सौंपा** जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के दक्ष कार्यान्वयन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पदाधिकारियों को समुचित रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- **वित्त: भूमि बैंकों का निर्माण** (जलवायु वित्त को नगरपालिकाओं के स्वामित्व में); **और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) वित्त-पोषण; निजी-सार्वजनिक साझेदारियां (PPPs)** आदि।
- **सहभागी योजना:** उदाहरण के लिए- जापान में आपदा प्रबंधन एजेंसियां समुदायों के साथ मिलकर आपदा के समय में क्या करना है, इसके बारे में जागरूकता सृजित करती हैं।

- **ज्ञान प्रबंधन नेटवर्क:** स्थान-विशिष्ट ज्ञान के साथ संसाधनों का सबसे अधिक कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह ज्ञान स्थानीय स्तर पर ही सर्वोत्तम तरीके से उत्पन्न होता है और समझा जा सकता है।
- **अन्य समाधान:** प्रकृति आधारित विकास, सार्वजनिक और निजी स्थानों को हरित बनाना, सार्वजनिक परिवहन में हरित गतिशीलता की ओर बढ़ना आदि।

शहरों को रेजिलिएंट बनाने के लिए UNISDR के 10 अनिवार्य घटक

1. आपदा के प्रति रेसिलिएंस होने के लिए संगठित होना
2. वर्तमान और भविष्य के जोखिमों की पहचान करना, उन्हें समझना तथा उनका बेहतर रूप से प्रबंधन करना
3. रेजिलिएंट के लिए **वित्तीय क्षमता को मजबूत करना**
4. रेजिलिएंट शहरी विकास और डिजाइन को बढ़ावा देना
5. प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेचुरल बफर की सुरक्षा करना
6. रेसिलिएंस के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना
7. रेसिलिएंस के लिए सामाजिक क्षमता को समझना और उसे मजबूत करना
8. अवसंरचनाओं की रेसिलिएंस क्षमता को बढ़ाना
9. प्रभावी आपदा रोधी कार्रवाई सुनिश्चित करना
10. पुनर्बहाली में तेजी लाना और बेहतर निर्माण करना

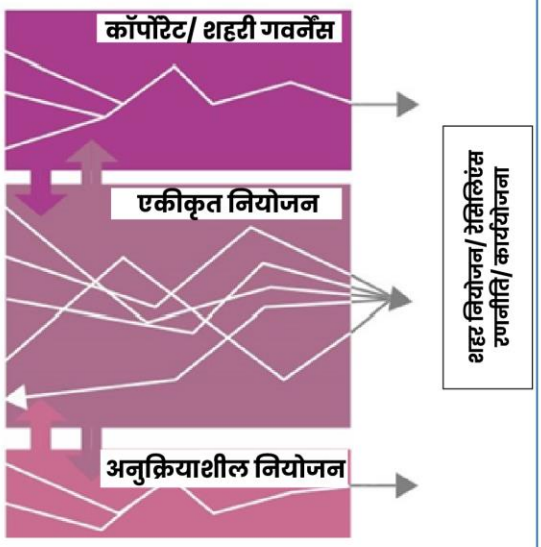

ऑप्शनल सब्जेक्ट
टेस्ट सीरीज़
✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र
✓ दर्शनशास्त्र
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
8 अगस्त

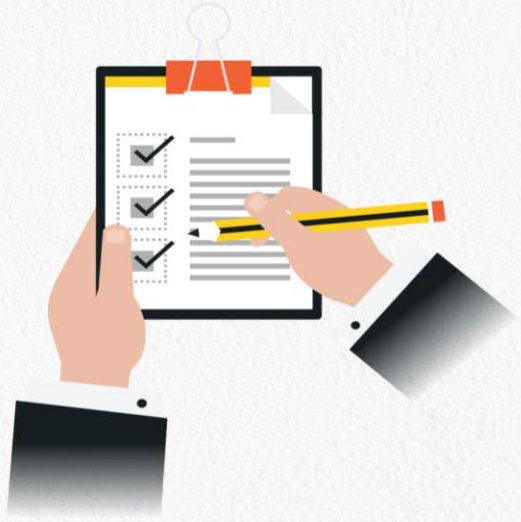

5.7.3. भारत में सूखा प्रबंधन: एक नज़र में (Drought Management in India at a Glance)

भारत में सूखा प्रबंधन: एक नज़र में

सूखा क्या है?

- प्राकृतिक जलवायु चक्र में लंबे समय तक **वर्षण (जैसे- वर्षा, हिमपात या ओलावृष्टि) के अभाव की स्थिति** को सूखे का लक्षण माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप जल की कमी हो जाती है।

सूखे का वर्गीकरण

मौसम विज्ञान संबंधी सूखा
यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है तथा इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है।

जल-विज्ञान संबंधी सूखा
यह सतही और उप-सतही जल की आपूर्ति में कमी के कारण सामान्य एवं विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु जल की कमी की स्थिति को संदर्भित करता है।

कृषि संबंधी सूखा
यह फसल तैयार होने तक स्वस्थ फसल विकास का समर्थन करने के लिए फसल -वर्धन काल के दौरान वर्षा और मृदा में नमी की अपर्याप्त मात्रा की स्थिति को संदर्भित करता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं।

भारत में सूखे की सुभेद्यता

- **बोए गए क्षेत्र का 68% से अधिक भाग** अलग-अलग पैमाने पर सूखे की समस्या से जूझ रहा है।
- 2016-2019 के बीच **36.8% भू क्षेत्र** सूखे से प्रभावित रहा (UNCCD डैश बोर्ड)।

भारत में सूखे का प्रभाव

- **डिफ़ॉरेस्टेशन या वनों की कटाई:** सामान्य मौसम के वर्षों की तुलना में **डिफ़ॉरेस्टेशन में 7.6% की वृद्धि हुई है**
- **खाद्य असुरक्षा और अकाल**
- **प्रजातियों का जबरन विस्थापन या विलुप्त होना**
- कृषि उत्पादकता में **दीर्घकालिक कमी**
- प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन (जल विद्युत) पर ख़तरा, आदि

शुरू की गई पहल

वैश्विक स्तर पर

- **"30x30" टारगेट** (जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत 2030 तक पृथ्वी की कम-से-कम 30% भूमि और जल की रक्षा तथा उसे पुनर्बहाल करना।)
- **इंटरनेशनल ड्रॉउट रेसिलिएंस एलायंस (IDRA):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक मंच है। इसे वर्ष 2022 में UNFCCC के COP-27 लीडर्स समिट में शुरू किया गया था।

भारत में

- **सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 (2020 में संशोधित):** इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। **यह सूखे की निगरानी/ निर्धारण में आधुनिक तकनीक का उपयोग** करता है।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना; वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
- **सूखा की निगरानी**: NADAMS (राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली); FASAL (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान); DEWS या प्रारंभिक सूखा चेतावनी प्रणाली; आदि।

आगे की राह (NDMA के दिशा-निर्देश)

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) के तहत अलग-अलग **सूखा निगरानी प्रकोष्ठ (DMCs) की स्थापना करना।**
- अंतरिक्ष आधारित जानकारी और भूमि आधारित जानकारी को एकीकृत करना।
- सूखे की घोषणा के लिए एक राष्ट्रीय मानक तय करना।

5.7.3.1. सूखे की घोषणा (Declaration of Droughts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नाटक ने केंद्र सरकार से **सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से संबंधित मानदंडों की पुनर्समीक्षा करने का आग्रह** किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- लंबे समय से मानसूनी वर्षा नहीं होने तथा अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुए कर्नाटक ने केंद्र से आग्रह किया है कि-
  - वह **सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसा मानदंड** (वन साइज फिट ऑल) अपनाने की नीति की समीक्षा करे। साथ ही, किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए **क्षेत्र-विशिष्ट मानदंड** विकसित करे।
  - सूखे की **अवधि घोषित करने के लिए समय अंतराल को फिर से परिभाषित करे और इसे कम करे।**

भारत में सूखे की घोषणा कैसे की जाती है?

- राज्यों द्वारा सूखे की घोषणा के लिए **कृषि मंत्रालय ने सूखा प्रबंधन मैनुअल, 2016** जारी किया हुआ है। इसे 2020 में अपडेट किया गया था। इस मैनुअल में निम्नलिखित **तीन-चरणों वाले मापदंड** अपनाने का सुझाव दिया गया है:
  - **अनिवार्य संकेतकों पर आधारित:** सामान्य वर्षा से विचलन, मानकीकृत वर्षण सूचकांक, शुष्क अवधि आदि।
  - **प्रभाव संकेतकों का आकलन:** इसमें रिमोट सेंसिंग पर आधारित कृषि व वनस्पति सूचकांक, मृदा की नमी, जल विज्ञान आदि शामिल हैं।
  - **राज्य सरकार** जमीनी वास्तविकता जानने के लिए और **सूखे के स्तर को 'गंभीर' या 'सामान्य' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नमूना सर्वेक्षण** करती है।
- एक बार सूखे की पुष्टि हो जाने के बाद, **राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करती है।** इसमें सूखा **प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक इकाइयां** वर्णित होती हैं।
  - सूखे की अधिसूचना **छह माह तक के लिए वैध** रहती है, यदि इस अवधि से पहले इसे गैर-अधिसूचित न किया गया हो।

5.7.4. बादल फटने की घटना: एक नज़र में (Cloudbursts at a Glance)

भारत में बादल फटने की घटना

बादल फटने के बारे में

- बादल फटने की घटना के अंतर्गत **बहुत कम समय में सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत काफी भारी वर्षा** होती है।
- **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग** लगभग **20 से 30 वर्ग कि.मी. के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की भारी वर्षा को बादल फटने** की घटना के रूप में वर्गीकृत करता है।

बादल फटने की घटनाएं:

- **हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और शिमला में (2024)**
- **उत्तराखंड (2011)**

बादल फटने के प्रति हिमालयी क्षेत्र की सुभेद्यता

- **हिमालय की स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति के चलते आर्द्र वायु तेजी से ऊपर की तरफ उठती** है, जिससे तीव्र संघनन और वर्षा होती है। **इस प्रकार की दशाएं बादल फटने की घटना के लिए अनुकूल मानी** जाती हैं।
- कुछ अध्ययनों से पता चला है कि **ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं हिमालय में कम ऊंचाई पर मौजूद उच्च तापमान वाले क्षेत्रों** में होती हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा आमतौर पर कम होती है तथा **जुलाई और अगस्त माह में यहां के धरातल का तापमान काफी अधिक यानी 18°C-28°C के बीच** होता है।

बादल फटने के परिणाम: आकस्मिक बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी आपदाएं घटित हो सकती हैं जिससे सड़क, पुल जैसी अवसंरचना का नुकसान हो सकता है।

क्लाउडबर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019)

- बादल फटने की घटनाओं, भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्र आदि के बारे में डेटा को एकत्र और उसे बनाए रखना चाहिए।
- भारी वर्षा के चलते उत्पन्न जल के तीव्र प्रवाह के लिए प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों, नालों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव करना चाहिए।
- बादल फटने की घटनाओं से निपटने और तैयारी के लिए स्थानीय निकायों की क्षमताओं में बढ़ोतरी करना चाहिए। इस संबंध में बीमा तथा जोखिम हस्तांतरण आदि जैसे उपायों को भी बढ़ावा देना चाहिए।

5.7.5. शहरी बाढ़: एक नज़र में (Urban Flooding in India at a Glance)

भारत में शहरी बाढ़

शहरी बाढ़

- **जल निकासी की सीमित व्यवस्था होने और भारी वर्षा की वजह** से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के पानी के तेजी से बढ़ने को **"शहरी बाढ़ यानी अर्बन फ्लडिंग"** कहते हैं।
- **शहरी बाढ़ के प्रभाव:**
  - इमारतों की संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है;
  - परिवहन व बिजली आपूर्ति में व्यवधान पैदा होता है;
  - डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है आदि।

शहरी बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक

- **मौसम विज्ञान संबंधी कारक: भारी वर्षा:** 2005 में 24 घंटे में 944 मिलीमीटर वर्षा की वजह से **मुंबई** में बाढ़ आई गई थी; **चक्रवाती तूफान:** इस वजह से 2020 में **हैदराबाद** में बाढ़ आ गई थी; **ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव:** जैसे हिमपात, हिम का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि आदि।
- **जल-विज्ञान संबंधी कारक:** नदियों का मार्ग बदलना; भूस्खलन व मृदा अपरदन आदि।
- **मानव जनित कारक:** शहरीकरण और वनों की कटाई की तीव्र दर; बांधों/ झीलों से बिना चेतावनी के पानी छोड़ना (2015 में चेम्बरमपक्कम झील से पानी छोड़ने के कारण चेन्नई में बाढ़ आ गई थी।), आदि।

EXAMPLE

हालिया घटनाएं: बेंगलुरु (2022); हैदराबाद (2020); चेन्नई (2015); मुंबई (2005)

शहरी बाढ़ को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- शहरी बाढ़ के प्रबंधन हेतु **राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय या शहरी विकास प्राधिकरण** जिम्मेदार हैं।
- **राज्य स्तरीय पहलें: चेन्नई** बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है; **कोलकाता** शहर के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, **IFLOWS-मुम्बई** विकसित की गई है, आदि।
- शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी बाढ़ के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** जारी की है।
- केंद्रीय जल आयोग का फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन रियलटाइम में जानकारी प्रदान करता है।
- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली **उच्च स्तरीय समिति** ने शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए **पांच राज्यों की छह परियोजनाओं को मंजूरी** दी है। ये पांच राज्य हैं- **तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र।**

आगे की राह (NDMA द्वारा जारी दिशा-निर्देश)

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, राज्य नोडल विभागों और शहरी स्थानीय निकायों में **शहरी बाढ़ प्रकोष्ठों की स्थापना करना।**
- शहरी बाढ़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी शहरी केंद्रों को एक व्यापक रियल टाइम के हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए।
- शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए, एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें स्थानीय सरकार और समुदाय दोनों शामिल हों। साथ ही, स्वस्थाने बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- जल प्रवाह के मार्गों, बाढ़ के मैदानों आदि से अतिक्रमण को हटाना।
- भवन निर्माण के तहत वर्षा जल संचयन सुविधा को एक अभिन्न अंग बनना।

5.7.5.1. पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ (Floods in North East India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम में आई बाढ़ और उसके प्रकोप ने पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की बारंबारता से उत्पन्न खतरे को उजागर किया है।

पूर्वोत्तर भारत में बार-बार बाढ़ आने के खतरे के लिए उत्तरदायी कारण

- **नदी का अस्थिर अपवाह:** ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां **उच्च तलछट जमाव, खड़ी ढलान तथा अनुप्रस्थ ढाल** के कारण गुंफित (braided) एवं अस्थिर हैं।
- **भूवैज्ञानिक कारण:** यह संपूर्ण क्षेत्र **उच्च सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र** में आता है। बार-बार आने वाले प्रबल भूकंप भी नदी मार्गों और उनके अपवाह को अस्थिर बनाते हैं।
- **जल विज्ञान-मौसम विज्ञान (Hydrometeorology) संबंधी कारक:** भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के जल अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित जिलों में पिछले 30 वर्षों में बारिश की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।
- **जल निकासी में समस्या:** मानसून मौसम में पूर्वोत्तर भारत की मुख्य नदियों का बहाव तेज हो जाता है। इसलिए, कम अवधि में भारी वर्षा होने की स्थिति में वर्षा जल नदी बेसिन में नहीं बह पाता।
- **मानव जनित कारक:** नदी बेसिन का अतिक्रमण, नदियों के प्राकृतिक अपवाह में रुकावट डालने वाले तटबंधों का निर्माण आदि।

5.7.6. चक्रवात प्रबंधन: एक नज़र में (Cyclones Management in India at a Glance)

भारत में चक्रवात प्रबंधन: एक नज़र में

चक्रवात के बारे में

- चक्रवात हवा की एक व्यापक प्रणाली है, जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। NDMA के अनुसार, चक्रवात की एक विशेषता यह है कि इसमें **वायु अंदर की ओर घूर्णन करती** हैं, जो- उत्तरी गोलार्ध में एंटी-क्लॉक वाइज घूर्णन करती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज में घूर्णन करती हैं।
- **चक्रवात के लिए अनुकूल परिस्थितियां: समुद्री सतह का उच्च तापमान** (> 27° C); **कोरिओलिस बल** की उपस्थिति; **ऊर्ध्वाधर पवन की गति में आंशिक परिवर्तन;** पहले से मौजूद कमजोर **निम्न दबाव का क्षेत्र** या निम्न-स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण
- **भारत में चक्रवात:** मई-जून और अक्टूबर-नवंबर के महीनों में उत्पत्ति।

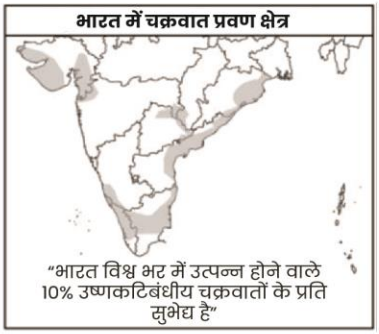

चक्रवात के प्रति भारत की भेद्यता

- दुनिया के **लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवात** भारत में आते हैं।
- 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **भारत का 8% भौगोलिक क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित है।**

चक्रवातों का नामकरण

- वर्ष 2000 में **ओमान** में हुई एक बैठक में, **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** और ESCAP ने बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण का दायित्व सौंपा गया है।

हाल की घटनाएं

- बंगाल की खाड़ी में **चक्रवात रेमल (2024)**
- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में **चक्रवात मिचौंग (2023)**
- बांग्लादेश में **चक्रवात मिंधिली (2023)**

मैनेजमेंट फ्रेमवर्क

- **संस्थागत उपाय:** गृह मंत्रालय द्वारा **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP);** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन और संस्थागत समर्थन प्रदान करना; आदि।
- **भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चार रंगों में कूटबद्ध चेतावनियों** के साथ एक गतिशील व प्रभाव-आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली शुरू की है। ये हैं; **ग्रीन** (सब ठीक है), **येलो** (अपडेट रहें), **ऑरेंज** (तैयार रहें), और **रेड** (कार्रवाई करें)।
- **अन्य कदम:** 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाला वेब-आधारित डायनेमिक कम्पोजिट रिस्क एटलस (Web-DCRA) और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) टूल; **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)** द्वारा भारतीय तटों के लिए **स्टॉर्म सर्ज अर्ली वार्निंग सिस्टम (SSEWS)** की शुरुआत।

आगे की राह (NDMA के दिशा-निर्देश)

- **अत्याधुनिक चक्रवात प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की स्थापना** करना।
- **तटीय आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और शेल्टर बेल्ट्स की मैपिंग।**
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए **विशेष पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी नेटवर्क।**
- **एक व्यापक 'चक्रवात आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (CDMIS)'** की स्थापना करना।

5.8. अपडेट्स (Updates)

5.8.1. भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रगति (Progress on India's Sustainable Development Goals (SDGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सतत विकास लक्ष्य (SDG) - राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (NIF) प्रगति रिपोर्ट, 2024 जारी की गई। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जारी किया है।

SDG-NIF प्रगति रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

SDG लक्ष्य	राष्ट्रीय संकेतक	2015-16	2023-24
निर्धनता का उन्मूलन (SDG 1)	गरीबी में जीवन यापन करने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अनुपात	24.85 %	14.96 %
	बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किए गए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की संख्या (लाख में)	18.32 लाख	44.15 लाख
जीरो हंगर (SDG 2)	प्रति श्रमिक कृषि में सकल मूल्यवर्धन (₹ में)	61,427 ₹	87,609 ₹
लैंगिक समानता (SDG 5)	बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किए गए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में केवल महिला सदस्यों वाले SHGs का अनुपात।	88.92%	97.53%
स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (SDG 6)	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।	94.57%	99.29%
असमानताओं में कमी (SDG 10)	कुल बजट आवंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित बजट का प्रतिशत।	2.86%	6.19%
संधारणीय शहर और समुदाय (SDG 11)	ऐसे वार्ड का प्रतिशत जिनके सभी घरों (100%) से अपशिष्ट संग्रह किए जाते हैं।	43%	97%

अन्य लक्ष्यों में प्रगति

- **स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रगति (लक्ष्य-3)**
  - **मातृ मृत्यु अनुपात** 2014-16 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 130 था। यह 2018-20 में घटकर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 97 हो गया है।

- **पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर** 2015 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 43 थी, जो 2020 में घटकर **प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 32** हो गई है।

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य-4)**
  - **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात** 2015-16 में 48.32 था। यह **2021-2022 में बढ़कर 57.60** हो गया है।

चिंताएँ

- पुरुष और महिला कैजुअल मजदूरों के बीच औसत पारिश्रमिक में अंतर 2017-18 के 96 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 178 रुपये हो गया। इस प्रकार **SDG-5 (लैंगिक समानता) की दिशा में प्रगति सही दिशा में नहीं है।**
- प्रति व्यक्ति उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा 2017-18 की 7.19 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 9.28 मीट्रिक टन हो गई। इससे **SDG-12 की दिशा में प्रगति बाधित हुई है।**

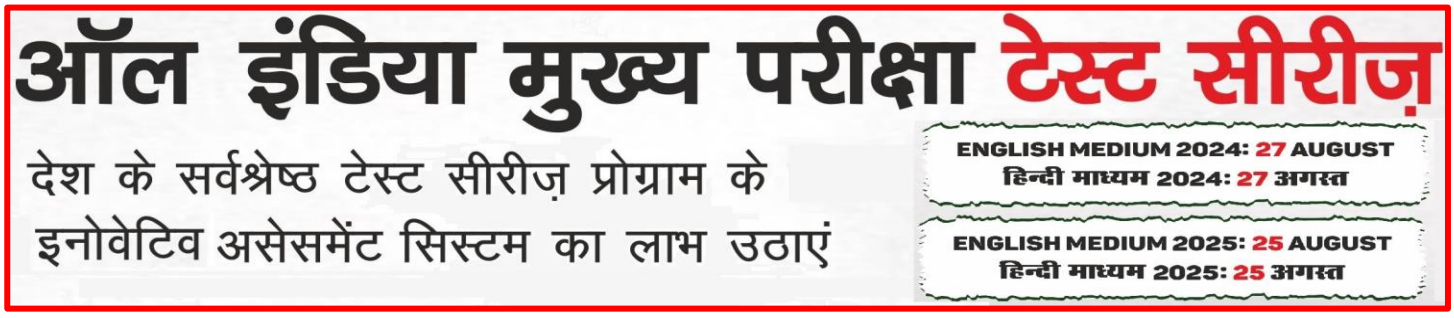

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और समकालीन समाज (Emerging Technologies and Contemporary Society)

सुर्ख़ियों में क्यों?

समकालीन समाज के विविध पहलुओं को आकार देने और बदलने में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

समाज पर प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रभाव

- **संचार और कनेक्टिविटी:** फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों के संचार, जानकारी साझा करने और संबंध स्थापित करने के तरीके को बदल दिया है।
- **सूचना तक पहुंच:** इंटरनेट ने **सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक** बना दिया है।
- **कार्य और रोजगार: रिमोट वर्क, पारंपरिक कार्यालय गतिशीलता में परिवर्तन, गिग अर्थव्यवस्था** का उदय आदि।
- **सामाजिक संबंध:** रुचि-आधारित प्लेटफॉर्म्स निम्नलिखित हेतु ऑनलाइन स्पेस आदि की सुविधा प्रदान करते हैं:
  - समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करना;
  - लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हेतु समर्थन हासिल करना व देना; तथा
  - हाशिए पर स्थित समूहों के लिए समर्थन मांगना और संपर्क स्थापित करना।
- **सेक्सुअलिटी: गर्भनिरोधक और सहायक प्रजनन तकनीकों** ने सेक्सुअलिटी को प्रजनन की जरूरतों से मुक्त कर दिया है और लोगों के लिए उनकी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - इंटरनेट ने **लोगों को अपनी सेक्सुअल पहचान एक्सप्लोर करने और उसे अभिव्यक्त** करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। इनमें LGBTQIA+ के रूप में पहचान रखने वाले लोग भी शामिल हैं।
- **मनोरंजन: स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स** के उदय ने **लोगों के मनोरंजन के तरीके को बदल** दिया है। इससे लोग टी.वी. और फिल्म देखने के पारंपरिक तरीकों से दूर हो गए हैं।
  - **ऑनलाइन गेमिंग** ने विशाल आभासी समुदायों का निर्माण किया है, जिससे गेमर्स को वैश्विक स्तर पर जुड़ने और सहयोग करने का अवसर मिला है।

समाज पर प्रौद्योगिकी का नकारात्मक प्रभाव

- **डिजिटल डिवाइड:** सूचना, प्रौद्योगिकी और अवसरों तक पहुंच संबंधी असमानताओं ने मौजूदा सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा दिया है।
- **सामाजिक अलगाव:** ऑनलाइन संचार और सोशल मीडिया के प्रचलन से फेस-टू-फेस इंटरेक्शन कम हो रहे हैं, जिससे अलगाव और अकेलेपन की भावना पैदा हो रही है।
  - **पेरेंटिंग संबंधी नई चुनौतियां:** जैसे- स्क्रीन टाइम का प्रबंधन और ऑनलाइन स्पेस में बच्चों के लिए सुरक्षा का प्रबंध करना।
- **रोजगार में बदलाव: AI और ऑटोमेशन के** कारण कुछ क्षेत्रकों में नौकरियां खत्म हो सकती हैं। इससे प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
- **लत और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं:** डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मनोरंजन का अत्यधिक उपयोग लत को बढ़ावा दे सकता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - ऑनलाइन परिवेश **साइबर-बुलिंग को बढ़ावा** दे सकता है। इससे पीड़ितों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **पारंपरिक कौशल की हानि:** प्रौद्योगिकी पर निर्भरता से कुछ कौशलों में गिरावट आई है। इससे रोजगार के अवसर और आत्मनिर्भरता प्रभावित हो सकती है।
- **सामाजिक तुलना और छवि संबंधी चिंताएं:** इससे सोशल मीडिया पर अवास्तविक मानकों का प्रचार, लोगों में हीन भावना, दैहिक छवि संबंधी समस्याएं और हानिकारक सामाजिक तुलना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

- **ध्रुवीकरण और असहिष्णुता:** सोशल मीडिया पर **एल्गोरिदम के जरिये पूर्वाग्रह के तहत 'फ़िल्टर बबल्स' और 'डिजिटल इको-चैम्बर्स'** के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण के अनुरूप कंटेंट दिखाकर उनकी मौजूदा मान्यताओं को सुदृढ़ किया जाता है।
    - **डीपफेक और हेरफेर की गई मीडिया का** उपयोग झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। इससे असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ावा मिलता है।
- **सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप:** वर्चुअल रिलेशनशिप, गुप्त संचार, डिजिटल इंटिमेसी आदि **मौजूदा मोनोगेमस (एकल जीवन साथी) रिलेशनशिप को नष्ट करने के लिए व्यभिचार को प्रोत्साहित** करते हैं।

निष्कर्ष

सकारात्मक पहलुओं को अपनाकर और नुकसानों को समझते हुए तथा नैतिक सजगता के साथ आगे बढ़ने से ऐसे भविष्य का निर्माण प्रशस्त होता है जहां प्रौद्योगिकी, करुणा और समावेशिता के साथ मानवता का उत्थान करती है।

6.1.1. प्रौद्योगिकी और शिक्षा: एक नज़र में (Technology and Education at a Glance)

प्रौद्योगिकी और शिक्षा

इसके बारे में:

- प्रौद्योगिकी ने लर्निंग के तरीके को बदल दिया है, इसने शिक्षकों को इमर्सिव, व्यक्तिगत लर्निंग का अनुभव प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया है और शिक्षा की पहुँच को भी बढ़ाया है।

मुख्य पहलें

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
- नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग {राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम (NPTEL)}
- ICT आधारित पहल, जैसे- DIKSHA (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग), SWAYAM (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स), आदि।
- इंडिया AI मिशन की मदद से शिक्षा में AI का एकीकरण

सकारात्मक प्रभाव:

- **व्यक्तिगत लर्निंग का अवसर:** लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस के उपयोग से कक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन हो सकती हैं।
- **शिक्षक के प्रोडक्टिविटी में सुधार और दक्षता** (जैसे- प्रोजेक्टर, स्मार्ट व्हाइटबोर्ड, आदि)।
- **पहुँच:**
  - कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा।
  - दूरदराज के क्षेत्रों को कवर करना जैसे कि दूरस्थ शिक्षा।
  - विदेशी विश्वविद्यालयों, अध्ययन सामग्री आदि तक पहुँच।
  - जाति और वर्ग संबंधी बाधाओं का टूटना।
- **अन्य:** बेहतर संसाधन प्रबंधन, आदि।

नकारात्मक प्रभाव

- **डिजिटल विभाजन** और असमान पहुँच।
- सामाजिक संपर्क और साथियों के सहयोग में कमी के कारण अपर्याप्त **संचार और इंटरपर्सनल कौशल।**
- ट्रांसलेशन टूल्स या सर्च इंजन आदि के निरंतर उपयोग के कारण **क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान में कमी।**
- **ध्यान में भटकाव और एकाग्रता में कमी,** उदाहरण के लिए- प्रौद्योगिकी द्वारा दी जाने वाली तत्काल संतुष्टि के कारण डीप व फोकस्ड लर्निंग में संलग्न होना कठिन बनाती है।

आगे की राह (नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर द्वारा)

- ऑनलाइन और अनुभवात्मक लर्निंग के साथ मिश्रित दृष्टिकोण।
- विभिन्न भाषाओं में 24x7 शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- डिजिटल विभाजन को खत्म करने के लिए किफायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता।
- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए स्क्रीन टाइम पर उचित सीमाएँ।

6.1.2. प्रौद्योगिकी और समाजीकरण: एक नज़र में (Technology and Socialization at a Glance)

प्रौद्योगिकी और समाजीकरण

समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न सामाजिक एजेंटों जैसे कि परिवार, स्कूल, साथियों और जनसंचार माध्यमों से **सामाजिक व्यवहार, मानदंड और मूल्य प्राप्त** करते हैं।

- नए पैटर्न को कभी-कभी **सोशियो-वर्चुलाइजेशन** भी कहा जाता है। इसमें पारंपरिक समाजीकरण एजेंटों के साथ वर्चुअल इंटरैक्शन का मिश्रण शामिल है।

सकारात्मक प्रभाव

- विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, **सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि** और धर्मों के संपर्क में वृद्धि, उदाहरण के लिए- सोशल मीडिया।
  - इस संपर्क ने विभिन्न दृष्टिकोणों से सामाजिक मानदंडों और मुद्दों की तुलना करने और उनका विश्लेषण करने में भी मदद की है।
- विशेष रूप से कम उम्र में समाजीकरण के नए प्रमुख कारक के रूप में **साथियों के साथ इंटरैक्शन में वृद्धि।**
- **सामाजिक कौशल के गेमीफिकेशन** ने रियल टाइम में लर्निंग को सक्षम बनाया है। जैसे कि पोल आयोजित करना, सामाजिक पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए पुरस्कार देना, मार्केटिंग गेम को बढ़ावा देना आदि।
- इच्छित सामाजिक प्रभाव बनाने के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करने का **लोकतांत्रिक माध्यम।**

नकारात्मक प्रभाव

विशेष रूप से बच्चों में बिना किसी जांच के मानदंडों और मूल्यों को स्वीकार करना	FOMO (पीछे रह जाने का डर) की स्थिति, क्योंकि लोग बिना संदर्भ के दूसरे लोगों के जीवन के हाईलाइट्स देखते हैं	डिजिटल 'इको-चैंबर' और 'फ़िल्टर बबल'	वास्तविक जीवन में गहराई और समर्थन की कमी वाले सतही रिश्ते

निष्कर्ष

- सोशियो-वर्चुअलाइज़ेशन के नकारात्मक परिणामों को **वास्तविक व व्यक्तिगत सामाजिक अनुभवों के साथ-साथ डिजिटल इंटरैक्शन को संतुलित करके और गहरे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देकर प्रबंधित किया जा सकता है।**

6.1.3. प्रौद्योगिकी और परिवार: एक नज़र में (Technology and Family at a Glance)

प्रौद्योगिकी और परिवार

हाल के समय में, प्रौद्योगिकी ने परिवारों के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है, जिसमें बातचीत से लेकर पालन-पोषण तक शामिल हैं।

सकारात्मक प्रभाव

- **बेहतर संचार और आभासी संबंध।**
- वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर के उद्भव के माध्यम से **वर्क-लाइफ संतुलन।**
- महिला सदस्यों के लिए **सामाजिक सशक्तीकरण और सामुदायिक संपर्क में वृद्धि।**
- **महिलाओं के लिए अवकाश का समय:** IoT आधारित उपकरणों जैसी उन्नत मशीनों की मदद से घरेलू काम कुशलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं।

नकारात्मक प्रभाव

गुणवत्तापूर्ण समय में कमी: अधिक स्क्रीन टाइम के कारण पारिवारिक डिनर, बातचीत और बाहरी गतिविधियों की उपेक्षा की जा सकती है।

परिवार के भीतर **पीढ़ीगत अंतर में वृद्धि,** क्योंकि प रिवार के बड़े सदस्यों को नई तकनीकों के अनुकूल होना कठिन लग सकता है।

स्क्रीन-टाइम, **'डिजिटल बेबीसिटिंग', 'टेक्नोफ्रेंस'** आदि के कारण माता-पिता और बच्चों के **बीच संचार में कमी।**

घरों में कनेक्टेड डिवाइस (जैसे- स्मार्ट होम सिस्टम) के उपयोग के कारण **निजता और सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम।**

निष्कर्ष

- स्वस्थ पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और इसके संभावित नुकसानों को कम करने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

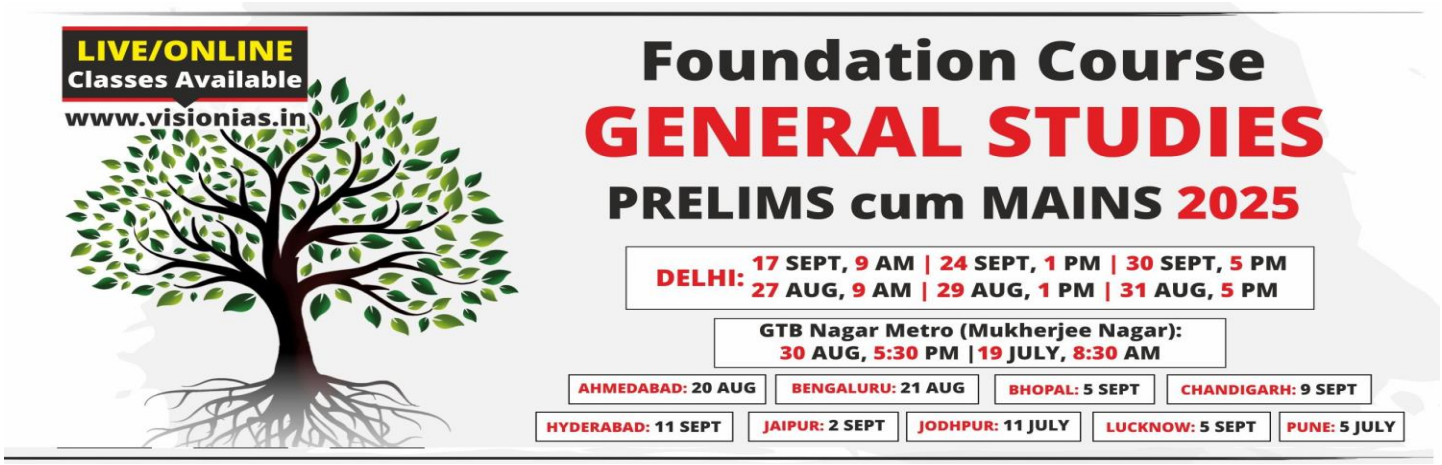

6.1.4. प्रौद्योगिकी और सेक्सुअलिटी: एक नज़र में (Technology and Sexuality at a Glance)

प्रौद्योगिकी और सेक्सुअलिटी

- **सेक्सुअलिटी और प्रजनन** जैसे विषयों पर चर्चा वर्जित मानी जाती थी। हालाँकि, सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगों के अनुभव, अभिव्यक्ति और अपनी सेक्सुअलिटी को समझने के तरीके को गहराई से बदल दिया है।

सकारात्मक प्रभाव

- **सूचना तक पहुँच:** यौन स्वास्थ्य, ओरिएंटेशन और यौन व्यवहार के बारे में जागरूकता में वृद्धि।
- **ऑनलाइन कम्युनिटीज और डेटिंग ऐप:** व्यक्तियों को समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने, समर्थन पाने और अपनी पहचान तलाशने की अनुमति देता है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श तक पहुँच:** दूरदराज के क्षेत्रों में वर्चुअल थेरेपी सेवाएँ।
- **अन्य:** आत्म-अभिव्यक्ति के नए रूप जैसे कि वर्चुअल इंटिमेसी, आदि।

नकारात्मक प्रभाव

अनचाहा एक्सपोज़र (जैसे- यौन सामग्री तक पहुँच)	बच्चों और नाबालिगों में **कम्पल्सिव** यौन व्यवहार पैटर्न	डेटा उल्लंघन, सहमति के बग़ैर साझाकरण, आदि के कारण **निजता और सुरक्षा जोखिम**	**नकारात्मक धारणाओं** का प्रसार और LGBTQIA जैसे **कुछ वर्गों के खिलाफ लक्षित अभियान**

निष्कर्ष

- प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए **डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, नैतिक मानकों को बढ़ावा देना और सार्थक संबंधों को प्रोत्साहित करना** आवश्यक है, ताकि सेक्सुअलिटी की समझ और अनुभव को बढ़ाया जा सके।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI: 23 सितंबर, 1 PM | 22 अगस्त, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 5 सितंबर | JODHPUR: 11 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

6.2. नारी शक्ति: 'महिलाओं के विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' तक (Nari Shakti: From Women's Development to Women-led Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत में 'महिलाओं के विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' की ओर परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना है, जहां **महिलाएं विकास और राष्ट्रीय प्रगति की गाथा में समान भागीदार हों।**

'महिलाओं का विकास' बनाम 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास'

महिलाओं का विकास	महिलाओं के नेतृत्व में विकास
• इसमें **महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए कार्यक्रम** शामिल हैं, जिनमें उन्हें योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में शामिल करना आवश्यक नहीं है। ○ **उदाहरण के लिए-** मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, बालिका शिक्षा परियोजनाएं, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण आदि। • इसके तहत **महिलाओं को विकास कार्यक्रमों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता** के रूप में देखा जाता है। • महिला विकास के बारे में **निर्णय लेने में टॉप-डाउन एप्रोच** को अपनाया जाता है। इसमें **महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी का अभाव** होता है।	• यह एक **ऐसा बदलाव है,** जिसमें महिलाओं को न केवल लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, बल्कि **विकास की प्रक्रिया में नेता, निर्णयकर्ता और नवप्रवर्तक** के रूप में भी देखा जाता है। ○ **उदाहरण के लिए-** स्थानीय शासन, कॉर्पोरेट नेतृत्व आदि में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। • यह माना जाता है कि **महिलाओं के पास अक्सर सामुदायिक आवश्यकताओं के बारे में विशिष्ट अंतर्दृष्टि** होती है। साथ ही, वे **अपने अनुभवों के आधार पर अभिनव समाधान** भी प्रस्तुत कर सकती हैं। • **निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी** को प्रोत्साहित करने के लिए **बॉटम-अप एप्रोच** शामिल होती है। उदाहरण के लिए, **स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन।**

'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' का महत्त्व

- **प्रासंगिक एवं प्रभावी समाधान:** महिलाओं के नेतृत्व के परिणामस्वरूप अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी विकास की पहलें शुरू की जा सकती हैं।
- **लैंगिक समानता:** नेतृत्वकारी पदों पर आसीन महिलाएं आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य कर सकती हैं तथा जेंडर संबंधी भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में सामाजिक मानदंडों को बदलने में मदद कर सकती हैं।
- **आर्थिक:** मैकिन्जी के अनुसार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 28 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि** हो सकती है। इसमें **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2025 तक 770 बिलियन डॉलर की वृद्धि** होने की संभावना है।
- **संधारणीयता:** संधारणीय पहलों के प्रति समुदाय की अधिक सहभागिता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो सकती है।

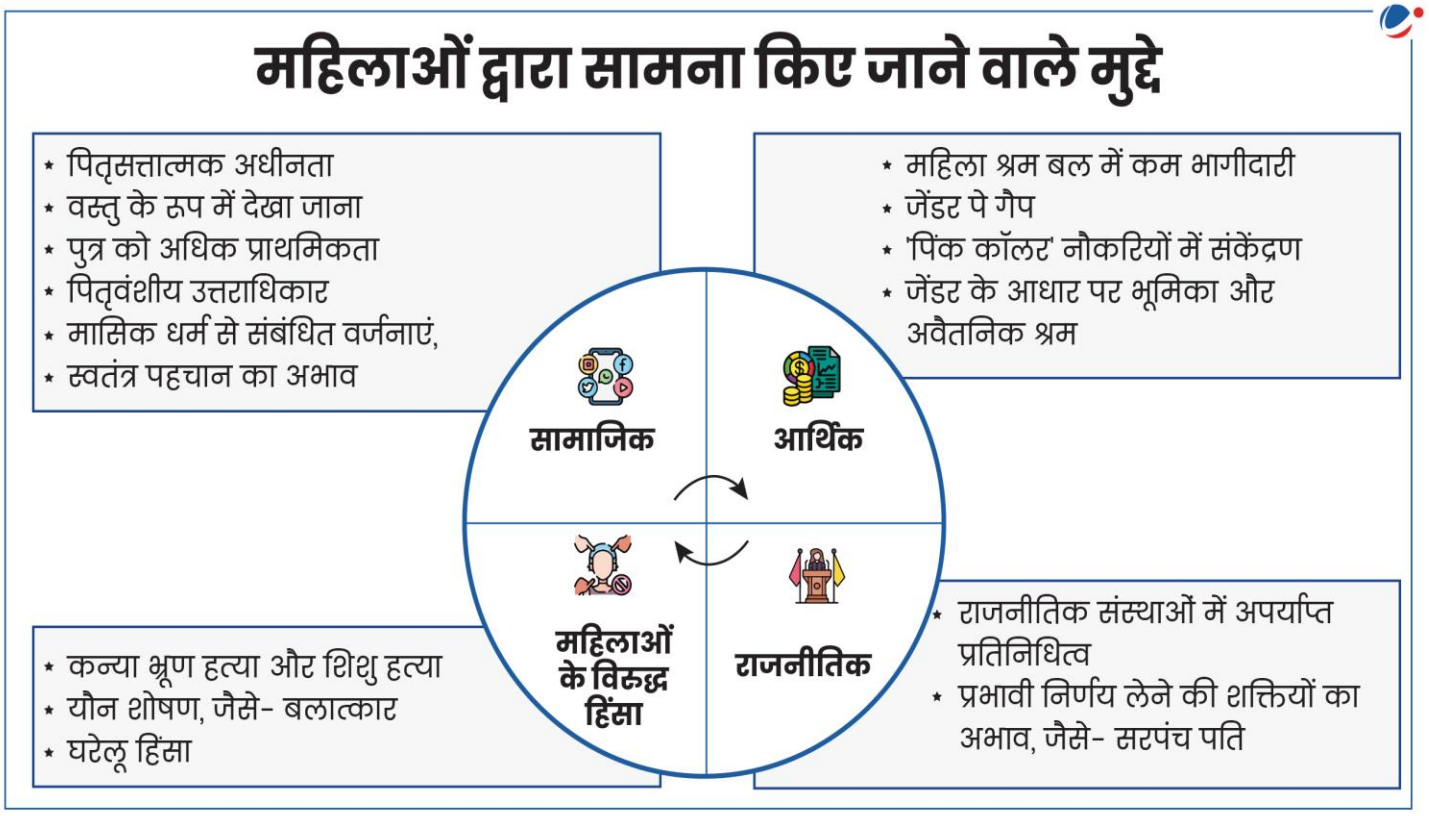

'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' की दिशा में सरकारी पहलें

आयाम	उठाए गए कदम
सामाजिक सशक्तीकरण	• **स्वास्थ्य सेवा: जन्म के समय लिंगानुपात में** सुधार हुआ है। यह 2014-15 के 918 से बढ़ कर 2023-24 में 930 हो गया है। संस्थागत प्रसव में वृद्धि (जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम द्वारा प्रोत्साहन) आदि। • **पोषण सुरक्षा:** सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 कार्यक्रम आदि। • **बुनियादी ज़रूरतें:** स्वच्छ भारत मिशन, पी.एम. आवास योजना-ग्रामीण, पी.एम. उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन आदि।
वित्तीय सशक्तीकरण	• **वित्तीय समावेशन और उद्यमिता:** स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, पी.एम. मुद्रा योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र योजना आदि। • **सुरक्षा और संरक्षा:** मिशन शक्ति–संबल, सखी केंद्र आदि। • **शिक्षा और कौशल:** सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), वुमन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग: नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (WISE- KIRAN) योजना आदि।
राजनीतिक सशक्तीकरण	• **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023), 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम** (स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करता है) आदि। ○ **नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023** में **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित** करने का प्रावधान किया गया है।
अन्य	• 12 सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को **स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है;** 2023 में **भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता वाले क्षेत्र** के रूप में चिन्हित किया गया था आदि।

निष्कर्ष

लैंगिक भेदभाव को दूर करने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तक, इन सभी पहलों द्वारा **महिलाओं के जीवन में ठोस सुधार** लाए गए हैं। इस प्रकार, भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास केवल महिलाओं को ही सशक्त नहीं बनाएगा, बल्कि यह देश की पूरी क्षमता को उजागर करने और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत एवं समृद्ध समाज बनाने में भी मदद करेगा।

भारत में महिला आंदोलन के चरण

- **प्रथम चरण (स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलन):** इसकी नींव **19वीं और 20वीं शताब्दी** के विशिष्ट मुद्दों पर **सुधार तथा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों** द्वारा रखी गई थी। इसमें सती प्रथा और बाल विवाह आदि के विरुद्ध आवाज उठाई गई।
  - **नेतृत्व:** अधिकांशतः **मध्यम वर्ग के शिक्षित पुरुष,** जैसे- **राजा राममोहन राय।**
- **दूसरा चरण (स्वतंत्रता संग्राम):** दूसरा चरण महिला मुक्ति आंदोलन को संदर्भित करता है। यह महिलाओं के लिए कानूनी और सामाजिक समानता से संबंधित था।
- **चरण-III (स्वतंत्रता के बाद):** महिला मुक्ति आंदोलन तथा महिलाओं की कानूनी और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - **किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, छात्र आंदोलन** आदि में महिलाओं की भागीदारी देखी गई।
  - **नेतृत्व: महिला नेतृत्व के साथ स्वायत्त महिला आंदोलन की एक नई लहर** देखी गई। जैसे, **इको-फेमिनिस्ट- चिपको आंदोलन (1973), स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA/ सेवा)** आदि।
- **चरण-IV {अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1970 के उपरांत) के दौरान और बाद में}:** इसने **"सार्वभौमिक नारीत्व (Universal womanhood)" के विचार को खंडित** कर दिया और सांप्रदायिक उद्देश्यों से हटकर **व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित** कर दिया।
  - **महिलाओं के नेतृत्व वाले गैर-सरकारी संगठनों और संगठनों का प्रसार, जैसे-** महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति संगठन।
  - **अंतःविषयकता:** यह **हाशियाकरण के कई रूपों के एक-दूसरे के साथ ओवरलैप होने** को दर्शाता है। उदाहरण के लिए- दलित महिलाएं जेंडर और जाति दोनों के कारण हाशिए पर हैं।
- **समकालीन महिला आंदोलन:** इसमें दायरे का विस्तार हुआ तथा पर्यावरण, जनसंख्या, बाल अधिकार, वैश्वीकरण, बाजारीकरण आदि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया।
  - इंटरनेट जैसे नए माध्यमों के ज़रिए **यौन उत्पीड़न**, **बॉडी शेमिंग और बलात्कार** जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हुआ है। **उदाहरण के लिए-** #MeToo आंदोलन, निर्भया केस आदि।

6.3. मार्केट सोसायटी (Market Society)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक चुनौतियों के प्रति लचीला होने की भारत की अंतर्निहित क्षमता का मुख्य कारण यह है कि **भारत एक दक्ष बाजार अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, लेकिन मार्केट सोसायटी नहीं।**

मार्केट सोसायटी के बारे में

- **मार्केट सोसायटी** एक व्यापक अवधारणा है। इसके तहत **बाजार मूल्यों और तंत्रों** को जीवन के गैर-आर्थिक क्षेत्रों में लागू किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण,** जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच काफी हद तक व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता से निर्धारित होती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल में असमानताएं पैदा होती हैं।
- **मार्केट सोसायटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं**
  - **वस्तुकरण:** मार्केट सोसायटी में वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और यहां तक कि रिश्तों का भी **वस्तुकरण (Commodification)** होता है।
  - **उपभोक्तावाद:** मार्केट सोसायटी में उपभोक्तावाद का वर्चस्व होता है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को **पहचान और सामाजिक स्थिति से जोड़** कर देखा जाता है।
  - **व्यक्तिवाद:** मार्केट सोसायटी में **सामूहिक कल्याण की अपेक्षा व्यक्तिगत कल्याण पर अधिक जोर** दिया जाता है।
  - **नैतिकता में मार्केट लॉजिक का उपयोग: जैसे- लागत-लाभ विश्लेषण द्वारा निर्धारित मूल्य निर्णय।**

मार्केट इकोनॉमी बनाम मार्केट सोसायटी

	मार्केट इकोनॉमी	मार्केट सोसायटी
फोकस	आर्थिक लेन-देन, दक्षता और प्रभावशीलता	बाजार के सिद्धांत जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होते हैं
सरकार की भूमिका	न्यूनतम (बाज़ार की विफलताओं को ठीक करने के लिए)	बाज़ार नीति, सामाजिक मानदंड और गवर्नेंस को आकार देती है

बिक्री के लिए क्या उपलब्ध है?	वस्तुएं और सेवाएं	वस्तुतः सब कुछ (स्वास्थ्य सेवा, व्यक्तिगत डेटा, आदि)
समाज पर प्रभाव	नवाचार, दक्षता, जवाबदेही आदि को बढ़ावा दिया जा सकता है।	सामाजिक मूल्यों का क्षरण हो सकता है तथा असमानता बढ़ सकती है।

भारत को एक मार्केट सोसायटी में बदलने से रोकने वाले कारक

- **संयुक्त परिवार प्रणाली:** यह व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों की तुलना में साझा जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देती है और एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में भी कार्य करती है। इससे बाजार संचालित सेवाओं पर निर्भरता कम हो जाती है।
- **अमूर्त परिसंपत्तियों का सीमित वस्तुकरण:** उदाहरण के लिए, विवाह आमतौर पर विशुद्ध आर्थिक विचारों की बजाय सांस्कृतिक और पारिवारिक कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं।
- **पारंपरिक व्यवसाय:** भारत में कुछ समुदाय अभी भी सांस्कृतिक और सामाजिक दायित्वों से प्रेरित होकर पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक व्यवसायों को अपनाते हैं।
- **भौतिकवाद से संबंधित सामाजिक वर्जनाएं:** प्रत्यक्ष भौतिकवाद को अक्सर नापसंद किया जाता है तथा विनम्रता, दान और आध्यात्मिक सम्पति पर सांस्कृतिक जोर दिया जाता है।
- **सरकार की भूमिका:** आवश्यक सेवाएं और पब्लिक गुड्स प्रदान करने में सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे- शिक्षा का अधिकार, मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत भोजन का अधिकार आदि।

भारत में मार्केट सोसायटी की ओर बदलाव के संकेत देने वाले उदाहरण

- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का वस्तुकरण:** निजी स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का विकास।
- **उपभोक्तावाद:** सामाजिक स्थिति एवं सफलता का धन, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के साथ बढ़ता संबंध।
- **सामाजिक रिश्तों में बाजार:** उदाहरण के लिए, समाज के कुछ वर्गों में विवाह तेजी से लेन-देन पर आधारित होते जा रहे हैं, जहां दहेज, पारिवारिक संपत्ति और सामाजिक स्थिति विवाह-संबंधों को प्रभावित करते हैं।
  - **इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने व्यक्तिगत संबंधों का वस्तुकरण कर दिया है।** इन प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान, लाइक और फॉलोअर्स सामाजिक पूंजी का रूप बन गए हैं।
- **पर्यावरण का व्यवसायीकरण:** कार्बन ट्रेडिंग बाजारों का उदय, इको-पर्यटन को बढ़ावा आदि।
- **गवर्नेंस का बाजारीकरण:** अनुकूल सार्वजनिक नीतियों के लिए कॉर्पोरेट द्वारा लॉबिंग, क्रोनी-पूंजीवाद का आरोप, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं का वस्तुकरण आदि।
- **तकनीकी नियतिवाद:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, जॉब असाइनमेंट पर एल्गोरिदम का नियंत्रण, भुगतान दरें और गिग अर्थव्यवस्था में काम के घंटे आदि।

निष्कर्ष

बाजार तंत्र आर्थिक संवृद्धि और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, जबकि अनियंत्रित बाजार प्रभुत्व असमानता, शोषण, पब्लिक गुड्स के क्षरण तथा लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों के कमजोर होने का कारण बन सकता है। सामाजिक जिम्मेदारी, सरकारी हस्तक्षेप और नैतिक विचारों के साथ बाजार की ताकतों को संतुलित करना इन जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

7.1. आई.टी., कंप्यूटर एवं रोबोटिक्स (IT, Computer, Robotics)

7.1.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने **'व्हाइट पेपर: रिस्पांसिबल AI फॉर ऑल (RAI) ऑन फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT)'** जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पेपर **नीति आयोग के RAI सिद्धांतों** के तहत फर्स्ट यूज़ केस के रूप में FRT की जांच करता है। साथ ही, यह भारत के भीतर FRT के जिम्मेदार और सुरक्षित विकास और तैनाती के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
- नीति आयोग द्वारा 2021 में **'रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल'** रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें AI के जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन के लिए व्यापक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है।
  - इसमें सुरक्षा और विश्वसनीयता, समानता, समावेशिता और गैर-भेदभाव, निजता और सुरक्षा आदि जैसे सिद्धांत शामिल हैं।

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) के बारे में

- फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणाली है जो जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करके **किसी व्यक्ति की पहचान या सत्यापन के लिए छवियों या वीडियो डेटा का उपयोग** करती है।

FRT कैसे काम करता है?

❶ कैप्चरिंग और स्कैनिंग	❷ एक्स्ट्रेक्टिंग फेशियल डेटा	❸ डेटाबेस में तलाशना	❹ मैचिंग और पहचान
चेहरे को पहचानना किसी फोटो या विडियो में मानव चेहरे की उपस्थिति का पता लगाना एल्गोरिदम पर निर्भर करता है।	**चेहरे से संबंधित डेटा को अलग करना** इसमें अलग-अलग लोगों के चेहरों पर विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करने के लिए मेथेमेटिकल रीप्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है।	पहले से मौजूद डेटाबेस में किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं की ऑटोमेटिक क्रॉस-रेफरेंसिंग के जरिए **पहचान की जाती है।**	

FRT के उपयोग और यूज़-केसेस

- **सुरक्षा संबंधी उपयोग**
  - **कानून और व्यवस्था का पालन:**
    - **गुमशुदा व्यक्तियों और** संदिग्ध अपराधियों के साथ-साथ **संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान।**
  - **उदाहरण के लिए,** फोटो मिलान और गुमशुदा बच्चों की पहचान के लिए **तेलंगाना का 'दर्पण'।**
    - **मॉनिटरिंग और सर्विलांस: उदाहरण के लिए, चीन की स्काईनेट परियोजना।**
    - **आव्रजन और सीमा प्रबंधन:** उदाहरण के लिए, **कनाडा का 'फेसेस ऑन द मूव'।**
  - **भीड़ नियंत्रण:** उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला 2021 के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैन टिल्ट और ज़ूम सर्विलांस कैमरे।

- **गैर-सुरक्षा संबंधी उपयोग**
  - उत्पादों, सेवाओं और सार्वजनिक लाभों तक पहुंच के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके **व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन और प्रमाणीकरण। उदाहरण के लिए, फेशियल रिकग्निशन के आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना।**
  - **सेवाओं तक पहुंच में आसानी: उदाहरण के लिए, डिजी यात्रा के माध्यम से हवाई अड्डों पर** संपर्क रहित ऑनबोर्डिंग।
  - **शैक्षणिक संस्थानों में अद्वितीय आईडी का उपयोग: उदाहरण के लिए,** शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंच के लिए प्रमाणीकरण हेतु **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 'फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशनल'।**

FRT प्रणालियों से जुड़े जोखिम क्या हैं?

- **गलत पहचान: FRT प्रणालियाँ ऑटोमेशन पूर्वाग्रह और डेटाबेस में कम प्रतिनिधित्व** के कारण गलत पहचान का कारण बन सकती हैं।
- उत्तरदायित्व की कमी, **जवाबदेही, कानूनी दायित्व और शिकायत निवारण के संबंध में चिंताएं:** FRT प्रणालियों के व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा से संबंधित कम्प्यूटेशनल एल्गोरिदम और सुरक्षा में जटिलता के कारण।
- **अधिकार-आधारित मुद्दे:** FRT सिस्टम **उद्देश्य से भटकाव (**व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इसके घोषित उद्देश्य के विपरीत या अन्य कार्यों के लिए उपयोग सूचनात्मक स्वायत्तता की अवधारणा के विरुद्ध है) आदि का उल्लंघन कर सकते हैं।

आगे की राह: FRT के जवाबदेह उपयोग के लिए नीति आयोग की सिफारिशें

- **निजता और सुरक्षा का सिद्धांत: पुट्टास्वामी मामले** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित **वैधता, तर्कसंगतता और आनुपातिकता** के **त्रि-आयामी परीक्षण को** पूरा करते हुए **डेटा सुरक्षा व्यवस्था** स्थापित करना।
  - **उदाहरण के लिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023.**
- **समग्र शासन ढांचा:** FRT प्रणाली के उपयोग से होने वाली किसी भी हानि/ क्षति के लिए देयता की सीमा निर्धारित करना।
- **डिजाइन द्वारा निजता (PBD) सिद्धांतों को अपनाना:** उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति जैसे सिद्धांतों को लागू करना, ताकि उनकी निजता सुनिश्चित की जा सके।
- नैतिक निहितार्थों का आकलन करने और शमन उपायों की देखरेख के लिए **नैतिकता समिति** का गठन करना।

7.1.2. सुपर कम्प्यूटर्स (Super Computers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IIT बॉम्बे और **सी-मेट, पुणे** के शोधकर्ताओं ने सिरेमिक आधारित कोल्ड प्लेट्स विकसित की हैं, जो सुपर कंप्यूटरों को ठंडा करने के लिए उपयोग की जाने वाली तांबे की कोल्ड प्लेट्स की जगह ले सकती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग सिस्टम (HPC) या सुपरकंप्यूटर में तरल शीतलक और कोल्ड प्लेट्स का उपयोग करके** ऊष्मा को नष्ट करते हुए कूलिंग को संभव बनाया जाता है।
  - **कोल्ड प्लेट्स** का उपयोग **हीट सिंक** की तरह किया जाता है, जो **सर्किट के घटकों से ऊष्मा को शीतलक तरल में स्थानांतरित** करता है। इसके लिए **उच्च तापीय चालकता के कारण तांबा वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त सामग्री** है।
- **कोल्ड प्लेट्स के लिए LTCC का उपयोग**
  - **लो टेंपरेचर को-फायर्ड सिरेमिक (LTCC)** एक ऐसी तकनीक है, जिसका **सर्किट के लिए सिरेमिक सब्सट्रेट** बनाने हेतु उपयोग किया जाता है।
  - LTCC **सुपरकंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर चिप्स को प्रभावी ढंग से कूल** कर सकता है।

सुपर कंप्यूटर क्या है?

- सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और जटिल गणनाओं को हल करने वाली असाधारण **कंप्यूटिंग प्रणाली** है। अतः सुपर कंप्यूटर **हाई-परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग सिस्टम** होते हैं।
- सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड (MIPS) के बजाय **फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड (FLOPS)** में मापा जाता है।

- सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है और सुपर कंप्यूटर **प्रति सेकेंड अरबों और खरबों गणनाएं** कर सकते हैं।
  - डिस्ट्रिब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की तुलना में सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर्स के बीच डेटा का तेजी से आदान-प्रदान होता है। इसलिए सुपर कंप्यूटर **रीयल-टाइम उपयोगों के लिए आदर्श** होते हैं।
- **भारत और सुपर कंप्यूटर**
  - भारत में **सुपर कंप्यूटर के स्वदेशी विकास का कार्य 1980 में शुरू हुआ था।** इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)[90], C-DAC जैसे संगठनों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया था।
  - शीर्ष 500 की सूची में **चार भारतीय सुपर कंप्यूटर** भी शामिल हैं। इनमें **ऐरावत/ AIRAWAT** (भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है) **परम सिद्धि-AI सुपर कंप्यूटर, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर** और **मिहिर सुपर कंप्यूटर।**

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM), 2015

- **उद्देश्य: सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों** में से एक बनाना।
- **कार्यान्वयन:** इसे C-DAC और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)[91] **द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा** है।
- **नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN):** इन हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को NKN के तहत नेशनल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

सुपर कंप्यूटर के उपयोग

- **अत्याधुनिक अनुसंधान:** सुपर कंप्यूटर का उपयोग **अत्यधिक मात्रा में डेटा का इस्तेमाल करने वाले उद्देश्यों और अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उद्देश्यों की गणना** के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए- क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान आदि।
- **एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग:** सुपर कंप्यूटर रियल टाइम में बारीक-से-बारीक जानकारी के साथ सिमुलेशन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए- सुपर कंप्यूटर जटिल एल्गोरिदम तथा संबंधित बिग डेटा को प्रोसेस करके विमान के प्रदर्शन एवं विमान की उड़ान संबंधी स्थितियों का सिमुलेशन प्रदान करता है।
- **मौसम पूर्वानुमान:** उदाहरण के लिए- पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)[92] में स्थापित 'प्रत्युष' सुपर कंप्यूटर मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में मदद करता है।
- **ऊर्जा अन्वेषण:** पृथ्वी की गहराई में छिपे भूवैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाना और उसे गति प्रदान करना; इस प्रकार अन्वेषण और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार करना।
- **स्वास्थ्य और चिकित्सा:** सुपर कंप्यूटर ने कोविड-19 की दवा खोजने में भी मदद की थी। इस दौरान मौजूदा दवा यौगिकों के डेटाबेस को सुपर कंप्यूटर में डाल कर समाधान खोजने का प्रयास किया गया था।
- **रक्षा और सेना:** सुपर कंप्यूटर के काफी उपयोग परमाणु हथियार डिजाइन और क्रिप्टोग्राफ सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। यह जटिल हथियार प्रणालियों का सिम्युलेशन प्रदान करने में मदद करता है।

सुपर कंप्यूटर से जुड़ी चुनौतियाँ

- बड़े पैमाने पर एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव की आवश्यकता होती है, जिनकी बैंडविड्थ विश्लेषण किए जा रहे डेटा को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से तेज हो।
- ये बहुत महंगे होते हैं, साथ ही इनकी परिचालन लागत भी अत्यधिक है।
- इनको चलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। औसतन, एक सुपर कंप्यूटर को लगभग 4 मेगावाट (MW) बिजली की आवश्यकता होती है।
- सुपर कंप्यूटर सिस्टम कई प्रोसेसिंग यूनिट को जोड़कर बनाए जाते हैं और उन्हें स्टोर करने के लिए बड़े कमरों या परिसर की आवश्यकता हो सकती है।

[90] Bhabha Atomic Research Centre

[91] Indian Institute of Science

[92] Indian Institute of Tropical Meteorology

निष्कर्ष

भारत सहित दुनिया भर के देश पिछले कुछ वर्षों में सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं। भारत को **ज्ञान आधारित बनाने तथा भारतीय समाज एवं व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए** अत्याधुनिक विज्ञान का समर्थन करने में सक्षम बनने वाली मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी बनने हेतु सुपरकंप्यूटिंग में निवेश करना आवश्यक है।

7.1.3. Li-Fi तकनीक (Li-Fi Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने Li-Fi तकनीक प्राप्त करने के लिए **इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX)** के तहत एक स्टार्ट-अप को फंड दिया है। इस तकनीक का उपयोग **भारतीय रक्षा क्षेत्रक (विशेष रूप से भारतीय नौसेना)** के लिए किया जाएगा।

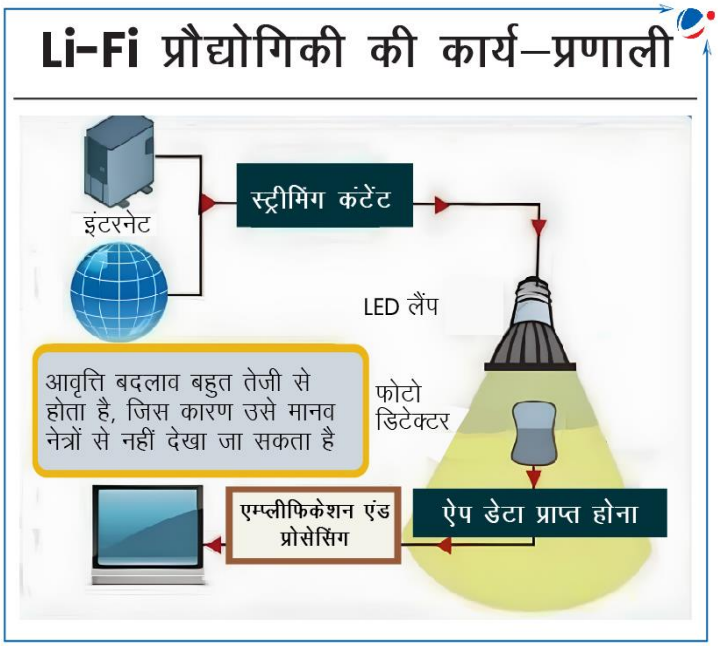

Li-Fi (लाइट फिडेलिटी) तकनीक के बारे में

- यह एक **द्विदिशीय (Bidirectional) वायरलेस संचार** प्रणाली है। इसमें संचार के लिए **दृश्य प्रकाश (400-800 टेराहर्ट्ज़)** का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत, **Wi-Fi तकनीक में संचार के लिए रेडियो तरंगों** का उपयोग किया जाता है।
- **Li-Fi की कार्यप्रणाली:**
  - LED ट्रांसमीटर की **अदृश्य ऑन/ ऑफ क्रिया बाइनरी कोड का उपयोग** करके डेटा ट्रांसमिशन को संभव बनाती है। बाइनरी कोड में शामिल हैं- LED को स्विच ऑन करना लॉजिक '1' है और LED को ऑफ करना लॉजिक '0' है।
    - इस प्रकार, सूचना को **प्रकाश में एन्कोड** किया जा सकता है।
- **Li-Fi के उपयोग:**
  - **चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग:** ऑपरेशन थियेटर में, रोबोटिक सर्जरी को सुगम बनाने में, आदि।
  - **विमान:** विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को कम गति वाले इंटरनेट की सुविधा मिलती है, वह भी बहुत अधिक कीमत पर।
  - **जल के नीचे उपयोग:** जल के नीचे ROV (रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स) के संचालन के लिए।
  - **अन्य:** आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, आदि।

Wi-Fi की तुलना में Li-Fi के लाभ

- **तेज:** Li-Fi तकनीक कम अवरोध होने और हाई बैंडविड्थ से युक्त होने के कारण उच्च डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करती है।
- **वहनीय और निरंतरता:** यह Wi-Fi की तुलना में 10 गुना अधिक वहनीय है। इसमें कम घटकों की आवश्यकता होती है और कम ऊर्जा का उपयोग होता है।
- **सुरक्षित:** चूंकि, प्रकाश रेडियो तरंगों की तरह दीवारों से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए डेटा की गोपनीयता बनी रहती है।

Wi-Fi की तुलना में Li-Fi की कमियां

- वाई-फ़ाई की तुलना में Li-Fi द्वारा बहुत कम रेंज में ही डेटा संचार किया जा सकता है;
- इस तकनीक का लाभ **प्रकाश की एक निश्चित रेंज में ही उठाया** जा सकता है।

7.1.4. डेटा सेंटर्स (Data Centres)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एसोचैम (ASSOCHAM) और PwC ने संयुक्त रूप से "भारत की डिजिटल क्रांति में डेटा सेंटर्स की रणनीतिक भूमिका" रिपोर्ट जारी की है। यह भारत के डिजिटल परिदृश्य के विस्तार में **डेटा सेंटर्स की भूमिका** को रेखांकित करती है।

डेटा सेंटर और उनके महत्व के बारे में

- **डेटा सेंटर किसी भवन या केंद्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान होता है।** यहाँ बड़ी मात्रा में डेटा को एकत्र करने, संग्रहित करने, संसाधित करने, वितरित करने या एक्सेस करने की अनुमति देने के उद्देश्य से **कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण स्थापित किए जाते हैं।**
- **डेटा सेंटर्स का महत्त्व**
  - डेटा सेंटर्स भारत में **डिजिटल क्रांति के प्रमुख प्रवर्तक** हैं। ये सरकारी सेवाओं में बदलाव लाते हैं। ये **रिमोट वर्क और दूरस्थ शिक्षा को सक्षम** बनाते हैं तथा **स्टार्ट-अप नवाचार को बढ़ावा** देते हैं।
    - **2028 तक भारतीय विश्व में सबसे अधिक डेटा का उपभोग** करेंगे। यह आंकड़ा **संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे विकसित बाजारों से अधिक होगा।
  - यहां **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** जैसी नई प्रौद्योगिकियों को विविध सेवाओं में एकीकृत किया जा सकता है।
  - ये स्टोरेज की सुविधा को बढ़ाकर **डेटा लोकेलाइजेशन** में मदद करते हैं।

डेटा सेंटर्स से संबंधित मुख्य चुनौतियां

- भारत में डेटा सेंटर्स मुख्य रूप से **मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में केंद्रित** हैं।
- इनके लिए **भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी** आदि सहित जटिल विनियामक ढांचे की आवश्यकता होती है।
- **अत्यधिक बिजली की खपत, बुनियादी ढांचे के रख-रखाव** आदि के कारण इनका **परिचालन व्यय अधिक** होता है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **विनियामक नियमों का पालन:** यह **ऑडिट ट्रेल्स, डेटा गवर्नेंस** जैसे विनियामकीय कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश में वृद्धि:** बिजली की खपत को कम करने के लिए कुशल तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए।
- **अन्य:** टियर-2 शहरों आदि में **डेटा सेंटर इकोसिस्टम** बनाना चाहिए।

डेटा सेंटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **डिजिटल इंडिया (2015):** यह पहल ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रावधान करती है।
- **डेटा सेंटर पॉलिसी (2020) का ड्राफ्ट:** यह डेटा सेंटर से संबंधित उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- **अन्य:**
  - **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा सेंटर स्थापित किए हैं।
  - सरकार ने आईटी लोड की 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटर्स को **अवसंरचना का दर्जा** दिया है।
  - महाराष्ट्र की **IT और ITES नीति, 2023** जैसी नीतियां डेटा सेंटर उद्योग को लाभ प्रदान करती हैं।
  - भारत का **पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर 'योट्टा D1' ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश** में स्थापित किया गया है।

Mains 365 : अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
ENGLISH MEDIUM 2024: 27 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2024: 27 अगस्त
ENGLISH MEDIUM 2025: 25 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2025: 25 अगस्त

7.2. अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता (Awareness in the Field of Space)

7.2.1. नेविगेशन बाय इंडियन कांस्टेलेशन (Navigation by Indian Constellation: NavIC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने बेंगलुरु स्थित एक फर्म को NavIC के लिए स्वदेशी रूप से रिसीवर चिप विकसित करने का काम सौंपा है।

NavIC के बारे में

- NavIC **सात उपग्रहों का एक समूह** है। इसे पहले **भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS)** के नाम से जाना जाता था।
  - **तीन उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में** और **चार उपग्रहों को इंक्लाइंड भू-तुल्यकालिक कक्षा में** स्थापित किया गया है।
- **NavIC दो सेवाएं प्रदान करता है:** नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए **स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस (SPS)** और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए **रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेस (RS)।**

स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की आवश्यकता क्यों?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** GPS और GLONASS का संचालन संबंधित देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यह संभव है कि नागरिक (असैन्य) सेवाओं की उपलब्धता को सीमित या बंद भी किया जा सकता है।
- **आत्मनिर्भर:** NavIC अपने द्वारा सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए अन्य प्रणालियों पर निर्भर नहीं है।
- **सटीकता:** NavIC सिग्नल 5 मीटर तक सटीक होंगे और रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेस के मामले में सिग्नल और भी अधिक सटीक होंगे।
  - इसके विपरीत GPS सिग्नल लगभग 20 मीटर तक सटीक होते हैं।
- **व्यापक उपयोग:** इसमें स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन; आपदा प्रबंधन; सटीक समय; वैज्ञानिक अनुसंधान; आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- **अन्य:** पड़ोसी देशों की मदद करना, आदि।

दुनिया भर में नेविगेशन सिस्टम

- चार वैश्विक उपग्रह-आधारित नेविगेशन सिस्टम हैं- अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS); रूसी ग्लोनास (ग्लोबलनाया नेवीगेशनया स्पुतनिकोवाया सिस्टेमा), यूरोपीय गैलीलियो और चीन का बेइदौ (Beidou)।
- **जापान का क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम** एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है।

7.2.2. नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार/ NISAR) उपग्रह {NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) Satellite}

इसरो प्रमुख ने कहा कि निसार उपग्रह टेक्टोनिक हलचलों की सटीक निगरानी करने में सक्षम होगा।

निसार/ NISAR के बारे में

- यह एक अंतरिक्ष वेधशाला है। इसे **पृथ्वी की निम्न कक्षा (LEO)** में स्थापित किया जाएगा। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी **नासा और इसरो** संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं।
  - यह इसरो का अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ **अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए आपसी सहयोग** में से एक है।
  - **अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए अन्य महत्वपूर्ण आपसी सहयोग** में मेघा-ट्रॉपिक्स (भारत-फ्रांस संयुक्त उपग्रह मिशन) आदि शामिल हैं।
- निसार **12 दिनों में एक बार पूरी पृथ्वी** का चक्कर लगाएगा। इससे यह नियमित रूप से **डेटा** प्रदान करेगा। इस डेटा से **पृथ्वी के पारिस्थितिक-तंत्र, हिमावरण** इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद मिलेगी।

- इस उपग्रह का वजन **2,800 किलोग्राम** है। इसमें **L-बैंड और S-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR)** दोनों उपकरण लगे होंगे। इससे यह **दोहरी-आवृत्ति इमेजिंग वाला रडार उपग्रह** बन जाएगा।
  - **L-बैंड रडार 15-30 से.मी. की तरंगदैर्ध्य** पर काम करते हैं। इस **तरंगदैर्ध्य** का उपयोग **क्लियर एयर टर्बुलेंस (CAT) का अध्ययन** करने के लिए किया जाता है।
  - **S-बैंड रडार 8-15 से.मी. की तरंगदैर्ध्य** पर काम करते हैं। यह **मौसम का अध्ययन** करने के लिए उपयोगी है।
- इसमें **39 फुट का सोने की जाली वाला एंटीना रिफ्लेक्टर** लगा हुआ है। यह एंटीना ऊपर की ओर लगे उपकरण से **रडार संकेतकों को प्राप्त** करेगा।
- **निसार का महत्त्व**
  - बड़ा इमेजिंग प्लेटफॉर्म **(>240 किमी) होने की वजह से यह 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की इमेज** प्रदान करेगा।
  - **डुअल-बैंड रडार** से युक्त होने के कारण इससे **उच्च परिशुद्धता और रिज़ॉल्यूशन** (<1 सेमी) वाले डेटा प्राप्त होंगे।
  - यह **भारतीय तटों, अंटार्कटिका और डेल्टाई क्षेत्रों के बैथीमेट्री (Bathymetry) संबंधी परिवर्तनों पर डेटा** प्रदान करेगा।
    - **बैथीमेट्री** जल निकायों के **तल (bed) या नितल (floor)** का अध्ययन है।
  - यह **पारिस्थितिकी-तंत्र में होने वाले बदलावों, आइस शीट के टूटने और प्राकृतिक विपदाओं** पर भी डेटा प्रदान करेगा।

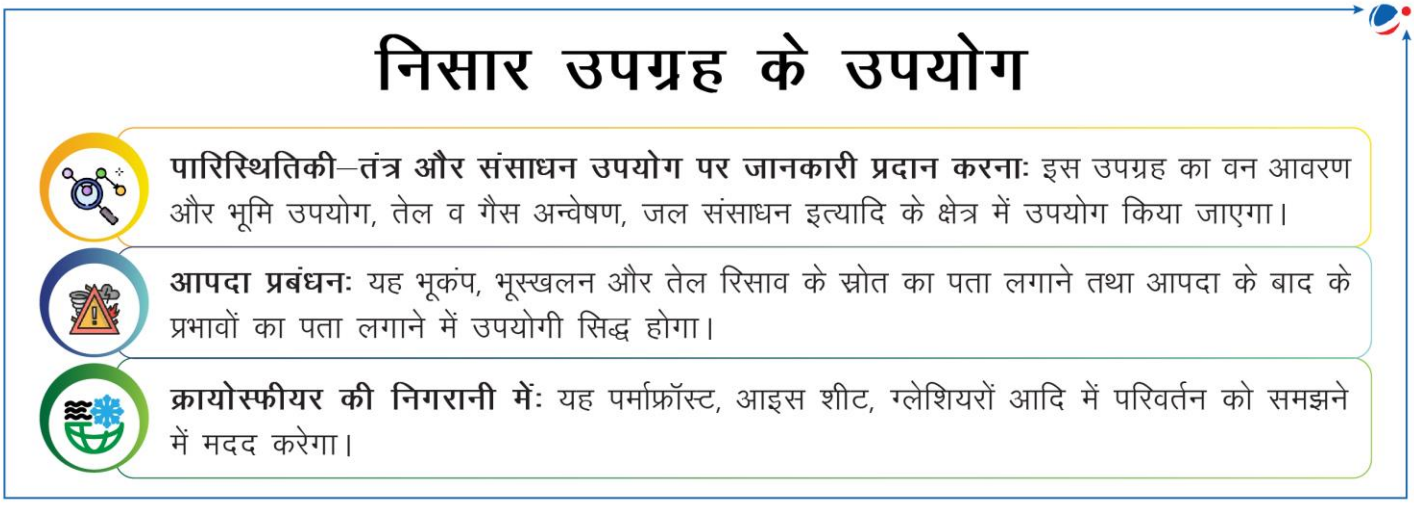

7.2.3. ग्लोबल प्लैनेटरी डिफेंस (Global Planetary Defense)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस वर्ष **विश्व क्षुद्रग्रह दिवस (Asteroid Day) पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन** किया गया था। इस कार्यशाला में इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इसरो पृथ्वी ग्रह की रक्षा प्रयासों की तैयारी के लिए **एस्टेरॉयड अपोफिस का अध्ययन** करने का इच्छुक है। इसरो अध्यक्ष के अनुसार जब **2029 में अपोफिस पृथ्वी से 32,000 कि.मी. दूर होगा, तब इसरो उसका अध्ययन** करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य **क्षुद्रग्रह को पृथ्वी से टकराने से रोकना** है।

क्षुद्रग्रह अपोफिस के बारे में

- इसकी **खोज 2004** में की गई थी। यह एक **नियर अर्थ ऑब्जेक्ट (Near-Earth Object: NEO)** है। इसे पृथ्वी को प्रभावित करने वाले **सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रहों में से एक के रूप में पहचाना** गया है।
  - **सौर मंडल में अरबों धूमकेतु और क्षुद्रग्रह** हैं। इनमें से अधिकांश कभी पृथ्वी के पास नहीं आते हैं। जब कोई धूमकेतु या क्षुद्रग्रह की कक्षा उसे पृथ्वी के करीब लाती है, तो उसे **नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत** किया जाता है।
- हालांकि, **मार्च 2021 में एक रडार अवलोकन अभियान** संचालित किया गया था। इसने **सटीक कक्षा विश्लेषण के साथ, खगोलविदों को यह निष्कर्ष निकालने** में मदद की थी कि **कम-से-कम एक सदी तक अपोफिस के हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने का कोई जोखिम नहीं है।**

ग्रहीय रक्षा (Planetary Defense)

- यह **क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के संभावित प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा** करने के उद्देश्य से किए गए **प्रयासों और रणनीतियों** को व्यक्त करता है।
  - इन प्रयासों व रणनीतियों में **डिटेक्शन, ट्रैकिंग, प्रभाव आकलन, मार्ग बदलने** सहित कई रणनीतियां शामिल हैं।
- **ग्रहीय रक्षा की आवश्यकता:**
  - यदि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का मार्ग पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट करता है, तो उनके **आकार, गति, कोण और प्रभाव क्षेत्र के आधार पर पृथ्वी को बहुत अधिक नुकसान** हो सकता है। इससे **पृथ्वी पर सुनामी, भूकंप और संभावित आगजनी से अरबों लोगों का जीवन खतरे में पड़** सकता है।

पृथ्वी की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयास

NASA का डबल एस्टेरॉइड री–डायरेक्शन टेस्ट (DART): यह मिशन पृथ्वी की रक्षा प्रणाली की **"गतिज प्रभावक" (Kinetic impact) विधि का परीक्षण** करने वाला पहला मिशन था। इसमें उन क्षुद्रग्रहों के मार्ग को बदलना शामिल था, जिनके पृथ्वी से टकराने की संभावना थी। मिशन के तहत क्षुद्रग्रह से एक उच्च गति वाले अंतरिक्ष यान को टकराया गया था, ताकि उसका मार्ग बदला जा सके। (इस मिशन के लक्ष्य क्षुद्रग्रह **डिडिमोस और उसका चंद्रमा डिमोर्फोस** थे।)

OSIRIS–एपोफिस एक्सप्लोरर (OSIRIS–एपेक्स): ओसिरिस–रेक्स/ OSIRIS–REx ने क्षुद्रग्रह बेन्नू के सैंपल्स एकत्र करने के अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इसके बाद, **नासा ने ओसिरिस–रेक्स/ OSIRIS–REx (ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, एंड सिक्योरिटी–रेगोलिथ एक्सप्लोरर) को एपोफिस का अध्ययन करने** के लिए भेजा। साथ ही, इसका **नाम बदलकर OSIRIS–एपेक्स** कर दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क: इसे 2013 में NEOs के डिटेक्शन, ट्रैकिंग और उनकी विशेषता बताने में शामिल संगठनों का एक **अंतर्राष्ट्रीय समूह** बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का NEO समन्वय केंद्र: यह यूरोपीय NEO डेटा स्रोतों और सूचना प्रदाताओं के पूरे नेटवर्क के लिए डेटा प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है।

7.3. स्वास्थ्य (Health)

7.3.1. ट्रांस-फैट उन्मूलन (Trans-Fat Elimination)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018-2023 की अवधि के संबंध में वैश्विक ट्रांस-फैट उन्मूलन** की दिशा में हासिल की गई में **प्रगति** पर फिफ्थ माइल रिपोर्ट (Fifth milestone report) प्रकाशित की है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- कुल **53 देशों में खाद्य पदार्थों में औद्योगिक ट्रांस-फैट से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं और नीतियां मौजूद हैं** (2023 तक)।
- इन नीतियों से **विश्व की 46% आबादी (3.7 अरब लोग)** के लिए खाद्य पदार्थों में व्यापक सुधार हुआ है। **2018 में यह केवल 6% थी।**
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस-फैट को पूरी तरह से खत्म करने का **WHO का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।**

ट्रांस-वसा {या ट्रांस-फैटी एसिड (TFA)} के बारे में

- **प्रकार**: अपने स्रोतों के आधार पर ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं।
  - **प्राकृतिक:** इन्हें रूमिनेंट ट्रांस फैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मांस और डेयरी उत्पादों में कम मात्रा में मौजूद होते हैं। इन्हें आम तौर पर हानिकारक नहीं माना जाता है।
  - **कृत्रिम: इसे औद्योगिक माध्यमों द्वारा उत्पादित ट्रांस वसा** भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण औद्योगिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इस प्रक्रिया में **वनस्पति तेल** में **हाइड्रोजन मिलाया जाता है**, जिससे तरल ठोस में परिवर्तित हो जाता है और परिणामस्वरूप आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल (PHO) बनता है।
    - औसतन, **PHO में ट्रांस वसा की सांद्रता 25-45% होती है।**

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - इससे **हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है** और **अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है।**
    - हानिकारक कोलेस्ट्रॉल **धमनियों के भीतर जमा हो सकता है, जिससे वे कठोर और संकीर्ण हो जाती हैं।** इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
  - इससे **इन्फ्लेमेशन, अधिक वजन/ मोटापे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कुछ प्रकार का कैंसर भी हो सकता जाता है।**

ट्रांस वसा को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

भारत के स्तर पर

- **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** द्वारा की गई पहल:
  - **ट्रांस फैट मुक्त लोगो:** यह **TFA-मुक्त उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक लेबलिंग है।**
  - **हार्ट अटैक रिवाइंड:** यह औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए मास मीडिया अभियान है।
  - **ईट राइट इंडिया मूवमेंट।**
  - 2021 में, तेल और वसा में TFA की अधिकतम मात्रा 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2% तय की गई है। यह कदम **खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम 2011 में संशोधन के माध्यम से** उठाया गया है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (राष्ट्रीय पोषण संस्थान) द्वारा **संशोधित आहार संबंधी दिशा-निर्देश।**

वैश्विक स्तर पर

- **WHO द्वारा रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क (2018)**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन उन देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित नीतियां बनाने का भी आह्वान करता है। इनमें ऐसे देश शामिल हैं जो 2025 के अंत तक कुल वैश्विक TFA बोझ के कम-से-कम 90% और प्रत्येक क्षेत्र के भीतर कुल TFA बोझ के कम-से-कम 70% के लिए जिम्मेदार हैं।
- नीतिगत प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांस फैट उन्मूलन हेतु **WHO वैलिडेशन प्रोग्राम।**

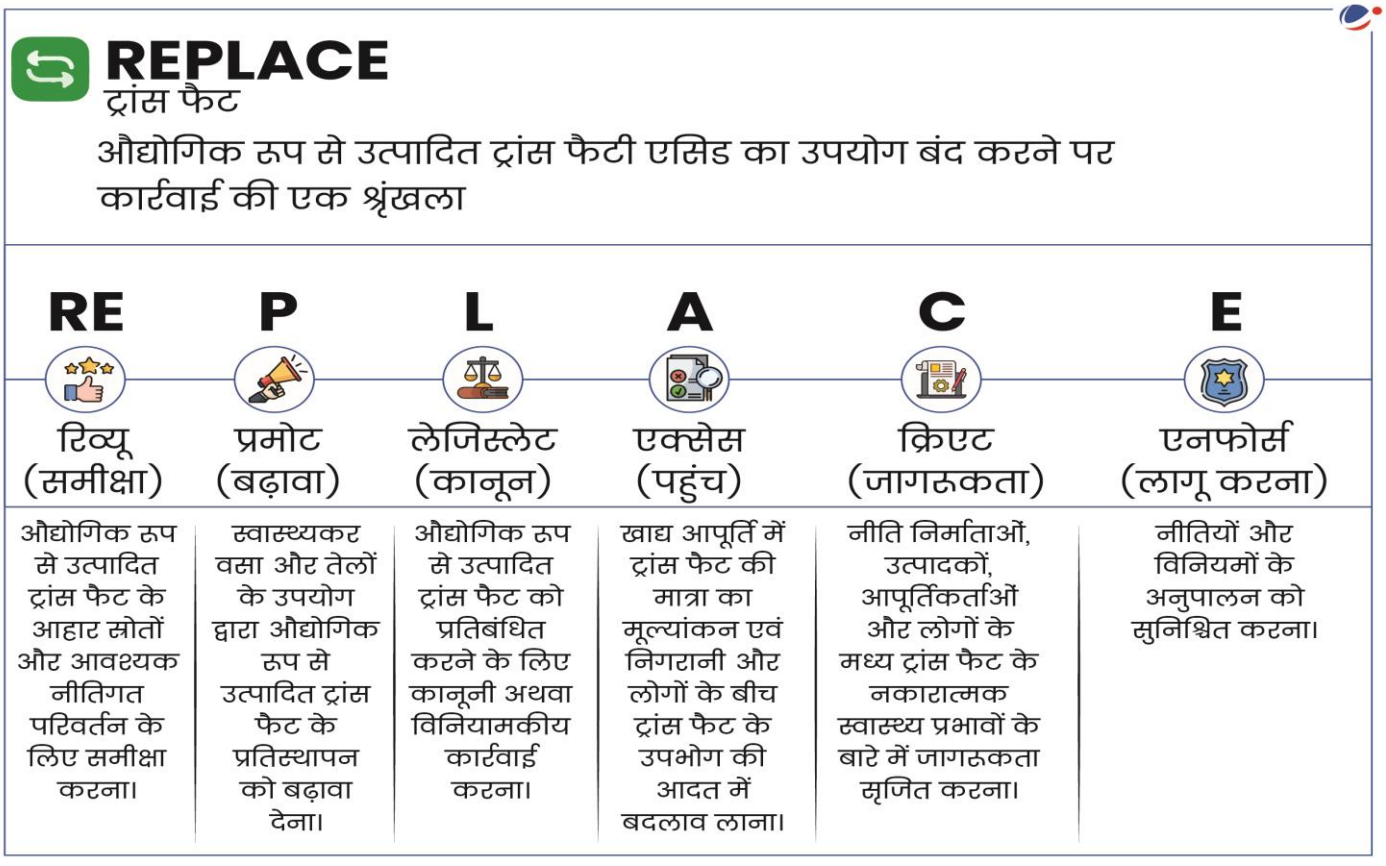

ट्रांस फैट के उन्मूलन के समक्ष चुनौतियां

- **खाद्य उद्योग में उच्च मांग:** इसका व्यापक रूप से खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी **लंबी शेल्फ लाइफ होती है** और ये खाद्य उत्पादों को **वांछनीय टेक्स्चर या स्वाद** प्रदान करते हैं।
  - इसके अलावा, ट्रांस फैट संबंधित विकल्पों की तुलना में सस्ता होता है।
- **नीतियों को खराब तरीके से लागू किया जाना**: कई देशों ने अभी तक ट्रांस फैट के उन्मूलन हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित की नीति नहीं अपनाई है।
- **उपभोक्ता संबंधी प्राथमिकताएं:** प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रति बढ़ता रुझान सरकारों के साथ-साथ स्वास्थ्य विनियामकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

सभी देशों को **सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित नीतियां लागू करनी होंगी**, विशेष रूप से उन देशों को जिनमें ट्रांस फैट के सेवन के कारण होने वाली बीमारियों का बोझ सबसे अधिक है। उप-क्षेत्रीय निकायों को **अनिवार्य ट्रांस फैट उन्मूलन नीतियां पारित करनी होंगी।**

7.3.2. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases: NTDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "**ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज" 2024** शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के बारे में अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट WHO के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को 2023 में **रोड मैप फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज (RMfNT) 2021-2030 के कार्यान्वयन की दिशा में हासिल की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।**

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTDs) के बारे में

- यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्याप्त **बीमारियों के समूह को संदर्भित करता है।**
- **ये वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों** सहित विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं।
- इन्हें **उपेक्षित इसलिए** कहा जाता है, क्योंकि ये वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे से लगभग गायब हैं ।
- **भारत में** विश्व स्तर पर **10 प्रमुख NTDs से ग्रस्त लोगों की सर्वाधिक संख्या है**- जैसे हुकवर्म, डेंगू, लसीका फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, कालाजार और रेबीज, एस्कारियासिस, ट्राइक्यूरियासिस, ट्रेकोमा और सिस्टीसर्कोसिस।
  - भारत में **लगभग 40%** लोगों को NTDs के विरुद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो विश्व में सर्वाधिक है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को गिनी वर्म रोग (2000) और यॉज (2016) से मुक्त घोषित किया है।**

NTDs को समाप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **बड़ी आबादी पर प्रभाव:** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, NTDs रोग वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। इनमें से 1.6 बिलियन को निवारक या उपचारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - NTDs गरीब देशों को अधिक प्रभावित करती है तथा इन रोगों से ग्रस्त 80% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** WHO का अनुमान है कि 2030 तक NTDs को समाप्त करने से **उत्पादकता में कमी को रोककर और स्वास्थ्य देखभाल लागत के संबंध में 342 अरब डॉलर से अधिक की बचत होगी।**
- **लैंगिक समानता पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए, एक अनुमान के अनुसार, 56 मिलियन महिलाएं फीमेल जेनिटल सिस्टोसोमियासिस से प्रभावित हैं। इससे HIV का खतरा बढ़ जाता है और अंगों को भी क्षति पहुंचती है।

NTDs से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **ग्लोबल NTDs एनुअल रिपोर्टिंग फॉर्म (GNARF):** इसे 2023 में WHO द्वारा शुरू किया गया था।
  - **ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पांस 2017-2030 (GVCR):** यह दुनिया भर में वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति प्रदान करता है। इसके लिए क्षमता में वृद्धि, निगरानी में सुधार, बेहतर समन्वय और विभिन्न क्षेत्रों तथा बीमारियों के संबंध में एकीकृत कार्रवाई की जाती है।
  - **अन्य:** NTDs पर किगाली डिक्लेरेशन (2022); NTDs संरचनाओं और क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग को मजबूत करना; सार्वजनिक-निजी भागीदारी आदि।

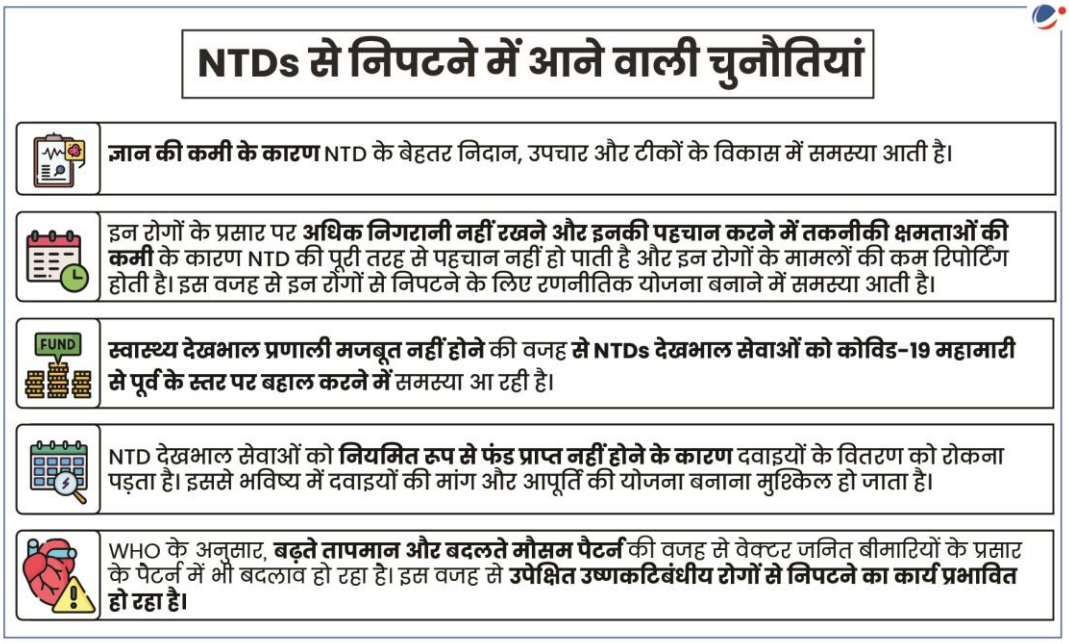

- **भारत में:**
  - **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP):** इसे मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लसीका फाइलेरिया जैसी वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है।
  - **अन्य:** इनडोर रेजिड्युअल स्प्रे जैसे वेक्टर नियंत्रण उपाय; केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कालाजार रोगियों के लिए **मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना** आदि।

निष्कर्ष

NTDs को अन्य वैश्विक कार्यक्रमों (जैसे- स्वास्थ्य आपात स्थिति), क्रॉस कटिंग एप्रोच (जैसे- वन हेल्थ) और उभरती वैश्विक प्राथमिकताओं (जैसे- जलवायु परिवर्तन) के साथ वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में शामिल करना चाहिए। इसके जरिये **NTDs से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।**

7.4. विविध (Miscellaneous)

7.4.1. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी (Geo-spatial Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने **"कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi-DSS)" का शुभारंभ** किया।

कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली के बारे में

- भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म **"कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi-DSS)" फसल की स्थिति, मौसम के पैटर्न, जल संसाधनों और मृदा स्वास्थ्य पर रियल टाइम जानकारी** प्रदान करेगा।
- इसे **केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग** द्वारा विकसित किया गया है। इसमें **RISAT-1A और अंतरिक्ष विभाग के भू-पर्यवेक्षण डेटा एवं अभिलेखीय प्रणाली (VEDAS) के विज़ुअलाइज़ेशन** का उपयोग किया गया है।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी भौगोलिक रूप से संदर्भित डेटा एकत्र करने में मदद करती है और इसका उपयोग विश्लेषण, मॉडलिंग, सिमुलेशन और विज़ुअलाइज़ेशन में किया जाता है।
- कुछ सबसे आम भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में शामिल हैं:
  - रिमोट सेंसिंग (जैसे हवाई तस्वीरें)।
  - भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)।
  - नेविगेशन सिस्टम (जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS))।

मुख्य उपयोग	
क्षेत्रक	**उपयोग**
कृषि	• परिशुद्ध कृषि तकनीकों[93] को बढ़ावा दिया जा सकता है। • **उदाहरण: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना** कई गतिविधियों, जैसे- फसल की गुणवत्ता संबंधी ह्रास और उसके स्वास्थ्य के आकलन के लिए भू-स्थानिक डेटा के उपयोग को बढ़ावा देती है।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	• **उदाहरण: इंडिया- WRIS वेब GIS[94]**, सभी जल संसाधनों एवं संबंधित डेटा और सूचनाओं को मानकीकृत GIS प्रारूप में प्रदान करता है।
अवसंरचना	• सेवा से संबंधित संभावित व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाने और रखरखाव को इष्टतम करने में सहायता मिल सकती है। • **उदाहरण:** गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
नियोजन	• **उदाहरण: स्मार्ट सिटी मिशन** के तहत स्मार्ट बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए GIS डेटा सेट्स का उपयोग किया जा रहा है।
ऊर्जा	• विद्युत प्रदाताओं को विद्युत लाइनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और उसे बेहतर करने में मदद मिल सकती है। • **उदाहरण: इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने** भारत के लिए एक GIS आधारित **एनर्जी मैप** विकसित किया है।
स्वास्थ्य	• महामारी के प्रसार की निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बेहतर बनाने तथा उपायों के प्रभाव के आकलन हेतु एक रोग निगरानी प्रणाली को विकसित किया जा सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा	• खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही गतिविधियों की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

भारत में भू-स्थानिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई।
- **स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम विकसित करना:** उदाहरणार्थ- NavIC

[93] Precision Farming Techniques

[94] भारत-जल संसाधन सूचना प्रणाली (India-Water Resource Information System) वेब GIS

- **भौगोलिक सूचना को विनियमित करने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क का विकास:** उदाहरणार्थ- राष्ट्रीय मानचित्र नीति (2005)
- **सरकारी योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स:** उदाहरणार्थ- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम मानचित्र और स्वामित्व योजना।
- **अन्य:**
  - **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा भारत मानचित्र।**
  - **पृथ्वी अवलोकन उपग्रह** {उदाहरणार्थ- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)-D3 द्वारा प्रक्षेपित EOS-08}।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के समक्ष चुनौतियाँ

- **सीमित विशेषज्ञता:** तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता का अभाव।
- **डेटा विश्वसनीयता:** सटीक और अपडेटेड भू-स्थानिक डेटा, जिसमें भूमि रिकॉर्ड आदि शामिल हैं, उपलब्ध नहीं हैं।
- **लागत संबंधी बाधा:** भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट आदि को सुनिश्चित करने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।
- **अन्य:** कन्टीन्यूस ऑपरेटिंग रिफरेन्स स्टेशन (CORS) नेटवर्क आदि का अभाव।

निष्कर्ष

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां राष्ट्र के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 का अक्षरशः कार्यान्वयन देश में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के पारितंत्र को बढ़ावा देगा।

संबंधित सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS)

- राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कृषि क्षेत्र में **कीटों से निपटने के लिए** नियमित रूप से **उचित सलाह** प्रदान करेगी और **एकीकृत कीट प्रबंधन** को बढ़ावा देगी।
  - NPSS कृषि मंत्रालय के **पादप संरक्षण, क्वारंटाइन और भंडारण निदेशालय** के तहत कार्य करेगी।
- यह AI और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग से नियमित और व्यवस्थित "व्यापक क्षेत्र कीट निगरानी" की प्रक्रिया को स्वचालित एवं तेज करेगा।
  - **कीटों के हमलों से 20% फसल खेत में ही नष्ट** हो जाती है।

7.4.1.1. लिडार (LiDAR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लिडार (LiDAR) तकनीक में चीन के प्रभुत्व से दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

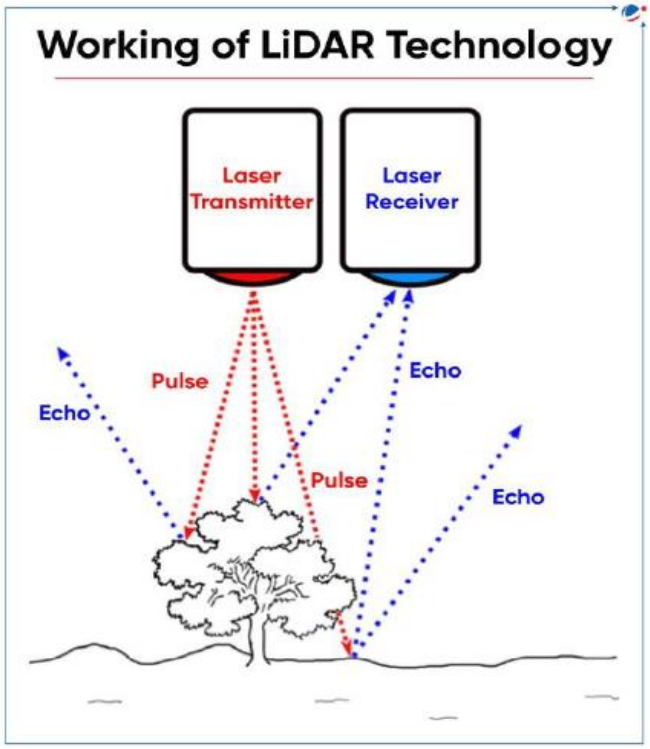

लिडार के बारे में

- लिडार, दोहरे उपयोग वाली **ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग तकनीक** है। यह तकनीक दूरी को मापने और आसपास के वातावरण की मैपिंग के लिए **पल्स आधारित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग** करती है।
- **LiDAR के प्रकार**
  - **टोपोग्राफिक (स्थलाकृतिक) लिडार:** इस तरह की लिडार तकनीक भूमि की मैपिंग के लिए **नियर-इन्फ्रारेड लेजर** का उपयोग करती है।
  - **बैथिमेट्रिक लिडार:** इसमें जल के भीतर की विशेषताओं की मैपिंग के लिए **हरे प्रकाश** का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर **समुद्र नितल और नदी तल की गहराई को मापने** के लिए किया जाता है।

LiDAR सिस्टम की कार्य प्रणाली

- **इसमें तीन मुख्य घटक शामिल हैं:** लेजर एमिटर, स्कैनिंग प्रणाली और विशेष GPS रिसीवर।

- यह तकनीक **रडार और सोनार तकनीकों** के सिद्धांतों पर ही कार्य करती है। इसका अर्थ है कि **रडार और सोनार** की तरह लिडार तकनीक भी किसी ऑब्जेक्ट को **डिटेक्ट करने और उसे ट्रैक करने के लिए ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित** करती है।
  - **रडार/ RADAR** (रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग) तकनीक **माइक्रोवेव** का उपयोग करती है;
  - **सोनार** (साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग) तकनीक **ध्वनि तरंगों** का उपयोग करती है,
  - **लिडार** तकनीक **प्रकाश तरंगों का उपयोग** करती है।

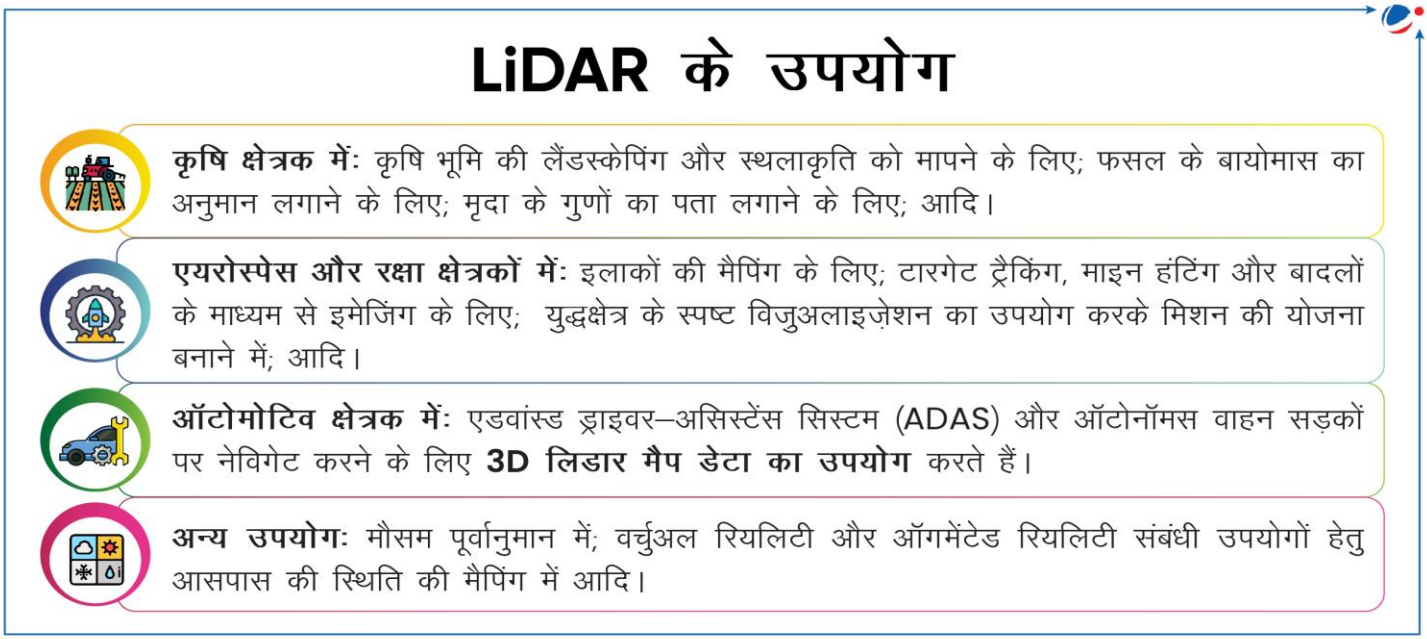

7.4.2. भारत में अनुसंधान एवं विकास परिवेश (Research & Development Ecosystem in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **तीन अंब्रेला योजनाओं** को जारी रखने की मंजूरी दी है। हालांकि, इन योजनाओं को **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रक योजना 'विज्ञान धारा'** में विलय कर दिया गया है।

ज्ञान धारा' योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण के साथ-साथ **अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा** देना।
- **योजना के निम्नलिखित तीन मुख्य घटक हैं:**
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संस्थाओं एवं व्यक्तियों का क्षमता निर्माण;
  - अनुसंधान और विकास; तथा
  - नवाचार व प्रौद्योगिकी विकास और इनका उपयोग।
- योजना के "अनुसंधान और विकास" घटक को **"अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)"** के साथ जोड़ा जाएगा।
- **योजना का महत्त्व**
  - योजनाओं के विलय से **आवंटित निधि के उपयोग में दक्षता** बढ़ेगी तथा **उप-योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच समन्वय** सुनिश्चित होगा;
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक को मजबूत करने के लिए विशाल मानव संसाधन पूल तैयार करने में योगदान मिलेगा; **फुल-टाइम एक्विवैलेन्ट (FTE) शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर** देश के अनुसंधान एवं विकास के आधार का विस्तार होगा आदि।

भारत में अनुसंधान एवं विकास आधार के विस्तार की आवश्यकता क्यों?

- **निजी क्षेत्रक की सीमित भागीदारी:** भारत में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सरकार प्राथमिक योगदानकर्ता (56% योगदान) है।
- **अपर्याप्त वित्त-पोषण एवं संसाधन:** भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7% अनुसंधान एवं विकास पर खर्च होता है (नीति आयोग), जबकि अन्य देशों में यह कहीं अधिक है, जैसे- दक्षिण कोरिया (4.3%), इजराइल (4.1%), संयुक्त राज्य अमेरिका (2.7%)।

- **विश्वविद्यालयों में शिक्षण-अनुसंधान असंतुलन:** शिक्षण जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से अनुसंधान गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **सीमित अंतःविषय सहयोग:** यह राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के भीतर समग्र अनुसंधान परिणामों की संभावना को काफी हद तक कम कर देता है।

किए गए अन्य उपाय

- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष (ANRF)[95] की स्थापना:** ANRF की स्थापना ANRF अधिनियम, 2023 के तहत भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, विकसित करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।
- व्यक्तिगत नवोन्मेषकों का समर्थन करने के लिए **व्यक्तियों, स्टार्ट-अप और MSMEs में नवाचारों को बढ़ावा देना (PRISM)[96] योजना।**
- **SERB**-रामानुजन फेलोशिप, **SERB**-रामलिंगस्वामी पुनः प्रवेश फेलोशिप और **SERB**-विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम (VAJRA), आदि को ब्रेन गेन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
- देश में अनुसंधान पारितंत्र को बढ़ाने के लिए **IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर** आदि में अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं।

भारत में अनुसंधान एवं विकास आधार का विस्तार करने के लिए आगे की राह

- **विश्वविद्यालय/ संस्थान स्तर की चुनौतियों का समाधान:** अनुसंधान एवं विकास समिति/ प्रकोष्ठ की स्थापना, बेहतर बुनियादी ढांचे और इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधाओं एवं छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **उद्योग जगत की भागीदारी को मजबूत करना:** इसके लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र की स्थापना करना।
- **बौद्धिक संपदा निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करना:** पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और तेज करना।
- **नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना:** संस्थानों को परिसर में इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **NEP 2020 कार्यान्वयन में तेजी लाना:** शोध लक्ष्यों, बुनियादी ढांचे में वृद्धि आदि के साथ पाठ्यक्रम का संरेखण।
- निजी क्षेत्रक के निवेश को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए CSR फंड का लाभ उठाना।

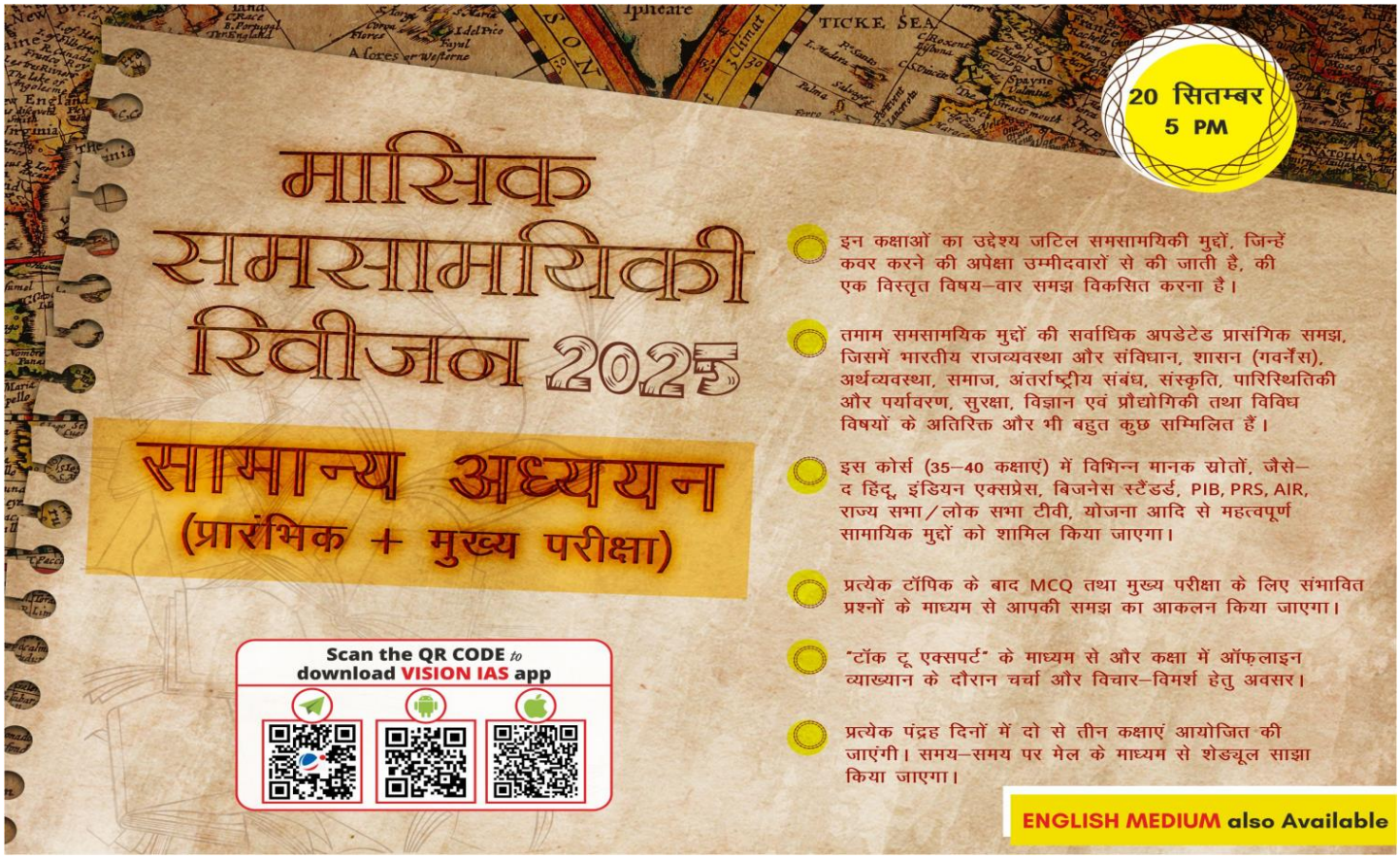

[95] Anusandhan National Research Fund

[96] Promoting Innovations in Individuals, Start-ups and MSMEs

7.4.3. फोरेंसिक विज्ञान (Forensic Science)

फोरेंसिक विज्ञान: एक नज़र में

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए 'राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना' (National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme: NFIES) को मंजूरी दी है।
  - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** के तहत **7 साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले आपराधिक मामलों के लिए फोरेंसिक जांच** अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में **फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर कार्य का बोझ बढ़ने की आशंका को देखते इस योजना को मंजूरी दी गई** है।

फोरेंसिक विज्ञान के बारे में

- फोरेंसिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों की मदद से **अपराधों की जांच और साक्ष्य का विश्लेषण किया जाता है।**
- **फोरेंसिक में उपयोग की जाने वाली तकनीकें: डीएनए विश्लेषण, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस** के लिए डिजिटल फोरेंसिक, आदि।

भारत में फोरेंसिक विज्ञान के समक्ष चुनौतियां

- **बजट की कमी:** फोरेंसिक क्षमताओं सहित राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए **बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं** है।
- **अवसंरचना और संसाधन की कमी:** पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर के फोरेंसिक साइंस लैब में लगभग 40% कर्मचारियों की कमी है।
- **गुणवत्ता और मानकीकरण की कमी:** सभी फोरेंसिक लैब के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल नहीं होने की वजह से फोरेंसिक रिपोर्ट्स में विसंगति देखी जाती है।
- **नौकरशाही संबंधी बाधाएं: अलग-अलग एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय नहीं होने से** कई बार अक्षमता सामने आती है और गलतफहमी पैदा होती है।

फोरेंसिक विज्ञान के लिए शुरू की गयी सरकारी पहलें

- **ई-फोरेंसिक IT प्लेटफॉर्म,** जो देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को जोड़ता है।
- निर्भया फंड योजना के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में **DNA विश्लेषण, साइबर-फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सहायता।**
- पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना के तहत **फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना।**

आगे की राह

- **मलिमथ समिति (2003) की सिफारिशें**
  - ⋆ **संस्थागत:** सही जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर **जांचकर्ताओं, फोरेंसिक विशेषज्ञों और अभियोजकों के बीच समन्वय के लिए बेहतर मेकेनिज्म** स्थापित करना चाहिए।
  - ⋆ **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: नवनियुक्त अभियोजकों और न्यायाधीशों** के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में पुलिस, **फोरेंसिक लैब,** न्यायालयों और जेल अधिकारियों के साथ कार्य का अनुभव शामिल होना चाहिए।
  - ⋆ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को कम से **कम सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में एक फोरेंसिक साइंस विभाग** स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। बाद में, फोरेंसिक साइंस को स्कूल स्तर पर विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- **अन्य:**
  - ⋆ **साइबर अपराध जांच: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** पहल का विस्तार करना चाहिए। इसमें अधिक साइबर अपराध जांच कर्मियों को प्रशिक्षित करने और अतिरिक्त साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - ⋆ **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** क्षमता बढ़ाने और बैकलॉग को कम करने के लिए।
  - ⋆ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थानों के साथ सहयोग मजबूत करने से डिजिटल फोरेंसिक और नए क्षेत्रों में ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद मिलेगी।

7.4.4. ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म (Bridge Recombinase Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने "ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म" नामक प्राकृतिक रूप से मौजूद DNA एडिटिंग टूल की खोज की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म (BRM) गतिमान जेनेटिक तत्वों (Mobile Genetic Elements) या "जंपिंग जीन"** पर आधारित होती है। ये जंपिंग जीन DNA के एक हिस्से से खुद को अलग करके दूसरे हिस्से में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार ये जीन किसी जीव के DNA अनुक्रम को बदल सकते हैं। ये जीन **सभी प्रकार के जीवधारियों** में मौजूद होते हैं।
  - जंपिंग जीन DNA के ही खंड होते हैं। इनमें रीकॉम्बिनेज एंजाइम के साथ-साथ जीन के सिरों पर DNA के अतिरिक्त खंड होते हैं, जिसके चलते ये जीन DNA से जुड़ जाते हैं और DNA अनुक्रम मे कुछ बदलाव भी कर देते हैं।
    - जीन एडिटिंग से किसी जीवित सजीव में **DNA अनुक्रम को जोड़कर या हटाकर उसके जेनेटिक मटेरियल में बादलाव** किया जाता है। इसका उद्देश्य **पादप/ प्राणी की कुछ विशेषताओं में सुधार करना या जेनेटिक रोग** को दूर करना होता है।

ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म के बारे में

- जंपिंग जीन के सिरों पर DNA के अतिरिक्त खंड होते हैं। ये अतिरिक्त खंड रीकॉम्बिनेज प्रक्रिया के दौरान एक साथ जुड़ सकते हैं। इससे DNA की संरचना में बदलाव हो सकता है। यह परिवर्तन अंततः डबल हेलिक्स वाले DNA को सिंगल-स्ट्रैंडेड RNA मोलेक्युल्स में परिवर्तित कर देता है।
- ये ब्रिज RNA मोलेक्युल्स स्वयं को DNA खंड में अपने मूल स्थान (डोनर/Donor) और DNA खंड में किसी नए स्थान (टारगेट/ Target) दोनों से जुड़ सकते हैं। इससे DNA में अपेक्षित बदलाव किए जा सकते हैं।
- इसमें डोनर और टारगेट लूप को अलग-अलग प्रोग्राम किया जा सकता है। इससे DNA में नए अनुक्रमों को जोड़ने या रिकम्बाइन करने में आसानी होती है।

ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म का महत्त्व

- यह शोधकर्ताओं को बहुत लंबे DNA अनुक्रमों पर जीन को पुनर्व्यवस्थित, रिकंबाइन, इन्वर्ट और स्थानांतरित करके अलग जीन एडिटिंग करने में सक्षम बनाता है।
- इससे **बीमारियों से लड़ने के लिए अधिक सटीक जीन एडिटिंग चिकित्सा और उपचारों का विकास** हो सकता है।

7.4.5. थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन (Thorium Molten Salt Nuclear Power Station)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन 2025 में विश्व का पहला 'थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन' गोबी मरुस्थल में स्थापित करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में **ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम** का इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसमें **शीतलक के लिए जल की आवश्यकता** नहीं होती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह **ऊष्मा को स्थानांतरित करने और विद्युत उत्पादन के लिए तरल नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग** करता है।
- जल-शीतलक मॉडल के विपरीत, यह डिजाइन **ओवरहीटिंग के कारण रिएक्टर कोर के पिघलने की संभावना को काफी कम** कर देता है।

ईंधन के रूप में थोरियम

- थोरियम **रेडियोधर्मी गुण वाला** प्राकृतिक तत्व है। यह **मिट्टी, चट्टानों, जल, पौधों और जानवरों में बहुत कम मात्रा** में पाया जाता है।
- थोरियम की भौतिक विशेषताओं के कारण, इसका **परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए प्रत्यक्ष उपयोग नहीं** किया जा सकता है। इसके लिए पहले इसे **परमाणु रिएक्टर में U-233 में बदला** जाता है।

थोरियम आधारित रिएक्टर्स का महत्त्व

- विश्व में **यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध** है। भारत में, **केरल और ओडिशा में मोनाजाइट** के समृद्ध भंडार है। गौरतलब है कि **मोनाजाइट में लगभग 8-10% थोरियम** होता है।
  - मोनाजाइट **आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड** में भी पाया जाता है।
- **थोरियम का इस्तेमाल रासायनिक रूप से इसकी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण सुरक्षित है:**
  - उच्च गलनांक बिंदु;
  - बेहतर तापीय चालकता;
  - बेहतर ईंधन प्रदर्शन विशेषताएं;
  - रासायनिक रूप से अक्रिय और स्थिरता।
- यह **पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित और कम विषाक्त** है। साथ ही, अल्पकालिक (बहुत कम अस्तित्व अवधि) रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करता है।

भारत के परमाणु कार्यक्रम में थोरियम की भूमिका

- भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के **तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल** करके बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
  - पहले चरण में **दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर्स (PWHRs) में प्राकृतिक यूरेनियम** का उपयोग शामिल है। वहीं **दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs) में प्लूटोनियम** का उपयोग शामिल है।
- भारत ने **मोनाजाइट से थोरियम उत्पादन की प्रक्रिया अच्छी तरह** से स्थापित कर ली है।
  - उन्नत भारी जल रिएक्टर, जो वर्तमान में **BARC में विकास के चरण** में है, थोरियम ईंधन चक्र के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में काम करेगा।

7.4.6. खाद्य संरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियां (Nuclear Technologies for Food Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑस्ट्रिया के विएना** में खाद्य संरक्षा और नियंत्रण पर **अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी** आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में **खाद्य संरक्षा में परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका** को रेखांकित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस संगोष्ठी का आयोजन **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** ने संयुक्त रूप से किया था।

परमाणु प्रौद्योगिकियां

- **परमाणु प्रौद्योगिकियां** भूखमरी से निपटने, कुपोषण को कम करने, पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ाने आदि के लिए समाधान प्रदान करती हैं।
- इसके अलावा, ये प्रौद्योगिकियां **वन हेल्थ एप्रोच** की भी पूरक हैं।
    - **वन हेल्थ एक एकीकृत व समेकित** एप्रोच है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों एवं पारिस्थितिकी-तंत्र के स्वास्थ्य को संधारणीय तरीके से संतुलित और अनुकूलित करना है।

खाद्य प्रणाली में परमाणु प्रौद्योगिकियों की भूमिका

- **पशु स्वास्थ्य: पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) टेस्ट** तेजी से बीमारियों का पता लगाएगी। **PCR टेस्ट** एक आणविक परमाणु तकनीक है।
- **मृदा और जल प्रबंधन:** वैज्ञानिक परमाणु घटनाओं के बाद **शेष बचे रेडियोधर्मी न्यूक्लाइड का अध्ययन करके मृदा स्वास्थ्य और अपरदन की दर** का पता लगा सकते हैं।
- **कीटनाशक प्रबंधन:** कीटनाशक प्रबंधन के लिए परमाणु आधारित **स्टेराइल इन्सेक्ट टेक्निक (SIT) का उपयोग** किया जा सकता है।
    - इस तकनीक में **कीड़ों को बड़े पैमाने पर पाला** जाता है और फिर उन्हें **आयनीकृत विकिरण के माध्यम से स्टरलाइज** करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है।
- **खाद्य संरक्षा और नियंत्रण: खाद्य विकिरण** (Food irradiation) खाद्य संरक्षा में सुधार करता है। यह हानिकारक सूक्ष्मजीवों एवं कीड़ों को कम या समाप्त करके **खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ** को बढ़ाता है।
- **पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी:** विकिरण द्वारा वांछित आनुवंशिक परिवर्तन किये जा सकते हैं।

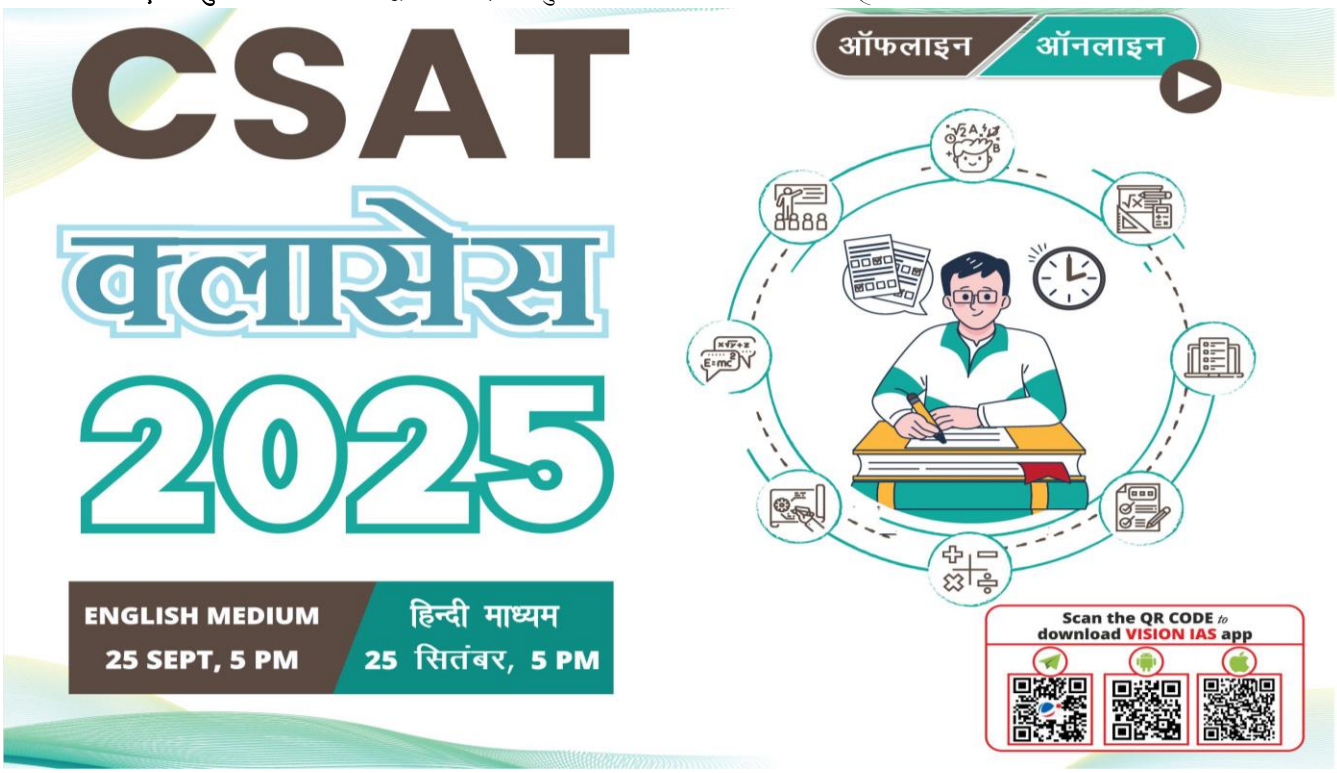

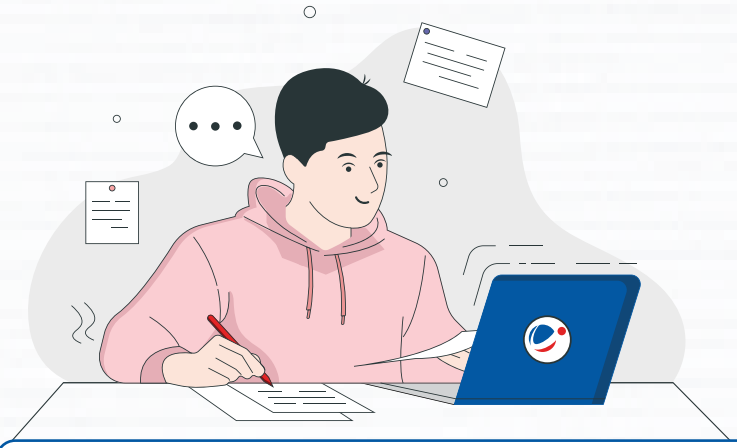

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

8. नीतिशास्त्र (Ethics)

8.1. सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी (Frauds in Civil Services Examination)

प्रस्तावना

हाल ही में, कुछ सिविल सेवकों पर प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में प्रवेश करने के लिए जाली प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगे हैं। साथ ही, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए ChatGPT का उपयोग किया है। ऐसे मुद्दे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और बेईमानी के बढ़ते मामलों की ओर संकेत करते हैं।

हितधारक	भूमिका/ हित
भर्ती एजेंसियां (जैसे- UPSC)	• निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा, जनता के बीच विश्वास की कमी, संवैधानिक दायित्व।
आम जनता	• चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता, योग्यता पर विश्वास आदि।
सरकार	• लगातार बढ़ती बेईमानी के कारण सार्वजनिक सेवाओं में जनता का भरोसा कम हो गया है। यह राष्ट्र और समाज के व्यापक विकास के लिए हानिकारक है।
सिविल सेवक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी	• सिविल सेवक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने के दौरान सिविल सेवा के मानकों को बनाए रखेंगे। ○ इन मूल्यों को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और **पी.सी. होता समिति** द्वारा संहिताबद्ध किया गया है।

इसमें शामिल नैतिक मुद्दे

- **सामाजिक न्याय के लिए हानिकारक:** जाली प्रमाणपत्रों के उपयोग से सकारात्मक कार्यों की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इससे सामाजिक न्याय के उद्देश्य को ठेस पहुँच सकती है।
- **प्रशासनिक निहितार्थ:** सिविल सेवाओं में अनैतिक अभ्यर्थियों के प्रवेश से भ्रष्टाचार और बेईमानी, अकुशल नौकरशाही, सत्ता का दुरुपयोग और आचरण संबंधी नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
- **कांट के निरपवाद कर्तव्यादेश (Categorical Imperative) और कर्तव्यशास्त्र के विरुद्ध:** इमैनुअल कांट के निरपवाद कर्तव्यादेश के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए लागू हो सकते हैं।
- **उपयोगितावाद (Utilitarianism) का उल्लंघन:** उपयोगितावाद के तहत, किसी कार्य की नैतिकता केवल उसके परिणामों के आकलन के ज़रिए निर्धारित की जाती है। चूँकि **धोखाधड़ी/ सत्ता का दुरुपयोग** बड़े पैमाने पर समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसा करना अनैतिक है।

सिविल सेवक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नैतिक आचरण की ओर प्रेरित करने के लिए किए गए उपाय

- **नीति-शास्त्र प्रश्न पत्र की शुरूआत:** नीति-शास्त्र प्रश्न पत्र को 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में एक फ़िल्टर के रूप में पेश किया गया था।
- **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024:** इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकते हुए UPSC, SSC जैसी लोक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है।
- **धोखाधड़ी को रोकने के लिए UPSC द्वारा डिजिटल तकनीकों का उपयोग:**
  - UPSC **आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, फेशियल रिकॉग्निशन** का उपयोग करने की योजना बना रही है।
  - **गलत पहचान की आशंका वाले मामलों की जाँच** के लिए AI का उपयोग करके CCTV निगरानी की जा सकती है।

आगे की राह

- भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, शिक्षण की शुरुआत से ही **छात्रों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता और आत्म-सम्मान जैसे मूल्यों** को विकसित किया जाना चाहिए।
- **परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार:**
  - अभ्यर्थियों के चयन के बाद उनके **सत्यापन की प्रक्रियाएँ कठोर** होनी चाहिए।
  - होता समिति के अनुसार, सिविल सेवक प्रतिनियुक्ति के दौरान **सत्ता के दुरुपयोग को रोकने** के लिए चयन हेतु **योग्यता और नेतृत्व परीक्षण** शुरू किए जा सकते हैं।
  - **तकनीक आधारित समाधान:** अवैध उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रगति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार करने और उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है।
- **संशोधित आचरण नियम:** नियमों की नियमित तौर पर समीक्षा करके उन्हें अपडेट करने से उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना:** ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा अधिनियम लोक सेवा मूल्यों का एक सेट निर्धारित करता है। ऑस्ट्रेलिया के लोक सेवा आयुक्त को अधिकृत किया गया है, ताकि वे मूल्यों के समावेश और पालन का मूल्यांकन कर सकें।

> मैं धोखे से जीतने की अपेक्षा, सम्मान के साथ हारना पसंद करूंगा।
>
> **— सोफोक्लीज़**

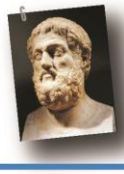

8.2. लोक प्राधिकारियों के हितों का टकराव (Conflict of Interests of Public Officials)

परिचय

हाल ही में, एक अमेरिकी फर्म ने सेबी के अध्यक्ष पर सेबी की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिससे हितों के संभावित टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति सिविल सेवकों या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के बीच हितों के टकराव की एक नई संभावना प्रस्तुत करती है, जिसमें उनके निजी हित और सार्वजनिक कर्तव्य शामिल हैं।

हितों का टकराव क्या है?

OECD के दिशा-निर्देश अनुसार, 'हितों के टकराव' में एक लोक प्राधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्य और निजी हितों के बीच टकराव होता है। इस स्थिति में लोक प्राधिकारी के निजी हित उसके आधिकारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

शामिल हितधारक और उनके हित

हितधारक	हित
लोक अधिकारी	• पेशेवर सत्यनिष्ठा, **निष्पक्षता और तटस्थता** बनाए रखना, कोड ऑफ एथिक्स और आचार संहिता, कैरियर में उन्नति आदि का पालन करना।
सरकार	• **नैतिक मानकों को लागू करना**, कुशल और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण, शासन, सुशासन आदि में लोगों का भरोसा और विश्वास बनाए रखना।
नागरिक	• **सार्वजनिक सेवाओं तक निष्पक्ष पहुंच**, सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन और शासन इत्यादि।
व्यवसाय	• सरकारी अनुबंधों में उचित और निष्पक्ष अवसर, **अनुकूल कारोबारी माहौल**, विनियामक उदारता आदि।
विनियामक निकाय	• विनियामक प्रक्रियाओं की सत्यानिष्ठा बनाए रखना, **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना** और लोक हित की रक्षा करना आदि।

हितों के टकराव में शामिल नैतिक मुद्दे

- **सार्वजनिक विश्वास का कमजोर होना:** पक्षपाती निर्णय लेने की किसी भी धारणा या वास्तविकता से सार्वजनिक विश्वास कमजोर हो जाता है, जिससे जनता को सरकारी कार्रवाइयों की निष्पक्षता और निष्पक्षता पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, इनसाइड ट्रेडिंग।
  - जनता के विश्वास की इस क्षति के परिणामस्वरूप **सरकारी निर्णयों और संस्थानों की वैधता भी कम** हो सकती है।
- **भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग:** इसके चलते **रिश्वतखोरी, पक्षपात और भाई-भतीजावाद जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है जो नैतिक और कानूनी मानकों के खिलाफ** हैं। उदाहरण के लिए- **आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला**।
- **तटस्थता और निष्पक्षता:** हितों के टकराव की स्थिति में लोक पदाधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण और गलत निर्णय लिया जा सकता है। इस तरह का निर्णय प्रभावी रूप से तटस्थता और निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा सकता है।
- **संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन:** हितों के टकराव की स्थिति में लोक प्राधिकारियों द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो सीमित लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में कई लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस तरह का निर्णय समानता और निष्पक्षता जैसे नैतिक सिद्धांतों को कमजोर बनाते हैं।
- **ब्रांड पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव:** संभावित घोटालों, नकारात्मक मीडिया कवरेज आदि के कारण व्यवसायों की ब्रांड इमेज और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में हितों के टकराव को रोकने के लिए कानूनी ढांचा

लोक सेवकों के लिए

- **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964:**
  - इसके अनुसार, **सिविल सेवकों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करनी चाहिए**।
  - सिविल सेवक को **अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए** और अपने, अपने **परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए निर्णय नहीं** लेना चाहिए।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग ने** हितों के टकराव को रेखांकित करने वाली विभिन्न खरीदों, बोली और अन्य प्रक्रियाओं के लिए **दिशा-निर्देश जारी किए हैं**।
- **बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर सेबी की संहिता।**

व्यवसायों के लिए

- **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166:** किसी कंपनी का निदेशक ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा जिसमें उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो जो कंपनी के हित से टकराता हो, या संभवतः टकरा सकता हो।
- **सेबी ने** स्टॉक एक्सचेंज्स, मध्यवर्तीयों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं के हितों के टकराव से निपटने के लिए **दिशानिर्देश** जारी किए हैं।

हितों के टकराव (CoI) का समाधान करने के लिए रणनीतियां

	वित्तीय, व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों को **प्रकट करना**
	वित्तीय हितों से जुड़े साधनों का **विनिवेश या परिसमापन करना**
	महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी से इनकार करना
	प्रभावी अधिकारी की **विशेष जानकारी तक पहुंच पर प्रतिबंध**
	अधिकारी के **कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पुनर्व्यवस्था**
	वास्तविक रूप से 'अंध विश्वास व्यवस्था' में **परस्पर विरोधी हितों का असाइनमेंट**
	विरोधाभासी निजी कार्य से **इस्तीफा देना**
	लोक अधिकारी का अपने **सार्वजनिक पद से इस्तीफा देना**

हितों के टकराव का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **प्रासंगिक हितों के टकराव की पहचान:** इसके लिए प्रभावी, पूर्ण और शीघ्र प्रकटीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।
- **नेतृत्व की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना:** सभी लोक अधिकारियों को अपने निजी हितों को इस तरह से प्रबंधित करना चाहिए जिससे जनता का विश्वास और संगठन की अखंडता बनी रहे।
- **हितों के टकराव की नीति का व्यापक प्रकाशन और समझ सुनिश्चित करना:** इसके लिए हितों के टकराव की नीति का प्रकाशन किया जाना चाहिए; तथा इस बारे में नियमित रूप से रिमाइंडर दिया जाना चाहिए।
- **हितों के संभावित टकराव की स्थितियों के लिए 'जोखिम वाले' क्षेत्रों की समय-समय पर समीक्षा करना:** उदाहरण के लिए, आंतरिक जानकारी, उपहार और अन्य प्रकार के लाभ, बाहरी नियुक्तियां, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद की गतिविधि, आदि।
- **लोक सेवकों को रिवॉल्विंग डोर से रोकने के लिए कूलिंग ऑफ अवधि की शुरूआत:** रिवॉल्विंग डोर व्यक्तियों के सरकारी से निजी क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक से सरकार की ओर स्थानांतरण को दर्शाता है।
- **स्वतंत्र निगरानी निकायों का गठन:** उदाहरण के लिए, अमेरिका के कई राज्यों में लोक प्राधिकारियों के आचरण के मानकों के संरक्षक के रूप में नैतिकता आयोग का गठन किया गया है।

"मानवीय हितों के टकराव के चलते ही न्याय की आवश्यकता पैदा होती है। अर्थात्, यदि मानव के बीच हितों का टकराव न होता, तो हमें कभी न्याय शब्द का आविष्कार नहीं करना पड़ता, न ही उस विचार की कल्पना करनी पड़ती जिस पर यह आधारित है।"

— **थॉमस निक्सन कार्वर**

8.3. सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Infrastructure and Public Service Delivery)

परिचय

हाल ही में, बिहार में **15 से अधिक पुलों के ढहने की घटना** देखी गई। इसके बाद लगभग 15 इंजीनियरों को काम में लापरवाही बरतने और अप्रभावी निगरानी के लिए निलंबित कर दिया गया है। गुजरात में 2022 में **मोरबी पुल के ढहने**; दिल्ली, राजकोट और जबलपुर में **हवाई अड्डे की छत गिरने** और कंचनजंगा एक्सप्रेस की कंटेनर मालगाड़ी से हुई टक्कर जैसी **सार्वजनिक अवसंरचना की विफलता** की पिछली घटनाओं में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। ये घटनाएं **सार्वजनिक अवसंरचना की खराब गुणवत्ता** और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने में सरकार की **विफलता को उजागर** करती हैं।

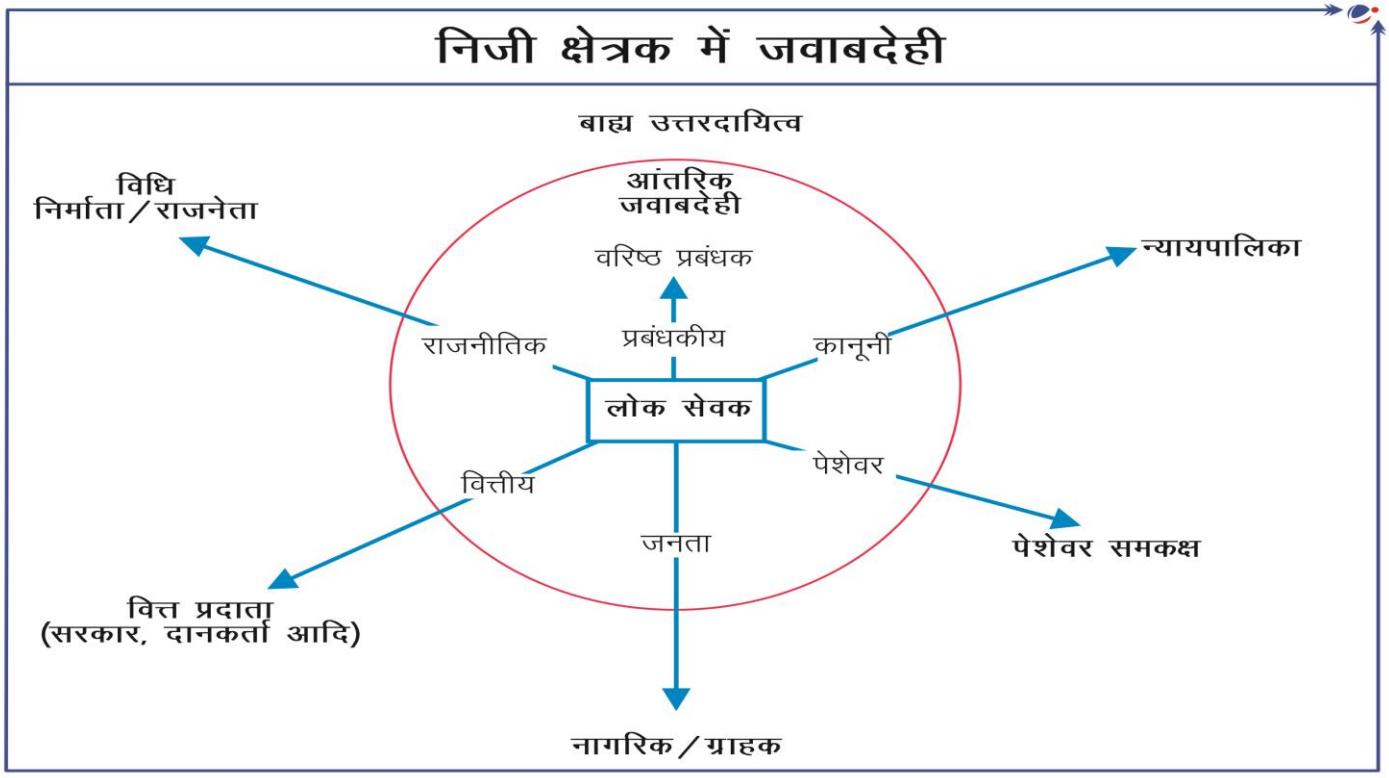

सार्वजनिक सेवा वितरण के बारे में

- **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत** के अनुसार, सरकार **नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी** लेती है।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण** वह तंत्र है जिसके जरिए स्थानीय, नगर पालिका या संघीय सरकारों द्वारा जनता को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। **उदाहरण के लिए, सीवेज और अपशिष्ट का निपटान, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं।**
- **महत्व:**
  - **आर्थिक विकास:** गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरण **गरीबी उन्मूलन, मानव पूंजी निर्माण और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद करता है।**
  - **संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TPDS के जरिए लक्षित सेवा वितरण।**

अवसंरचना के विकास के शासन में मौजूद नैतिक मुद्दे

- **अक्षम प्रशासनिक मशीनरी:** उदाहरण के लिए जिम्मेदारी पूरी करने में लापरवाही बरतना।
- **नीतिगत मुद्दे:** सेवा वितरण की **गुणवत्ता** की उपेक्षा की जाती है। इसके बजाय सौंपे गए कार्य के केवल न्यूनतम स्तर को ही पूरा करने के पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **L1 अनुबंध विधि (सबसे कम बोली लगाने वाला जीतता है):** गुणवत्ता और सुरक्षा के बजाए **लागत को कम बनाए रखने को प्राथमिकता** दी जाती है।

- **सत्यनिष्ठा की कमी:** जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र या तो अनुपस्थित हैं या प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए गए हैं।
  - उदाहरण के लिए, यमुना बैराज के गेटों के जाम हो जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ आई - इसका कारण **कई प्राधिकरणों के शामिल होने** के कारण **रखरखाव की कमी** और निश्चित **जवाबदेही की कमी** को माना गया।
- **उदासीनता, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा की कमी जैसे मनोवृत्ति से जुड़े मुद्दे।**

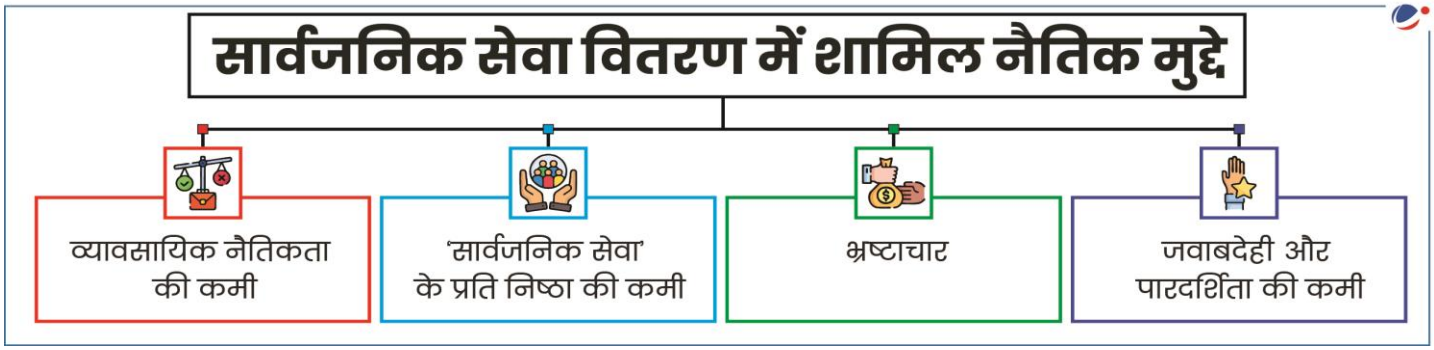

सार्वजनिक सेवा वितरण में समस्याएं क्यों बनी हुई हैं?

- सिविल सेवकों के लिए नियम और विनियमन तैयार करने सहित विभिन्न सेवा सुधार प्रणालियों के **प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव** है।
- **प्रशासन में कठोरता:** प्रशासन में सुधारों और परिवर्तन के विरुद्ध अवरोध उत्पन्न किया जाता है।
- **राजनीतिक बाधाएं:** सार्वजनिक हित की तुलना में राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देना न्यायसंगत सार्वजनिक सेवा वितरण में बाधा डालता है।
- **जमीनी स्तर की नौकरशाही में नैतिक सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की उपेक्षा:** अधिकांश सुधार और परिवर्तन प्रायः नौकरशाही के उच्च स्तर पर प्रशासनिक सुधारों पर फोकस करते हैं।

नागरिक केन्द्रितता के लिए ARC का सात चरणीय मॉडल (द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति)

1. जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन्हें **परिभाषित करना** और उसके संभावित लाभार्थियों की पहचान करना
2. प्रत्येक सेवा के लिए **मानक** और मानदंड का निर्धारण करना।
3. निर्धारित मानकों को पूरा करने की **क्षमता** विकसित करना।
4. मानकों का **अनुपालन** सुनिश्चित करने का प्रयास करना।
5. निर्धारित मानकों के प्रतिकूल **प्रदर्शन की निगरानी करना।**
6. स्वतंत्र निगरानी तंत्र के जरिए **प्रभावो का मूल्यांकन करना।**
7. परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर **निरंतर सुधार करना।**

केस स्टडीज़

- **सेवाओं के अधिकार के लिए आयोग का गठन: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब** जैसे राज्यों द्वारा इए आयोगों का गठन किया गया है।
- 20 से अधिक राज्यों ने **सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार संबंधी कानून पारित किए हैं।** उदाहरण के लिए, **हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014.**

सुशासन सुनिश्चित करने के उपाय

- **प्रशासनिक सुधार: नागरिक चार्टर,** एक **उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र** को अपनाकर और प्रत्येक लोक सेवक की जवाबदेही तय करने जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
- **न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM):** इसके तहत **निजी क्षेत्रक** की **कुशल प्रथाओं** को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू किया जाता है। (बॉक्स देखें)
- **मानव पूंजी का विकास:** सक्षम लोक सेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा **सार्वजनिक सेवाओं के लिए नैतिक मूल्यों का विकास करना,** जैसे- **मिशन कर्मयोगी।**
- **ई-गवर्नेंस:** उदाहरण के लिए **SMART (स्मार्ट)** (सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी) शासन; महाराष्ट्र का 'आपले सरकार' ऐप।
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी:** उदाहरण के लिए, सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (**PRAGATI**) के लिए ICT-आधारित, बहु-मॉडल प्लेटफ़ॉर्म।

संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा 1951 में प्रकाशित "द स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नीक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन" के अनुसार- किसी भी देश के **लोक प्रशासन की गुणवत्ता** मुख्य रूप से उसके **प्रशासकों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती** है।

8.4. व्हिसलब्लोइंग की नैतिकता (Ethics of Whistleblowing)

प्रस्तावना

हाल ही में, जूलियन असांजे को विकीलीक्स जासूसी मामले में अमेरिकी न्यायालय ने बरी कर दिया है। विकीलीक्स इंटरनेट पर **व्हिसलब्लोअर प्लेटफ़ॉर्म** के रूप में कार्य करता है। एडवर्ड स्नोडेन से लेकर सत्येंद्र दुबे तक, कई व्हिसलब्लोअर्स ने अपने विवेक के अनुसार काम किया, लेकिन क्या उनके कार्य हमेशा नैतिक रहे हैं?

व्हिसलब्लोइंग क्या है?

- किसी कंपनी या सरकार में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में किसी भी गलत कृत्य की **जानकारी को जनता या किसी उच्च अधिकारी के समक्ष प्रकट करना व्हिसलब्लोइंग कहलाता** है।
    - व्हिसलब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो ऐसे गलत या अनैतिक कार्य की रिपोर्ट/खुलासा करता है। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय शणमुगम मंजूनाथ और अन्य।

हितधारक और उनके हित	
हितधारक	**हित**
व्हिसलब्लोअर	• गलत काम या कदाचार को उजागर करना और प्रतिशोध से खुद को बचाना।
नागरिक/ समाज	• सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी तक पहुँच।
सरकार	• राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पारदर्शिता के साथ संतुलित करना।
संगठन	• अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, यदि संभव हो तो रिपोर्ट की गई समस्याओं का आंतरिक रूप से समाधान करना, आदि।
विनियामक निकाय	• कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
मीडिया हित	• प्रसारण किए जाने योग्य आरोपों पर रिपोर्टिंग करना और स्रोतों की रक्षा करना।
पक्ष लेने वाले समूह/ NGO हित	• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा व्हिसलब्लोअर्स का समर्थन करना।

व्हिसल ब्लोइंग में शामिल नैतिक दुविधाएँ

- **व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा:** गलत कृत्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरों पर विचार करते हुए सरकार की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने में एक संतुलन स्थापित करना जरूरी है।
- **मीडिया की ज़िम्मेदारी बनाम नैतिक सूचना प्रबंधन:** मीडिया का नैतिक कर्तव्य है कि **वह लोगों को सरकार की कार्रवाई के बारे में बताए,** जबकि ख़तरनाक या संवेदनशील जानकारी को ज़िम्मेदाराना तरीके से संरक्षित रखे।
- **जनता का सूचना का अधिकार बनाम गोपनीयता बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी:** सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानने के नागरिकों के अधिकार और कुछ मामलों में गोपनीयता बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी के बीच संतुलन होना चाहिए।
- **निष्ठा दर्शाने का कर्तव्य बनाम नैतिक दायित्व:** नियोक्ता के प्रति कर्मचारी के कर्तव्य और गलत कृत्यों की रिपोर्ट करने के उनके नैतिक दायित्व के बीच टकराव हो सकता है।
- **सुरक्षा बनाम जवाबदेही:** व्हिसलब्लोअर को प्रतिशोध से बचाने और झूठी या दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में नैतिक रूप से विचार किया जाए।

भारत में व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए कानून

- **व्हिसलब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम, 2014:** यह सार्वजनिक हित में सूचनाओं का खुलासे करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 177):** इसमें सूचीबद्ध कंपनियों को निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

- **सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) विनियमन, 2015:** सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को व्हिसलब्लोअर नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया है।
- **निजी क्षेत्रक और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटीकरण योजना:** यह RBI की एक योजना है, जिसके तहत बैंकों को व्हिसलब्लोअर नीति/ सतर्कता तंत्र बनाना अनिवार्य होता है।

आगे की राह

- व्हिसलब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम, 2014 को प्रभावी ढंग से मजबूत बनाकर लागू करना चाहिए तथा मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों को कवर करने वाले व्यापक कानून विकसित करना चाहिए और व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए **कॉर्पोरेट नीतियों को प्रोत्साहित करना** चाहिए।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए और अन्य देशों में भी व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा से संबंधित वैश्विक पहलों में सहभागिता करनी चाहिए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में गोपनीयता बनाए रखते हुए जनता के लिए बाधारहित तरीके से सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

> ह्यूमैनिटीज हमें आलोचना और असहमति के महत्त्व की शिक्षा देती है, जो व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब कोई संगठन केवल साथ देने और सहमत रहने की संस्कृति को बढ़ावा देता है तथा व्हिसलब्लोवर्स को हतोत्साहित करता है, तो बुरे परिणाम होते हैं और व्यवसाय तबाह हो सकते हैं।
>
> — **मार्था सी. नुसबौम**

8.5. अच्छा जीवन: कार्य और अवकाश के बीच संतुलन बनाने की कला (Good Life: The Art of Balancing Work and Leisure)

परिचय

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों के महत्व को रेखांकित करते हुए, **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** के तहत **11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने** की घोषणा की गई। इसमें "बच्चों के लिए आराम और अवकाश के अधिकार" को शामिल किया गया है। एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध में पाया गया है कि पेंटिंग करना, बुनाई करना या मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी अवकाशकालीन गतिविधियां **कार्य की तुलना में हमारे कल्याण में अधिक वृद्धि** करती है।

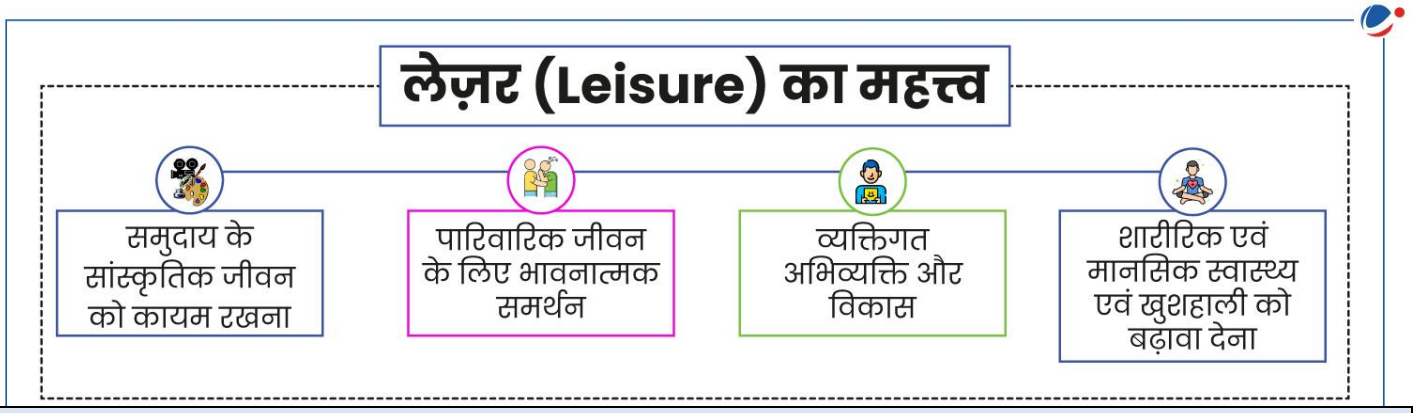

कार्य और अवकाश के बीच संबंध	
पूरक संबंध (Complimentary Relationship) • **विकल्पों के चुनाव की स्वतंत्रता और आंतरिक प्रेरणा:** उदाहरण के लिए, उपन्यास लिखना या समाचार-पत्रों के लिए कॉलम लिखना उन लोगों को अवकाश जैसा लग सकता है जो पढ़ने और लिखने में आनंद का अनुभव करते हैं।	**विपरीत संबंध** • **स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारियां: स्वतंत्रता और आनंद से युक्त अवकाश** से **रचनात्मकता, प्रदर्शन** और नौकरी से संतुष्टि के स्तर में सुधार करता है। • **आत्म-अभिव्यक्ति बनाम व्यक्तिगत विकास:** उदाहरण के लिए, जब छात्रों को केवल एकेडमिक और भविष्य के करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बिना अर्थ समझे सूचनाओं को रटने के लिए मजबूर किया जाता है तब **स्कूली शिक्षा एक आनंददायक सीखने की गतिविधि नहीं रह जाती** है।

• **कल्याण सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए, **रोजगार लोगों को संबंध बनाने** और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार करने का अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही यह मानसिक क्षति से निपटने और समस्या-समाधान कौशल में सुधार करने में मदद करता है।	
कार्य और अवकाश के पूरक एवं विपरीत संबंध एक अच्छे जीवन को पूरा करने के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।	

वे कारक जो कार्य और अवकाश के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल बना देते हैं

- **कार्यस्थल की संस्कृति:** एक पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित कार्यस्थल संस्कृति में कर्मचारियों से जॉब क्रीप (अपने कार्य के लिए निर्धारित दायरे से बाहर जाकर अतिरिक्त कार्य करना) की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार, अपनी महत्ता सिद्ध करने या पदोन्नति पाने के लिए कार्य के लिए अतिरिक्त समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लगातार अधिक काम करने का चक्र चलता रहता है।
  - **जॉब क्रीप की स्थिति** तब उत्पन्न होती है, जब कोई व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसके कार्य के निर्धारित दायरे के बाहर या उससे अधिक होता है।
- **तकनीकी प्रगति:** ई-मेल और सेल फोन जैसी तकनीक ने कार्यस्थल और घर के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है, जिससे निकलना अब कठिन हो गया है।
- **अधिक कमाने की इच्छा।**
- **भागदौड़ वाली संस्कृति:** समाज प्रायः व्यस्त रहने को सफलता की निशानी के रूप में महिमामंडित करता है, लोगों को लगातार खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अवकाश और भी कम होता जाता है।

कार्य और अवकाश को सामंजस्यपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व में लाने के लिए आगे की राह

- सहभागिता आधारित, लोकतांत्रिक नेतृत्व कौशल को अपनाकर, खुले तौर पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर तथा कार्यस्थल पर टीम-बिल्डिंग संबंधी गतिविधियों का आयोजन करके **सकारात्मक कार्य संस्कृति** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - WEF के अनुसार, श्रमिकों को सप्ताह में एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी देने से वास्तव में उत्पादकता में वृद्धि ही होती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य (खुश होने की भावना) बढ़ता है।
- **सीमित तर्कसंगतता:** पूर्णतावाद का अनुसरण करने के बजाय, सीमित तर्कसंगतता को स्वीकार किया जाना चाहिए और लोगों को कभी-कभी कुछ कार्यों में असफल होने पर भी नकारात्मक परिणामों से छूट देनी चाहिए।
  - **'सीमित तर्कसंगतता'** शब्द का आशय तर्कसंगत निर्णय लेने से है जो **निर्णय लेने वाले की संज्ञानात्मक सीमाओं** पर विचार करता है।
- **लचीलापन अपनाना:** यद्यपि प्रौद्योगिकी ने कार्यस्थल और घर की सीमाओं को धुंधला कर दिया है, परन्तु यह महत्वपूर्ण लचीलापन भी प्रदान करता है।
- **सीमाएं निर्धारित करना:** काम के घंटे स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। कार्य और घरेलू जीवन के बीच अलगाव बनाए रखने के लिए कार्य की अवधि के अतिरिक्त काम के ई-मेल को देखने या कॉल उठाने से बचना चाहिए।

8.6. नैदानिक परीक्षण से जुडी नैतिकता (Ethics of Clinical Trials)

परिचय

CDSCO ने विकसित देशों में अनुमोदित नई दवाओं को स्थानीय स्तर पर जरूरी नैदानिक परीक्षणों (Clinical trials) से छूट प्रदान की है। इस सुधार से **कैंसर, दुर्लभ रोग, स्वप्रतिरक्षी (Autoimmune) रोग** जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नवीनतम दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। हालांकि, देश में क्लिनिकल परीक्षणों से जुड़ी कई चिंताएँ हैं जैसे कि गैर-सूचित सहमति आदि का पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया है।

नैदानिक परीक्षणों (Clinical trials) के बारे में

- नैदानिक परीक्षण के जरिए बाजार में पहुंचने से पहले किसी नई दवा को सुरक्षित और प्रभावकारी प्रमाणित किया जाता है।
- **नैदानिक परीक्षणों के चार चरण**
  - **चरण I:** इसमें दवा की सुरक्षित खुराक सीमा का आकलन करने और उसके दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए स्वयंसेवकों का छोटा समूह शामिल होता है।
  - **चरण II:** किसी विशेष बीमारी वाले रोगियों सहित बड़े समूह (100 से 300) को दवा दी जाती है, ताकि उसकी प्रभावशीलता देखी जा सके।
  - **चरण III:** दवा को बड़े समूहों (1,000 से 3,000) को दिया जाता है। इस समूह में मरीज भी शामिल होते हैं, ताकि दवा की तुलना आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपचारों आदि से की जा सके।
  - **चरण IV:** दवा/ उपचार को DCGI द्वारा अनुमोदित किया जाता है और लोगों द्वारा उपयोग के लिए इसका विपणन किया जाता है।

विनियामकीय मेकेनिज्म

- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (DCA), 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945**
- DCGI **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** का अध्यक्ष होता है। यह देश में **नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी के लिए अंतिम विनियामक प्राधिकरण** है।
- नैदानिक परीक्षण नियम 2019 DCA के तहत जारी किए गए हैं।
- नैदानिक परीक्षण सहित सभी प्रकार के चिकित्सा अनुसंधान की निगरानी एक **स्वतंत्र नैतिकता समिति** द्वारा करना अनिवार्य है।
  - चिकित्सा अनुसंधान के उद्देश्य से सभी नैतिकता समितियों को **ICMR** द्वारा प्रबंधित भारतीय नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री (**CTRI**) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

हितधारकों के लिए नैदानिक परीक्षणों में शामिल विभिन्न नैतिक सिद्धांत

हितधारक	नैतिक सिद्धांत
नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी	• **सूचित सहमति** (रोगियों को अनुसंधान के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है) • **परोपकार** • अनुसंधान-संबंधी नुकसान के लिए मुआवजा • **निजता और गोपनीयता**
प्रयोजक (Sponsors)	• हितों के टकराव से बचना • शोध के बाद पहुँच और लाभ साझा करना • **वितरणात्मक न्याय**
अनुसंधानकर्ता (Researchers)	• अनिवार्यता का सिद्धांत • निजता और गोपनीयता • पर्यावरणीय संरक्षण
विनियामकीय एजेंसी (Regulatory Agencies)	• लाभ-जोखिम मूल्यांकन • पारदर्शिता और जवाबदेही
समाज	• शोध के बाद पहुँच और लाभ साझा करना • पारदर्शिता और जवाबदेही

नैदानिक परीक्षणों से संबंधित मुद्दे

- चिकित्सा अनुसंधान में अक्सर दवा के दुष्प्रभावों से होने वाले मामूली दर्द, असुविधा आदि शामिल होते हैं।
- कुछ शोधकर्ता और प्रायोजक **परीक्षणों में तेजी लाने के लिए** विनियामक फ्रेमवर्क को दरकिनार कर सकते हैं।
- **सुभेद्य आबादी** (जो वित्तीय स्थिति से हताश हैं) **को टारगेट किया जा सकता है।**
- **सूचित सहमति का अभाव** (सहमति प्रपत्रों में जटिल भाषा, उन्हें समझना मुश्किल बना सकती है)।
- जब नैदानिक परीक्षण सफल नहीं होते हैं तो **कभी-कभी प्रतिभागी को मुआवजा भी मिलता है।**
- **स्टेम सेल अनुसंधान** (जैसे मानव भ्रूण का उपयोग)।
- **नवजात शिशुओं पर दवा परीक्षण** (उनकी मृत्यु दर और रुग्णता का उच्च जोखिम होता है, और माता-पिता से सूचित सहमति प्राप्त करने में कठिनाइयाँ)।

आगे की राह

- संस्थागत नैतिकता समितियों को नैतिक मुद्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण अवसंरचना** का विकास करना।
- विभिन्न स्थितियों पर **लागू स्पष्ट और सुस्पष्ट विनियामक प्रावधान परीक्षण** अनुमोदन की दक्षता को बढ़ाएंगे।
- परीक्षण से संबंधित मृत्यु या चोट के लिए पर्याप्त मुआवजा देना।

नैदानिक परीक्षणों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम और विनियम

- **बेलमोंट रिपोर्ट:** व्यक्ति के सम्मान, परोपकार और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है।
- **हेलसिंकी घोषणा-पत्र: विश्व चिकित्सा संघ द्वारा।**
- **नूर्नबर्ग संहिता:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अपमानजनक और शोषणकारी नैदानिक परीक्षणों के जवाब में इसे अपनाया गया था।
- **मानव से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दिशा-निर्देश, 2016:** इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान संगठन परिषद (Council for International Organizations of Medical Sciences: CIOMS) द्वारा तैयार किया गया।

8.7. पश्चिमी नैतिक विचारक और दार्शनिक (Western Moral Thinkers and Philosophers)

पश्चिमी नैतिक विचारक और दार्शनिक		
दार्शनिक	**नैतिक विचार/ विजन/ मूल्य**	**उद्धरण**
सुकरात 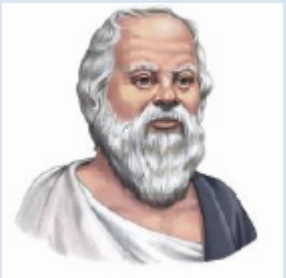	• **सद्गुण:** सद्गुण और ज्ञान के बीच का संबंध अविभाज्य है। • **बुद्धि:** धन, सौंदर्य, साहस आदि जो अच्छाई के विभिन्न रूप माने जाते हैं, वे तभी अच्छे होते हैं जब वे बुद्धि द्वारा निर्देशित हों।	• बिना आत्म-मूल्यांकन के जीवन व्यर्थ है। • गिरना असफलता नहीं है, बल्कि गिरने के बाद न उठ पाना असफलता है। • ऐसा व्यक्ति बनें जैसा आप चाहते हैं और लोग आपको समझें।

प्लूटो 	• **प्लूटो ने चार प्रमुख मूल्य प्रतिपादित किए:** बुद्धि, साहस, संयम और न्याय। • न्याय 'सार्वजनिक' और 'निजी' दोनों ही तरह का गुण है। इसका उद्देश्य व्यक्ति (निजी) और पूरे समाज (सार्वजनिक) का सर्वोच्च हित है।	• सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता के कारण अच्छे लोगों को बुरे लोगों द्वारा शासित होना पड़ता है।
अरस्तु 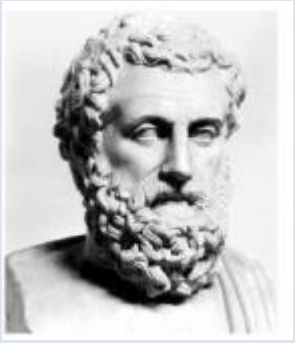	• "स्वर्णिम मध्य (Golden Mean)" अरस्तू द्वारा प्रतिपादित नैतिक सिद्धांत है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक नैतिक गुण एक मध्यवर्ती अवस्था में होता है, जो दो अतिवादी अवस्थाओं के बीच संतुलन बनाता है। ○ इन अवस्थाओं में से एक अधिकता (अत्यधिक) की ओर होती है और दूसरी न्यूनता (अल्पता) की ओर।	• अच्छा लीडर बनने के लिए, पहले एक अच्छा अनुयायी होना आवश्यक है। • जीवन का मूल्य चिंतन की शक्ति में निहित है, न कि मात्र जीवित रहने में।
जेरेमी बेन्थम 	• **उपयोगिता का सिद्धांत:** वह कार्य जो अधिकतम सुख प्रदान न करे, नैतिक रूप से गलत है। • **हेडोनिक कैलकुलस:** किसी कार्य द्वारा उत्पन्न सुख और दुख का कुल योग तथा उसके परिणामों का कुल मूल्य ज्ञात करने की विधि।	• सितारों तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाते हुए मनुष्य अक्सर अपने पैरों के पास लगे फूलों को भूल जाता है। • अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी नैतिकता और कानून का आधार है।
जॉन स्टुअर्ट मिल 	• **उपयोगितावाद:** अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी • **खुशी:** व्यक्तिगत विकास और विविधता को मानवीय खुशी और अंतिम लक्ष्य का प्रमुख घटक मानते हैं।	• ऐसा इसलिए नहीं है कि मनुष्य की इच्छा प्रबल हैं, बल्कि इसलिए है कि उसका विवेक कमजोर है। • एक व्यक्ति न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपनी अकर्मण्यता से भी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, और दोनों ही मामलों में वह दूसरों को हुई हानि के लिए उचित रूप से उत्तरदायी है।

इम्मैनुएल कांट 	• **साधन और साध्य:** मनुष्य को स्वयं एक साध्य के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी साधन के रूप में। • **निरपेक्ष आदेश (Categorical imperatives):** आदेश या नैतिक कानून जिनका पालन सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, चाहे उनकी इच्छाएं या परिस्थितियां कुछ भी हों।	• जो व्यक्ति खुद को चरण-धूलि बना लेता है, वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता अगर लोग उसका फायदा उठाए। • खुशी की कुंजी: एक उद्देश्य रखना, किसी से प्रेम करना, और भविष्य के लिए आशा बनाए रखना है।
जॉन रॉल्स 	• **न्याय के दो सिद्धांत निष्पक्षता के रूप में हैं-** ○ **पहला सिद्धांत:** प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतः समान मौलिक स्वतंत्रता का निर्विवाद अधिकार होना चाहिए। ○ **दूसरा सिद्धांत:** सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी उचित हैं जब वे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को लाभ पहुंचाती हैं।	• न्याय के सिद्धांतों को अनभिज्ञता के पर्दे के पीछे चुना जाता है। • अगर किसी को पता न हो कि उसके पास कितनी शक्ति होगी, तो सबसे निष्पक्ष नियम वे होंगे जिनसे सभी सहमत होंगे।
जीन-जैक्स रूसो 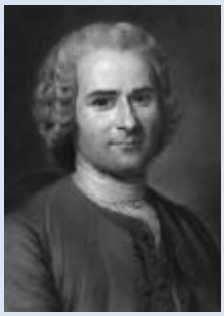	• **सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध:** किसी समाज के विकास और अस्तित्व के लिए एक सिस्टम के रूप में कार्य करना। • **सामान्य इच्छा:** सामान्य इच्छा समूह के सभी सदस्यों के कल्याण को ध्यान में रखती है, जबकि विशेष इच्छा केवल व्यक्तिगत लाभ और हितों को प्राथमिकता देती है।	• मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। • दयालुता से बड़ी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती।
थॉमस हॉब्स 	• **मनोवैज्ञानिक अहंकार (Psychological Egoism):** मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होता है, मुख्य रूप से आत्म-संरक्षण की इच्छा। ○ हॉब्स ने तर्क दिया कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए शांति की तलाश करनी चाहिए।	• बुद्धिमान शब्दों का उपयोग सोच समझकर करते हैं, जबकि मूर्ख शब्दों को ही धन समझते हैं। • मनुष्य का अंतःकरण और उसका निर्णय एक ही चीज़ हैं, और जैसे निर्णय गलत हो सकता है, वैसे ही अंतःकरण भी गलत हो सकता है।
बर्ट्रेंड रसेल 	• **तार्किक परमाणुवाद / अणुवाद (Logical Atomism):** उन्होंने प्रस्तावित किया कि दुनिया ऐसे तथ्यों से बनी है जो बिल्कुल सरल और समझने योग्य हैं अर्थात् तथ्यों का एक सरल ढांचा ही दुनिया की वास्तविकता है। ○ उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि दार्शनिक तर्कों को उसी तरह हल किया जा सकता है जैसे गणितीय समस्याओं को हल किया जाता है।	• भय अंधविश्वास का मुख्य स्रोत है, और क्रूरता के मुख्य स्रोतों में से एक है। भय पर विजय पाना विजडम या ज्ञान की शुरुआत है। • लोग दूसरों के छिपे हुए अच्छे गुणों या सद्गुणों के बारे में बात नहीं करते हैं।

8.8. केस स्टडीज़ के जरिए अपनी योग्यता का परीक्षण कीजिए (Test Your Learning)

1. लोक निर्माण विभाग में काम करने वाला एक ईमानदार और समर्पित सिविल सेवक को सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में बड़ी अनियमितताओं का पता चलता है। आगे की जाँच में, उन्होंने पाया कि अन्य अधिकारियों का स्थानीय ठेकेदारों के साथ गठजोड़ है, जो निर्माण के लिए घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं। निर्माण पूरा होने पर, सड़क का उपयोग सेना द्वारा किया जाएगा। यह आपातकाल के समय सैनिकों की आवाजाही को सुगम बनाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देगी। हालांकि, अनियमितताओं के बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने या मीडिया में उजागर करने से परियोजना में देरी होगी और उसे संबंधित हितधारकों से प्रतिशोध का खतरा हो सकता है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- विभिन्न हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए।
- मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए और सिविल सेवक के लिए उपलब्ध विकल्पों की उनके गुणों और दोषों के साथ चर्चा कीजिए।

संदर्भ: व्हिसलब्लोइंग की नैतिकता (Ethics of Whistleblowing)

2. हाल ही में एक राज्य के शिक्षा सचिव को राज्य लोक सेवा परीक्षा में घोर अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं। आगे की जाँच से पता चलता है कि परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कुछ अभ्यर्थियों के बीच साँठगाँठ है, जिन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया है। यह परीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य में विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थी की भर्ती करती है। राज्य के प्रशासन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। हालांकि, इस घोटाले को जनता या उच्च अधिकारियों के सामने उजागर करने से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है और लोक सेवा आयोग की छवि खराब हो सकती है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- विभिन्न हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए।
- मामले में शामिल नैतिक मुद्दों और शिक्षा सचिव द्वारा किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

संदर्भ: सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी (Frauds in Civil Services Examination)

3. आप वर्तमान में एक अच्छे वेतन वाली MNC में कार्यरत हैं, जिसके लिए आपको क्लाइंट्स से मिलने के लिए अलग-अलग शहरों की यात्रा करनी पड़ती है। आपका मासिक बोनस और उच्च पद पर दीर्घकालिक पदोन्नति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपने एक महीने में कितने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की है। हाल ही में, आपकी माँ को स्टेज 2 कैंसर का पता चला है, जिसके लिए न केवल देखभाल की आवश्यकता है, बल्कि उनके उपचार के लिए आय का एक स्थिर और अच्छा स्रोत भी बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि, लगातार यात्रा करने, कार्य से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने और बार-बार अस्पताल जाने के कारण आपको शहर में आयोजित होने वाले एक नाट्य कला कार्यक्रम के लिए अभ्यास करने का समय कम मिल पाता है। आप नाट्य कला के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और बचपन से ही इसका अनुसरण करते आए हैं। इसका नियमित अभ्यास करने से आपको बहुत खुशी मिलती है तथा आप दुनिया की भागदौड़ भरी खींचतान से अलग और सहज महसूस करते हैं। काम के बोझ और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने न केवल कार्यक्रम में आपको भूमिका निभाने के अवसर की संभावनाओं को कम कर दिया है, बल्कि आपको चिंता और मानसिक थकान से भी भर दिया है, जिससे आपके काम का प्रदर्शन भी खराब हो गया है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- वर्तमान समय में लोगों में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण तनाव के लिए जिम्मेदार कारणों पर चर्चा कीजिए।
- उदाहरण देते हुए, ऐसे उपाय सुझाइए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए प्रभावी कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने हेतु अपनाने चाहिए।
- अपने काम, शौक और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए?

संदर्भ: अच्छा जीवन: कार्य और अवकाश के बीच संतुलन बनाने की कला (Good Life: The Art of Balancing Work and Leisure)

4. आप एक ऐसे जिले के SDM हैं जहां गरीबी की दर बहुत अधिक है। आप खाद्य वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख के प्रभारी हैं। साइट विजिट के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन का विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि X गाँव में गाँव के सरपंच ने कार्यक्रम के लिए आवंटित नि:शुल्क अनाज को हड़प लिया है। पिछड़ी जाति के परिवारों को आवंटित अनाज का केवल आधा हिस्सा ही उन्हें दिया गया है। जिले के DM और MP के साथ सरपंच के अच्छे संबंध हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. उपर्युक्त मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
2. उपर्युक्त स्थिति में आपके लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
3. आप उपलब्ध विकल्पों में से किस विकल्प का चुनाव करेंगे और क्यों?

संदर्भ: सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Infrastructure and Public Service Delivery)

5. आप एक सरकारी विनियामक संस्था में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाल ही में, आपका एक करीबी दोस्त, जो एक सफल निजी कंपनी चलाता है, एक व्यावसायिक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया है। वह उस क्षेत्र में एक नया उद्यम शुरू करना चाहता है, जिसे आपका विभाग नियंत्रित करता है। इसलिए वह नियामक परिदृश्य जानने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता है। वह आपको आश्वासन देता है कि यह सिर्फ मैत्रीपूर्ण सलाह है और आपकी विशेषज्ञता की सराहना के प्रतीक के रूप में आपको कंपनी में एक छोटी हिस्सेदारी प्रदान करने की पेशकश करता है।

इस बीच, आपका विभाग ऐसी नई नीतियां तैयार करने की प्रक्रिया में है जो इस क्षेत्र के व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।

आपको इन आगामी परिवर्तनों के बारे में अंदरूनी जानकारी है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस स्थिति में नैतिक मुद्दों और हितों के संभावित टकराव की पहचान कीजिए।
- इस परिदृश्य में आप क्या कार्रवाई करेंगे? लोक सेवकों के लिए नैतिक सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य सिद्ध कीजिए।
- तीन प्रणालीगत उपाय सुझाइये जिन्हें सार्वजनिक प्रशासन में हितों के ऐसे टकराव को रोकने के लिए लागू किया जा सकता है।

संदर्भ: लोक प्राधिकारियों के हितों का टकराव (Conflict of Interests of Public Officials)

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025
▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI: 23 सितंबर, 1 PM | 22 अगस्त, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 5 सितंबर | JODHPUR: 11 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
23 सितंबर | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप** को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
79
in TOP 100 Selections in CSE 2023
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Aditya Srivastava
2 AIR Animesh Pradhan
5 AIR Ruhani
6 AIR Srishti Dabas
7 AIR Anmol Rathore
9 AIR Nausheen
10 AIR Aishwaryam Prajapati
हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
हिंदी माध्यम टॉपर
53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें
TOPPERS' TALK
53 AIR मोहन लाल
TOPPERS' TALK
AIR 136 अर्पित कुमार
विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न
UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति
DELHI
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची